खंड 12, अंक 12

मंगलवार, 9 अगस्त, 2005

18 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Acc. No. 59
Dated 31/7/06

(खण्ड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र. ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 12 पांचवां सत्र, 2005/1927 (शक)

अंक 12, मंगलवार, 9 अगस्त, 2005/18 श्रावण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	1-3
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 240	3-56
अतारांकित प्रश्न संख्या 2357 से 2515	56-382
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	383-384
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	384-390
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	391-392
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	392-394

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापित तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 9 अगस्त, 2005/18 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि 63 वर्ष पूर्व, 9 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी ने, साम्राज्यवादी दासता की बेड़ियों से देश को मुक्त कराने के लिए "भारत छोड़ो" आन्दोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने लम्बे समय से शोषित भारत की जनता को "करो या मरो" का प्रेरणादायक नारा दिया था।

"भारत छोड़ो" आन्दोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया था और इससे अंग्रेजों को इस जन-आन्दोलन में देश के चुनौतीपूर्ण विद्रोही स्वर का आभास हुआ। यह आन्दोलन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक मील का पत्थर था जिसने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लम्बे समय से संजोये हुए लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग दिया था। इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहूति देने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति अपनी सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

माननीय सदस्यों को यह भी स्मरण होगा कि 60 वर्ष पूर्व जापानी नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त, 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे जिसके परिणामस्वरूप हजारों निर्दोष लोग मारे गए तथा लाखों घायल हुए और जीवन भर के लिए अपंग हो गए। आज भी मानव जाति की पीढ़ियां परमाणु विकिरण के अनुवर्ती दुष्प्रभाव से ग्रस्त हैं।

इस अवसर पर हम सभी को यह स्मरण रखना चाहिए कि राष्ट्रों के बीच स्थायी शांति सुनिश्चित करने हेतु व्यापक जनसंहार के हथियारों को नष्ट किया जाना कितना महत्वपूर्ण है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निष्ठापूर्ण, व्यापक और भेदभाव रहित प्रयास किए जाने चाहिए। विश्व शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों को संयम बरतना चाहिए और अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए।

अब सदस्यगण स्वतंत्रता सेनानियों और परमाणु बम विध्वंस के पीड़ित व्यक्तियों की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: चूंकि मैं आप सभी की बात सुनना चाहता हूं अतः आप एक-एक करके बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, कल नानावती आयोग की रिपोर्ट और ए.टी.आर. यहां पर रखी गई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सुनने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया एक-एक करके बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उस समय की सरकार के समय चार हजार सिखों की हत्या यहां की गई और आज की सरकार उस पर पर्दा डाल रही है। इसमें दोषियों को सजा दी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमें एक मिनट बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कांग्रेस पार्टी के हाथ उन लोगों के खून से रंगे हुए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, कृपया मुझे एक मिनट बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): यह क्या तरीके है। कांग्रेस वालों ने ही लोगों को दंगा करने के लिए भड़काया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये। आपके नेतागण बैठ गये हैं, तो आप क्यों नहीं बैठते? यह क्या है, आप अपने नेता को सुनिये। हम इनके खिलाफ नहीं हैं।

[अनुवाद]

मैं यह कह रहा हूं कि यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है। स्वाभाविक रूप से सभा का प्रत्येक पक्ष इस पर चिंतित होगा। मैं इसके पीछे आपकी उन भावनाओं की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने आपको यह मामला उठाने के लिए प्रेरित किया। जहां तक मेरा संबंध है, मैं भी इस घटना को लेकर बहुत दुखी हूं। कल मैंने आपको बताया था कि मैं चर्चा की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: डिस्कशन नहीं, पहले इस्तीफा होना चाहिए। ये लोग इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.05 बजे

(इस समय श्री सुखबीर सिंह बादल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

उद्योग समूह क्षेत्रों की स्थापना

***221. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
डा. चिंता मोहन:

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में लघु उद्योगों के विस्तार और विकास के लिए उद्योग समूह क्षेत्रों (इण्डस्ट्रियल कलस्टर) की स्थापना करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो देश में अब तक स्थापित किए गए उद्योग समूह क्षेत्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है और ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां और उद्योग समूह क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा इन उद्योग समूह क्षेत्रों की स्थापना का काम कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी राशि व्यय किए जाने का अनुमान है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) लघु उद्योगों की स्थापना उद्यमी ही करते हैं। अत: नए लघु औद्योगिक क्लस्टरों के स्थापना करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। परन्तु पहले से विद्यमान समूहों (क्लस्टरों) में स्थित लघु उद्योगों के सामूहिक रूप से विकास के लिए सरकार के द्वारा लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एस.आई.सी.डी.पी.) अगस्त, 2003 से चलाया जा रहा है।

(ख) अभी तक पचहत्तर क्लस्टरों के विकास की परियोजनाएं ली गयी हैं (विस्तृत सूची संलग्न विवरण में है)।

(ग) मांग पर आधारित कार्यक्रम होने के कारण राज्य सरकारों, स्वायत्त संस्थानों, आदि से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न क्लस्टरों को एस.आई.सी.डी.पी. के प्रावधानों के अनुसार विकास के लिए चुना जाता है। फिर भी सरकार का प्रयास रहा है कि एस.आई.सी.डी.पी. के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप क्लस्टर विकास के प्रस्ताव विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से विचारार्थ प्राप्त हों।

(घ) चालू वित्त वर्ष (2005-06) में इस कार्यक्रम के लिए 6.87 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है।

विवरण

एस.आई.सी.डी.पी. के तहत विकास हेतु लिए गए क्लस्टरों की उनके स्थल सहित राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	क्लस्टरों का नाम
1	2	3
1.	असम	1. ब्रास एवं बैल मेटल उद्योग क्लस्टर, हाजो

1	2	3	
2.	आंध्र प्रदेश	1-2.	हैदराबाद एवं मेडक जिले में बल्क ड्रग एवं फार्म्यूलेशन उद्योग क्लस्टर
		3.	चित्तूर में फल प्रसंस्करण उद्योग क्लस्टर
		4.	हैदराबाद में फाउण्ड्री क्लस्टर
		5.	नरसापुर में क्रोसेट लेस उद्योग क्लस्टर
		6.	सिलेसिलाए वस्त्र क्लस्टर रायदुर्ग
		7.	ग्रेफाइट क्रूसिबल्स उद्योग क्लस्टर, राजामुंदरी
		8.	इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग क्लस्टर, मछलीपट्टनम
		9.	मैंगो जैली उद्योग क्लस्टर, मिमाली
		10.	मैंगो जेली उद्योग क्लस्टर, काकीनाडा
		11.	बर्न्ट लाइम उद्योग क्लस्टर, पिडुगुरल्ला
		12.	हल्दी प्रसंस्करण उद्योग क्लस्टर, दुग्गीराला
		13.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्लस्टर, विजयवाड़ा
		14.	प्रीसीजन कॅम्पानेंट्स और मशीन टूल्स उद्योग क्लस्टर, बालानगर
		15.	प्लास्टिक उत्पाद उद्योग क्लस्टर, आदिलाबाद
		16.	प्लास्टिक उत्पाद उद्योग क्लस्टर, नालगोंडा
		17.	इलैक्ट्रॉनिक्स उत्पाद उद्योग क्लस्टर, खुशियागुडा
		18.	पंखा उद्योग क्लस्टर, हैदराबाद
3.	बिहार	1.	परेब, पटना में ब्रास एवं ब्रांज मेटल यूटेन्सिल उद्योग क्लस्टर, परेब (पटना)
		2.	गन विनिर्माण उद्योग क्लस्टर, मुंगेर
		3.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्लस्टर, मुज्जफ्फरपुर
		4.	हर्बल एवं सुगन्धित पादप पर आधारित क्लस्टर (मिन्ट), मुज्जफ्फरपुर
4.	छत्तीसगढ़	1.	स्टील रि-रोलिंग उद्योग क्लस्टर, रायपुर
5.	दिल्ली	1.	सिलेसिलाए वस्त्र उद्योग क्लस्टर, नई दिल्ली
6.	गोवा	1.	फार्मास्यूटिकल्स उद्योग क्लस्टर, मारगांव
7.	गुजरात	1.	डीजल पंप और अभियांत्रिकी उद्योग क्लस्टर, राजकोट
		2.	स्पेशियेलिटी ऑयल और सॉलवेन्ट के विनिर्माण के लिए हाइड्रोजन प्रक्रिया पर ट्रॉयल रन, गुजरात
		3.	राइस फ्लेक उद्योग क्लस्टर, गोंडल, अहमदाबाद

1	2	3	
8.	हरियाणा	1.	राइस मिलिंग उद्योग क्लस्टर, करनाल
		2.	कृषि उपकरण उद्योग क्लस्टर, करनाल
9.	हिमाचल प्रदेश	1.	जर्नल एवं लाइट इंजीनियरिंग उद्योग क्लस्टर परवानु
10.	जम्मू-कश्मीर	1.	जॉएनरी/फर्नीचर उद्योग क्लस्टर, श्रीनगर
		2.	क्रिकेट बैट विनिर्माण उद्योग क्लस्टर, अनंतनाग
11.	झारखण्ड	1.	ऑटो कम्पोनेंट उद्योग क्लस्टर, जमशेदपुर
12.	कर्नाटक	1.	भारतीय मशीन टूल उद्योग क्लस्टर के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, बंगलौर
		2.	फाउण्ड्री उद्योग क्लस्टर, बेलगाम
		3.	सिलेसिलाए वस्त्र क्लस्टर बंगलौर
13.	केरल	1.	पश्चिम तटीय, केरल के साथ लगा टाइल उद्योग क्लस्टर
		2.	रबर क्लस्टर विकास कार्यक्रम, कोटायाम
		3.	स्वर्ण आभूषण उद्योग क्लस्टर, त्रिशूर
14.	मध्य प्रदेश	1.	फार्मास्यूटिकल्स उद्योग क्लस्टर, इंदौर
		2.	सिलेसिलाए वस्त्र उद्योग क्लस्टर, इंदौर
15.	महाराष्ट्र	1.	बेसिक ड्रग्स उद्योग क्लस्टर, थाने, नवी मुंबई
16.	नागालैंड	1.	बेंत एवं बांस उद्योग क्लस्टर, दीमापुर
17.	उड़ीसा	1.	हर्बल एवं सुगंधित पादप (केवड़ा) पर आधारित क्लस्टर, गंजम
		2.	ब्रास और बेल धातु उद्योग क्लस्टर, खुर्दा
18.	पंजाब	1-2.	फोर्जिंग उद्योग क्लस्टर, लुधियाना और जालंधर
		3.	जालन्धर में संकेन्द्रित हस्त औजार लघु उद्योग क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता संवर्धन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
		4.	सिलाई की मशीन एवं पुर्जे उद्योग क्लस्टर, लुधियाना
		5-7.	ऑटो पार्ट्स उद्योग क्लस्टर, फगवाड़ा, जालंधर और लुधियाना
		8.	कृषि उपकरण उद्योग क्लस्टर, मोगा
19.	राजस्थान	1.	नीम आधारित क्लस्टर, झालावाड़
		2.	वेटियर आधारित क्लस्टर, धौलपुर
		3.	राजस्थान में संकेन्द्रित भारतीय पत्थर उद्योग क्लस्टर के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
		4.	बॉल बियरिंग उद्योग क्लस्टर, जयपुर

1	2	3
20.	तमिलनाडु	1. ऑटो कॅम्पोनेंट्स उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम, चेन्नै
		2. वेट ग्राइंडर उद्योग क्लस्टर, कोयम्बत्तूर
21.	उत्तर प्रदेश	1. पॉटरी वाइटवेयर्स उद्योग क्लस्टर, खुर्जा
		2. नीम एवं सुगंध उद्योग क्लस्टर, कन्नौज
		3. नोयडा में संकेन्द्रित भारतीय खिलौना उद्योग क्लस्टर के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
		4. अलीगढ़ में संकेन्द्रित भारतीय ताला उद्योग के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
		5. कॉटन होजरी उद्योग क्लस्टर, कानपुर
		6. पॉटरी उद्योग क्लस्टर, चुनार
		7. ग्रे आयरन फाउण्ड्री उद्योग क्लस्टर के लिए लो कॉस्ट गैस फायर्ड कूपोला, आगरा
		8. चर्म पादुका उद्योग क्लस्टर, आगरा
22.	उत्तरांचल	1. सर्वेक्षण उपकरण उद्योग क्लस्टर, रुड़की
		2. गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु सहयोग सेवा केन्द्र की स्थापना, सेलाकी, देहरादून
		3. हर्बल एवं सुगंधित पादप (जरेनियम) पर आधारित क्लस्टर, भुवाली
23.	प. बंगाल	1. ब्रास एवं ब्रांज मेटल यूटेंसिल उद्योग क्लस्टर, कन्जेकुरा, बांकुरा
		2. सर्जिकल उपकरण उद्योग क्लस्टर, बरुईपुर
		3. चर्म सामग्री उद्योग क्लस्टर, शांतिनिकेतन

समेकित जनजाति विकास एजेंसी

***222. श्री बापू हरी चौरे:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही समेकित जनजाति विकास एजेंसियों (आई.टी.डी.ए.) का उनके कार्यकलापों सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आई.टी.डी.ए. वांछित परिणाम दे रही है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार धनराशि के दुरुपयोग की घटनाओं से बचने के लिए आई.टी.डी.ए. के लिए स्वीकृत फंड पर निगरानी रखती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या संबंधित एजेंसियों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग के किसी मामले का पता चला है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ज) सरकार द्वारा आई.टी.डी.ए. के कार्यकरण को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) से (ज) एकीकृत जनजातीय विकास

अभिकरण (आई.टी.डी.ए.) दो राज्यों, नामशः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में कार्यरत हैं। ये आई.टी.डी.ए., समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इन दो राज्यों के आई.टी.डी.ए. के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अन्य राज्यों ने एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आई.टी.डी.पी.) स्थापित की हैं, जो राज्य सरकारों के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आई.टी.डी.ए./ आई.टी.डी.पी. के मुख्य कार्य अवसंरचना विकास सहित जनजातीय समुदाय के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित करना है।

2. राज्य सरकारें जनजातीय विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन आई.टी.डी.ए./आई.टी.डी.पी. एवं अपने विभिन्न लाइन विभागों को भी सौंपती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य सरकारों को जारी कुल निधियां इस प्रकार हैं:

(लाख रुपए में)

वर्ष	आंध्र प्रदेश	उड़ीसा
2002-2003	7,338.90	11,140.91
2003-2004	8,138.50	9721.77
2004-2005	6,961.55	12,168.84

3. जनजातीय कार्य मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियां राज्य सरकारों के जनजातीय कल्याण विभागों को निधियां जारी करता है, सीधे आई.टी.डी.ए./आई.टी.डी.पी. को नहीं।

राज्यों को जारी अनुदानों की निगरानी के लिए निम्नलिखत प्रयास किए जा रहे हैं:-

(1) और निधियां जारी करने के लिए पूर्व-अपेक्षा के रूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर बल दिया जाता है।

(2) योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सावधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

(3) योजना के कार्यान्वयन की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारी राज्यों का स्थल-निरीक्षण करते हैं।

(4) प्रस्तावों को समय से प्रस्तुत करना, योजना का कार्यान्वयन तीव्र करना तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र स्तर पर जनजातीय विकास विभागों के राज्य सचिवों के साथ बैठकें/सम्मेलन आहूत किए जाते हैं।

(5) राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर जनजातीय सलाहकार परिषद, आई.टी.डी.पी. की परियोजना कार्यान्वयन समितियों तथा पंचायत समितियों जैसे अभिकरण भी निधियों के सामयिक व्यय एवं कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

(6) राज्य योजना वित्त एवं जनजातीय विकास विभागों द्वारा लाइन विभागों/कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों के संवितरण में विलंब को दूर करने के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन एवं उपयोग के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है, जिसमें एस.सी.ए. निधियों को आई.टी.डी.ए./ आई.टी.डी.पी.-वार चिन्हित करने का प्रावधान किया गया है। दिशा-निर्देशों में यह उपबंधित किया गया है कि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली सुनिश्चित करें।

4. आंध्र प्रदेश सरकार ने पार्वतीपुरम (जिला विजयनगर), एटुरनगरम (जिला वारंगल), श्रीशैलम (जिला कुरनुल) की आई.टी.डी.पी. में निधियों के दुरुपयोग, प्रक्रियात्मक वित्तीय अनियमितताओं की घटनाओं की सूचना दी है। जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है/पूरी कर ली गई हैं।

5. मंत्रालय राज्य सरकारों पर आई.टी.डी.ए./आई.टी.डी.पी. के सुदृढ़ीकरण पर बल दे रहा है। मंत्रालय आई.टी.डी.ए./ आई.टी.डी.पी. को सीधे निधियां उपलब्ध कराने के प्रयास कर रहा है, जिससे प्रशासनिक ढांचे की एकरूप पद्धति उपलब्ध हो सकेगी और इन संस्थानों को सतत् निधियां उपलब्ध कराना सुनिश्चित हो सकेगा।

विवरण

एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों की सूची

आंध्र प्रदेश

एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों के नाम

1. सीथमपेटा
2. पार्वतीपुरम

3. पडेरू
4. रामपचोदावरम
5. के.आर. पुरम
6. भद्राचलम
7. एथुनगरम
8. उत्लूर

उड़ीसा

एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों के नाम

1. नीलगिरी
2. बारीपाडा
3. रायरंगपुर
4. करंजिया
5. कप्टीपाड़ा
6. सुंदरगढ़
7. पंपोश
8. बोनाई
9. कुचिन्द्रा
10. क्योंझर
11. चम्पुआ
12. परखेलमुंडी
13. फूलबनी
14. बल्लीगुडा
15. तहसील रामपुर
16. कोरापुट
17. जेयपुर
18. मल्कानगिरी
19. नवरंगपुर
20. रायगड़ा
21. गुनुपुर

लौह अयस्क का निर्यात

***223. मो. शाहिद:**

प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद लौह अयस्क के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत निर्यात किया गया और उससे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या लौह अयस्क की घरेलू मांग बढ़ी है और सरकार घरेलू मांग को पूरा नहीं कर पा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और घरेलू इस्पात उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क के कुल उत्पादन में से वर्ष 2002-2003 में 48.47%, 2003-2004 में 50.94% और वर्ष 2004-2005 में 54.75% (अनन्तिम) लौह अयस्क का निर्यात किया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश-वार अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) बढ़ी हुए घरेलू खपत को पूरा करने के बाद भी फालतू मात्रा में लौह अयस्क उपलब्ध था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क के निर्यात से अर्जित की गई देश-वार विदेशी मुद्रा

(मात्रा मी. टन में, मूल्य करोड़ रुपए में)

	2002-03		2003-04		2004-05 (अनंतिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चीन	26.27	2080.92	42.06	5535.63	59.40	11132.69
जापान	15.75	1112.72	13.10	996.10	11.13	1128.00
द. कोरिया	2.41	190.38	2.15	146.66	2.18	397.60
ताईवान	0.54	74.06	0.88	74.55	0.61	111.25
यूरोप	2.04	116.28	2.47	157.75	2.89	527.09
अन्य	0.97	80.79	1.92	131.39	1.94	353.83
जोड़	48.02	3655.15	62.58	7042.08	78.15	13650.46

[अनुवाद]

इलायची का आयात

***224. श्री के. फ्रांसिस जार्ज:**

श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलायची के मूल्य में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इलायची के मूल्य में गिरावट को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या कोलकाता पत्तन के माध्यम से नेपाल द्वारा आयातित इलायची को भारतीय बाजारों में भेजा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से देश-वार कितनी मात्रा में इलायची का आयात किया गया;

(ङ) क्या सरकार को इलायची उत्पादकों से ग्वाटेमाला से इलायची का आयात बंद करने संबंधी अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) सरकार द्वारा आयातित इलायची के विपथन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या सरकार का विचार इलायची उत्पादकों की मदद करने हेतु इलायची का न्यूनतम मूल्य (फ्लोर मूल्य) घोषित करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) वर्ष 2004-05 में इलायची की भारित औसत नीलामी कीमत वर्ष 2003-04 के दौरान रही 361 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 301.30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गयी है।

(ख) इलायची की कीमतों में गिरावट के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:-

- ग्वाटेमाला और भारत में इलायची के उत्पादन में वृद्धि।
- गुटखा उत्पादन पर प्रतिबंध के कारण गुटखा उद्योग द्वारा इलायची की खपत में कमी।
- अन्य उत्पादक देशों में इलायची की कम कीमत।

कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:-

- मसाला बोर्ड ने दिनांक 15-10-2004 से 20-2-2005 के बीच इलायची विकास निधि से इलायची के निर्यात हेतु वायु भाड़ा सब्सिडी प्रदान की है।
- मसाला बोर्ड द्वारा रोपण सामग्री के उत्पादन, पुनर्रोपण, सिंचाई एवं भूमि विकास आदि के लिए अपनी योजना स्कीमों के जरिए इलायची उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इलायची की खेती एवं क्यूरिंग लागत को कम करने के लिए सरकार ने दो नई योजनाएं अनुमोदित की हैं; अर्थात् "छोटी इलायची के लिए उन्नत इलायची क्यूरिंग उपाय" और "छोटी इलायची एवं वनीला में सिंचाई हेतु वर्षा जल संग्रहण"।
- मसाला बोर्ड द्वारा इलायची के चुनिंदा ग्रेडों की मांग को बढ़ाने के लिए हाल ही में शुरू किए गए "फ्लेवरिट" ब्रांड का संवर्धन किया जा रहा है।
- वर्ष 2002-03 के बजट में इलायची पर आयात शुल्क को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ग) और (घ) नेपाल द्वारा आयात के लिए नियत इलायची को कोलकाता पत्तन के जरिए भारतीय बाजारों में उतारे जाने का आरोप लगाते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) से (छ) जी, हां। इलायची उत्पादक एसोसिएशन, वंदनमेडु, केरल से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें भारत में ग्वाटेमाला की इलायची के तथाकथित अवैध आयात को रोकने के बारे में सरकार से अनुरधो किया गया है। इलायची उत्पादों/ मसाला बोर्ड से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद वाणिज्य विभाग ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड से यह अनुरोध किया है कि वे ऐसी अवैध व्यापार गतिविधियों पर कड़ी चौकसी रखें। वाणिज्य विभाग की सलाह पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने सभी मुख्य सीमाशुल्क आयुक्तों को यह निर्देश जारी किए हैं कि वे ऐसे अवैध आयातों पर कड़ी निगरानी रखें। मसाला बोर्ड ने नेपाल द्वारा इलायची के आयात पर निगरानी रखने के लिए राजस्व आसूचना महानिदेशक को भी सचेत किया है।

(ज) जी, नहीं।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

व्यावसायिक शिक्षा

***225. श्री डी. विट्ठल राव:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा दी जा रही व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने हेतु कोई सर्वेक्षण करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा दी जा रही व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या निर्धारित मानदंडों के अनुसार कुछ संस्थाओं द्वारा दी जा रही व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता में कमी पाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्रावाई की गई;

(ङ) क्या सरकार द्वारा देश में व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् इसलिए अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं का वार्षिक निरीक्षण करती है कि वे निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन कर रही हैं अथवा नहीं। ऐसी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित पैरामीटरों पर विचार किया जाता है:-

- भूमि की आवश्यकता, निर्मित क्षेत्र और प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, छात्रावास आदि जैसी भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन।
- कम्प्यूटिंग सुविधाएं, नेटवर्किंग तथा अपेक्षित विधिक सॉफ्टवेयर आदि सहित उपस्कर एवं पेरीफेरल्स।
- पुस्तकालय सुविधाएं जिनमें पुस्तकें, पत्रिकाएं, मल्टीमीडिया प्रणालियां तथा डिजीटल पुस्तकालय शामिल हैं।
- निर्धारित अनुपात तथा क्षमता के अनुसार संकाय।
- संकाय सदस्यों की शैक्षिक योग्यता, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के वेतनमान के अनुरूप भुगतान, तकनीकी तथा गैर तकनीकी स्टाफ।

- परिचालानात्मक निधियां और अन्य आवश्यकताएं।
- विद्यार्थियों का नियोजन तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धियां।
- शैक्षिक परिवेश, प्रक्रियाएं, नवाचार तथा पहलें।
- अनुदानों के उपयोग तथा शोध आदि की स्थिति।

वर्ष 2005-06 हेतु परिषद् ने दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता का एक समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ एक व्यापक निरीक्षण किया था। समग्र निरीक्षणों/मूल्यांकनों में उन सरोकार वाले क्षेत्रों को इंगित किया गया है जिनमें संकाय की कमी, अपर्याप्त संख्या में प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, पुस्तकालय, स्थान आदि शामिल हैं।

एक सुविधा प्रदाता के रूप में परिषद् ने संस्थाओं को अपनी कमियों को दूर करने तथा गुणवत्ता सुधारने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2005-06 हेतु अनुमोदन के विस्तार हेतु परिषद् ने केवल सर्वाधिक गंभीर कमी अर्थात् संकाय की कमी पर ध्यान केन्द्रित किया और 194 संस्थानों की संस्वीकृत दाखिला क्षमता, जिनमें संकायों की पर्याप्त संख्या नहीं पाई गई, में 10748 सीटों की कमी की।

परिषद् ने अब कैलेण्डर आधारित अपनी कार्यप्रणाली को छोड़ दिया है और वर्तमान अनुमोदन प्रक्रिया को अपनाया है, अत: इससे संस्थानों को गुणवत्तायुक्त बुनियादी सुविधाएं, भौतिक तथा मानवीय दोनों, की स्थापना करने के निमित्त अपेक्षित समय तथा अवसर मिल गया है।

अनुमोदित तकनीकी संस्थानों में गुणवत्ता की जांच एवं सुनिश्चय हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के तहत एक राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड स्थापित किया गया है। यह बोर्ड पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता के आधार पर 3-5 वर्षों हेतु कार्यक्रमों का प्रत्यायन करता है। किए गए अन्य उपायों में शोध एवं संस्थागत विकास, संकाय विकास तथा नेटवर्किंग स्कीमें शामिल हैं।

[हिन्दी]

कृषि और ग्रामीण उद्योग में कार्य

*226. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि और ग्रामीण उद्योग के क्षेत्रों के संबंध में शुरू किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कुछ मदों का उत्पादन विशेषरूप से कृषि और ग्रामीण उद्योग के क्षेत्रों के लिए आरक्षित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ मदों का उत्पादन भी कुछ विशेष राज्यों के लिए आरक्षित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कृषि और ग्रामीण उद्योगों संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लंबित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का संवर्धन सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय) की दो ऋण-संबद्ध सब्सिडी योजनाओं नामत:, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के द्वारा और प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) जिसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, के माध्यम से होता है। पी.एम.आर.वाई. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती है। पी.एम.आर.वाई. के अधीन स्थापित लगभग पचास प्रतिशत इकाईयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं। इन दो योजनाओं के पात्र लाभार्थियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित इकाईयों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है। ये इकाइयां कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र का हिस्सा हैं।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित इकाईयों का संयंत्र और मशीनरी (भूमि और भवन को छोड़कर) में साधारणतया निवेश उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के संगत उपबंधों के अधीन लघु उद्योगों के लिए निर्धारित सीमा के भीतर ही होता है। इसलिए कृषि उद्योग क्षेत्र में इकाईयां, जो लघु उद्योगों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश का उपरोल्लिखित मानदंड पूरा करती हैं, लघु उद्योगों द्वारा विशेष रूप से विनिर्माण के लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन कर सकती हैं बशर्ते कि ये वस्तुएं ग्रामीण उद्योगों के संबंध में "नकारात्मक सूची" में नहीं हों। लघु उद्योगों द्वारा विशेष रूप से विनिर्माण के लिए इस समय आरक्षित मदों की सूची वेबसाइट www.laghu-udyog.com/publications/reservediterms/resvex.htm पर उपलब्ध है।

(घ) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के संगत उपबंध में किसी विशेष राज्य के लिए मदों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) उपरोक्त (क) में उल्लिखित औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए आवेदन कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में सरकार द्वारा सीधे प्राप्त नहीं किए जाते हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के अधीन कोई भी पात्र उद्यमी खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) से मार्जिन राशि सहायता और किसी सरकारी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करके ग्रामोद्योग स्थापित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए संभावित उद्यमी को के.वी.आई.सी. के राज्य कार्यालयों अथवा संबंधित राज्य के जिला कार्यालयों/संघ राज्य क्षेत्र के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (के.वी.आई.बी.) या कार्यान्वयनकर्ता बैंकों को सीधे एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। संबंधित बैंकों के तकनीकी और वित्तीय आकलन पर परियोजना का अनुमोदन निर्भर करता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अधीन शिक्षित बेरोजगार युवक अनुमेय सब्सिडी और बैंकों से ऋण प्राप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योग की स्व-रोजगार इकाइयां स्थापित कर सकते हैं। यह योजना राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस प्रयोजन के लिए संभावित उद्यमी को संबंधित जिला उद्योग केंद्र को एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है, जो इसके बाद सूचीबद्ध आवेदनों को कार्यान्वयनकर्ता बैंकों को प्रायोजित करता है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान आर.ई.जी.पी. के अधीन स्थापित ग्रामीण उद्योग इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित इकाईयों की संख्या		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	1	8	8
2.	दादरा और नगर हवेली	5	2	0
3.	दिल्ली	9	7	9
4.	हरियाणा	677	923	1140
5.	हिमाचल प्रदेश	423	414	469
6.	जम्मू-कश्मीर	105	775	922
7.	पंजाब	1358	882	864
8.	राजस्थान	3036	2496	1537
9.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	196	58	6
10.	बिहार	229	88	254

1	2	3	4	5
11.	झारखंड	298	323	240
12.	उड़ीसा	668	1031	991
13.	पश्चिम बंगाल	2359	3348	2584
14.	अरुणाचल प्रदेश	30	32	43
15.	असम	559	1223	1658
16.	मणिपुर	79	36	102
17.	मेघालय	153	210	146
18.	मिजोरम	143	33	162
19.	नागालैंड	64	61	151
20.	त्रिपुरा	141	244	233
21.	सिक्किम	16	113	139
22.	आंध्र प्रदेश	1818	1097	1988
23.	कर्नाटक	1411	1422	934
24.	केरल	789	2046	914
25.	लक्षद्वीप	0	9	0
26.	पांडिचेरी	3	47	7
27.	तमिलनाडु	764	1568	925
28.	गोवा	244	126	138
29.	गुजरात	126	290	376
30.	महाराष्ट्र	2249	857	1773
31.	छत्तीसगढ़	216	697	656
32.	मध्य प्रदेश	703	1041	1361
33.	उत्तरांचल	375	1106	513
34.	उत्तर प्रदेश	1677	2134	2210
	कुल	21024	24747	23453

विवरण-II

वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान पी.एम.आर.वाई.. के अधीन स्थापित इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित इकाइयों की संख्या**		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	7008	7276	6845
2.	हिमाचल प्रदेश	2209	2862	2774
3.	जम्मू-कश्मीर	605	656	617
4.	पंजाब	7771	7558	7311
5.	राजस्थान	12267	12710	9894
6.	चंडीगढ़	47	68	192
7.	दिल्ली	632	904	662
8.	असम	4149	5844	3527
9.	मणिपुर	549	520	132
10.	मेघालय	256	403	303
11.	नागालैंड	107	53	97
12.	त्रिपुरा	1085	2043	1437
13.	अरुणाचल प्रदेश	294	668	60
14.	मिजोरम	155	775	98
15.	सिक्किम	26	30	22
16.	बिहार	7939	9860	8877
17.	झारखंड	4354	4774	4115
18.	उड़ीसा	6725	8779	3693
19.	पश्चिम बंगाल	2528	2822	3329
20.	अंदमान और निकोबार	142	182	115

1	2	3	4	5
21.	मध्य प्रदेश	16710	19748	14357
22.	छत्तीसगढ़	3006	3275	2234
23.	उत्तर प्रदेश	38016	40481	36856
24.	उत्तरांचल	4683	5361	5910
25.	गुजरात	7184	6743	6413
26.	महाराष्ट्र	17631	17199	18877
27.	दमन और दीव	2	3	4
28.	गोवा	274	116	45
29.	दादरा और नगर हवेली	10	0	22
30.	आंध्र प्रदेश	13632	17627	15535
31.	कर्नाटक	10026	11843	9234
32.	केरल	9853	14001	15168
33.	तमिलनाडु	9595	11363	13786
34.	लक्षद्वीप	10	17	3
35.	पांडिचेरी	213	282	318
36.	निर्दिष्ट नहीं	828	897	897
	कुल	190521	217743	193759*

*अनन्तिम

** पी.एम.आर.वाई. के अधीन स्थापित इकाइयों का लगभग पचास प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित है।

खाद्य तेलों का आयात

***227. श्री वी.के. थुम्मर:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके बाद हुए आयात का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों के आयात के कारण किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पर तिलहनों की बिक्री करने के लिए बाध्य हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने खाद्य तेलों के आयात के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों के आयात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए)
2002-03	8779.63
2003-04	11683.24
2004-मार्च 2005 (अनंतिम)	10755.65
अप्रैल 2005-मई 2005 (अनंतिम)	1125.45

आयात इसलिए किए जाते हैं क्योंकि तिलहनों का घरेलू उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को खाद्य तेल के आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

(ग) भारत सरकार तिलहन उत्पादकों को लाभकारी कीमतें देने के लिए कृषि लागत और कीमत आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक वर्ष मुख्य तिलहन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत (एम.एस.पी.) की घोषणा करती है। जब कभी इन फसलों की बाजार कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमतों से नीचे गिरती हैं तो एक केन्द्रीय प्रमुख एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नेफेड) देश के भीतर कीमत समर्थन स्कीम (पी.पी.एस.) के अधीन तिलहनों की खरीद करता है।

(घ) और (ङ) खाद्य तेलों के संभावित आयात का मूल्यांकन करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कुछ शीघ्र क्षेत्रीय अध्ययन किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के किसानों को कोई कठिनाई न हो, सरकार ने संवेदनशील मदों के आयात पर निगरानी रखने के लिए एक उचित तंत्र स्थापित किया है और डब्ल्यू.टी.ओ. के अनुकूल विभिन्न उपायों को लागू करके घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए वचनबद्ध है जिनमें बाध्य दर स्तरों के भीतर लागू टैरिफों का उचित कार्यान्वयन और विशिष्ट परिस्थितियों में रक्षोपाय कार्रवाई शामिल है।

इन उपायों के अनुसरण में खाद्य तेलों (कच्चे और परिष्कृत दोनों) चाय, कॉफी, कोपरा और नारियल, गेहूं, चावल, मक्का, खाद्य तेल, दालों, मसालों, सुपारी और सेब सहित अनेक मदों पर आयात शुल्क पिछले पांच वर्षों में बढ़ाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार भारतीय किसानों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए अनेक विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी कर रही है। इनमें विकसित कृषि प्रौद्योगिकी को लागू करना, जल, ऋण और उर्वरक सहित निविष्टियों की अधिक उपलब्धता तथा न्यूनतम समर्थन कीमत (एम.एस.पी.) स्कीम और बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) के माध्यम से कीमत सहायता शामिल है।

[अनुवाद]

नि:शक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

***228. श्री के. विरूपाक्षप्पा:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत नि:शक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (आई.ई.डी.सी.) हेतु स्वीकृत निधियों का उपभोग निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन निधियों के दुरुपयोग का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या आई.ई.डी.सी. के अंतर्गत आवंटित निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई निगरानी प्रणाली बनाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कितनी निधियां स्वीकृत की जायें, हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद राज्य-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ज) क्या विभिन्न राज्यों से वर्ष 2004-05 के लिए इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारत सरकार उन प्राप्तकर्ता एजेन्सियों की केन्द्रीय विद्यालय संगठन, एन.सी.ई.आर.टी., सम्बन्धित राज्य सरकारों, जिला प्राधिकारियों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग की नियमित जांच करती है जिन्हें विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अनुदान दिया जा रहा है।

(च) जी, नहीं। किसी विशेष राज्य के लिए निधियों की मात्रा निर्धारित नहीं है। ये अनुदान राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों की आवश्यकता, निधियों की उपलब्धता तथा परियोजनाओं की व्यावहार्यता के आधार पर मुक्त किए जाते हैं।

(छ) पिछले तीन वर्षों (2002-03, 2003-04, 2004-05) तथा जुलाई, 2005 तक दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ज) जी, नहीं।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारि किए गए अनुदान (रु. लाख में)			
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	89.98	74.47	113.33	16.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–		
3.	असम	23.08	20.78	39.13	5.07
4.	बिहार	12.54	–	2.22	55.3
5.	छत्तीसगढ़	10.58	21.24	19.81	
6.	गुजरात	798.15	930.9	765.87	
7.	गोवा	1.37	3.91		
8.	हरियाणा	68.32	203.47	81.75	
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–		
10.	झारखण्ड	–	3.33		
11.	कर्नाटक	517.02	541.48	772.91	
12.	केरल	379.78	316.81	349.33	228.38
13.	मध्य प्रदेश	583.64	815.21	150.31	735.09
14.	महाराष्ट्र	160.66	98.04	184.75	77.51
15.	मणिपुर	132.87	71.97	130.69	3.23

1	2	3	4	5	6
16.	मेघालय	1.73	–	1.64	
17.	मिजोरम	33.58	19.4	61.46	2.75
18.	नागालैंड	22.61	27.54	18.54	
19.	उड़ीसा	150.33	184.82	215.2	11.75
20.	पंजाब	–	–		
21.	राजस्थान	33.66	39.4	68.76	
22.	सिक्किम	12.35	–		
23.	तमिलनाडु	139.6	171.09	320.42	5.9
24.	त्रिपुरा	8.2	29.9		
25.	उत्तर प्रदेश	16.94	19.53	50.38	
26.	पश्चिम बंगाल	103.24	37.66	168.93	598.09
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.94	14.01	7.85	12.94
28.	दादरा और नगर हवेली	3.34	–		
29.	दमन और दीव	0.17	–		
30.	चंडीगढ़	3.34	3.34		
31.	दिल्ली	57.77	195.27	104.81	32.44
32.	पांडिचेरी	6.41	3.4	11.72	
	कुल	3384.41	3846.97	3657.51	1809.48

स्वर्ण नीति

***229. श्री दुष्यंत सिंह:**

डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की सोना आयात करने की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या आयात नीति का उदारीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार बड़ी संख्या में निजी आयातकों और जौहरियों को सोने का सीधे आयात करने की अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) स्वर्ण आयात प्रणाली का विकेन्द्रीकरण करने के क्या कारण हैं; और

(छ) वे निर्दिष्ट एजेंसियां कौन-कौन सी हैं जिन्हें इस समय स्वर्ण-छड़ों का आयात करने की अनुमति है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (छ) विदेश व्यापार नीति के अनुसार सोने का आयात आर.बी.आई. के दिशा-निर्देशों के अधीन मुक्त है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित निर्दिष्ट एजेंसियों को सोने का आयात करने की अनुमति है अर्थात् एम.एम.टी.सी. लि., हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एच.एच.ई.सी.), स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (एस.टी.सी.), प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (पी.ई.सी.), फाइव स्टार निर्यात घराने एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बैंक।

निर्यातोन्मुख ईकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की ईकाइयों जो रत्न एवं अभूषण क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, को स्वर्ण के सीधे आयात की अनुमति है।

सोने के आयात हेतु कम्पनियों की सत्ताओं को बढ़ाने के बारे में एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है ताकि नामांकित एजेंसियों और फाईव स्टार निर्यात घरानों के अतिरिक्त आभूषण व्यापार में 25 करोड़ रुपये का निवल मूल्य रखने वाली कंपनियों को शामिल किया जा सके।

स्वर्ण आयात नीति के उदारीकरण से भारत को स्वर्ण उत्पादों के विनिर्माण कार्यकलाप का एक केन्द्र बनाने में योगदान मिलता है। स्वर्ण उद्योग को विनियामक संरचना की जांच करने तथा भारत को स्वर्ण विनिर्माण एवं व्यापारिक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए अपेक्षित समुचित नीतिगत उपायों के बारे में सिफारिश करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए बी.एस.एफ. प्रशिक्षण कैंप

***230. श्री बाडिगा रामाकृष्णा:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विघटित बोडो लिबरेशन टाइगर्स के आत्मसमर्पण करने वाले कई उग्रवादी मणिपुर में बी.एस.एफ. प्रशिक्षण कैंप से भाग गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आत्मसमर्पण करने वाले ऐसे कितने उग्रवादी अब तक वापिस आ गए हैं;

(घ) ऐसी चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) सीमा सुरक्षा बल के 180 रंगरूट (बोडो लिबरेशन टाइगर्स के आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी) 30-6-2005 को मणिपुर स्थित प्रशिक्षण केन्द्र से भाग गए थे। एक रंगरूट को छोड़कर, जिसने पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया था, सभी ने वापस रिपोर्ट कर दिया है।

(घ) वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के दौरान रंगरूटों ने जिन प्रशिक्षकों पर आरोप लगाया था, उनके विरुद्ध जांच न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर आगे और कोई कार्रवाई करने के पूर्वाग्रह के बिना, उन्हें प्रशिक्षण केन्द्र से बाहर तैनात कर दिया गया है।

(ङ) सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षण से संबंधित कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अनुकरणीय व्यवहार करें और रंगरूटों को बेहतर ढंग से समझें। वरिष्ठ अधिकारियों को भी निदेश दिया गया है कि वे रंगरूटों के साथ बातचीत की बारंबारता में वृद्धि करें।

[हिन्दी]

चाय का उत्पादन/निर्यात

***231. श्री तूफानी सरोज:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चाय के वार्षिक उत्पादन हेतु लक्ष्य निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया;

(ग) क्या चाय के उत्पादन में गिरावट आ रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उत्पादन में गिरावट से चाय के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चाय के उत्पादन में गिरावट को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) चाय के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) चाय के उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य अनुमानित घरेलू एवं निर्यात मांगों के अलावा उत्पादन के पूर्ववर्ती रूझानों को ध्यान में रखते हुए चाय बोर्ड द्वारा किए गए आकलन पर आधारित होता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान चाय के उत्पादन की मात्रा निम्नानुसार रही है:-

वर्ष	उत्पादन (मिलि. कि.ग्रा. में)
2001-02	851.41
2002-03	845.97
2003-04	850.49

प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान चाय का उत्पादन लगभग 831 किग्रा. रहा है, जिसमें संशोधन होने की संभावना है क्योंकि आंकड़े एकत्र करने की पद्धति की समीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) पिछले कुछ वर्षों में, भारत में चाय के उत्पादन में कोई खास अंतर नहीं आया है। अप्रैल-मई, 2005 के दौरान चाय का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष की संगत अवधि की तुलना में लगभग 21 मिलि. किग्रा. अधिक हुआ था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) 10वीं योजना कार्यक्रम कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, चाय बोर्ड एक बागान विकास स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र और उत्तरांचल में लघु उपजकर्त्ता क्षेत्र में पुनर्रोपण, नवीकरण, सिंचाई, चाय क्षेत्र के विस्तार, लघु जोतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए लघु उपजकर्त्ताओं के बीच स्व-सहायता समूहों के गठन आदि जैसे उपायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार ने चाय पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के संग्रह से सृजित विशेष निधि में से परम्परागत चाय के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्कीम को मंजूरी दी है। चाय बोर्ड ने देश भर में चाय की पुरानी झाड़ियों के पुनर्रोपण और नवीकरण हेतु एक बड़े कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है। इस वृहत कार्यक्रम के विस्तृत लागत निर्धारण और वित्त पोषण की रूपरेखाओं की जांच की जा रही है।

चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं - मध्यावधि निर्यात कार्यनीति का कार्यान्वयन, गुणवत्तायुक्त चाय विशेष रूप से परम्परागत किस्म की चाय के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी करना, भारतीय ब्रांडों के विपणन में भारतीय निर्यातकों को संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करना, विशिष्टता स्टोरों तथा प्रमुख बाजारों में फील्ड सैम्पलिंग, चाय संबंधी प्रतिनिधिमंडलों को भेजना-बुलाना, उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए मीडिया अभियान शुरू करना आदि। इसके अलावा, भारतीय चाय की गुणवत्ता को बनाए रखने और ब्रांड इक्विटी कायम करने की दृष्टि से सरकार ने चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1957 का अधिक्रमण करते हुए चाय अधिनियम, 1953 के उपबंधों के अंतर्गत दिनांक 01-04-05 को एक नया चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 जारी किया है। नए आदेश में चाय के लिए कड़े मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और इसमें यह शर्त रखी गयी है कि आयातित अथवा निर्यातित सभी प्रकार की चायों को नए आदेश में उल्लिखित विनिर्देशनों के अनुरूप होना अपेक्षित होगा।

[अनुवाद]

संयुक्त आसूचना आदान-प्रदान तंत्र

***232. श्री उदय सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों ने संयुक्त आसूचना आदान-प्रदान तंत्र का गठन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी समूहों की गतिविधियां बढ़ रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे उग्रवादी समूहों के संबंध पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों के उग्रवादियों से है; और

(ङ) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में 15 जुलाई, 2005 को गृह मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के पुलिस महानिदेशकों ने भाग लिया। इस बैठक में यह मत उभर कर आया कि पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस प्रमुखों के बीच आसूचना आदान-प्रदान तंत्र के होने से विद्रोह से और अधिक कारगर रूप से निपटने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था में शामिल होने के लिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम राज्यों को भी आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। इन राज्यों के पुलिस प्रमुख इस प्रयोजनार्थ, विभिन्न राज्यों में, समय-समय पर मिलेंगे।

(ग) 31 जुलाई, 2005 तक हिंसक घटनाओं की संख्या में वर्ष 2004 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 5% की कमी आई है। इस अवधि के दौरान मारे गए सिविलियनों और सुरक्षा बल कार्मिकों की संख्या में भी क्रमशः 28% और 58% की कमी हुई है।

(घ) कुछ ऐसी रिपोर्टें हैं कि कुछेक उग्रवादी ग्रुपों के पूर्वोत्तर में अन्य उग्रवादी गुटों के साथ संबंध है।

(ङ) सरकार ने ऐसी उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु कई कदम उठाए हैं जिनमे, अन्य बातों के साथ-साथ, सेना और केन्द्रीय पुलिस बलों की तैनाती तथा विद्रोह-विरोधी अभियानों के लिए सुरक्षा बलों द्वारा समन्वित कार्रवाई शामिल है। अन्य कदमों में राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, उदारीकृत समर्पण और पुनर्वास नीति और उग्रवादी संगठनों की "विधि विरुद्ध संगठनों" के रूप में घोषणा करना शामिल हैं। भारत सरकार ने सभी उग्रवादी गुटों को हिंसा का रास्ता छोड़ने और भारतीय संविधान के ढांचे के दायरे में वार्ता हेतु आगे आने के लिए भी आमंत्रित किया है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक शिक्षा

***233. श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्तमान परिदृश्य में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को मान्यता देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में अखिल भारतीय स्तर पर कोई नीति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सुदृढ़ीकरण हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा आरंभ करने के लिए भी कोई प्रयास किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(छ) व्यावसायिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने की दिशा में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (छ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.-1986) और तत्संबंधी कार्ययोजना में व्यावसायिक शिक्षा को अति उच्च प्राथमिकता दी गई है। परिणामस्वरूप +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की एक केंद्र-प्रायोजित योजना शुरू की गई जो 1988-89 से कार्य कर रही है। यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए एक विकल्प के रूप में शैक्षिक अवसरों के विकेंद्रीकरण का प्रावधान करती है ताकि निजी रोजगार में वृद्धि हो सके और कुशल जनशक्ति की मांग एवं आपूर्ति के बीच के असंतुलन को कम किया जा सके। 1993 से लेकर अब तक हुई विभिन्न समीक्षाओं और अध्ययनों तथा उनमें संकेतित कमियों एवं दोषों के परिणामस्वरूप इस योजना को संशोधित किया जा रहा है ताकि छात्र, स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने वाले, शिक्षित बेरोजगार, हाशिए पर स्थित वर्गों के लोग, महिलाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों जैसे भिन्न-भिन्न प्रकार के लक्षित समूहों तक पहुंच में वृद्धि हो सके। ऊर्ध्वाधर तथा पार्श्विक प्रवेश तथा गतिशीलता के प्रावधानों के साथ बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास की पद्धति वाले लचीले और मॉड्यूलर पाठ्यक्रम प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

मौजूदा योजना के तहत राज्य सरकारों को उनके द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर अनुदान जारी किए जाते हैं। तथापि, निधियों का राज्यवार आवंटन किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। विगत 3 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए अनुदानों को दर्शाने वाले विवरण संलग्न है। 2005-06 के दौरान 20.00 करोड़ रु. के बजट प्रावधान में से अनुदानों का जारी किया जाना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों और उनकी जांच पर निर्भर करेगा। मौजूदा योजना के तहत अब तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 7600 स्कूलों में +2 स्तर पर 10 लाख छात्रों

से भी अधिक नामांकन क्षमता के साथ 21000 व्यावसायिक सेक्शन अनुमोदित किए गए हैं।

विवरण

+2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की केंद्र-प्रायोजित योजना के तहत जारी किए गए अनुदान

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी किया गया अनुदान		
		2002-03	2003-04	2004-05
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	500.55
2.	गुजरात	467.58	–	–
3.	हरियाणा	329.00	27.90	67.23
4.	जम्मू-कश्मीर	–	–	599.69
5.	केरल	–	247.20	1425.00
6.	मणिपुर	–	47.65	–
7.	मिजोरम	–	8.79	150.00
8.	सिक्किम	291.48	–	–
9.	त्रिपुरा	–	–	66.68
10.	उत्तर प्रदेश	375.00	375.00	–
11.	चंडीगढ़	–	–	7.00
	कुल	1463.06	706.54	2816.15

[अनुवाद]

नकदी फसलों का उत्पादन

***234. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कॉफी, रबड़ और काली मिर्च का वस्तु-वार कितना उत्पादन हुआ और देश में कितने क्षेत्र में इनकी खेती होती है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किसानों से इन फसलों की उपज को खरीदने के लिए सरकार द्वारा वर्ष-वार कितना मूल्य निर्धारित किया गया;

(ग) क्या किसान और बागान श्रमिक अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इन वस्तुओं के उत्पादन में कमी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो किसानों और बागान श्रमिकों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान कुछ बागान क्षेत्रों में गरीबी के कारण लोगों की मृत्यु हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) कॉफी, रबड़ और काली मिर्च का उत्पादन (हजार टनों में) निम्नानुसार रहा था:-

वस्तु	2002-03	2003-04	2004-05
कॉफी	275.27	270.50	2275.50*
रबड़	649.43	711.65	749.66
काली मिर्च	63.95	उपलब्ध नहीं**	उपलब्ध नहीं**

*अनंतिम **उपलब्ध नहीं

कृषिगत क्षेत्र (हैक्टेयर) अनुमानत: निम्नानुसार है:-

कॉफी	रबड़	काली मिर्च
354840	578000	216010

(ख) सरकार इन वस्तुओं की खरीद कीमत निर्धारित नहीं करती है। तथापि, भारत सरकार ने केरल सरकार के परामर्श से 15-2-2005 से 31-3-2005 तक 70 रुपए प्रति किग्रा. की बाजार हस्तक्षेप कीमत पर 5050 मी.टन काली मिर्च की खरीद के लिए एक बाजार हस्तक्षेप स्कीम को मंजूरी प्रदान की है।

(ग) और (घ) उत्पादन के रुझानों के बारे में उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है।

(ङ) से (छ) विगत में वित्तीय कठिनाईयों के कारण कॉफी बागान क्षेत्रों में मृत्यु के कुछ मामलों की सूचना दी गयी है;

तथापि, विभिन्न अन्य सामाजिक-आर्थिक कारण भी इस प्रकार के मामलों के लिए उत्तरदायी रहे हैं। अन्य फसलों के मामले में गरीबी के कारण मृत्यु का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

कॉफी उपजकर्त्ताओं की सहायता करने के लिए किए गए उपायों में कॉफी उपजकर्त्ताओं द्वारा विशेष कॉफी आवधिक ऋणों (एस.सी.टी.एल.) के रूप में वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए ऋणों को पुनः चरणबद्ध/पुनर्गठित करना और वित्तीय संस्थानों से लिए गए कार्यशील पूंजीगत ऋणों के वापसी भुगतान पर बड़े और छोटे कॉफी उपजकर्त्ताओं को ब्याज सब्सिडी देना शामिल है। कॉफी उपजकर्त्ताओं को और अधिक राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक पैकेज का अनुमोदन किया है जिसका उद्देश्य ऋण में सुधार करना है। इस पैकेज में (i) बैंकों, सरकार और कर्जदार उपजकर्त्ताओं के बीच तीन वर्ष की स्थगन अवधि के दौरान विशेष कॉफी आवधिक ऋण (एस.सी.टी.एल.) पर 287.10 करोड़ रुपए के कुल ब्याज भार के एक-एक तिहाई हिस्से के रूप में समान भागीदारी (ii) बैंकों से यह अनुरोध करना कि वे एस.सी.टी.एल. ऋणों की शेष वापसी भुगतान अवधि के दौरान एस.सी.टी.एल. पर लगाई गई ब्याज दरों को मौजूदा 11 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत करें अथवा कृषि क्षेत्र पर लागू ब्याज दर, जो भी कम हो, लगाएं, (iii) कॉफी बोर्ड द्वारा भारत सरकार को देय ब्याज समेत लगभग 24 करोड़ रुपए के कॉफी विकासात्मक ऋण को बट्टे खाते डालने की परिकल्पना की गयी है - इसके बदले कॉफी बोर्ड केवल उन उपजकर्त्ताओं को इसके द्वारा दिए गए लगभग 64.59 करोड़ रुपए के पुराने विकासात्मक ऋणों को माफ कर देगा जिनके पास 10 हैक्टेयर से कम की जोत है (iv) कार्यशील पूंजीगत ऋणों पर ब्याज सब्सिडी स्कीम लघु उपजकर्त्ताओं के लिए (10 हेक्टेयर से कम) 5 प्रतिशत की दर पर और बड़े उपजकर्त्ताओं के लिए 3 प्रतिशत की दर पर 10वीं योजना के शेष वर्षों के लिए भी जारी रखी जा रही है। उन उपजकर्त्ताओं के मामले में 3 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी में 1 प्रतिशत की कमी जाएगी जो स्थगन अवधि के दौरान एस.सी.टी.एल. पर कम किए गए ब्याज के भार का लाभ प्राप्त करेंगे।

भारत सरकार, रबड़ बोर्ड के जरिए रबड़ बागान विकास स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है और वह 9वीं योजना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में रबड़ उपजकर्त्ताओं को विभिन्न प्रकार की सहायता भी प्रदान कर रही है तथा इसे 10वीं योजना में जारी रखा गया है। बोर्ड ने उपजकर्त्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राम्य स्तरीय संगठनों अर्थात् रबड़ उत्पादक समितियों के गठन एवं उनके सुदृढ़ीकरण का भी संवर्धन किया है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है काली मिर्च में उपजकर्त्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए हाल में एक बाजार हस्तक्षेप स्कीम को मंजूरी प्रदान की गयी है।

सरकार ने चाय, कॉफी, रबड़ और तम्बाकू के उपजकर्त्ताओं को कीमतों के विनिर्दिष्ट स्तर से कम हो जाने की स्थिति में राहत प्रदान करने के लिए एक कीमत स्थिरीकरण निधि की स्थापना की है। इस स्कीम को उपजकर्त्ताओं के लिए और अधिक लाभप्रद एवं आकर्षक बनाने के लिए उसकी समीक्षा करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

सरकार को उत्पादकों के सामने आयी समस्याओं की जानकारी है और वह उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है।

राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकरण

***235. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:**

श्री जी.वी. हर्ष कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य और उत्तरदायित्व क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक सरकार द्वारा आयोग को कितनी धनराशि आवंटित की गई और आयोग द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग के पास महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान आयोग द्वारा महिलाओं पर जिस प्रकार के अत्याचारों को सामने लाया गया उनका ब्यौरा क्या है और ये महिलाएं किन-किन राज्यों में थीं: और

(च) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) राष्ट्रीय महिला आयोग के कृत्य राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 (1) में दिये गये हैं, जो संलग्न विवरण-I में दर्शाये गए हैं।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सूचना संलग्न विवरण-III में दी गयी है।

(च) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'कानून व व्यवस्था' तथा 'पुलिस' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अपराधों का पंजीकरण, अन्वेषण, अभिज्ञान तथा निवारण मुख्यत: राज्य सरकारों का दायित्व है। इसलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उठाए गए मामलों में उपयुक्त कार्रवाई करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है।

विवरण-I

राष्ट्रीय महिला आयोग के कृत्यों का दर्शाने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 का उद्धरण

आयोग के कृत्य - (1) आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:-

(क) महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षा करना;

(ख) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट देना;

(ग) ऐसी रिपोर्टों में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा इन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना;

(घ) संविधान और अन्य विधियों के महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान उपबंधों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, उपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके;

(ङ) संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के महिलाओं से संबंधित अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(च) निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जांच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना-

(i) महिलाओं के अधिकारों का वंचन;

(ii) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन;

(iii) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चियों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अनुपालन;

और ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(छ) महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने की कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके;

(ज) संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना जैसे कि आवास और बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने के लिए और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्ता;

(झ) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना;

(ञ) संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ट) किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का, जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना, और उपचारी कार्रवाई के लिए, यदि आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना;

(ठ) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना;

(ड) महिलाओं से संबंधित किसी बात के, और विशिष्टतया उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएं कार्य करती हैं, सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देना;

(ढ) कोई अन्य विषय जिसे केंद्रीय सरकार उसे निर्दिष्ट करे।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आबंटित तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रयुक्त राशि का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

वर्ष	निर्मुक्त अनुदान			रा.म.आ. द्वारा उपयोग की गयी राशि**		
	योजना*	गैर-योजना	कुल	योजना*	गैर-योजना	कुल
2002-03	370.00	-	370.00	344.07	-	344.07
2003-04	381.36	201.00	582.36	376.61	213.75	590.36
2004-05	220.00	220.00	440.00	212.80	226.69	439.49
2005-06 (आज तक)	60.00	108.50	168.50	48.03@	53.49@	101.52@

* पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक सहित।

** पिछले वित्तीय वर्षों से आगे ले जाए गए अव्ययित शेष सहित।

@ जुलाई, 2005 तक व्यय।

विवरण-III

विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उजागर किए गए महिलाओं पर अत्याचारों की प्रकृति

वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 की महिला एवं बाल विकास विभाग की वार्षिक रिपोर्टों, जिन्हें संसद के पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है, में दी गयी सूचना के आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं पर निम्न प्रकार के अत्याचारों को उजागर किया है:-

बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अत्याचार, पुलिस अत्याचार, अभिरक्षा में मृत्यु, अपहरण एवं बलात् विवाह, आपराधिक प्रहार, सताना, एड्स पीड़ित एक महिला की पत्थरों से हत्या, यौन उत्पीड़न, महिला की नाक काटना, वेश्यावृति रैकेट, अनुसूचित जाति/दलित महिलाओं पर अत्याचार, फिल्म उद्योग में मेकअप महिला कलाकारों के साथ भेदभाव, महिलाओं पर एसिड फैंकना, महिलाओं को नंगा घुमाना, महिलाओं को चुड़ैल घोषित करना, तलाक हासिल करने के लिए मानसिक रोग के झूठे प्रमाण-पत्र जारी करना, गैर-कानूनी रूप से बंदी बनाकर रखना, अवयस्क बच्चियों की बिक्री, दहेज हत्या, किताबों में महिलाओं के प्रति भेदभाव दर्शाने वाली सामग्री का प्रदर्शन एवं बिक्री।

उपरोक्त अत्याचारों से पीड़ित महिलाएं इन राज्यों से हैं:- (1) आन्ध्र प्रदेश, (2) असम, (3) बिहार, (4) छत्तीसगढ़, (5) दिल्ली, (6) गोवा, (7) गुजरात, (8) हरियाणा, (9) हिमाचल प्रदेश, (10) मध्य प्रदेश, (11) महाराष्ट्र, (12) उड़ीसा, (13) पंजाब, (14) तमिलनाडु, (15) उत्तर प्रदेश, (16) उत्तरांचल, तथा (17) पश्चिम बंगाल, (18) दिल्ली।

उपरोक्त रिपोर्टें महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

वनस्पति उत्पादन पर मुक्त व्यापार करार का प्रभाव

***236. श्रीमती सी.एस. सुजाता:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राज्य-वार वनस्पति उत्पादक इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी इकाइयां बंद हो गई और इनके बंद होने के क्या कारण हैं;

(ग) इन इकाइयों को पुन: चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने मुक्त व्यापार समझौते वाले तैयार वनस्पति उत्पादों के आयात से पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) स्वदेशी उत्पादकों और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) इस समय वनस्पति उत्पादक इकाइयों और बंद इकाइयों की राज्यवार संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वनस्पति इकाइयों के बंद होने के लिए विभिन्न कारक और घटक हैं जैसे कच्ची सामग्री की उपलब्धता के अनुसार उत्पादन क्षमता का सृजन न होना, पुरानी प्रौद्योगिकी और हल्के तेलों के प्रति उपभोक्ता की वरीयता में परिवर्तन आदि।

(ग) घरेलू वनस्पति उद्योग की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अन्य बातों के साथ-साथ निम्न प्रकार हैं:-

(i) वनस्पति के विनिर्माण के लिए खाद्य ग्रेड के कुछ वनस्पति तेलों के आयात पर रियायती दरों पर सीमाशुल्क लगाया जाता है।

(ii) कच्चे पाम तेल और कच्चे पामोलीन की परिभाषाओं/विनिर्दिष्टताओं को दिनांक 4-2-2005 की अधिसूचना संख्या 7/2005-सीमाशुल्क के तहत वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क प्राप्त करने के लिए संशोधित किया गया है। **इस अधिसूचना में कच्चे पाम तेल के लिए कुल कैरोटिनोइड की कम पात्रता सीमा को 500 मि. ग्राम/कि.ग्राम से संशोधित करके 200 मि.ग्राम/कि.ग्राम और कच्चे पाम तेल तथा कच्चे पामोलीन दोनों के लिए अम्ल का मूल्य 2 से 4 तक संशोधित किया गया है।**

(iii) रिफाइन्ड खाद्य तेलों/वनस्पति/इंटस्ट्रिफाइड वसा आदि पर उत्पाद शुल्क को दिनांक 1-3-2005 की अधिसूचना सं. 4/2005-केन्द्रीय उत्पाद के तहत हटा लिया गया है।

(iv) भारत-नेपाल व्यापार संधि को दिनांक 6-3-2002 से संशोधित कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत नेपाल से वनस्पति के शुल्क मुक्त आयात की कुल मात्रा 1 लाख मी. टन प्रति वर्ष निर्धारित की गयी है।

(v) वनस्पति के विनिर्माण में एक्सपैलर सरसों तेल का अधिक प्रयोग बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक की अनुमति दी गयी है।

(vi) वनस्पति के विनिर्माण में नारियल के तेल सहित सभी खाद्य तेलों की अनुमति दी गयी है।

(घ) से (च) जी, हां। इस मुद्दे को नेपाल और श्रीलंका दोनों के साथ उठाया गया है और जैसा कि ऊपर कहा गया है, नेपाल से वनस्पति के आयातों को 1 लाख मी.टन तक सीमित कर दिया गया था और राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.) के जरिए इनका सरणीकरण कर दिया गया है।

फरवरी, 2005 में नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव स्तर पर वार्ताओं के दूसरे दौर के दौरान श्रीलंका के पक्ष ने यह सूचित किया था कि उन्होंने वनस्पति इकाइयों को स्थापित करने के लिए कोई नए अनुमोदन प्रदान न करने का निर्णय लिया है और केवल 10 अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिनमें प्रत्येक की क्षमता 25,000 मी.टन प्रति वर्ष है।

विवरण

01-08-2005 की स्थिति के अनुसार राज्यवार वनस्पति इकाइयों की स्थिति

(क्षमता टन में)

राज्य	कार्यरत		बंद		कुल	
	इकाईयों की संख्या	वार्षिक क्षमता	इकाईयों की संख्या	वार्षिक क्षमता	इकाईयों की संख्या	वार्षिक क्षमता
1	2	3	4	5	6	7
असम	0	0	2	30000	2	30000

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	1	18000	4	78000	5	96000
झारखंड	1	18000	0	0	1	18000
मणिपुर	0	0	1	30000	1	30000
उड़ीसा	2	12000	3	48750	5	60750
सिक्किम	0	0	1	15000	1	15000
पश्चिम बंगाल	9	247500	6	143650	15	391150
पूर्व	13	295500	17	345400	30	640900
दिल्ली	0	0	1	22500	1	22500
हरियाणा	8	101400	6	60000	14	161400
हिमाचल प्रदेश	0	0	2	41250	2	41250
जम्मू-कश्मीर	7	54900	2	15000	9	69900
पंजाब	23	383650	11	159300	34	542950
राजस्थान	9	203400	12	226500	21	429900
उत्तर प्रदेश	18	361500	16	216800	34	578300
उत्तरांचल	3	73500	2	25500	5	99000
उत्तर	68	1178350	52	766850	120	1945200
आंध्र प्रदेश	14	274800	8	87900	22	362700
कर्नाटक	1	60000	3	24000	4	84000
केरल	1	15000	3	22500	4	37500
पांडिचेरी	1	7500	0	0	1	7500
तमिलनाडु	11	208500	5	78000	16	286500
दक्षिण	28	565800	19	212400	47	778200
छत्तीसगढ़	1	9000	0	0	1	9000
गुजरात	9	332600	8	168000	17	500600
मध्य प्रदेश	11	380000	6	91500	17	471500
महाराष्ट्र	14	398000	13	261950	27	659950

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम	35	1119600	27	521450	62	1641050
अखिल भारत	144	3159250	115	1846100	259	5005350

अखिल भारतीय परिदृश्य

स्थिति	कार्यरत	बंद	कुल
इकाइयों की संख्या	144	115	259
वार्षिक क्षमता (तेल उत्पादन के अनुसार) (लाख टनों में)	32	18	50

[हिन्दी]

कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

*237. **डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:***

श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में अपंजीकृत कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अनेक प्रशिक्षण केन्द्र पाठ्यक्रम पूरा कराए बिना बन्द हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे केन्द्रों के कार्यकरण को विनियमित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) देश में गैर पंजीकृत कम्प्यूटर केन्द्रों का रिकार्ड केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर के लिए आर्थिक पैकेज

*238. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लिए चौबीस हजार करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है; और

(ख) सरकार द्वारा जम्मू, लद्दाख के विभिन्न समुदायों और कश्मीरी पंडितों, शियाओं, गुज्जरों आदि जैसे घाटी के अल्पसंख्यकों को उनका समुचित हिस्सा मिलना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने 17 और 18 नवम्बर, 2004 को जम्मू और कश्मीर के लिए 24000 करोड़ रुपए की एक पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत और सड़क जैसे आर्थिक आधारभूत ढांचे का विस्तार करने की परियोजनायें; नागरिक सुविधाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक आधारभूत ढांचे जैसी मूल सेवाओं के विस्तार का प्रावधान; पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार और आय के अवसर, रोजगार का सृजन और स्व-रोजगार के अवसर, विस्थापित और उग्रवाद के शिकार लोगों के परिवारों को सहायता प्रदान करना शामिल है।

पुनर्निर्माण योजना में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख नामक तीन क्षेत्रों के विकास का विशेष प्रावधान है। योजना में उन कश्मीरी प्रवासी परिवारों के लिए दो कमरे के आवास का भी प्रावधान है जो शिविरों में रह रहे हैं।

कागज उद्योग

*239. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कागज उद्योग को कच्ची सामग्री की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय कागज उद्योग को चीनी कागज मिलों की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय कागज और लुगदी उद्योग को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी, हां। कागज उद्योग बढ़िया किस्म की सेल्युलोसिक कच्ची सामग्री की कमी का सामना कर रहा है। कच्ची सामग्री की कमी मुख्यत: टिंबर, कृषि-अवशेष और रिसाइकिलयोग्य रद्दी कागज की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण है।

(ग) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसी कोई चुनौती नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

कालेजों में रैगिंग

*240. **श्री ब्रजेश पाठक:**

श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर दिल्ली के कालेजों/विश्वविद्यालयों में रैगिंग के कुछ मामले नोटिस में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों, मेडिकल कालेजों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग के कुल कितने मामलों का पता चला; और

(घ) सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग की समस्या को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस वर्ष अब तक विश्वविद्यालयों/कालेजों में रैगिंग के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है। तथापि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न होने देने के लिए विश्वविद्यालय और कालेज कड़ी नजर रख रहे हैं।

यद्यपि, रैगिंग के मामलों के सम्बंध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते तथापि विश्वविद्यालयों/कालेजों में रैगिंग की समस्या को सरकार ने गम्भीरता से लिया है। विश्वविद्यालयों और कालेजों में रैगिंग को रोकने सम्बंधी उपायों का पता लगाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सितम्बर, 1999 में विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सभी विश्वविद्यालयों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए परिचालित की गई थी। शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग की समस्या को रोकने के सम्बंध में 1998 की सिविल याचिका संख्या 656 के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को भी सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुपालनार्थ परिचालित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग की समस्या को समाप्त करने के उपायों से सम्बंधित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की ओर भी विश्वविद्यालयों का ध्यान आकृष्ट किया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भी सभी राज्य सचिवों (तकनीकी शिक्षा) और तकनीकी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर साक्षरता हेतु धनराशि

2327. **श्री हितेन बर्मन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक कम्प्यूटर साक्षरता हेतु शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग राज्य-वार आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संबंधित विभागों द्वारा देश के विभिन्न भागों में इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या विशिष्ट कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) इस विभाग ने स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन योजना और शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना को मिलाकर वर्ष 2004-05 के दौरान "स्कूलों में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी" योजना शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी तथा विशेष श्रेणी वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्रमशः 75:25 तथा 90:10 के अनुपात में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत कम्प्यूटर शिक्षा योजनाओं पर आधारित सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कम्प्यूटर साक्षरता के लिए निधियों के आवंटन हेतु कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि योजना के कम्प्यूटर साक्षरता घटक के सर्वसुलभीकरण के अंतर्गत 3-4 कि.मी. के दायरे के भीतर अधिक से अधिक 10 आस-पड़ोस वाले विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय समिति को निधियां 20000/-रु. प्रति आस-पड़ोस वाले विद्यालय के हिसाब से दी जाती है। ये आस-पड़ोस वाले विद्यालय ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित है। इस प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जिस प्रयोजनार्थ निधियां आवंटित की गई, उसके लिए निधियों को उपयोग में न लाने के संबंध में इस मंत्रालय में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। 6 राज्यों जिनको वर्ष 2002-03 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, में से पश्चिम बंगाल, गोवा तथा सिक्किम की सरकारों द्वारा निधियों का पूर्ण उपयोग करने की सूचना दी है। अब तक तमिलनाडु, हरियाणा, छत्तीसगढ़ की सरकारों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों को जारी वित्तीय सहायता उनके द्वारा किए गए वास्तविक खर्च पर आधारित थी, अतः निधियों का उपयोग न करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि तमिलनाडु, हरियाणा तथा छत्तीसगढ़ की सरकारों के पास उपयोग न की गई राशि पड़ी है तो इस राशि को विद्यालयों में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी योजना के तहत इन राज्यों को आगे वित्तीय सहायता जारी करते समय समायोजित किया जाएगा।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर साक्षरता के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	पश्चिम बंगाल	4,69,84,125 रु.	2003-04 के	
2.	छत्तीसगढ़	2,50,00,000 रु.	दौरान राज्य को	
3.	गोवा	1,25,00,000 रु.	कोई वित्तीय	
4.	सिक्किम	72,50,000 रु.	सहायता नहीं	
5.	तमिलनाडु	72,65,875 रु.	दी गई थी।	
6.	हरियाणा	39,30,000 रु.		
7.	कर्नाटक			3,89,52,500 रु.
8.	आन्ध्र प्रदेश			5,27,59,375 रु.

वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2005-06 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभी तक कोई निधियां नहीं दी गई हैं।

अतिथि गृह

2328. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने सरकारी अतिथि गृह हैं और वे राज्य-वार कहां-कहां पर हैं;

(ख) इन अतिथि गृहों में ठहरने हेतु क्या निबंधन और शर्तें हैं;

(ग) क्या सरकार ने अतिथि गृहों में ठहरने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों को विशेषकर तीर्थयात्रा आदि हेतु कोई रियायत दी है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें सुविधा देने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय के 7 नगरों यथा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, लखनऊ तथा त्रिवेन्द्रम में गैस्ट हाउस हैं; 5 हॉली डे होम भी हैं जो शिमला, अमरकंटक, मैसूर, ऊटी तथा कन्याकुमार में स्थित है। विस्तृत सूची संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) गैस्ट हाउस मुख्य रूप से सांसदों तथा दौरे पर जाने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु बनाये गये हैं। इनके अतिरिक्त छुट्टियों पर गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, दौरे या छुट्टियों पर गए राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, सेवानिवृत्त केन्द्र सरकार के कर्मचारी, इन कर्मचारियों के परिवार के आश्रित सदस्य, तथा सांसदों या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के साथ गए गैर सरकारी व्यक्ति भी गैस्ट हाउस की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हॉली डे होम की सुविधा भी उपर्युक्त दर्शाई गई श्रेणियों के सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। विस्तृत नियम व शर्तें संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण-I

संपदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन टूरिंग गेस्ट हाउस/होली डे होम की सूची तथा उनकी अवस्थिति एवं आबंटन प्राधिकारी का नाम

स्टेशन का नाम	स्यूटों की संख्या	अवस्थिति	आबंटन प्राधिकारी
1	2	3	4
1. कोलकाता	52	निजाम पैलेस, 234/4, आचार्य जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-20	संपदा प्रबंधक, 5 एस्प्लेनेड ईस्ट, कोलकाता-760069 टेलीफोन-033-22486333
2. मुंबई	10	प्रतिष्ठा भवन, 101 एम.के. रोड, चर्च गेट के समीप, मुंबई-400020	संपदा प्रबंधक, 101 एम.के. रोड, चर्च गेट के समीप, मुंबई-400020 टेलिफोन-022-222031276
	17	हैदराबाद एस्टेट, नेपियन सी रोड, मुंबई	-वही-
3. चेन्नई	10	शास्त्री भवन, 26 हैडोज रोड, चेन्नई-600006	संपदा सहायक प्रबंधक, पहला तल, शास्त्री भवन, 26 हैडोज रोड, चेन्नई-600006 टेलिफोन-044-28277759

1	2	3	4
	21	जी विंग, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई	चीफ इंजीनियर (एस.जेड-I) के.लो.नि.वि., राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई
4. बंगलौर	5	केन्द्रीय सरकारी अधिकारी आवास, इंक्वायरी ऑफिस (सिविल), के.लो.नि.वि. क्वार्टर्स, दोमलुर, बंगलौर-560071	कार्यपालक इंजीनियर, बी.सी.डी.-2 के.लो.नि.वि., 2 विंग, II फ्लोर, केन्द्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560035 टेलिफोन-080-25535363
	39	केन्द्रीय सरकारी अतिथि गृह, 17 मैन, II ब्लाक, कोरामंगला, बंगलौर	-वही-
5. लखनऊ	4	केन्द्रांचल कालोनी, से.-आर. अलीगंज, लखनऊ-226020	कार्यपालक इंजीनियर, लखनऊ केन्द्रीय मंडल-I के.लो.नि.वि., जी.एस.आई. फ्लैट्स, अलीगंज, लखनऊ-226020
6. दिल्ली	31	एफ. ब्लाक, कर्जन रोड हॉस्टल, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001	सहायक निदेशक (हॉस्टल), संपदा निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 टेलिफोन-011-23062423
7. त्रिवेन्द्रम	4	सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, योलायानी, पी.ओ. पूनकुलम, त्रिवेन्द्रम-655522	कार्यपालक इंजीनियर, त्रिवेन्द्रम केन्द्रीय मंडल, पोलायानी के.लो.नि.वि., पी.ओ. पूनकुलम, त्रिवेन्द्रम-655522, टेलिफोन-0471-2481733
होली डे होम			
1. शिमला	109	ग्रांड होटल, द-माल, शिमला-171001	सहायक संपदा प्रबंधक, ग्रांड होटल, शिमला-171001
2. कन्याकुमारी	22	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु होली डे होम, कोवालम रोड (समीप लाईट हाऊस) कन्याकुमारी	अधिशासी इंजीनियर, एम.डी.यू.सी.डी. I, के.लो.नि.वि., मदुरई-625002
3. अमरकंटक	2	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु होली डे होम, अमरकंटक (मध्य प्रदेश पर्यटन से संबद्ध)	संपदा निदेशक, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. मैसूर	12	होली डे होम, के.लो.नि.वि. कार्यालय कैंपस, टी नरसीपुर रोड, मैसूर-570011	कार्यपालक इंजीनियर, मैसूर केन्द्रीय प्रभाग, के.लो.नि.वि., निर्माण, भवन, टी. नरसिपुर रोड, सिद्धार्थ नगर, मैसूर-570011
5. ऊटी	26	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु होली डे होम, गुड शेड रोड, समीप रेलवे स्टेशन, उडागमंडलम, नीलगिरी, तमिलनाडु	सहायक संपदा प्रबंधक, हैडोज रोड, शास्त्री भवन, चेन्नई

विवरण-II

आरक्षण हेतु शर्तें और तत्संबंधी प्रक्रिया:-टूरिंग आफिसर्स हॉस्टल और होली डे होम दोनों हेतु।

I. **ठहरने की अवधि:-** आवास अधिक से अधिक दस दिन की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में, संपदा निदेशालय, नई दिल्ली में संबंधित उप-निदेशक, जो आवश्यकता पड़ने पर संपदा निदेशक से आदेश प्राप्त करेंगे, के पूर्वलिखित अनुमोदन से आवास में 10 दिन से अधिक और कुल मिलाकर 30 दिनों तक के लिए ठहरने की अनुमति दी जाएगी।

II. **ठहरने हेतु प्रभार:-** अनुबंध में दर्शाई गई दर पर राशि अग्रिम रूप से देय होगी। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से गैर-सरकारी व्यक्तियों पर उनके टूरिंग आफिसर्स हॉस्टल में ठहरने के लिए लागू दरें प्रभारित की जाएंगी। जहां तक कन्याकुमारी और शिमला में हॉली डे होम का संबंध है, उन्हें कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान माना जाएगा।

III. अन्य नियम व शर्तें:-

(क) एक व्यक्ति/परिवार के लिए केवल एक कमरा/स्यूट ही बुक किया जाएगा। विशेष मामलों में गैर-सरकारी व्यक्तियों से लिए जाने वाले प्रभारों के भुगतान पर अतिरिक्त कमरा देने पर विचार किया जाए।

(ख) स्यूट/कमरे में भोजन बनाने/चाय बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उपलब्ध कमरे में ये प्रबंध न हों।

(ग) हॉस्टल में उपलब्ध कराए आवास में 10.00 रात्रि के बाद किसी अनधिकृत व्यक्ति को ठहरने अथवा मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) हॉस्टल/होली डे होम में कोई मादक पेय लेने की अनुमति नहीं है।

Iv. अग्रिम बुकिंग:-

(क) **टूरिंग आफिसर्स हॉस्टल:**-सांसदों और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जिन्हें सरकारी दौरे पर जाना होता है तथा केन्द्रीय सारकार टूरिंग आफिसर्स हॉस्टल में आवास की आवश्यकता होती है, के अतिरिक्त पात्र व्यक्तियों की श्रेणियों हेतु कोई अग्रिम बुकिंग नहीं की जाएगी। उन्हें उस सुविधा हेतु अधिक से अधिक 30 दिन पहले आवश्यक विवरण देते हुए आवेदन करना होगा।

(ख) **हॉली डे होम:**-शिमला तथा कन्याकुमारी में हॉली डे होम में आवास का आरक्षण "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में सभी अनुरोध निर्धारित प्रपत्र पर किये जाने चाहिएं। यह निर्धारित आवेदन पत्र, पूर्णत: भरे हुए, उसमें दिये गए विवरणानुसार प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने चाहिएं। आवेदन पत्र के पूर्णतया भरें न होने तथा प्रस्तावित ठहरने के लिए प्रभारों की पूर्ण राशि के बैंक ड्राफ्ट के संलग्न न होने पर आरक्षण नहीं किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल से 15 जुलाई की अवधि को छोड़ कर, जबकि आवेदन पत्र 1 मार्च से स्वीकार करने प्रारम्भ हो जाते हैं, आवेदन पत्र 60 दिन से अधिक पहले स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

अनुबंध

टूरिंग ऑफिसर्स हॉस्टल/होली डे होम हेतु किराया

ए. टूरिंग ऑफिसर्स हॉस्टल

(प्रतिदिन का प्रभार)

आवास की श्रेणी	ड्यूटी पर केन्द्र सरकार के कार्यरत कर्मचारी	अवकाश पर केन्द्र सरकार के कार्यरत कर्मचारी	सरकारी कर्मचारियों के साथ अतिथि के रूप में प्राइवेट व्यक्ति
सिंगल बैड स्यूट	15 रु.	25 रु.	100 रु.
डबल बैड स्यूट	30 रु.	50 रु.	195 रु.
डोरमिटी/पीए रूम	10 रु.	15 रु.	65 रु.

बी. होली डे होम (ग्रांड होटल, शिमला के अतिरिक्त)

आवास की श्रेणी	ड्यूटी पर केन्द्र सरकार के कार्यरत कर्मचारी	अवकाश पर केन्द्र सरकार के कार्यरत कर्मचारी	सरकारी कर्मचारियों के साथ अतिथि के रूप में प्राइवेट व्यक्ति
सिंगल बैड स्यूट	15 रु.	25 रु.	115 रु.
डबल बैड स्यूट	40 रु.	40 रु.	165 रु.
फोर बैड स्यूट	50 रु.	50 रु.	245 रु.

होली डे होम (ग्रांड होटल, शिमला)

स्यूट की श्रेणी	ड्यूटी पर केन्द्र सरकार के कार्यरत कर्मचारी	केन्द्र सरकार के अवकाश पर/ सेवानिवृत्त कर्मचारी	सरकारी कर्मचारियों के साथ अतिथि के रूप में प्राइवेट व्यक्ति
	रु.	रु.	रु.
सिंगल बैड स्यूट	70	140	350
मेरिड स्यूट (2 बिस्तर)	105	210	525
फेमिली (4 बिस्तर)	140	280	700
वी.आई.पी. स्यूट (4 बिस्तर स्यूट), मायो ब्लाक	300	600	1800
डोरमिट्री (प्रत्येक बिस्तर)	50	100	150

ग्रांड होटल शिमला के लिये 16 जुलाई से 30 सितम्बर तक तथा 16 जनवरी से 31 मार्च तक प्रभार 50 प्रतिशत तक घटा दिया जाएगा।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976

2329. श्री महबूब जाहेदी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-सरकारी संगठनों द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी धनराशि का उपयोग वांछित प्रयोजनार्थ नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गत तीन वर्षों और उसके बाद का ब्यौरा क्या है और ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध गैर-सरकारी संगठन-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास गैर-सरकारी संगठनों की ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु कोई तंत्र हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्राप्त धनराशि का वांछित प्रयोजनार्थ उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत

भारत में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक अथवा धार्मिक क्षेत्रों में वास्तविक गतिविधियों हेतु विदेशी स्रोतों से विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों और उनके पदाधिकारियों के पूर्ववृत्त के उचित सत्यापन के पश्चात् अधिनियम के अन्तर्गत विदेशों से निधियां प्राप्त करने के लिए पंजीकरण अथवा पूर्व अनुमति प्रदान की जाती है। कानूनी बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विदेशी निधियां प्राप्त की जाती है और इनकी संवीक्षा और निरीक्षण किया जा सकता है।

यदि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के उल्लंघन की कोई शिकायत सरकार के ध्यान में आती है तो अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। ऐसी कार्रवाई में शामिल है, गैर सरकारी संगठन को पूर्व अनुमति वर्ग में रखना अथवा उसके विदेशी अभिदाय प्राप्त करने पर पाबन्दी लगाना अथवा उसके विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन चलाना अथवा इसके बैंक खातों को फ्रीज करना। इस प्रयोजनार्थ गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग में मानिटरिंग एकक स्थापित है। विगत तीन वर्षों में जिन गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनकी सूची संलग्न विवरण में है।

(ङ) और (च) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संगठनों की संख्या और विदेशी अभिदाय के प्रवाह की मात्रा में बड़े स्तर पर वृद्धि के कारण पंजीकरण प्रदान करने, निरीक्षण, मानिटरिंग आदि की मौजूदा प्रक्रियाओं से मौजूद अधिनियम को लागू करने में कुछ कमियां और कठिनाइयां सामने आई है। अतः यह मंत्रालय इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए मौजूदा कानून को बदलने तथा देश में विदेशी अभिदाय की स्वीकृति, उपयोगिता और खातों का संचालन करने हेतु और कुशल प्रणाली लाने के बारे में विचार कर रहा है। गौजूदा अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए विदेशी अभिदाय (प्रबंधन और नियंत्रण) विधेयक, 2005 का मसौदा गृह मंत्रालय की वेबसाइट http:/www maha,nic.in/fera.htm, पर अपलोड किया गया है। प्रस्तावित विधेयक को देखने के लिए उसका अवलोकन किया जा सकता है। यह मसौदा विधेयक विचारार्थ मंत्रिमंडल द्वारा मंत्रियों के ग्रुप को भेजा गया है।

विवरण

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 10 (क) के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए निषिद्ध श्रेणी में रखे गए संगठनों की सूची।

1. द एसोसिएशन, सोसायटी फार अवेयरनेस ऑफ ह्यूमेन सोसायटी एंड रूरल एडवांसमेंट (सहारा), कालाहान्डी, पोस्ट आफिस नुमपेट वि एम. रामपुर कालाहान्डी, उड़ीसा-766102।
2. एम.ए. वहाब इस्लामिक पब्लिक स्कूल, उस्मानगंज, लिलोंग, मणिपुर।
3. हरियाणवी आर्गेनाइजेशन फोर प्रोग्रेस एण्ड इकालोजी (होप) म.नं. 1592, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा।
4. इदार-ए-तालीमाते इस्लामिया (दारुल-उलम शाहे-आलम), जमालपुर रोड, अहमदाबाद, गुजरात।
5. कांग्रेगेशन ऑफ द डॉटर्स ऑफ सेंट एनी, सेंट एनी कान्वेंट, असम मोर, पी.ओ. मोहित नगर, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल।
6. जमाय अतुल फलाह, बिलारियांगज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
7. डेवलेपमेंट आर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन (डी.ओ.डब्ल्यू.) पी.ओ. बाटलागुन्डु जिला डिंडीगुल, तमिलनाडु।
8. हेल्थ एजुकेशन डेवलेपमेन्ट सोसायटी, ए-6, त्रिवेणी, शाहिदनगर, भुवनेश्वर खुद्र, उड़ीसा।
9. सरस्वती चेरिटेबल ट्रस्ट, एम-109, ग्रेटेर कैलाश-II, नई दिल्ली।
10. आदिम जाति सेवा समिति, सर्कुलर रोड, फूलबनी साही, फूलबानी, कंधामाल, उड़ीसा।
11. रीच वेली व्यू एकेडमी, 21/बी, श्रीराम नगर, इन्दौर, मध्य प्रदेश।
12. रीच इन दि नीलगिरीज, प्लाट नं. 99, साई दीप अपार्टमेंटस, वी.जी.पी. श्रवाणन नगर, मदमबक्कम, चैन्नई, तमिलनाडु।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 10(ख) के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी अभिदाय स्वीकार करने हेतु पूर्व अनुमति वर्ग में रखे गए संगठनों की सूची।

1. मक्कल सेवा मंदरम, सं. 4/9, फोर्थ स्ट्रीट, मजीद रोड, पी.ओ. बाक्स सं. 17, शिव गंगा, तमिलनाडु।
2. न्यू एपोसटोलिक चर्च, उड़ीसा, प्लाट सं. एन 2/163, आई.आर.सी. गांव, नया पल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा।
3. ग्राम दान डेवलेपमेनट सोसायटी (जी.डी.डी.एस.), 58, पांचन तला रोड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल।

4. चिरनबीन, पराबख्शी, पी.ओ. नख्शी, हावड़ा (जिला), पश्चिम बंगाल।

5. सोसायटी फार डेवलपमेंट एक्शन (सोडा) इन्द्रापाही, पोस्ट बाक्स सं. 16, बरोपाड़ा, जिला मयूरगंज, उड़ीसा।

6. अबुल कलाम आजाद इस्लामिक अवेकनिंग सेन्टर, 4, जोगाबाई, पी.ओ. बाक्स सं. 9755, जामिया नगर, नई दिल्ली।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 12 के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए, निषिद्ध श्रेणी में रखे गए संगठनों की सूची।

1. इदर-ए-तालीमाते इस्लामिया (दारुल-उलम-शाहे-आलम), जमालपुर रोड, अहमदाबाद, गुजरात।

2. साऊथ सबअर्बन ब्रांच स्कूल स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

फसल जैव-प्रौद्योगिकी निर्यात

2330. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्योग संघ ने निर्यात क्षेत्रों के माध्यम से फसल जैव-प्रौद्योगिकी निर्यात को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि निर्यात क्षेत्रों हेतु मॉडल अधिनियम

2331. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्यों में कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना के लिए मॉडल अधिनियम में संशोधन हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार महाराष्ट्र में केला फसल हेतु दो कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना करने और विदर्भ में संतरा उत्पादकों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, नहीं। कृषि निर्यात जोन (ए.ई. जेड्स) किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित नहीं किए गए हैं।

(ग) केले और संतरों के लिए एक-एक ए.ई.जेड महाराष्ट्र में स्थापित किए गए हैं। संतरों के लिए ए.ई.जेड में विदर्भ क्षेत्र के हिस्से शामिल हैं।

(घ) ए.ई.जेड्स का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

परियोजना	शामिल क्षेत्र	अनुमानित निवेश	अनुमानित निर्यात
संतरे	नागपुर और अमरावती	26.24	77.28
केला	जलगांव, धुले, नन्दुरबार, बुल्ढाना प्रभानी, हिन्डोली, नान्देड़ और वर्धा	13.45	52.55

[हिन्दी]

आई.जी.आई. में विस्फोटक सामग्री का प्रवेश

2332. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री पहुंच गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुवीर): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 12 जून, 2005 को सी.आई.एस.एफ. कार्मिकों ने ऑपरेशनल एरिया में प्रवेश करने हेतु गेट सं. 15 पर आए एक ट्रक, पंजीकरण सं. एच.आर.-55 बी-1208, के संबंध में सूचना दी। ट्रक की जांच करने पर, चालक की सीट के नीचे छिपा कर रखा गया एक प्लास्टिक गन्नी बैग पाया गया। उस बैग में 69 डिटोनेटर्स, 15 मीटर फ्यूज वायर और (लगभग) 10.7 कि.ग्रा. वजन का सफेद पदार्थ था। सी.आई.एस.एफ. की शिकायत के आधार पर, पुलिस स्टेशन, आई.जी.आई. एयरपोर्ट, दिल्ली में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4,5 के तहत एक मामला, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 350/05 दर्ज किया गया।

(ग) पुलिस स्टेशन, आई.जी.आई. एयरपोर्ट में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4,5 के तहत एक मामला, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 350/05 दर्ज किया गया। अभियुक्त चालक गिरफ्तार कर लिया गया है और वह न्यायिक हिरासत में है।

(घ) नागर विमानन मंत्रालय और सी.आई.एस.एफ. को, आई.जी.आई. एयरपोर्ट पर सुरक्षा और निरीक्षण संबंधी प्रबंधों को आगे और मजबूत करने के लिए पहले ही सलाह दे दी गई है ताकि ऐसी घटनाएं दुबारा न हो।

[अनुवाद]

कर्नाटक में कुटीर उद्योग का विकास

2333. श्री जी.एम. सिद्धीश्वर: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से राज्य में कुटीर उद्योगों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) राज्य में कुटीर उद्योगों की विकास दर कितनी है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में, कुटीर उद्योगों सहित, खादी एवं ग्रामोद्योग (के.वी.आई.) के संवर्धन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित राशि निम्नोक्त है:-

वर्ष	राशि (लाख रु. में)
2002-03	2151.01
2003-04	2265.84
2004-05	1289.34

(ङ) उत्पादन के मूल्य के संबंध में, 2004-05 की अवधि के दौरान, कर्नाटक में के.वी.आई. क्षेत्र ने 11.4 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय संप्रतीक का दुरुपयोग

2334. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय संप्रतीक अशोक स्तंभ का लैटर पैड, विजिटिंग कार्ड और लिफाफों पर अप्राधिकृत प्रयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय संप्रतीक के प्रयोग हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों, प्राधिकरण, संगठन आदि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। भारत के राष्ट्रीय संप्रतीक के दुरुपयोग के कई दृष्टांत, समय-समय पर, सरकार की जानकारी में आए हैं। इनमें लैटर पैडों, विजिटिंग कार्डों, लिफाफों आदि पर और अप्राधिकृत व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापनों में भारत के राष्ट्रीय संप्रतीक को मुद्रित करना शामिल है। अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा भारत के राष्ट्रीय संप्रतीक के उपयोग को रोकने तथा सरकारी कार्यकर्ताओं द्वारा इसके प्रयोग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने भारत के राष्ट्रीय संप्रतीक पर एक विधायन लाने का निर्णय लिया है और लोक सभा में एक विधेयक अर्थात् "भारत का राष्ट्रीय संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2004" प्रस्तुत किया है।

(ग) इस समय भारत के राष्ट्रीय संप्रतीक का प्रयोग, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कार्यकारी अनुदेशों के एक सेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन अनुदेशों के संदर्भ में

गारत के राष्ट्रीय संप्रतीक का प्रयोग निम्नानुसार किया जा सकता है:-

(i) विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित व्यक्तियों और मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों की सरकारी सीलों में,

(ii) सरकारी लेखन-सामग्री पर,

(iii) संसद सदस्यों के पत्र-शीर्षों पर,

(iv) कतिपय शर्तों के अध्यधीन राष्ट्रपति भवन और राजभवन के वाहनों पर,

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण भवनों और विदेश में स्थित भारत के राजनयिक मिशनों के परिसरों पर,

(vi) सरकारी प्रकाशनों पर,

(vii) सिक्कों, मुद्राओं, डाक टिकटों आदि पर,

(viii) सरकार द्वारा स्थापित मैडलों और सनदों पर,

(ix) राज्य समारोहों के निमंत्रण पत्रों पर,

(x) राष्ट्रपति भवन/राजभवन/विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में प्रयुक्त प्रतीकमूलक ग्लासवेयर, क्राकरी आदि पर,

(xi) पुलिस, आबकारी आरक्षी दल आदि की बर्दी के बैजों, कालरों, बटनों आदि तथा सशस्त्र बलों की बर्दी, बैजों आदि पर, और

(xii) राष्ट्रीय संप्रतीक की उत्पत्ति, उसके महत्व या अंगीकरण को स्पष्ट करने या उसे सचित्र समझाने के प्रयोजनार्थ पाठ के एक भाग के रूप में विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों, पत्रिकाओं में।

[अनुवाद]

एन.सी.पी.यू.एल.

2335. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कई शिकायतों के पश्चात् नेशनल काउंसिल फार प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंगुएज के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और समिति की मुख्य निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(ग) समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने 'राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद' के मामलों की जांच के लिए 5-7-05 को एक जांच समिति गठित की है।

यह समिति निम्नलिखित मामलों की जांच करेगी: (i) क्या परिषद अपने अधिदेश के अनुसार कार्य कर रही है और क्या इसने अपने सामान्य अधिदेश से इतर कोई कार्य किया है, (ii) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान आबंटित संसाधनों का उपयोग अधिदेश के अनुरूप है, (iii) ऐसा कोई भी मामला जो सरकार ने इसके पास भेजा हो।

(ग) समिति तीन माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

[हिन्दी]

थुराया सेटेलाइट फोन की बरामदी

2336. श्री सुरेश चन्देल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में हुई मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों से थुराया सेटेलाइट फोन की बरामदी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या आतंकवादी थुराया सेटेलाइट फोन को आसानी से पाकिस्तान से भारत ला रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) 5 मार्च, 2005 को दिल्ली में तीन आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक थुराया सेटेलाइट/जी.एस.एम. फोन बरामद हुआ था।

(ग) ऐसे दृष्टांत हैं जब आतंकवादियों ने जम्मू एवं कश्मीर में थुराया सेटों का इस्तेमाल किया है।

(घ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को मजबूत करना, आसूचना तंत्र को मुस्तैद बनाना, केन्द्र और राज्यों, दोनों में सुरक्षा बलों के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, हथियारा और उपकरण शामिल है।

[अनुवाद]

माओवादियों के खिलाफ लड़ाई

2337. श्री जुएल ओराम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने माओवादियों/नक्सलवादियों से लड़ने के लिए पुलिस से हाथ मिला लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मिशन में उन्हें प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों की ऐसी पहल से कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा नक्सलवादियों/माओवादियों के खिलाफ ऐसे समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में बीजापुर और दांतेवाड़ा पुलिस जिलों की जनजातियों सहित ग्रामीण, नक्सलवादियों से खतरे के बावजूद नक्सलवादियों द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध नक्सलवाद विरोधी रैलियां आयोजित कर रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद विरोधी रैलियां गति पकड़ रही हैं और ग्रामीणों ने नक्सलवादी गतिविधियों का विरोध करने की प्रतिज्ञा की है।

नक्सलवादियों द्वारा बदले की कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार से ग्रामीणों को संरक्षण देने और "ग्राम रक्षा समितियां" गठित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कहा गया है। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया है।

मलिन बस्ती स्वच्छता कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक से ऋण

2338. श्री सुरेश वाघमारे: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** 01-03-2005 के अतारांकित प्रश्न सं. 142 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से कोई स्पष्टीकरण और प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र हेतु मलिन बस्ती स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक से ऋण का विस्तृत प्रस्ताव क्या है;

(घ) क्या अब तक कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) महाराष्ट्र राज्य से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मुम्बई सीवेज निपटान परियोजना के तहत स्लम सफाई कार्यक्रम चरण-II तथा मुम्बई सीवेज निपटान परियोजना चरण-II के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अनुदान/क्रेडिट/ऋण के लिए महाराष्ट्र सरकार के जल आपूर्ति एवं सफाई विभाग के प्रस्ताव को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया था। आर्थिक कार्य विभाग ने बताया है कि महाराष्ट्र सरकार से मुम्बई सीवेज निपटान परियोजना चरण-II तथा स्लम सफाई कार्य को मुम्बई शहर को विश्व स्तर के शहर में बदलने के लिए प्रस्तावित व्यापक बहुक्षेत्रीय योजना की डिजायन में शामिल करने का अनुरोध किया गया था। विश्व बैंक का एक समर्पित बहुक्षेत्रीय दल इस परियोजना के लिए एक विस्तृत कार्य नीति बनाने के लिए पहले ही मुम्बई का दौरा कर चुका है।

शहरी परियोजनाओं हेतु धनराशि

2339. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तरांचल में शुरू की गई विभिन्न शहरी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक इस परियोजनार्थ कितना आवंटन किया गया है;

(ख) चालू शहरी परियोजनाओं और उनके कार्यान्वयन की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तरांचल सरकार ने कुछ परियोजनाओं में सहायता हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जहां तक शहरी विकास मंत्रालय का संबंध है, केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तरांचल में कोई शहरी विकास परियोजना शुरू नहीं की गई है। तथापि, केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा छोटे व मझोले कस्बों के समन्वित विकास की योजना के तहत राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई थी। पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तरांचल को त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत नियत किया गया केन्द्रीय अंश इस प्रकार है:-

वर्ष	नियत धनराशि (लाख रु. में)
2002-03	185.93
2003-04	213.45
2004-05	237.16

योजना का अंतिम वर्ष होने के कारण वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कोई राज्यवार नियतन नहीं किया गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुमोदित योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम और छोटे व मझोले कस्बों के समन्वित विकास की योजना के तहत कोई नई परियोजना अनुमोदित नहीं की जाएगी क्योंकि ये योजनाएं छोटे व मझोले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास की प्रस्तावित योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) में मिला दी जाएंगी।

जहां तक आई.डी.एस.एम.टी. योजना का संबंध है जिन परियोजनाओं के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय अंश दिया गया, उनके विवरण तथा पहले से चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जहां तक त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम का संबंध है, उत्तरांचल सरकार ने उत्तरांचल के 7 कस्बों नामतः पौढ़ी, हल्द्वानी, देहरादून, मसूरी, पिथौरागढ़, अलमोड़ा और दुगड्डा के लिए 10 जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता मांगी है। प्राप्त तथा अनुमोदित योजनाओं के ब्यौरे तथा योजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

आई.डी.एस.एम.टी. के अंतर्गत सुलतानपुर तथा बारकोट के लिए दो नई परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं और इन दोनों को राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। इस मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि 2005-06 के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. तथा त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए किसी नए कस्बे पर विचार नहीं किया जाएगा।

विवरण-I

राज्य: उत्तरांचल

स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला तारीख (माह/वर्ष)	स्वीकृति की लागत	परियोजना	केन्द्रीय अंश	मार्च, 2005 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	बागेश्वर	बागेश्वर	जून, 2002	311.00	155.50	183.45
2.	महुआ डाबरा	यू.एस. नगर	नवम्बर, 2002	18.77	9.39	17.01
3.	महुआ खेड़ा	यू.एस. नगर	नवम्बर, 2002	34.93	17.47	33.00
4.	लक्सर	हरिद्वार	जनवरी, 2003	141.78	70.89	160.43
5.	दुगड्डा	पौढ़ी	जनवरी, 2003	113.05	56.53	97.36

1	2	3	4	5	6	7
6.	द्वारहाट	अलमोड़ा	फरवरी, 2003	576.26	288.13	244.29
7.	दोईवाला	देहरादून	फरवरी, 2003	88.07	44.04	92.20
8.	केलखेड़ा	यू.एस. नगर	जनवरी, 2004	42.58	21.29	42.58
9.	हरर्बटपुर	देहरादून	जनवरी, 2005	250.52	125.26	0.37
10.	चम्पावत	चम्पावत	फरवरी, 2005	240.00	120.00	0.00
11.	शक्तिगढ़	यू.एस. नगर	फरवरी, 2005	22.04	11.02	0.00
			योग:	1839.00	919.50	870.69

विवरण-II

छोटे एवं मझोले कस्बों के समन्वित विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत कस्बा-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	परियोजना/कस्बे का नाम	दी गई केन्द्रीय सहायता			
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1.	कोटद्वार	–	38.00	–	–
2.	उत्तरकाशी	–	24.00	–	–
3.	श्रीनगर	–	24.00	–	–
4.	जोशीमठ	–	–	24.00	–
5.	जशपुर	–	–	45.00	–
6.	बागेश्वर	–	–	24.00	–
	योग	–	86.00	93.00	–

छोटे एवं मझोले कस्बों के समन्वित विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत पहले से चल रही परियोजनाओं के कस्बा-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	परियोजना/कस्बे	लाभान्वयन का वर्ष	दी गई केन्द्रीय सहायता	सूचित व्यय
1	2	3	4	5
1.	अलमोड़ा	6वीं योजना	36.00	42.89

1	2	3	4	5
2.	काशीपुर	6वीं योजना	39.00	65.90
3.	हलद्वानी	7वीं योजना	17.00	–
4.	रूड़की	1990-91	18.00	36.24
5.	कोटद्वार	1993-94	14.00	30.94
6.	हरिद्वार	1995-96	70.00	116.66
7.	देहरादून	2001-02	105.00	36.12
8.	हलद्वानी	2001-02	95.00	17.72
9.	पिथौरागढ़	2001-02	40.00	3.80
10.	कोटद्वार	2003-04	38.00	–
11.	उत्तरकाशी	2003-04	24.00	–
12.	श्रीनगर	2003-04	24.00	–
13.	जोशीमठ	2004-05	24.00	–
14.	जशपुर	2004-05	45.00	–
15.	बागेश्वर	2004-05	24.00	–
	योग		613.00	350.27

विवरण-III

उत्तरांचल राज्य से संबंधित विभिन्न योजनाओं की स्थिति जिनके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है

क्र.सं.	योजना का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	पौढ़ी जल आपूर्ति सुधार योजना	यह परियोजना 4357.00 लाख रु. की अनुमानित लागत पर हमारे दिनांक 29-10-2003 के पत्र द्वारा अनुमोदित की गई है और स्वीकृति पत्र सचिव, जल आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल सरकार को भेज दिया गया है जिसकी एक प्रति योजना आयोग को भी भेजी गई है। उत्तरांचल पेयजल निगम ने दिनांक 10-3-2005 को बताया है कि योजना आयोग द्वारा दिनांक 28-2-04 को 500 लाख रु. का अनुदान मंजूर किया गया है। मार्च, 2005 तक 355.00 लाख रु. की राशि का प्रयोग किया जा चुका है।
2.	हल्द्वानी सीवरेज योजना	हल्द्वानी के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सी.पी.एच.ई.ई.ओ. द्वारा दिनांक 22-8-2003 को अनुमोदित कर दी गई है जिसकी अनुमानित लागत 2448.20 लाख रु. है। सचिव, जल आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल सरकार को

1	2	3
		अपेक्षित तकनीकी अनुमोदन पत्र जारी कर दिया गया है जिसकी एक प्रति योजना आयोग को भी भेजी गई है।
3.	देहरादून जल आपूर्ति वृद्धि योजना	4508.26 लाख रु. की अनुमानित लागत वाली योजना जिसके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए अपेक्षित पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट सी.पी.एच.ई.ई.ओ. द्वारा कुछ तकनीकी अभ्युक्तियों/टिप्पणियों के साथ सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दी गई है। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए विचार हेतु उक्त प्रस्ताव दिनांक 1-5-2003 को योजना आयोग को भेजा बशर्ते कि इस मंत्रालय की अभ्युक्तियां का पूर्णतया अनुपालन करते हुए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाए और उसे इस मंत्रालय का तकनीकी अनुमोदन दिलाया जाए। जैसा कि उत्तरांचल पेयजल बोर्ड ने दिनांक 10-3-2005 को बताया है कि योजना आयोग ने पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और राज्य सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंत्रालय में अभी प्राप्त नहीं हुई है।
4.	मसूरी जल आपूर्ति वृद्धि योजना	उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम ने मसूरी कस्बे में जल आपूर्ति बढ़ाने की 2048 लाख रु. की अनुमानित लागत पर एक पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की। उत्तरांचल पेयजल निगम से अनुरोध किया गया था कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नगर में नए निर्माण/खुदाई के लिए लगाई गई रोक को देखते हुए स्थिति स्पष्ट करें। राज्य सरकार द्वारा वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर भिजवाया जाना शेष है। इस बीच, उत्तरांचल सरकार ने दिनांक 25-10-2004 के अपने पत्र द्वारा हार्डीफॉल स्रोत से मसूरी की जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए 653.96 लाख रु. का परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। परियोजना प्रस्ताव की जांच की गई है और राज्य सरकार को अनुपालन हेतु टिप्पणियां फरवरी, 2005 में भिजवा दी गई हैं। राज्य सरकार से अभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और वन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
5.	मसूरी कस्बे के लिए सीवरेज योजना	उत्तरांचल पेय जल निगम ने 2075.46 लाख रु. की अनुमानित लागत से मसूरी कस्बे में सीवरेज व्यवस्था के लिए पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तकनीकी अनुमोदन के लिए भेजी है। उत्तरांचल पेयजल निगम से नगर में नए निर्माण/खुदाई के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को देखते हुए स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। राज्य सरकार द्वारा वन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र अभी प्रस्तुत किया जाना शेष है। तथापि, उत्तरांचल पेयजल निगम ने अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना 3819.42 लाख रु. की लागत वाली उक्त योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नवम्बर, 2004 में भेज दी। उत्तरांचल पेय जल निगम को

1	2	3
		अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ प्रस्ताव भेजने का पुन: परामर्श दिया गया। उत्तर की प्रतीक्षा है।
6.	देहरादून सीवरेज योजना फेस-I	928 लाख रु. की अनुमानित लागत पर योजना (फेस-I) के लिए पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच सी.पी.एच.ई.ई.ओ. द्वारा की गई थी और इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई थी। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत विचार हेतु प्रस्ताव दिनांक 1-5-2005 को योजना आयोग को इस शर्त पर भेजा कि इस मंत्रालय की अभ्युक्तियों का पूर्णतया अनुपालन करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसे मंत्रालय का तकनीकी अनुमोदन दिलाया जाएगा। उत्तरांचल सरकार ने नगर के कुछ हिस्से के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नवम्बर, 2004 और फरवरी, 2005 में भिजवा दी है। मंत्रालय ने उत्तरांचल पेयजल निगम को अप्रैल, 2005 में परामर्श दिया है कि पूरे कस्बे के लिए व्यापक प्रस्ताव तैयार करके तकनीकी अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भिजवाएं।
7.	पिथौरागढ़ सीवरेज योजना फेस-I	2823.45 लाख रु. की अनुमानित लागत पर परियोजना हमारे दिनांक 3-10-2003 के पत्र द्वारा अनुमोदित कर दी गई है और स्वीकृत पत्र सचिव, जल आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल सरकार को भेजा गया है जिसकी एक प्रति योजना आयोग को भी भिजवाई गई है।
8.	अलमोड़ा कस्बे के जोन-III के लिए सीवरेज योजना	810 लाख रु. की अनुमानित लागत वाली परियोजना को दिनांक 7-7-04 को तकनीकी अनुमोदन दिया गया तथा एक प्रति सचिव, जल आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल को भेजी गई।
9.	पौढ़ी नगर पालिका परिषद सीवरेज और सीवेज शोधन योजना (फोस-I)	उत्तरांचल सरकार द्वारा भेजी गई 2983.00 लाख रु. की लागत वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई है और अनुपालन के लिए अभ्युक्तियां उत्तरांचल पेयजल निगम को जून, 2005 में भिजवाई गईं। उत्तर की प्रतीक्षा है।
10.	दुगड्डा सीवरेज और सीवेज शोधन योजना	उत्तरांचल सरकार द्वारा भेजी गई 438.09 लाख रु. की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई है और अभ्युक्तियां अनुपालन के लिए उत्तरांचल पेयजल निगम को जुलाई, 2005 में भिजवाई गई हैं। उत्तर की प्रतीक्षा है।

पिछड़े जिलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2340 श्री सुव्रत बोस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उदारीकरण नीति लागू करने के बाद देश के पिछड़े जिलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश के पिछड़े जिलों में अनेक कंपनियों द्वारा किए गए निवेश का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (घ) सरकार ने एक उदार, पारदर्शी तथा

निवेशक अनुकूल नीति लागू की है जिसमें अधिकांश क्षेत्रों/ कार्यकलापों में स्थापना स्थल पर ध्यान दिये बिना स्वत: मार्ग के अन्तर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति है। उदारीकृत आर्थिक परिवेश के अन्तर्गत क्षेत्रों तथा स्थापना-स्थलों के चयन सहित निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा उनके वाणिज्यिक निर्णय तथा अन्य बातों के आधार पर लिये जाते हैं। एफ.डी.आई. अन्तर्वाह संबंधी आंकड़े जिले-वार नहीं रखे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे गये एफ.डी.आई. अन्तर्वाहों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अप्रैल, 2003 से मई, 2005 तक एफ.डी.आई. अन्तर्वाह' के लिए क्षेत्र-वार ब्यौरा

(भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को यथा सूचित)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय	सम्मिलित राज्य	2003-04 अप्रैल-मार्च	2004-05 अप्रैल-मार्च	2005-06 अप्रैल-मई	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	353.49	747.85	22.81	1124.15
2.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड त्रिपुरा	19.48	13.39	0.00	32.87
3.	पटना	बिहार, झारखंड	1.13	0.00	0.00	1.13
4.	अहमदाबाद	गुजरात	917.12	610.53	149.95	1677.60
5.	बंगलौर	कर्नाटक	926.53	1131.34	185.17	2243.04
6.	कोचि	केरल, लक्ष्यद्वीप	44.53	33.77	6.45	84.75
7.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	34.85	69.25	13.09	117.19
8.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव	1355.31	3183.13	295.29	4833.74
9.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	0.00	0.00	0.15	0.15
10.	जयपुर	राजस्थान	1.89	4.58	2.25	8.72
11.	चेन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी	603.80	358.47	235.79	1198.05
12.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	0.00	0.03	0.00	0.03

1	2	3	4	5	6	7
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	84.50	467.37	144.62	696.49
14.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब	76.71	13.49	0.63	90.83
15.	दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश का भाग और हरियाणा	2123.46	3717.53	2112.53	7953.52
16.	पणजी	गोवा	160.59	100.66	12.71	273.96
17.	-	नहीं दर्शाये गये[2]	3360.72	4201.34	834.42	8396.47
		कुल योग	10064.10	14652.73	4015.86	28732.69

[1]केवल इक्विटी पूंजी संघटक शामिल है।

[2]प्रवासियों से अन्तरण द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के जरिये अन्तर्वाह दर्शाता है। इसके लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्र-वार सूचना नहीं प्रदान की गई है।

कर्नाटक में उद्योग स्थापित करना

2341. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से केन्द्र की वित्तीय सहायता से राज्य के विभिन्न भागों में लघु उद्योग स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों विशेषकर कर्नाटक को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (घ) जी, नहीं। लघु उद्योग, केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा नहीं, वैयक्तिक उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योगों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। हालांकि, केन्द्र सरकार ऋण, आधारभूत संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता विकास, इत्यादि से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों का समर्थन और अनुपूरण करती है। इन्हें कर्नाटक सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जाता है परन्तु इन योजनाओं, आदि के लिए सरकार के पास उपलब्ध निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। बहरहाल, समन्वित आधारभूत संरचना विकास (आई.आई.डी.) योजना, जिसका उद्देश्य लघु उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए मूलभूत आधारिक संरचना का निर्माण करना है, के तहत सरकार ने कर्नाटक में पांच आई.आई.डी. केन्द्रों को मंजूरी दी है, जो बेलगाम, बीजापुर, कोलार, बगलकोट और तुमकूर में स्थित है। इस योजना के तहत, कर्नाटक औद्योगिक विकास बोर्ड को दी गई कुल वित्तीय सहायता 6.67 करोड़ रु. है।

[हिन्दी]

बदरपुर बार्डर पर फ्लाई ओवर

2342. श्री सज्जन कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-मथुरा रोड पर लोगों को हो रही समस्याओं को देखते हुए बदरपुर बार्डर पर एक फ्लाई ओवर बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक बनाए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर कि.मी. 16.100 से कि.मी. 20,500 तक बी.ओ.टी. आधार पर एक उत्थित राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें महरौली चौराहे पर एक अन्तर्वदली मार्ग (इंटरचेंज) शामिल है ताकि बदरपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भीड़-भाड़ कम हो सके। यह परियोजना अनंतिम रूप से जुलाई, 2009 तक पूरी करने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

शहरी जल अवसंरचना परियोजनाएं

2343. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह पता लगाने के लिए **शहरी जल अवसंरचना** परियोजनाओं की निगरानी हेतु कोई तंत्र है कि लोगों को वास्तव में इन परियोजनाओं से लाभ हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसा कोई तंत्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (ए.एम.एस.वाई.)

2344. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.एस.टी.एफ.डी.सी. द्वारा प्रायोजित "आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना" (ए.एम.एस.वाई.) नामक एक विशिष्ट योजना तमिलनाडु में सुचारू रूप से काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आबंटित धनराशि का समुचित उपयोग हुआ है और उसे जरूरतमंद लोगों को समुचित प्रकार से वितरित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महिलाओं को इन योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने में कोई बाधा आ रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) से (घ) अप्रैल, 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.) की स्थापना के बाद, तमिलनाडु राज्य में एन.एस.टी.एफ.डी.सी. की सहायता से योजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी, तमिलनाडु आदि द्रविडर हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (टी.ए.एच.डी.सी.ओ.) के माध्यम से चैनेलाइजिंग किए जाने वाली निधियों का सांकेतिक आबंटन नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपए में)

वर्ष	आबंटन की राशि	वास्तविक स्वीकृति राशि
2001-2002	51.00	–
2002-2003	67.00	2.80
2003-2004	84.00	–
2004-2005	84.00	–
2005-2006	74.00	–

तथापि, वर्ष 2002-2003 से आरंभ हुई महिला सशक्तिकरण योजना के तहत कोई भी प्रस्ताव इस चैनेलाइजिंग एजेंसी से एन.एस.टी.एफ.डी.सी. को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) से (च) उपरोक्त (क) से (घ) में दी गई स्थिति के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योग को ऋण

2345. प्रो. एम. रामदास: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विलंबित संदाय अधिनियम को ईमानदारी से लागू किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) अशोधित उपबन्धों सहित उक्त अधिनियम लघु तथा मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2005 का एक भाग है, जिसे 12 मई, 2005 को लोक सभा में प्रस्तुत कर दिया गया था।

बाल्को द्वारा अतिक्रमण

2346. श्री अनंत नायक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टरलाइट के स्वामित्व वाली बाल्को कंपनी ने छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में 1036 एकड़ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) और (ख) छत्तीसगढ़ सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है।

पहाड़िया और भुंजिया जनजातियां

2347. श्री परसुराम माझी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में सुनाबेदा घाटी और वन क्षेत्रों में पहाड़िया और भुंजिया जनजाति के कितने लोग रह रहे हैं;

(ख) क्या अपनी आजीविका कमाने हेतु वन क्षेत्र में उनके प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का उनके आर्थिक उत्थान हेतु योजना शुरू करने का कोई विचार है क्योंकि वे रोजगार की तलाश में छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के भाग-12 में उड़ीसा की अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। भुंजिया जनजाति को सूची की प्रविष्टि संख्या 9 में बिना किसी क्षेत्र प्रतिबंध में दर्ज किया गया है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 11,276 है। उड़ीसा राज्य में पहाड़िया समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। तथापि, "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 2002" में पहाड़ी खड़िया को खड़िया जनजाति के साथ सूची की प्रविष्टि संख्या 29 में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के बाद अधिसूचित होने के कारण पहाड़ी खड़िया की जनसंख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की सूचना के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान स्थानीय लोगों, विशेषकर अनुसूचित जनजातीय लोगों के वास्तविक घरेलू उपयोग हेतु उनके दर्ज अधिकारों/रियायतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते।

(घ) और (ङ) जनजातीय उपयोजना की रणनीतियों के तहत कृषि, पशुपालन, वानिकी, लघु वन उत्पाद प्रचालन, लघु सिंचाई तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों आदि के क्षेत्रों में विभिन्न योनजाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि जनजातीय लोगों का आर्थिक उन्नयन हो सके। इन योजनाओं का विस्तृत विवरण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2004-05 में उपलब्ध है।

जड़ी बूटियों का निर्यात

2348. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनेक राज्यों विशेषकर तमिलनाडु से भारतीय हर्बल दवाओं के देश-वार निर्यात और उससे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा विदेशों में भारतीय हर्बल दवा को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सरकार हर्बल औषधियों के राज्य-वार निर्यात के आंकड़े नहीं रखती है। सरकार विदेशों में हर्बल औषधियों की बढ़ती हुई मांग की दृष्टि से देश में उनकी कृषि का संवर्धन करने के लिए कदम उठा रही है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड औषधीय पौधों की कृषि की लागत पर 30 प्रतिशत सब्सिडी के जरिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। किसानों को औषधीय पौधों की कृषि में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भेषजीय निर्यात संवर्धन परिषद (फार्मेक्सिल) ने औषधीय पौधों के निर्यात संवर्धन के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों के संबंध में परिषद को सलाह देने के लिए एक समिति गठित की है। फार्मेक्सिल विदेशों में विभिन्न मेलों/प्रदर्शनियों में भी भाग लेती है ताकि विदेशों में हमारे हर्बल उत्पादों को लोकप्रिय बनाया जा सके।

दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

2349. श्री सीता राम यादव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेष तौर पर देश भर में जेलों में भीड़भाड़ कम करने हेतु दंड प्रक्रिया में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे संशोधित विधान को कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) दंड प्रक्रिया संति (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत हाल में संशोधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंध हैं:-

(i) यह अनिवार्य उपबंध करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436(1) में संशोधन किया गया है कि यदि गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति जमानती अपराध का अभियुक्त है और गरीब है तथा वह जमानत नहीं दे सकता है तो जमानतों के बगैर यदि वह एक बांड प्रस्तुत कर देता है तो अदालत उसे छोड़ सकती है।

(ii) दंड प्रक्रिया संहिता में एक नई धारा 436-क सन्निविष्ट कर दी गई है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि ऐसे अपराध के अपराधी, जिसमें दंड के रूप में मृत्यु दंड निर्धारित किया गया है, को छोड़कर जहां किसी विचारणाधीन कैदी को कथित अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि की डोढ़ गुना अवधि के लिए कारावास में रखा गया हो तो जमानतों या जमानतों के बगैर उसे उसके निजी बांड पर छोड़ा जाना चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी सूरत में किसी भी विचारणाधीन कैदी को कारावास की उस अधिकतम अवधि, जिसके लिए उसे कथित अपराध की दोष सिद्धिपर कारावास में रखा जा सकता था, के बाद भी जेल में नहीं रखा जा सकता है।

उपर्युक्त उपबंधों के लागू होने से यह आशा की जाती है कि पूरे देश की जेलों में भीड़-भाड़ कम हो जाएगी।

आदिवासी कोटा

2350. श्री गणेश सिंह:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदिवासी कोटे के ऊपर जनजातीय कार्य मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय के बीच कोई मतभेद उभरे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आरक्षण संबंधी विवाद पर क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) से (ग) जी, नहीं। सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग देखता है। वर्तमान में केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों का कोटा 7.5% है।

मलिन बस्तियों में रहने वालों के संबंध में सर्वेक्षण

2351. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की समस्या का आकलन किए बिना उनकी स्थिति में सुधार हेतु काफी पैसा खर्च कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अब इन लोगों की वास्तविक संख्या संबंधी प्राथमिक आंकड़ा प्राप्त करने हेतु 20,000 से ऊपर की जनसंख्या वाले सभी कस्बों में महापंजीयक से सर्वेक्षण करने हेतु कहने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में महापंजीयक कार्यालय से चर्चा की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस प्रक्रिया में कम से कम एक साल लगने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या वर्ष 2001 की जनगणना में राज्यों से सूचना एकत्रित करने का प्रयत्न किया गया था किन्तु विशेषज्ञों का यह

कहना है कि प्रणाली में खामी के कारण वे पूरे आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये जा सके;

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार अब मलिन बस्ती की समस्या और वहां रहने वाले कुल लोगों के बारे में पूरी रिपोर्ट प्राप्त करने पर विचार कर रही है; और

(झ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने और बेहतर बनाने हेतु जिस कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है उसका ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) स्लम विकास एक राज्य विषय होने के कारण राज्य सरकारें अपने संबंधित राज्यों में स्लमों का सर्वेक्षण करती है तथा उसका अध्ययन करती हैं। तथापि ग्राम एवं नगर नियोजन संगठन (टी.सी.पी.ओ.) ने वर्ष 1995-96 में स्लमों के संबंध में एक अध्ययन किया था तथा इस पर रिपोर्ट निकाली थी, जिसका शीर्षक "ए कम्पेनडियम ऑन इंडियन स्लमस् 1996" था। "राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.)" की पूर्ववर्ती स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष योजना आयोग उपरोक्त सार-संग्रह (कम्पेनडियम) में वर्ष 2001 के लिए लगाये गये अनुमान के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की स्लम आबादी के यथानुपात आधार पर राज्य-वार धनराशि आवंटित कर रहा था। ऐसे आवंटनों का निर्णय लेते समय छोटे राज्यों के लिए एक न्यूनतम राशि आरक्षित की जाती है।

(ख) से (झ) भारत के महापंजीयक द्वारा वर्ष 2001 में भारत की जनगणना के दौरान पहली बार देश की स्लम आबादी के बारे में विस्तृत आंकड़े एकत्र करने का प्रयास किया गया था किन्तु यह प्रयास वर्ष 1991 की जनगणना पर आधारित 50,000 या इससे अधिक आबादी वाले शहरों/कस्बों के लिए ही किया गया था। शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदान मांगों संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि 50,000 से कम आबादी वाले अन्य शहरों/कस्बों के संबंध में इसी प्रकार का सर्वेक्षण किया जाए। इस मंत्रालय ने स्लमों में रह रहे लोगों के बारे में सर्वेक्षण करने तथा उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत के महापंजीयक के साथ इस मामले को उठाया था। भारत के महापंजीयक के कार्यालय ने 50,000 से कम किन्तु 20,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों में स्लम आबादी की पहचान करने के लिए एक परियोजना प्रस्तुत की है जोकि मंत्रालय के विचाराधीन है।

चंडीगढ़ विपणन समिति में आधिकारिक सदस्य

2352. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ विपणन समिति में एक आधिकारिक सदस्य मनोनित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी बैठकें हुईं और आधिकारिक सदस्य ने कितनी बैठकों में भाग लिया;

(ग) क्या आधिकारिक सदस्य ने हाल ही में तत्कालीन चेयरमैन, विपणन समिति, चंडीगढ़ के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने हेतु हुई बैठक में उनके खिलाफ वोट दिया था;

(घ) यदि हां, तो एक राजनैतिक कार्यकलाप से इतर इस बैठक में भाग लेने हेतु यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया;

(ङ) क्या आधिकारिक सदस्य ने पहले कभी अविश्वास प्रस्ताव में भाग लिया था: और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार आयोजित बैठकों और जिन बैठकों में अधिकारिक सदस्य द्वारा भाग लिया गया, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

अवधि	आयोजित बैठकों की संख्या	भाग लिया गया अधिकारिक सदस्य
1-4-2002 से 31-3-2003	सात	एक
1-4-2003 से 31-3-2004	पांच	शून्य
1-4-2004 से 31-3-2005	छः	एक

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) सभी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है और सभी सदस्यों ने अपने मर्जी से बैठक में भाग लिया।

(ङ) और (च) जी हां, श्रीमान। आधिकारिक सदस्य ने इससे पहले, 6-2-1996 को हुई बैठक में भी भाग लिया था जिसमें उन्होंने चेयरमैन के विरुद्ध "अविश्वास प्रस्ताव" के पक्ष में वोट दिया था।

भारतीय दंड संहिता में संशोधन

2353. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्री सुरेश चन्देल:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री मदन लाल शर्मा:
श्री अनंत गुढ़े:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ शिष्टमंडलों ने भारतीय दंड संहिता में उचित संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बलात्कार और भ्रष्टाचार के मामलों में मृत्यु दंड देने और गवाहों की सुरक्षा आदि सुनिश्चित करने हेतु भारतीय दंड प्रक्रिया में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे संशोधन कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

सती प्रथा को संरक्षण

2354. **श्री एम. राजामोहन रेड्डी:**
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
श्री प्रशांत प्रधान:
डा. रामचन्द्र डोम:
श्रीमती सी.एस. सुजाता:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार द्वारा निकाले जाने वाले सरकारी प्रकाशनों में 'सती' प्रथा को महिमामंडित करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारात्मक कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 'सती' संबंधी घटना की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रथा को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर राज्य सरकार ने इस बाते से इंकार किया है कि उनके सरकारी प्रकाशन में सती की प्रथा को महिमामंडित किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 7-5-2005 को बांदा जिले में सती की एक कथाकथित घटना में एक 75 वर्षीय महिला के जले हुए अवशेष उनके मृत पति की चिता पर पड़े मिले थे। जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है, चिता स्थल पर सती की कोई पूजा नहीं की गयी है। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के प्रवर्तन का मूल दायित्व संबंधित राज्य सरकार का है।

सर्वोदय विद्यालयों की स्थापना

2355. **श्री बालासोवरी वुल्लभनेनी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में राज्यवार कितने सर्वोदय विद्यालय कार्यरत हैं;

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों से देश में राज्यवार नए सर्वोदय विद्यालय स्थापित किए जाने हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने की संभावना है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान ऐसे विद्यालयों की स्थापना हेतु कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सर्वोदय विद्यालयों की स्थापना तथा प्रबन्धन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस मंत्रालय द्वारा देश में सर्वोदय विद्यालयों के सम्बन्ध में कोई केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

मैक्स हैल्थ द्वारा स्कूल सर्वेक्षण

2356. श्री मधु गौड यास्की:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में मैक्स हैल्थ द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में विद्यालयों में बड़े पैमाने पर शराब, धूम्रपान और यौनाचार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'सेक्स, ड्रग्स, बूज: दिल्ली किड्स डू इट ऑल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रकाशित मामले के ब्यौरे और तथ्य क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सरकार का ध्यान दिनांक 12-7-05 के 'दी हिन्दुस्तान टाइम्स' में मैक्स हैल्थ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के सम्बंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है। इस अध्ययन को न तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने और न ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने अधिकृत किया था। इस अध्ययन का उद्देश्य और सर्वेक्षण करने में अभिकरण द्वारा अपनाई गई वैज्ञानिक तकनीक की जानकारी सरकार को नहीं है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश

2357. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने बड़े अर्थदंड संबंधी आरोप पत्रों के मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही को एक निश्चित समय-सीमा में पूरा करने और उन्हें निपटाने के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली नगर निगम इन दिशानिर्देशों का विधिवत् पालन कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन सभी मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें दिल्ली नगर निगम द्वारा ऐसे दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि जहां तक व्यवहार्य है यह दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है। सभी बड़े दंड संबंधी मामलों में निर्धारित समयावधि का पालन करने के प्रयास किए जाते हैं। तथापि, कभी-कभी समयावधि क्रियाविधि, विधिक और प्रशासनिक कारणों से बढ़ गई है।

(घ) निर्धारित समयावधि के बाद दिल्ली नगर निगम में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की प्रथम अवस्था सलाह के कार्यान्वयन हेतु 93 मामले लम्बित हैं। इसी प्रकार निर्धारित समयावधि के बाद द्वितीय अवस्था सलाह के कार्यान्वयन हेतु 9 मामले लंबित हैं।

कापीराइट (प्रतिलिप्याधिकार)

2358. श्री नवीन जिन्दल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिलिप्याधिकार पंजीयक द्वारा सामान्य रूप से पायी जाने वाली वस्तुओं और आकारों अथवा अभियांत्रिकी उत्पादों के ड्राइंग और डिजाइन संबंधी कॉपीराइट (प्रतिलिप्याधिकारों) के पंजीकरण के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या डिजाइन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक पेटेन्ट कार्यालय और डिजाइन पंजीयक के कार्यालय से ऐसी वस्तुओं/ड्राइंगों के प्रतिलिप्याधिकार को पंजीकृत करने से पहले इस बात की जांच करता है कि क्या कोई ऐसे दावे उन कार्यालयों में किये गये थे और ऐसे दावों का क्या परिणाम निकला;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया गया है कि पेटेंट के लिए दावे जो पेटेंट अधिनियम के अन्तर्गत अस्वीकार किये गये हैं, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी वस्तुओं की ड्राइंग पर पंजीकरण कराके अप्रत्यक्ष रूप से एकाधिकार स्थापित न कर पाएं;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे तंत्र का विकास कब तक किये जाने की संभावना है और सामान्य रूप से पायी जाने वाली पाइप की ड्राइंग/डिजाइन का इस आधार पर कि यह 175 मि.मि.

बाहरी व्यास वाली एम.एस. स्टील ट्यूब की एक कलात्मक वस्तु है, पंजीकरण कराने वाले अधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार को विनिर्माताओं अथवा एसोसिएशनों से ये शिकायतें मिली हैं कि उन्हें प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त करने वाली पार्टी के माध्यम से ही ऐसे पाइपों का कारोबार करने के लिए धमकाया जा रहा है: और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां। कापीराईट अधिनियम, 1957 की धारा-45 के अनुसार कापीराईट कार्यालय द्वारा शुरू की गई कापीराईट के पंजीकरण की प्रक्रिया में आवेदक द्वारा विहित तरीके से यथाप्रेषित कार्य के ब्यौरे की कापीराईट के रजिस्टर में प्रविष्टि किया जाना अपेक्षित होता है।

(ख) जी, नहीं। कापीराईट अधिनियम, 1957 अथवा कापीराईट नियम, 1958 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां। तथापि, कापीराईट कार्यालय ऐसी किसी भी शिकायत पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शहरी विकास योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन

2359. श्री पंकज चौधरी:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को विभिन्न शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत अब तक वर्षवार और योजनावार कितनी धनराशि आबंटित की गयी और जारी की गयी;

(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत वर्षवार योजनावार और जिलावार कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कौन-कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की गयीं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) इस मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रवर्तित स्कीमों यथा छोटे तथा मझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.), त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) तथा चुनिन्दा एयरफील्ड कस्बों में ठोस कचरा प्रबंधन व जल निकासी की केन्द्रीय सेक्टर की स्कीम के अंतर्गत आवंटित और जारी राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी विकास स्कीमों के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को आवंटित और जारी केन्द्रीय राशि का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

छोटे तथा मझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.)	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
नियतन	13.01	12.36	23.14	11.54
जारी	8.1344	8.6737	15.9405	2.6627 (31-7-05 तक)

त्वरित शहरी जल अपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.)	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
नियतन	26.5881	30.4888	32.5959	4.2466
जारी	24.2609	27.1048	16.6493	शून्य (31-7-05 तक)

चुनिन्दा एयरफील्ड कस्बों में ठोस कचरा प्रबंधन और जल निकासी	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
नियतन	इस स्कीम में कोई राज्यवार नियतन नहीं किया जाता। तथापि, 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान इस मंत्रालय के बजट में क्रमशः 5.0 करोड़ रु. 5.0 करोड़ रु. 40.0 करोड़ रु. तथा 55.0 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे।			
जारी	शून्य	शून्य	4.0	शून्य (31-7-05 तक)

[अनुवाद]

चाय कामगारों का कल्याण

2360. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम मेडिकल कालेज के मेडिकोज द्वारा कराये गये विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रायोजित अध्ययन ने यह बात उजागर की है कि चाय कामगारों में हृदय रोग संबंधी बीमारियां लगने की बहुत अधिक संभावना बनी रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चाय कामगारों को उद्योग के खतरों के प्रति समुचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय औद्योगिक जनसंख्या में सी.वी.डी. (हृदय संवहनी रोग) के लिए सेन्टिनल निगरानी प्रणाली की स्थापना के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा प्रायोजित एक अनुसंधान अध्ययन असम चिकित्सा महाविद्यालय, डिब्रूगढ़, जो असम राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है, द्वारा किया जा रहा है। यह ज्ञात हुआ है कि यह अध्ययन सादृच्छिक आधार पर चुने गए डिब्रूगढ़ जिले के दो चाय बागानों के 20 - 69 वर्ष की आयु के चाय श्रमिकों पर किया जा रहा है। अध्ययन का पूरा विवरण उसके पूरा होने के बाद ही उपलब्ध होगा। बागान श्रमिक अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत चाय बागान श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय किए जाते हैं।

'नेशनल अलायन्स मिशन-2007'

2361. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में छह लाख ग्राम ज्ञान केंद्रों को जोड़ने हेतु परिकल्पित 'नेशनल अलायन्स मिशन 2007' सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पंचायती राज और नगरपालिका प्रणाली के माध्यम से इस मिशन के कार्यान्वयन पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

छात्रों हेतु मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

2362. श्री ब्रजेश पाठक:

श्री जी.वी. हर्ष कुमार:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को दी जा रही छात्रवृत्ति की राशि को मूल्य सूचकांक से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार इस संबंध में सामाजिक संगठनों/जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातीय छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलाता है। छात्रवृत्ति को मूल्य सूचकांक से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस छात्रवृत्ति योजना की पात्रता के लिए माता-पिता के आय-स्तर को मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

2363. श्री हेमलाल मुर्मू:

श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार विशेषकर दिल्ली में केन्द्रीय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के छात्रों और छात्राओं के लिए विभिन्न राज्यों में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने छात्रावास बनाए गए हैं; और

(ख) आज की स्थिति के अनुसार इन छात्रावासों से अनुसूचित जनजातियों के कितने छात्रों और छात्राओं को लाभ प्राप्त हुआ है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 से लेकर आज तक दिल्ली सहित सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय प्रायोजित छात्रावास योजना के तहत लड़कों और लड़कियों के लिए स्वीकृत छात्रावासों तथा उनमें सीटों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

लड़कों के छात्रावास

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	छात्रावासों की संख्या	सीटों की संख्या
1	2	3	5
1.	आंध्र प्रदेश	58	5970
2.	असम	126	717
3.	गुजरात	39	1421
4.	हिमाचल प्रदेश	6	600
5.	दमन व दीव	1	50
6.	दादरा व नगर हवेली	5	440
7.	केरल	21	1220
8.	मध्य प्रदेश	144	7220
9.	मणिपुर	9	350
10.	मेघालय	33	760
11.	उड़ीसा	62	1806
12.	राजस्थान	118	4700
13.	तमिलनाडु	7	395
14.	त्रिपुरा	25	1300
15.	उत्तर प्रदेश	8	300

1	2	3	5
16.	पश्चिम बंगाल	16	1160
17.	जम्मू-कश्मीर	7	348
18.	कर्नाटक	29	1450
19.	महाराष्ट्र	23	1700
20.	बिहार	3	150
21.	नागालैंड	3	300
22.	जे.एन.यू./आई.आई.टी., दिल्ली	2	480
23.	झारखंड	25	2450
24.	अरुणाचल प्रदेश	4	140

लड़कियों के छात्रावास

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	छात्रावासों की संख्या	सीटों की संख्या
1	2	3	5
1.	आंध्र प्रदेश	111	15736
2.	असम	91	547
3.	गुजरात	32	1481
4.	हिमाचल प्रदेश	7	545
5.	दमन व दीव	3	170
6.	दादरा व नगर हवेली	5	444
7.	केरल	18	1050
8.	मध्य प्रदेश	92	4686
9.	मणिपुर	6	240
10.	मेघालय	33	760
11.	उड़ीसा	91	2850
12.	राजस्थान	61	800
13.	तमिलनाडु	8	594
14.	त्रिपुरा	12	700
15.	उत्तर प्रदेश	4	150
16.	पश्चिम बंगाल	11	652
17.	जम्मू-कश्मीर	2	98
18.	कर्नाटक	11	572
19.	महाराष्ट्र	9	755
20.	बिहार	3	150
21.	नागालैंड	3	300
22.	जे.एन.यू./दिल्ली	1	100
23.	झारखंड	25	2450
24.	अरुणाचल प्रदेश	2	80
25.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	1	50
26.	छत्तीसगढ़	1	50
	कुल	643	36,010

लघु और मझौले उद्योगों के लिए कार्य-योजना

2364. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लघु और मझौले उद्योगों के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय दिए जाने की संभावना है और इसके संभावित लाभ क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) से (ग) आज की स्थितिनुसार, मझौले उद्यम/

एकक की कोई परिभाषा नहीं है। तथापि, सरकार ने दिनांक 12 मई, 2005 को लोक सभा में "लघु और मझौले उद्यम विकास (एस.एम.ई.डी.) विधेयक, 2005" नामक एक विधेयक प्रस्तुत किया था। उक्त विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ गझौले विनिर्माणकारी उद्यम और मझौले सेवा उद्यम की परिभाषा दी गई है और इसमें लघु और मझौले उद्योगों के संवर्धन और विकास से संबंधित मुद्दों का भी विवरण है। इसके अतिरिक्त, लघु उद्यम क्षेत्र के संवर्धन से संबंधित एक पैकेज सरकार के विचाराधीन है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण सहायता, राजकोषीय प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकीय और विपणन सहायता, उद्यमिता विकास, अवसंरचनात्मक विकास, इत्यादि का प्रावधान है।

राजस्थान लघु उद्योग निगम को छूट

2365. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने सरकार से राजस्थान लघु उद्योग निगम से वसूली जा रही लागत में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने वित्त संत्रालय से राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. (आर.एस.आई.सी.) जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा तथा भिवाड़ी में इनलैंड कंटेनर डिपो (आई.सी.डी.) में तैनात कस्टम विभाग के वेतन के लागत वसूली प्रभारों से छूट दिये जाने का अनुरोध किया है।

(ग) विभिन्न इनलैंड कंटेनर डिपो (आई.सी.डी.) और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (सी.एफ.एस.) में विभिन्न लागत वसूली पदों के नियमितीकरण का मुद्दा राजस्व विभाग के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

कपास पर निर्यात राजसहायता

2366. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** 19-4-2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3826 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने अपने देश में घरेलू कपास किसानों को दी जाने वाली बड़ी निर्यात राजसहायता संबंधी विश्व व्यापार संगठन द्वारा नियुक्त विवाद समाधान निकाय (डी.एस.बी.) के निर्णय को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत ने विवाद में तीसरे पक्ष के रूप में इस निर्णय के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त अधिकारियों से कोई वार्ता की है; और

(ङ) यदि हां, तो भारत द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) इस विवाद में डब्ल्यू.टी.ओ. के विवाद निपटान निकाय (डी.एस.बी.) द्वारा 21 मार्च, 2005 को पैनल एवं अपीलीय निकाय की रिपोर्ट को पारित किया गया था। डी.एस.बी. ने यह पाया था कि अमरीका द्वारा कृषि करार (ए.ओ.ए.) तथा सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार (ए.एस.सी.एम.) के कुछेक उपबंधों का उल्लंघन किया गया है। उल्लंघनों में अमरीका द्वारा कुछेक निषिद्ध सब्सिडियों की मंजूरी भी शामिल थी। पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, अमरीका द्वारा 1 जुलाई, 2005 तक इन निषिद्ध सब्सिडियों को वापस लिया जाना था। वापस न लिए जाने की स्थिति में, ब्राजील ए.एस.सी.एम. के अनुच्छेद 4.10 के तहत प्रति-उपाय कर सकता है।

अमरीका ने 30 जून, 2005 को कमॉडिटी क्रेडिट कॉर्पोरेशन्स एक्सपोर्ट गारंटी प्रोग्राम (जी.एस.एम. 102), इंटरमीडिएट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम (जी.एस.एम. 103) एवं सप्लायर क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम (एस.सी.जी.पी.) में प्रशासनिक परिवर्तनों की घोषणा की है। अपलैंड कॉटन के निर्यातकों और अपलैंड कॉटन के घरेलू प्रयोक्ताओं हेतु प्रयोक्ता विपणन (स्टेप 2) कार्यक्रम के शीघ्रातिशीघ्र निरसन की दृष्टि से अमरीकी कांग्रेस को एक विधिक प्रस्ताव भी भेजा गया है।

अपने अधिकारों का संरक्षण करने हेतु ब्राजील ने दिनांक 5 जुलाई, 2005 को डी.एस.बी. को भेजे अपने पत्र में ए.एस.सी.एम. के अनुच्छेद 4.10 के अनुसरण में उचित प्रति उपाय करने हेतु प्राधिकार का अनुरोध किया है। अमरीका ने ब्राजील द्वारा प्रस्तावित प्रति उपायों के स्तर को चुनौती दी है। तथापि, अमरीकी सरकार द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा के मद्देनजर ब्राजील ने अमरीका के साथ एक द्विपक्षीय करार किया है जिसमें अमरीका द्वारा अपने उपायों को वास्तव में अधिसूचित

करने के बाद एक संभावित अनुपालन पैनल के गठन और यदि अनुपालन पैनल अमरीका के विरुद्ध निर्णय लेता है तो प्रति उपायों के स्तर को निर्धारित करने के लिए माध्यस्थम प्रक्रियाओं को पुन: प्रारंभ करने के क्रम का निर्धारण किया गया है।

ए.ओ.ए. तथा ए.एस.सी.एम. के तहत अन्य उल्लंघनों के संबंध में अमरीका को उपलब्ध उचित समयावधि का अब तक निर्धारण नहीं किया गया है। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि अगरीका कब तक डी.एस.बी. के निर्णय का पूर्णत: अनुपालन करेगा।

(घ) और (ङ) विवाद में एक तीसरे पक्षकार के रूप में भारत के पास डी.एस.बी. के निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं है। तथापि, भारत, डी.एस.बी. की सिफारिशों एवं निर्णयों के कार्यान्वयन के संदर्भ में अमरीका और ब्राजील के बीच घटनाक्रमों पर कड़ी निगरानी रखेगा।

"मिल गेट प्राइस स्कीम"

2367. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से कॅयर क्षेत्र को मिल गेट प्राइस स्कीम में शामिल करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार से एक अनुरोध जनवरी, 2005 में हैंडलूम वीवर्स के लिए "मिल गेट प्राइस स्कीम" जो कि विकास आयुक्त, हैंडलूम द्वारा प्रचलित की जाती है, में कॅयर सेक्टर को शामिल किए जाने के संबंध में प्राप्त हुआ था।

(ग) केरल सरकार को 13 मई, 2005 को सूचित कर दिया गया है कि कॅयर सेक्टर हैंडलूम सेक्टर से भिन्न है तथा इसलिए एम.जी.पी.एस. के तहत कॅयर फाईबर की आपूर्ति को शामिल करना संभव नहीं है।

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आपूर्ति किये गये पानी के नमूनों का परीक्षण

2368. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ अस्पतालों और औषधालयों में इस वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आपूर्ति किये गये पानी के बड़ी संख्या में नमूनों का परीक्षण किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह तथ्य है कि इस परीक्षण में 280 नमूने विफल रहे; और

(घ) सरकार द्वारा राजधानी को हैजा और जलजनित रोगों से बचाने के उद्देश्य से इस मामले में जिम्मेदारी तय करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.) ने यह सूचित किया है कि उसने मार्च, 2005 माह के दौरान विभिन्न अस्पतालों से जल के 36 नमूने लिए थे नामत: हिन्दु राव अस्पताल, लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल, आई.डी. अस्पताल किंगस्वे कैम्प, स्वरूप नगर अस्पताल, परमानंद अस्पताल सिविल लाइन, तीरथराम अस्पताल, माया मुन्नी राम जैन अस्पताल, पीतमपुरा, ए.आई.आई.एम.एस. और मंगलापुरी औषधालय। इनमें से 12 नमूने मार्च, 2005 माह के अंतिम सप्ताह में लिए गए थे। जल के सभी नमूनों को मानवीय उपभोग हेतु उपयुक्त पाया गया था।

(ग) और (घ) दिल्ली जल बोर्ड ने यह भी सूचित किया है कि उसने मार्च, 2005 माह में समग्र दिल्ली के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, व्यक्तिगत घरों, व्यक्तियों के खड़े होने वाले स्थानों, शिकायत घरों आदि से जल के 9825 नमूने लिए थे। जल के 276 नमूने मानवीय उपभोग के उपयुक्त नहीं पाए गए थे। ये व्यक्तिगत सर्विस कनेक्शनों में रिसाव होने, गैर-आपूर्ति के समय ऑन लाइन बूस्टरों का उपयोग करने, सीवर के अधिक भर जाने आदि के कारण थे। दिल्ली जल बोर्ड ने इनकी तुरन्त मरम्मत कर दी थी।

नारियल तेल का आयात

2389. डा. के.एस. मनोज: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उक्त अवधि के दौरान नारियल तेल का कितना उत्पादन/खपत हुई;

(ख) क्या नारियल तेल की मांग और आपूर्ति में अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इस तेल की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान नारियल तेल का आयात किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने नारियल तेल के मूल्यों में गिरावट और इसके निर्यात के परिणामस्वरूप इस उद्योग के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों में देश में नारियल तेल का उत्पादन निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)
2002-03	4.00
2003-04	3.99 (अनंतिम)
2004-05	3.87 अनंतिम

खपत के लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, आम तौर पर समग्र उत्पादन का उपभोग घरेलू रूप से हो जाता है।

(ख) और (ग) नारियल तेल की मांग में मौसम की अपेक्षाओं के अनुसार काफी परिवर्तन होता है। नारियल तेल के लिए सर्वाधिक मांग आम तौर पर त्यौहारों के समय होती है। जब भी नारियल तेल की कीमत एक खास स्तर से अधिक हो जाती है तो, उपभोक्ता अन्य सस्ते प्रतिस्थापक तेलों को वरीयता देते हैं। जब नारियल तेल की कीमत उचित स्तर पर रहती है तो मांग और आपूर्ति एक समान बने रहते हैं और जितना भी उत्पादन होता है उसकी घरेलू बाजार में ही खपत हो जाती है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नारियल तेल के आयात के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

	2002-03		2003-04		2004-05 (फरवरी तक)	
देश	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रुपए)	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रुपए)	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रुपए)
नेपाल	60	23.53	शून्य	शून्य	235	108.15
इंडोनेशिया	27739	5621.51	8925	1928.48	9583	2861.21
मलेशिया	2585	576.56	4237	928.41	2603	884.75
जर्मनी	32	14.75	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अमरीका	0	0.07	0	0.02	शून्य	शून्य
बहरीन	शून्य	शून्य	5	4.11	शून्य	शून्य
जापान	शून्य	शून्य	1	0.19	शून्य	शून्य
पोलैंड	शून्य	शून्य	0	0.09	शून्य	शून्य
सिंगापुर	शून्य	शून्य	19	5.86	33	8.20
थाईलैंड	शून्य	शून्य	515	90.39	3	1.14
संयुक्त अरब अमीरात	शून्य	शून्य	58	21.65	शून्य	शून्य
फिलीपीन्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	34	13.03
कुल	30416	6236.42	13760	2979.2	12491	3876.48

(च) जब भी कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमत (एम.एस.पी.) से कम होती हैं तो भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) से किसानों को लाभकारी कीमत प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तदनुसार, कृषि लागत एवं कीमत आयोग (सी.ए.सी.पी.) द्वारा राज्य सरकार, सी.पी.सी.आर.आई., नैफेड, सी.डी.बी. आदि के परामर्श से प्रति वर्ष कोपरे के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश की जाती है। अधिक मांग उत्पन्न करने के लिए नारियल विकास बोर्ड द्वारा मारियल एवं नारियल उत्पादों का व्यापक प्रचार किया जाता है। मारियल उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए बोर्ड द्वारा उत्पाद विविधीकरण और नए उत्पादों के विकास के लिए भी सहायता की जाती है।

नारियल तेल को संवेदनशील मदों में शामिल किया गया है और आयातों में किसी अधिक वृद्धि के लिए उस पर निगरानी रखी जा रही है। सरकार टैरिफ तथा अन्य उपायों के जरिए यह सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है कि आयातों से घरेलू कृषकों/उद्योग को कोई क्षति न हो।

बच्चों का पुनर्वास

2370. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सुनामी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कोई शैक्षिक योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के लिए कितनी वित्तीय सहायता आबंटित की गयी और जारी की गयी;

(घ) प्रशासन द्वारा धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस धनराशि के उपयोग की उचित निगरानी के लिए क्या उपाय किये गये/किये जा रहे है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) सरकार अनाथ हुए बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है और उन्हें या तो तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि व्यस्क होने के पश्चात् वे स्व-रोजगार सृजित कर सके या उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। केरल राज्य सरकार ने संस्था के बच्चों के शिक्षा व्यय को प्रायोजित करने के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की है। 6-14 और 14-18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैकल्पिक स्कूल सुविधा, पठन और पाठन सामग्री, और वर्दी प्रदान की जा रही है। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने बोर्ड परीक्षा देने वाले ऐसे बच्चों का अभिनिर्धारण किया है जिन्हें अतिरिक्त कोचिंग की आवश्यकता है। दूरस्थ क्षेत्रों के कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे बच्चों को पोर्ट ब्लेयर के राजकीय छात्रावास में भेज दिया गया है। पांडिचेरी के 32 अनाथ बच्चों को स्कूल शिक्षा जारी रखने हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए 5400/- रु. प्रति बच्चे की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

[हिन्दी]

एन.डी.एम.सी. की बकाया राशि

2371. मो. मुकीम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड के डाक स्कंध की विभिन्न कालोनियों जैसे काली बाड़ी रोड, उद्यान रोड और अतूल ग्रोव रोड, पोस्टल कालोनी, सरोजिनी नगर के विरुद्ध नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) की बिजली और जल के संदर्भ में कितनी राशि बकाया है;

(ख) नगरपालिका परिषद द्वारा बिजली और जल की बकाया राशि की वसूली हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद बिजली और जल की बकाया राशि की वसूली कब और किस तरह करेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) बिजली/जल प्रभारों के संदर्भ में जुलाई, 2005 के बिलिंग चक्र तक भारत संचार निगम लिमिटेड के डाक स्कंध की विभिन्न कालोनियों जैसे कालीबाड़ी मार्ग, उद्यान रोड और अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) की 1,23,11,931/- रु. की राशि बकाया है। पोस्टल कालोनी, सरोजिनी नगर के संदर्भ में कोई राशि बकाया नहीं है।

(ख) जिन कालोनियों पर राशि बकाया है उनके संदर्भ में बिजली/जल कनैक्शन काटने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने भारत संचार निगम लिमिटेड को 12-1-2004, 12-2-2004, 8-3-2004, 19-4-2004 तथा 3-5-2004 को पत्र/कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड ने 8-4-2005 को 42,26,741/- रुपए की राशि जमा की है तथा इन कालोनियों में बिजली/जल आपूर्ति बहाल कर दी गई है। मई, 2005 के

बिलिंग चक्र तक 1,18,44,249/-रु. की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 6-6-2005 को एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, भुगतान न किए जाने की स्थिति में आपूर्ति दुबारा काट दी जाएगी। तथापि, आज तक कोई और भुगतान नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

पिछड़े/अति पिछड़े क्षेत्रों की घोषणा

2372. श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने हेतु क्या मानदंड निर्धारित हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद राज्यवार कौन-कौन से क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र के रूप में घोषित किए गए;

(ग) क्या गुलबर्ग सहित हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र देश का अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 371 के विशेष प्रावधान के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु आन्दोलन कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) देश के विभिन्न क्षेत्रों को पिछड़ा/अत्यधिक पिछड़ा घोषित करने की कोई प्रणाली नहीं है। तथापि, दसवीं योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय सम विकास योजना की पिछड़े जिलों के लिए पहल में, अन्य बातों के साथ-साथ, 115 पिछड़े जिले कवर किए गए हैं जिनकी राज्यवार सूची संलग्न विवरण में है। 115 पिछड़े जिलों में से, 20 जिले जनसंख्या के आधार पर विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को आबंटित किए गए हैं। असम को छोड़कर, इन राज्यों में पिछड़े जिलों को राज्य सरकारों के परामर्श से इस कार्यक्रम के अधीन शामिल किया है। प्रति कृषि मजदूर उत्पादन के मूल्य, कृषि मजदूरी दर और जिलों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत को समान महत्व देकर तैयार किए गए सूचकांक के आधार पर निर्धारित गरीबी की घटना के आधार पर 9 जिलों को गैर-विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त राज्यों को आबंटित किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को सूचित किया था कि आन्ध्र प्रदेश के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 घ के उपबंधों की तर्ज पर, हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र सहित कर्नाटक में रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में, प्रवेश में क्षेत्र-वार आरक्षण प्रदान करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 को संशोधित करने के संबंध में राज्य सरकार का प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया है। कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से इस मामले में अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करने का आग्रह किया है। अभी तक, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

पिछड़े जिलों की सूची

1. आन्ध्र प्रदेश

1. अदिलाबाद 2.वारंगल 3. चितूर 4. महबूत नगर 5. विजयनग्राम

2. बिहार

1. वैशाली 2. समस्तीपुर 3. शिवहर 4. जमुई 5. नवादा 6. अररिया 7. दरभंगा 8. पूर्णिया 9. मधुबनी 10. सुपोल 11. मुजफ्फरपुर 12. कटिहार 13. लखीसराय

3. छत्तीसगढ़

1. बस्तर, 2. दांतेवाडा 3. कांकेर 4. बिलासपुर

4. गुजरात

1. डांग 2. दोहद 3. पंचमहल

5. हरियाणा

1. सिरसा

6. झारखंड

1. लोहरदग्गा 2. गुमला 3. सिमडेगा 4. सरायकेला 5. सिंहभूम पश्चिम 6. गोडा

7. कर्नाटक

1. गुलबर्गा 2. बिदर 3. चितरदुर्ग 4. दवनगेरे

8. केरल

1. पलक्काड 2. व्यानाड

9. मध्य प्रदेश

1. मांडला 2. बरवानी 3. पश्चिमी नीमर 4. सियोनी 5. शाहदोल 6. उमरीया 7. बालाघाट 8. सतना 9. सिंधी

10. महाराष्ट्र

1. गढ़िचरौली 2. भंडारा 3. गोडिया 4. चंद्रपुर 5. हिंगोली 6. नांदेड़ 7. धुले 8. नंदुरबार 9. अहमदनगर

11. उड़ीसा

1. क्योंझर 2. सुंदरगढ़

12. पंजाब

1. होशियारपुर

13. राजस्थान

1. बांसवाड़ा 2. डुंगरपुर 3. झालवाड़

14. तमिलनाडु

1. तिरुवनमलैइ 2. डिंडीगुल 3. कड्डालोर 4. नागपट्टनम 5. शिवगंगैई

15. उत्तर प्रदेश

1. सोनभर्द 2. रायबरेली 3. ऊनाव 4. सीतापुर 5. हरदोई 6. बांदा 7. चित्रकुट 8. फतेहपुर 9. बाराबांकी 10. मिर्जापुर 11. गोरखपुर 12. कुशीनगर 13. ललितपुर 14. जौनपुर 15. हमीरपुर 16. जालौन 17. महोबा 18. कौशाम्बी 19. आजमगढ़ 20. प्रतापगढ़

16. पश्चिम बंगाल

1. पुरुलिया 2. 24 दक्षिण परगना 3. जलपाईगुड्डी, 4. मीदनापुर पश्चिम 5. दक्षिण दीनाजपुर 6. बाकूंरा 7. उत्तरी दीनाजपुर 8. बीरभूम

17. असम

1. कोंकराझार 2. उत्तरी लखीमपुर 3. कर्बी अंगलोंग 4. धेमाजी 5. नार्थ कछार हिल्स

18. अरुणाचल प्रदेश

1. अपर सुबनसीरी

19. हिमाचल प्रदेश

1. चम्बा 2. सिरमौर

20. जम्मू और कश्मीर

1. डोडा 2. कुपवाड़ा 3. पुंछ

21. मणिपुर

1. तेमंगलोंग

22. मेघालय

1. वेस्ट गारो हिल्स

23. मिजोरम

1. लवंगतलेई

24. नागालैंड

1. मोन

25. सिकिक्म

1. सिक्किम

26. त्रिपुरा

1. धालाई

27. उत्तरांचल

1. चम्पावत 2. टिहरी गढ़वाल 3. चमोली

[हिन्दी]

आदिम जनजाति

2373. श्री महावीर भगोरा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में रह रहे आदिम जनजातियों संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या सरकार विभिन्न राज्यों से वहां मौजूद आदिम जनजातियों की घोषणा अनुसूचित जनजाति के रूप में किए जाने हेतु उनसे प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या राजस्थान की "कथौड़ी" जाति को अनुसूचित जनजाति (आदिम जनजाति) के रूप में घोषित करने संबंधी राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) आदिम जनजातीय समूहों के नाम

और उनकी आबादी का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार की नीति इन आदिम जनजातीय समूहों को विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से अन्य जनजातियों के समकक्ष लाने की रही है।

(ख) और (ग) सभी आदिम जनजातीय समूह पहले से ही अनुसूचित जनजातियां हैं।

(घ) और (ङ) "कथौड़ी" जनजाति को आदिम जनजाति घोषित करने के राजस्थान राज्य सरकार के प्रस्ताव पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान सरकार को सरकार के इस निर्णय से सूचित कर दिया गया है कि कथौड़ी जनजाति आदिम जनजातीय समूह के रूप में घोषित होने के मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

विवरण

भारत में आदिम जनजातीय समूहों की 1961 से 1991 तक जनसंख्या

(वास्तविक आंकड़े)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आदिम जनजाति समूह का नाम		जनसंख्या			
			1961	1971	1981	1991
1		2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	1.	चेचूं	17609	24178	28434	40869
	2.	बोडो गाडाबा	21840	25108	27732	33127
	3.	गुटोब गाडाबा				
	4.	डोंगरिया खोण्ड	21754	34382	39408	66629
	5.	कुलतिया खोण्ड				
	6.	कोलाम	16731	26498	21842	41254
	7.	कोण्डा रेड्डी	35439	42777	54685	76391
	8.	कोण्डासवारा		28189		
	9.	बोण्डो पोरजा				
	10.	खोण्ड पोरजा	9350	12347	16479	24154
	11.	पारेंगी पोरजा				
	12.	थोटी	546	1785	1388	3854
		योग	123269	195264	189968	286078
बिहार (झारखण्ड सहित)	13.	असुर	5819	7026	7783	9623
	14.	बिरहोर	2438	3461	4377	8083
	15.	बिरजिया	4029	3628	4057	6191

1	2		3	4	5	6
	16.	हिल खारिया	108983	127002	141771	151634
	17.	कोरवा	21162	18717	219940	24871
	18.	मल पहारिया	45423	48636	79322	86790
	19.	परहइया	12268	14651	24012	30421
	20.	सौरिया पहारिया	55605	59047	39269	48761
	21.	सावर	1561	3548	3014	4264
		योग	257289	285719	325545	370638
गुजरात	22.	कोलघा	–	29464	62232	82679
	23.	काथोडी	–	2939	2546	4773
	24.	कोतवालिया	–	12902	17759	19569
	25.	पधार	–	4758	10587	15896
	26.	सिद्दी	–	4482	5429	6336
		योग	–	54545	98553	129253
कर्नाटक	27.	जेनू कुरूबा	3623	6656	34747	29371
	28.	कोरागा	6382	7620	15146	16322
		योग	1005	14276	49893	45693
केरल	29.	चोलानाइकान	–	306	234	–
	30.	कदार	–	1120	1503	2021
	31.	कट्टूनायकन	–	5565	8803	12155
	32.	कोरागा	–	1200	1098	1651
	33.	कुरूम्बा	–	1319	1283	1820
		योग	–	9510	12921	17647
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	34.	अबूझ मारिया	1115	13000	15500	–
	35.	बैगा	–	6194	248949	317549
	36.	भारिया	–	1589	1614	–

1		2	3	4	5	6
	37.	बिरहोर	513	738	561	2206
	38.	हिल कोरबा	23605	67000	19041	–
	39.	कमार	–	13600	17517	20565
	40.	सहरिया	174320	207174	281816	332748
		योग	209551	309295	564998	673068
महाराष्ट्र	41.	कथारी/कथोड़ी	–	146785	174602	202203
	42.	कोलाम	–	56061	118073	147843
	43.	मारिआ गोण्ड	–	53400	66750	–
		योग	–	256246	359425	350046
मणिपुर	44.	मारम नागा	–	5123	6544	9592
उड़ीसा	45.	चुकतिया भूंजिया	–	–	–	–
	46.	बिरहोर	–	248	142	825
	47.	बोनाडो	–	3870	5895	7315
	48.	डिडाई	–	3055	1978	5471
	49.	डोंगरिया खोण्ड	–	2676	6067	–
	50.	जुआंग	–	3181	30876	35665
	51.	खारिया	–	1259	1259	–
	52.	कुटिया खोण्ड	–	3016	4735	–
	53.	लानजिया सावर	–	4233	8421	–
	54.	लोधा	–	1598	5100	7458
	55.	मनकिरडिया	–	133	1005	7491
	56.	पौड़ी भूयान	–	4424	8872	–
	57.	साउरा	–	2845	2817	–
		योग	–	30528	77267	58225

1	2		3	4	5	6
राजस्थान	58.	सहरिया	23125	26796	40945	59810
तमिलनाडु	59.	इरूलर	79835	89025	105757	138827
	60.	कट्टूनायकन	6459	5042	26383	42761
	61.	कोटा	833	1188	604	752
	62.	कोरूम्बा	1174	2754	4354	4768
	63.	पानियान	4779	6093	6393	7124
	64.	टोडा	714	930	875	1100
		योग	93794	105032	144366	195332
त्रिपुरा	65.	रियांग	56579	64722	84004	111606
उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	66.	बुकसा	–	–	31807	34621
	67.	राजी	–	–	1087	1728
		योग	–	–	32894	36349
पश्चिम बंगाल	68.	बिरहोर	–	–	658	855
	69.	लोधा	–	45906	53718	68095
	70.	टोटो	–	–	675	–
		योग	–	45906	55051	68950
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	71.	ग्रेट अण्डमानीज	–	–	42	32
	72.	जरावा	–	–	31	89
	73.	ओन्गे	–	–	97	101
	74.	सेंटेनलेस्ट	–	–	–	24
	75.	शोम पेन	71	212	223	131
		योग	71	212	393	377
अखिल भारत		कुल योग	773704	1403174	2042767	2412684

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों का स्थानान्तरण

2374. श्री सुकदेव पासवान:

श्री राम कृपाल यादव:

श्री दरोगा प्रसाद सरोज:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्थानान्तरण मार्ग निर्देश, 2000 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) शिक्षक स्थानान्तरित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो स्थानान्तरण मार्ग निर्देश, 2000 और स्थानान्तरित शिक्षकों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक या तो सेवा से बर्खास्त कर दिए गए या इस्तीफा देने के लिए बाध्य किए गए क्योंकि उन शिक्षकों ने स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन नहीं किया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार उन सभी शिक्षकों को पुन: बहाल करने पर विचार कर रही है जिन्हें स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन करने पर या तो बर्खास्त कर दिया गया था या इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया था; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे शिक्षकों की पुन: बहाली पर विचार न किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वर्ष 2000 की 'स्थानांतरण नीति' के तहत संगठन की आवश्यकताओं, प्रशासनिक आवश्यकताओं तथा किसी कर्मचारी के अनुरोध को ध्यान में रखकर दो प्राथमिकता सूचियां तैयार की गई थीं। जहां रिक्तियां उपलब्ध नहीं थीं उस स्थान पर अधिकतम समय से कार्यरत शिक्षक को स्थानांतरित किया गया था।

वर्ष 2000 की स्थानांतरण नीति के अनुसरण में किए गए स्थानांतरणों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	स्थानांतरणों की संख्या (अनुरोध पर)	स्थानों की संख्या (विस्थापन करके)	कुल
2000-01	2141	981	3122
2001-02	1814	1249	3063
2002-03	2438	1745	4183
2003-04	5087	2012	7099

(ग) और (घ) जी हां। वे शिक्षक जो स्थानांतरण के बाद बिना अवकाश संस्वीकृत कराए 15 दिन से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहे, उन्हें केन्द्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षा संहिता की धारा 81 (घ)(3) के तहत 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए गए थे और उन्हें अपनी अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने का अवसर भी दिया गया था। जब कोई भी उत्तर नहीं मिला अथवा असंतोषजनक उत्तर प्राप्त हुए, तब सक्षम प्राधिकारी ने ऐसे व्यक्तियों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सेवाओं से हटाने का आदेश जारी किया।

(ङ) और (च) स्थानांतरण नीति, 2000 के परिणामस्वरूप शिक्षकों के इस्तीफों और उन्हें हटाने की परिस्थितियों की जांच के लिए तथा गुण-दोष के आधार पर उनकी बहाली की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की गई। 234 शिक्षकों को बहाल करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। कुल 1036 अपीलों में से 577 शिक्षकों की अपीलों को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वे समिति के प्रावधानों के क्षेत्राधिकार में नहीं आती थी।

दियासलाई उद्योग

2375. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दियासलाई उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है;

(ग) क्या विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु उद्योग को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने अति लघु और लघु दियासलाई उद्योगों की समस्याओं के अध्ययन के लिए 1998 और 2001 में दो समितियों का गठन किया।

(ग) और (घ) घरेलू लघु तथा अति लघु निर्माताओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए निर्यात-आयात नीति में दियासलाई का आयात प्रतिबन्धित किया गया है। इसके अलावा, दियासलाई उद्योग सहित अति लघु तथा लघु उद्योगों के संवर्धन तथा प्रगति के लिए, सरकार क्रेडिट, प्रौद्योगिकीय, विपणन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई योजनाओं तथा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है

[हिन्दी]

भारत-अमरीका दवा व्यापार

2376. श्री अजीत कुमार सिंह:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अमरीका को दवाओं का निर्यात करने के प्रस्ताव पर विचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई वार्ता हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका को दवाईयों का निर्यात किया जा रहा है और वर्ष 2003-04 के दौरान भेषजीय उत्पादों के निर्यात 230 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक थे।

(ग) और (घ) व्यापार संवर्धन हेतु दोनों देशों के बीच वार्ताएं करते रहना एक दीर्घकालिक और सतत् प्रयास है। विभिन्न व्यापार संवर्धन उपायों के ज़रिए व्यापार का विस्तार और विविधीकरण करने के लिए विभिन्न स्तरों पर परस्पर नियमित बातचीत की जाती है।

[अनुवाद]

एड्स नियंत्रण कृतिक बल

2377. श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री पंकज चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अर्द्ध सैनिक बलों में एच.आई.वी./एड्स से निपटने हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अधीन कोई कृतिक बल गठित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के साथ एक कार्य बल गठित करने का निर्णय लिया है। यह कार्य बल, केन्द्रीय पुलिस बलों के कार्मिकों के बीच एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण रणनीति तैयार करेगा और अधिक जोखिम वाले ग्रुपों के बीच एच.आई.वी./एड्स के निवारण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समलैंगिकता तथा नशीली दवाओं का सेवन करने वालों से संबंधित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करेगा।

[अनुवाद]

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों में रोजगार

2378. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री रामजी लाल सुमन:
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों में रोजगार सृजित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना अवधि के दौरान उन बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें लघु उद्योगों में रोजगार मिला है;

(घ) निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 44 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) दसवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों, अर्थात् 2002-03 से 2004-05 के दौरान 33.82 लाख बेरोजगार व्यक्तियों को लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार मिलने का अनुमान है। उपलब्धि लक्ष्य से अधिक है।

(ङ) सरकार न केवल उद्यमिता के संवर्धन और विकास के लिए बल्कि लघु उद्योगों की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से उनकी सहायता के लिए नई योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है।

[अनुवाद]

भारत-चीन व्यापार

2379. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004 के दौरान भारत-चीन व्यापार में वृद्धि का मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई है और आगामी वर्षों में कितनी वृद्धि होने की आशा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान भारत-चीन व्यापार में हुई वृद्धि निम्नानुसार है;-

(मिलियन अमरीकी डालर)

	2003-04	2004-05 (अ)
निर्यात % वृद्धि	2955.10	4586.28
		+55.20
आयात % वृद्धि	4053.23	6746.66
		+66.45
व्यापार मात्रा % वृद्धि	7008.33	11332.94
		+61.70

(स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस. (अ) - अनंतिम)

(ग) चीन को निर्यात की मुख्य मदें जिनमें वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान वृद्धि दर्ज की गयी है, लौह-अयस्क, प्रसंस्कृत खनिज, अकार्बनिक/कार्बनिक/कृषि रसायन एवं संबद्ध उत्पाद, एरण्ड का तेल, तेल खाद्य, लोह-मिश्र धातु आदि हैं। चीन से आयात की मुख्य मदें जिनमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान वृद्धि दर्ज की गई है, धातुवीय कोक, मशीनें, लोहा और इस्पात, परिवहन उपकरण आदि हैं। अप्रैल, 2005 में चीन जनवादी गणराज्य की राज्य परिषद के प्रधान की भारत यात्रा के दौरान दोनों देश वर्ष 2008 तक द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा को बढ़ाकर 20 बिलियन अमरीकी डालर या इससे अधिक करने हेतु संयुक्त प्रयास करने के लिए सहमत हुए थे।

[हिन्दी]

पालिटेक्नीक संस्थानों का उन्नयन

2380. श्रीमती नीता पटैरिया:

श्री सुरेश चन्देल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक की सहायता से राज्य-वार कितनी सरकारी/अर्द्ध सरकारी पालिटेक्नीक संस्थानों को आधुनिकीकृत किया गया;

(ख) विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता राशि प्रदान की गई और उसमें से कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) विश्व बैंक की सहायता से कितने शैक्षिक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए/किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पालिटेक्नीक पाठ्यक्रमों की समानता के अभाव वाले पालिटेक्नीक संस्थानों को भी मान्यता दे रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या परिषद पालिटेक्नीक के पाठ्यक्रमों, परीक्षा प्रक्रिया आदि में परिवर्तन कर सकती है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या उत्तर प्रदेश में पालिटेक्नीक में हिन्दी और अंग्रेजी के थपरी प्रश्नपत्रों, आशुलिपिक एवं टंकन के प्रश्नपत्रों को बंद कर दिया है; और

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) विश्व बैंक की सहायता से तकनीशियन शिक्षा परियोजना-I (तकनीशियन शिक्षा-I और तकनीशियन शिक्षा परियोनजा-II (तकनीशियन शिक्षा-II) के तहत 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 532 सरकारी/अर्द्धसरकारी पालिटेक्निकों का आधुनिकीकरण किया गया था। पालिटेक्निकों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विश्व बैंक द्वारा तकनीशियन शिक्षा-I और तकनीशियन शिक्षा-II के तहत 1645 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध करायी गई थी और इस सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया गया था।

विश्व बैंक की सहायता से शैक्षिक केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं।

(घ) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सरकारी/अर्द्धसरकारी पालिटेक्निकों का राज्यवार ब्यौरा

I. तकनीशियन शिक्षा परियोजना-I (तकनीशियन शिक्षा-I)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	पालिटेक्निकों की संख्या
1.	बिहार	25
2.	गोवा	4
3.	गुजरात	22
4.	कर्नाटक	39
5.	केरल	30
6.	मध्य प्रदेश	40
7.	उड़ीसा	13
8.	राजस्थान	21
9.	उत्तर प्रदेश	86
	कुल	280

II. तकनीशियन शिक्षा परियोजना-II (तकनीशियन शिक्षा-II)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	पालिटेक्निकों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	59
2.	असम	9
3.	हरियाणा	16
4.	हिमाचल प्रदेश	5
5.	महाराष्ट्र	50
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	9
7.	पाण्डिचेरी	3
8.	पंजाब	17
9.	तमिलनाडु	52
10.	पश्चिम बंगाल	32
	कुल	252

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भूमि की खरीद

2381. श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
श्री समिक लाहिरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा खरीदी गई भूमि तथा भूमि-खरीद में हुई अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा खरीदी गई भूमि की कोई जांच शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जांच के क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो भूमि की अवैध खरीद को रद्द करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) जी, हां। जमीन खरीद से संबंधित कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं और उनकी विस्तृत जांच की जा रही है।

(ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को जमीन की अवैध खरीद को रद्द करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

एस.टी.सी. द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

2382. **श्री सनत कुमार मंडल**: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को उसके विविधीकरण की योजना के अंतर्गत फास्टमूविंग कंज्यूमर गुड्स के आयात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एस.टी.सी. द्वारा बनाई गई अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. (एस.टी.सी.) को इसके ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के अंतर्गत समय-समय पर कंपनी द्वारा यथानिर्धारित पण्य वस्तुओं, वस्तुओं और सभी प्रकार के समान का व्यापार करने तथा किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक और/अथवा वित्तीय व्यवसाय करने की अनुमति है। इसलिए एस.टी.सी. द्वारा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफ.एम.सी.जी.) के आयात के लिए किसी विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(ग) एस.टी.सी. ने बहुत सी नई पहलें की हैं और अनेक क्षेत्रों में विविधीकरण किया है जैसे पेट्रो रसायनों का निर्यात, अलौह धातुओं का आयात, खनन, तैयार माल का संयुक्त उत्पादन और वस्त्र जो कि सी.आई.एस. देशों में भेजे जाते हैं।

[हिन्दी]

सोया तेल का निर्यात

2383. **श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:**
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देश-वार कितनी मात्रा में सोया तेल का निर्यात किया गया है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) क्या चालू वर्ष में सोया तेल के निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सोया तेल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में निर्यातित सोया तेल की मात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (मी.टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
2001-02	3760	7.58
2002-03	13378	40.05
2003-04	2550	14.41
अप्रैल-04 से फरवरी, 05	3339	19.82

सोया तेल के निर्यात से संबंधित देश-वार आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एंड एस.) के प्रकाशन में उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सोया तेल सहित कृषि निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, संभावित क्रेताओं को आमंत्रित करना, गुणवत्ता और पैकेजिंग सुधार, उत्पादों के ब्रांड संवर्धन के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और बाजार सर्वेक्षण करना शामिल है। हाल में खाद्य ग्रेड हैक्सेन पर उत्पाद शुल्क 32 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया है जो तेल निकालने के लिए प्रयोग किया जाने वाले एक विलायक है।

[अनुवाद]

तकनीकी महाविद्यालयों में शैक्षिक और गैर-शैक्षिक स्टॉफ के रिक्त पद

2384. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तकनीकी/गैर तकनीकी महाविद्यालयों में तकनीकी/गैर तकनीकी स्टॉफ के अनेक पद बहुत लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं/कालेजों में अनेक पद रिक्त पड़े हैं। तथापि, इन संस्थाओं/कालेजों में रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी संबंधित संस्थाओं/कालेजों के प्रबंधन अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, की है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्

2385. श्री धर्मेन्द्र प्रधान: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) द्वारा अभी तक राज्यवार विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कितने संस्थानों और विश्वविद्यालयों को प्रत्यायित किया गया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में राज्यों के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रत्यायित संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक कुल 122 विश्वविद्यालय और 2486 कालेजों को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने प्रत्यायित किया है। प्रत्यायित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकारों के साथ सलाह करके राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है ताकि मूल्यांकन और प्रत्यायन कराने के लिए राज्यों की उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निधियन से 20 से अधिक राज्यों ने राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरैंस कॉरडीनेटिंग कमेटी और क्वालिटी एश्योरैंस सेल स्थापित किये हैं तथा मूल्यांकन और प्रत्यायन की प्रक्रिया में राज्यों की सहभागिता में वृद्धि हुई है।

(ङ) और (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार प्रत्यायित संस्थाओं को "उत्कृष्टता की क्षमता वाले कालेजों" की कतिपय स्कीमों के अन्तर्गत अन्य संस्थाओं की अपेक्षा प्राथमिकता दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रत्यायित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की राज्यवार सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विश्वविद्यालय	कॉलेज
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	12	66
अरुणाचल प्रदेश	01	–
असम	03	178
बिहार	02	19
चंडीगढ़	01	12
छत्तीसगढ़	02	19
गोवा	01	13
गुजरात	04	12
हरियाणा	03	149
हिमाचल प्रदेश	01	13
जम्मू-कश्मीर	02	17

1	2	3
झारखंड	01	14
कर्नाटक	08	415
केरल	04	113
मध्य प्रदेश	07	42
महाराष्ट्र	15	919
मणिपुर	01	01
मेघालय	01	05
मिजोरम	–	03
नागालैंड	01	02
नई दिल्ली	02	–
उड़ीसा	03	15
पांडिचेरी	01	04
पंजाब	03	73
राजस्थान	08	67
तमिलनाडु	12	178
त्रिपुरा	01	04
उत्तरांचल	04	24
उत्तर प्रदेश	11	34
पश्चिम बंगाल	07	75
योग	122	2486

सी.पी.डब्ल्यू.डी. का पुनर्गठन

2386. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
श्री रविप्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पुनर्गठन के संबंध में अध्ययन और सिफारिश हेतु एक निजी परामर्शदात्री एजेंसी आई.सी.आर.ए. को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसने क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सी.पी.डब्ल्यू.डी. का अधिकतर कार्य निजी ठेकेदारों को आबंटित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप नियमित कर्मचारी बेकार और अनुत्पादक बने रहते हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सी.पी.डब्ल्यू.डी. दिल्ली विकास प्राधिकरण, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इत्यादि को परामर्श देने और टर्नकी कार्य करने में सक्षम हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अभी तक इस संबंध में किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की गई हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की संरचना तथा कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के उद्देश्य से फरवरी, 2005 में मैसर्स आई.सी.आर.ए. मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज को एक प्रक्रिया सुधार अध्ययन सौंपा गया था ताकि इसके संसाधनों का ईष्टतम उपयोग हो सके, इसकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके और कुछेक प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए इसे ग्राहक संतुष्टि में सुधार करने योग्य बनाया जा सके। परामर्शदाताओं ने जुलाई, 2005 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। परामर्शदाताओं द्वारा की गई सिफारिशों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित तीन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है:-

(i) परियोजना प्रबंधन

(ii) रखरखाव प्रबंधन

(iii) नकदी लेन देन प्रबंधन

(ङ) और (च) वास्तुकीय, संरचनात्मक और सेवा नियोजन, निर्माण संबंधी पर्यवेक्षण तथा देश भर में फैले कार्यों/परिसंपत्तियों का दैनिक रखरखाव करने संबंधी तकरीबन सारे कार्य केन्द्रीय

लोक निर्माण विभाग के अपने कर्मचारियों द्वारा किये जाते हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की देखरेख में निर्माण कार्य निष्पादन तथा मरम्मत संबंधी बड़े कार्य कराने के लिए निजी ठेकेदार काम में लगाए जाते हैं। यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है कि निजी ठेकेदारों को कार्य सौंप देने से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियमित कर्मचारी बेकार हो जाते हैं।

(छ) और (ज) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग केन्द्र सरकार की प्रमुख निर्माण एजेंसी है और यह विभिन्न संगठनों को परामर्शी और टर्न-की सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है तथा इसके भारी मात्रा में इस प्रकार के अनेक कार्य किए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजनाएं

2387. श्री राजेन गोहेन:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संबंधी परियोजनाओं को लागू करने में कोई बाधा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड संबंधित राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण के रूप में केवल वित्तीय सहायता मुहैया करता है।

[अनुवाद]

मानसरोवर तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा

2388. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माओवादियों द्वारा मानसरोवर तीर्थ यात्रियों पर हमला करने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में प्राप्त हुई सूचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानसरोवर तीर्थ यात्रियों को भू-स्खलन और बादल फटने का खतरा भी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या ऐतिहाती उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) इस संबंध में कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग उच्च तुंगता वाली पहाड़ियों पर से है और इस मार्ग के साथ-साथ कई स्थानों पर भू-स्खलन, बादल फटने और भारी हिमपात इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा है।

(घ) यात्रा के निर्विघ्न संचालन के लिए सरकार द्वारा किए गए ऐहतियाती उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मार्ग में प्रत्येक स्थानों पर आपदा प्रबंधन टीमें उद्धिष्ट करना, यात्रियों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर सेना की टुकड़ियों को ब्रीफ करना, मार्ग संचालन दल तैनात करना, सीता पुल और अन्य संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से गश्त लगाना और यात्रियों के प्रत्येक जत्थे को सशस्त्र रक्षी दल और चिकित्सा अधिकारी प्रदान करना इत्यादि, शामिल है।

[हिन्दी]

नए डिग्री कॉलेज खोलना

2389. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री सज्जन कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में बढ़ती हुई जनसंख्या के मद्देनजर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत नए डिग्री कॉलेज खोलने संबंधी आवश्यकता के आकलन हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस समस्या की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या दिल्ली में नए डिग्री कॉलेज खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) यद्यपि दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत नए डिग्री कॉलेजों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं किया गया तथापि विश्यविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्तमान कालेज तथा दूरस्थ और अनौपचारिक माध्यम दाखिले के इच्छुक छात्रों की संख्या में हुई मामूली वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है।

[अनुवाद]

एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. के रिक्त पद

2390. श्री तापिर गाव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में एस.सी./एस.टी. और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों का श्रेणीवार बड़ा बैकलॉग भरा जाना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विभिन्न श्रेणियों के बैकलॉग को भरने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान चलाने जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों के बैकलॉग को कब तक भरे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की कुछेक रिक्तियां हैं जिनका विवरण भर्ती हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को पहले ही भेज दिया गया है।

आई.टी.पी.ओ. का घाटा

2391. डा. टोकचोम मैन्या: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने दिनांक 15-03-2005 को अपनी रिपोर्ट में आई.टी.पी.ओ. को उसके फुड और बिवरेज डिवीजन द्वारा निजी पार्टियों को अनुचित लाभ देने के कारण 233 लाख रुपए के घाटे के बारे में बताया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या फरवरी, 2003 में मास्को में भारतीय व्यापार प्रदर्शनी के दौरान कम स्थान किराये, कर्मचारियों को दिये गये वर्दी भत्ते की राशि की वसूली न होने और गैर आई.टी.पी.ओ. कर्मचारियों पर हुए व्यय का भुगतान न होने के कारण 65 लाख रुपए के राजस्व का घाटा हुआ; और

(घ) यदि हां, तो घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रमुख निदेशक से आई.टी.पी.ओ. को मार्च, 2005 में एक वास्तविक विवरण प्राप्त हुआ है जिसमें पर्याप्त सुरक्षा और निजी पक्षकारों का अनुचित पक्षपात के कारण वित्तीय सुदृढ़ता का विश्लेषण न करने से 233.91 लाख रुपए का घाटा होने का उल्लेख किया गया है और आई.टी.पी.ओ. को तथ्यों की जांच करने तथा पैरावार उत्तर भेजने के लिए कहा गया है।

(ख) 233.91 लाख रुपए की कुल देयता में से 34.64 लाख रुपए की राशि पहले ही वसूली की जा चुकी है। आई.टी.पी.ओ. ने शेष राशि के लिए वसूली मुकदमे भी दायर कर दिए हैं।

(ग) और (घ) फरवरी, 2003 में मास्को में आयोजित भारतीय व्यापार प्रदर्शनी से संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षाओं में विभिन्न अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है जिसके फलस्वरूप राजस्व का घाटा हुआ। एक सतर्कता जांच चल रही है और इसी बीच केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी इस मामले में एक प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

हुर्रियत नेताओं से वार्ता

2392. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:
श्री हरिभाऊ राठौर:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हुर्रियत कान्फ्रेंस के नेताओं के साथ वार्ता करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) हुर्रियत कान्फ्रेंस के नेताओं के साथ वार्ता के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) जब कभी आवश्यकता होती है तो सरकार, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई राज्य सरकार के साथ परामर्श करके राज्य में सभी ग्रुपों और विभिन्न मतों वाले व्यक्तियों के साथ सतत आधार पर वार्ता करने के प्रति वचनबद्ध है। पहले दो मौकों पर, सरकार ने उस समय, मौलाना अब्बास अंसारी की अध्यक्षता वाली हुर्रियत के साथ वार्ता आयोजित की थी। सरकार यह आशा करती है कि राज्य में सभी ग्रुपों के साथ वार्ता करके जम्मू और कश्मीर संबंधी बकाया मुद्दों का समाधान हो जाएगा।

[अनुवाद]

आई.आई.टी. में अनियमितताएं

2393. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को उनकी अकुशलता के कारण बड़ा घाटा हुआ है जैसाकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घाटे को पूरा करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2003-04 की अपनी रिपोर्ट में, जिसे संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, सहायक प्रोफेसरों के गलत वेतन नियतन के कारण अधिक भुगतान, बोनस के अनियमित भुगतान, गैर-पात्र कर्मचारियों, आई.आई.टी. मुम्बई के कर्मचारियों को आवंटित क्वार्टरों के संबंध में लाइसेंस फीस वसूलने की संशोधित दर लागू न करने के कारण लाइसेंस फीस की कम वसूली तथा आई.आई.टी. खड़गपुर में व्याख्यान हाल परिसर के निर्माण हेतु न्यूनतम पूर्व अर्हक बोलीदाता का प्रस्ताव स्वीकार न किए जाने के कारण आई.आई.टी. कानपुर द्वारा अनुचित तरफदारी के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय को सी.ए.जी. की रिपोर्ट मिल गई है तथा सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को इस पर अपनी टिप्पणी देने के लिए कहा गया है। इस संबंध में स्थापित कार्यविधि के मुताबिक ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

विकास केन्द्र योजना

2394. श्री राम सिंह कस्वां:

श्री कमला प्रसाद रावत:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक नीति प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विकास केन्द्र योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल की गई; और

(ग) सरकार द्वारा अपनी सभी केन्द्रीय अवसंरचनात्मक योजनाओं की सुपुर्दगी तंत्र में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) और (ख) देश में पिछड़े जिलों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने जून, 1988 में विकास केंद्र योजना की घोषणा की थी जो 1991 से चालू हुई: इस योजना के तहत देश भर में 71 विकास केंद्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव था, जिन्हें बिजली, पानी, दूरसंचार और बैंकिंग जैसी आधारभूत सुविधाएं दी जानी थीं, ताकि वे निवेशों को आकर्षित कर सकें। विकास केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये विकास केंद्र राज्यों के क्षेत्रफल, जनसंख्या और औद्योगिक पिछड़ेपन की सीमा के मिले-जुले मानदंडों के आधार पर आवंटित किए गए हैं। सभी इकहत्तर विकास केंद्र भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं।

केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रत्येक विकास केंद्र के लिए इक्विटी के जरिये 10 करोड़ रुपये का अंशदान करके उनकी सहायता की जाती है। शेष निधियां राज्य सरकारों एवं परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली उनकी एजेंसियों द्वारा जुटाई जानी होती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमाचल, उत्तरांचल, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम स्थिति प्रत्येक विकास केंद्र के लिए केंद्रीय सहायता की राशि बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दी गई है। देश-भर में 71 विकास केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से, 64 विकास केंद्रों ने परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित कर ली है। 47 विकास केंद्र चालू हो गए हैं, जिनमें भूखंडों का आवंटन शुरू हो गया है। योजना के तहत 26 विकास केंद्रों को पूरी केंद्रीय सहायता जारी कर दी गई है। 32 विकास केंद्रों में औद्योगिक कार्यकलाप आरंभ हो चुके हैं, 1074 इकाइयां स्थापित कर ली गई हैं, उद्यमियों द्वारा 10608.788 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है और विभिन्न विकास केंद्रों में 36887 व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों ने कुल 816.5176 करोड़ रुपये जारी किए हैं और केंद्र द्वारा कुल 522.56 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। विकास केंद्र परियोजना पर किया गया कुल व्यय 1235.0251 करोड़ रुपये है।

(ग) केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के लिए एक सांस्थानीकृत मानीटरिंग प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्य स्तरीग समिति का गठन किया जाता है ताकि त्रैमासिक आधार पर प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा कर उसे जारी की गई केंद्रीय सहायता के उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा सके। मंत्रालय में योजना की प्रगति की समीक्षा इन रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। प्रकति को आगे बढ़ाने हेतु इस पर राज्य सरकारों के साथ उचित तालमेल रखा जाता है।

विवरण

विकास केन्द्रों की सूची

क्रम संख्या	विकास केन्द्र का नाम	जिला
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश		
1.	हिन्दुपुर	अनंतपुर
2.	जेडचरेला	महबूबनगर
3.	अंगोले	प्रकासम
4.	विजयनगरम-बोबिली	विजयनगरम
अरुणाचल प्रदेश		
5.	निकलॉग गोरलंग	ईस्ट सियांग
असम		
6.	चारिद्वार	सोनितपुर
7.	मटिया	गोलपाड़ा
8.	छायागांव	कामरूप
बिहार		
9.	बेगुसराय	बेगुसराय
10.	भागलपुर	भागलपुर
11.	छपरा	छपरा
12.	दरभंगा	दरभंगा
13.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
छत्तीसगढ़		
14.	बोराई	दुर्ग
15.	सिलतारा	रायपुर
गोवा		
16.	इलेक्ट्रॉनिक सिटी	वर्ना प्लेट्यू
गुजरात		
17.	गांधीधाम	कच्छ
18.	पालनपुर	बनासकांठा
19.	वागरा	भरूच
हरियाणा		
20.	वावल	रेवाड़ी
21.	साह	अम्बाला
हिमाचल प्रदेश		
22.	कांगड़ा	कांगड़ा

1	2	3
जम्मू-कश्मीर		
23.	लस्सीपोरा	पुलवामा
24.	साम्बा	जम्मू
झारखंड		
25.	हजारीबाग	हजारीबाग
कर्नाटक		
26.	धारवाड़	धारवाड़
27.	रायचूर	रायचूर
28.	हसन	हसन
केरल		
29.	अलपुज्झा-मालापुरम	अलपुज्झा-मालापुरम
30.	कन्नूर-कोजिकोड़	कन्नूर-कोजिकोड़
मध्य प्रदेश		
31.	चैनपुरा	गुना
32.	घिरोंगी	भिंड
33.	खेड़ा	धाड़
34.	सतलापुर	रायसेन
महाराष्ट्र		
35.	अकोला	अकोला
36.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
37.	धूले	धूले
38.	रत्नागिरि	रत्नागिरि
39.	नानदेड़	नानदेड़
मणिपुर		
40.	लामलेई-नापेट	इम्फाल ईस्ट
मेघालय		
41.	मेंदीपथर	ईस्ट गारो हिल्स

1	2	3
मिजोरम		
42.	लोंगमाल	एजल
नागालैण्ड		
43.	गणेशनगर	कोहिमा
उड़ीसा		
44.	छतरपुर	गंजम
45.	कलिंगनगर-डुबुरी	कटक
46.	झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा
47.	केसिंगा	कालाहांडी
पांडिचेरी		
48.	पोलागाम	करायकल
पंजाब		
49.	भटिण्डा	भटिण्डा
50.	पठानकोट	गुरदासपुर
राजस्थान		
51.	आबू रोड	सिरोही
52.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
53.	खाड़ा	बीकानेर
54.	झालावाड़	झालावाड़
55.	धौलपुर	धौलपुर
सिक्किम		
56.	सलगढ़ी-सामलिक-मारचक	दक्षिणी सिक्किम
तमिलनाडु		
57.	इरोड़	पेरियार
58.	ओरागादम	कांचिपुरम
59.	तिरूनेलवेली (गंगे कोनडान ननूर ब्लॉक)	तिरूनेलवेली-कट्टाबोम्मन

1	2	3
त्रिपुरा		
60.	बोधजंग नगर	त्रिपुरा-पश्चिमी
उत्तर प्रदेश		
61.	बिजौली	झांसी
62.	जमौर	शाहजहांपुर
63.	पाकवाड़ा	मुरादाबाद
64.	डिबियापुर	औरैया
65.	जैनपुर	कानपुर-देहात
66.	सथारिया	जौनपुर
67.	सहजनवा	गोरखपुर
उत्तरांचल		
68.	सिगड्डी	पौड़ी-गढ़वाल
पश्चिम बंगाल		
69.	बोलपुर	बीरभूम
70.	जलपाई गुडी	जलपाई गुडी
71.	मालदा	मालदा

[हिन्दी]

किसानों को निर्यात राजसहायता

2395. श्री हरिभाऊ राठौड़:

श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में किसानों को निर्यात राजसहायता प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुछेक कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए निर्यातकों को कतिपय डब्ल्यू.टी.ओ. सुसंगत सब्सिडियां प्रदान की जाती हैं। जो सब्सिडियां डब्ल्यू.टी.ओ. कार्यक्षेत्र में नहीं हैं, उन्हें प्रदान नहीं किया जा सकता है।

निर्यातक

2396. श्री काशीराम राणा:

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात व्यापार में प्रवेश करने से पूर्व कई कठिन औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा निर्यातकों के लिए विद्यमान नियमों को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार को अब तक इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) आयात अथवा निर्यात करने के लिए किसी व्यक्ति के पास विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 7 के अंतर्गत अनिवार्य-पूर्व अपेक्षा आयातक, निर्यातक कोड नम्बर होना अनिवार्य है। आयातक-निर्यातक कोड नम्बर एक पी.ए.एन. आधारित नम्बर हैं और ऐसे कार्यालयों द्वारा जारी किया जाता है जिन्हें प्रक्रिया पुस्तिका खण्ड-I के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है। आयातक-निर्यातक कोड नम्बर दो एक इलैक्ट्रॉनिक मैसेज एक्सचेंज सिस्टम के जरिए सीमाशुल्क विभाग को ऑनलाइन भेजा जाता है ताकि माल के आयात तथा निर्यात की शीघ्र स्वीकृति की सुविधा प्राप्त हो सके।

(ग) और (घ) सरकार ने निर्यातकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारों के साथ इलैक्ट्रानिक आंकड़ों का आदान-प्रदान, दस्तावेजों की वैब फाइलिंग, निर्यातकों के लिए हेल्पलाइन, एकल आवेदन फार्म आदि शामिल हैं। उपर्युक्त

पहलों से सौदा लागतों में पर्याप्त कमी हुई है और सरकारी प्राधिकारियों के साथ वास्तविक आमना-सामना होने में कमी आयी है।

अवैध आव्रजक

2397. श्री सीताराम सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने देश में अवैध आव्रजकों का जल्द पता लगाने तथा उन्हें वापस उनके देश में भेजने के संबंध में कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) भारत के विधि आयोग ने विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 2000 पर अपनी 175वीं रिपोर्ट सितम्बर, 2000 में सरकार को पेश की। इन सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक पृथक आप्रवासन संवर्ग और आप्रवासन अधिकरण का गठन करना, आप्रवासन अधिकारी की नियुक्ति, आप्रवासन न्यायालयों की स्थापना और विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 में मौजूदा दंड में बढ़ोत्तरी करना शामिल हैं। विधि आयोग की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की गई और सिफारिशों में से केवल एक, दंड बढ़ाने संबंधी सिफारिश स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 में आवश्यक संशोधन, 23-2-2004 को विदेशियों विषयक (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2004 की सं. 16) द्वारा अधिसूचित किया गया था।

[अनुवाद]

विकास बोर्डों का गठन

2398. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्यमान विकास बोर्डों तथा देश में गठित किए जाने वाले संभावित विकास बोर्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार कोंकण तथा मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए पृथक विकास बोर्ड के गठन की मांग कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना आयोग ने इस क्षेत्र के लिए इस प्रकार के बोर्ड के गठन के संबंध में मसौदा रिपोर्ट सौंपी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) संविधान के अनुच्छेद 371(2) के प्रावधानों के संदर्भ में गठित किए गए तीन विकास बोर्ड अर्थात विदर्भ विकास बोर्ड, मराठवाड़ा विकास बोर्ड और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्ड, महाराष्ट्र में कार्य कर रहे हैं। सरकार का अभी कोई नया विकास बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) संविधान के अनुच्छेद 371(2) में संशोधन कर कोंकण क्षेत्र (जो इस समय शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्ड का एक हिस्सा है) के लिए पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने हेतु महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। महाराष्ट्र सरकार से हाल में अनुरोध किया गया है कि वे कोंकण के लिए पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने के संबंध में राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के विचार प्राप्त कर लें।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

काली मिर्च का आयात/निर्यात

2399. श्री पी.सी. थामस:
श्री ए.के. मूर्ति:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काली मिर्च के आयात की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने काली मिर्च के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या काली मिर्च के आयात पर प्रतिबंध लगाने से पहले किसानों तथा संसद सदस्यों से विचार-विमर्श किया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गुणवत्तावार तथा देशवार कुल कितनी काली मिर्च का आयात किया गया;

(छ) क्या अपने उत्पाद के कम मूल्य के कारण कठिनाइयां झेल रहे किसानों को बचाने के लिए कोई कार्रवाई की गई है;

(ज) क्या काली मिर्च के निर्यात में काफी कमी आई है;

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ञ) निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) निर्यात एवं आयात मदों का आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरण, 2004-09 के एग्जिम शीर्ष 0904 के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की काली मिर्च लागू सीमाशुल्क के भुगतान पर मुक्त रूप से आयात योग्य है।

(ख) और (ग) अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के अन्तर्गत हल्की काली मिर्च को छोड़कर काली मिर्च के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति नहीं दी गयी है। काली मिर्च एवं निर्यातोन्मुख एककों द्वारा उत्पादित काली मिर्च की घरेलू बिक्री की अनुमति भी नहीं दी गयी है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि घरेलू बाजार में उतारकर शुल्क मुक्त काली मिर्च के दुरुपयोग को रोका जा सके जिससे उत्पाद की कीमतें प्रभावित होती हैं।

(घ) और (ङ) इस संबंध में सरकार के हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(च) पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में आयातित काली मिर्च की मात्रा श्रेणीवार और देशवार वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा प्रकाशित, "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी, खण्ड-II (आयात)" नामक प्रकाशन में उपलब्ध है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(छ) सरकार ने किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इनमें काली मिर्च की खरीद हेतु बाजार हस्तक्षेप स्कीम, हल्की काली मिर्च को छोड़कर शुल्क मुक्त आयात हेतु अग्रिम लाइसेंस जारी करने की मनाही और निर्यातोन्मुख एककों (ई.ओ.यू.) द्वारा काली मिर्च एवं काली मिर्च के उत्पादों की घरेलू बिक्री की मनाही आदि।

(ज) से (ञ) वर्ष 2004-05 के दौरान वियतनाम एवं अन्य देशों से कड़ी कीमत स्पर्धा के कारण काली मिर्च का निर्यात 16,635 टन से घटकर 14,150 टन रह गया है। काली मिर्च के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रशिक्षण एवं बुनियादी सुविधाओं के विकास के जरिये फसलोत्तर सुधार, व्यापार संवर्धन, काली मिर्च की जैविक कृषि हेतु सहायता, प्रयोगशालाओं का उन्नयन आदि जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

नीलामी क्रेताओं द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना

2400. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास मंत्री** 22 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3030 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस परियोजना पर कार्य शुरू करने से पहले नीलामी क्रेताओं द्वारा सांविधिक प्राधिकारियों से आवश्यक स्वीकृति ले ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो वसंत कुंज माल के निर्माण हेतु स्वीकृति देने वाले सांविधिक प्राधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो वसंत कुंज माल का निर्माण कार्य शुरू करने के क्या कारण हैं; और

(घ) वसंतु कुंज माल के निर्माण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित किया है कि डी.डी.ए. द्वारा अभी तक एक प्लाट के लिए भवन योजना, पर्यावरणीय मंजूरी की शर्त पर स्वीकृत की गई है। नीलामी के खरीददार ने सांविधिक प्राधिकरणों जैसे दिल्ली नगर कला आयोग, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, उपायुक्त पुलिस (लाइसेंसिंग), संबंधित बिजली एजेंसी आदि से मंजूरी ले ली है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

व्यापार समझौता संबंधी समिति

2401. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति ने हाल ही में अपनी बैठक में विभिन्न व्यापार समझौतों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त बैठक में रोजगारोन्मुख नीति तैयार करने के बारे में भी कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) माह जून, 2005 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति (टी.ई.आर.सी.) की बैठक हुई थी जिसमें वाणिज्य विभाग द्वारा "क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं में भारत की भागीदारी" विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया था। जहां तक अधिमानी व्यापार करारों/मुक्त व्यापार करारों/ व्यापक आर्थिक सहयोग करारों का संबंध है, यह निर्णय लिया गया था कि चल रही वार्ताओं की प्रगति के बारे में टी.ई.आर.सी. को समय-समय पर उसके मार्गदर्शन हेतु सूचना दी जाए और बांग्लादेश, पाकिस्तान, बी.आई.एम.एस.टी.ई.सी. (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी संबंधी पहल) एवं आसियान के साथ आर्थिक भागीदारी के स्तर को बढ़ाने के लिए चर्चा-पत्र तैयार किए जाएं।

बांग्लादेश, पाकिस्तान और बी.आई.एम.एस.टी.ई.सी. के साथ आर्थिक भागीदारी के स्तर को बढ़ाने के बारे में टी.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार विभिन्न चर्चा पत्र तैयार किए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध

2402. श्री बीर सिंह महतो:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर से मात्रा संबंधी प्रतिबंध हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) मात्रात्मक प्रतिबंध विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.6 के अनुसार लगाए गए हैं जिसमें मानव, पशु अथवा पादप जीवन अथवा स्वास्थ्य आदि का संरक्षण शामिल है। भारत वर्ष 1991 से आयातों के मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने की एक सतत् नीति का अनुसरण कर रहा है। अधिकांश उपभोक्ता वस्तुएं मुक्त रूप से आयात की जा सकती हैं। उदारीकृत आयात व्यवस्था में घरेलू उद्योग को सीमा शुल्क की लागू दर के अध्यधीन आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करना अनिवार्य होगा। तथापि, आयातों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सरकार टैरिफ और गैर-टैरिफ तंत्रों के उचित प्रयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है कि आयातों से घरेलू उत्पादकों/ घरेलू उद्योग को कोई क्षति न पहुंचे।

[अनुवाद]

डी.जी.एफ.टी. का पुनर्गठन

2403. श्री निखिल कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) के पुनर्गठन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पाटन-रोधी जांच आदि के लिए डी.जी.एफ.टी. को और अधिकार दिए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समिति की सिफारिशों को किस सीमा तक क्रियान्वित कर दिया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) उदारीकृत आर्थिक परिदृश्य और उभरते वैश्विक व्यापारिक वातावरण में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) की भावी भूमिका और कार्यों पर सरकार को सलाह देने के लिए पूर्व वाणिज्य सचिव श्री पी.पी. प्रभु की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल की स्थापना की गयी थी।

(ख) प्रभु समिति की मुख्य सिफारिश यह थी कि विदेश व्यापार महानिदेशालय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संयर्धन और सुगमीकरण में अधिक प्रभावी भूमिका अदा करने की ओर उन्मुख होना चाहिए और निम्नलिखित कार्यकलाप करने चाहिए:-

- वाणिज्य विभाग की एक कार्यस्थल एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए।
- व्यापार सूचना के लिए एक संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना चाहिए।

- व्यापार सुविधादाता के रूप में कार्य करना चाहिए।
- व्यापार प्रवृत्तियों की निगरानी करने वाले के रूप में कार्य करना चाहिए।
- व्यापार संरक्षक एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए।
- निर्यातों की निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए; और
- डब्ल्यू.टी.ओ. वार्ताओं के लिए एक सहायता संगठन के रूप में कार्य करना चाहिए।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) डी.जी.एफ.डी. ने अपने संगठनात्मक कार्य संचालन को पर्याप्त रूप से प्रभु समिति की सिफारिशों के अनुकूल बना लिया है।

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा तकनीकी शिक्षा का विकास

2404. श्री प्रदीप गांधी:

श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) के संविधान में दिए गए लक्ष्यों को इसके गठन से अब तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में तकनीकी शिक्षा के उचित विकास के लिए ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या तकनीकी शिक्षा की समस्या से निपटने के लिए ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा कुछ कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ 2004-2005 के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) इसकी स्थिति तथा इसकी प्रगति रिपोर्ट से कुल कितने युवाओं को लाभ पहुंचा है अथवा उनके लाभान्वित होने की संभावना है;

(च) क्या ए.आई.सी.टी.ई. के पास स्वयं के कार्यकरण तथा इसके द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थानों के कार्यकरण की भी निगरानी करने की कोई प्रणाली है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कितने मामले हैं जहां उनके अधिकारियों/मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा उपबंधों का उल्लंघन किया गया तथा इस प्रकार के उल्लंघनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के समेकित एवं समन्वित विकास तथा मानकों के अनुरक्षण का सुनिश्चित करने के लिए और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) अधिनियम, 1987 के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के प्रयोजनार्थ ए.आई.सी.टी.ई. अनेक कदम उठाती रही है और इस प्रकार ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम, 1987 में रेखांकित लक्ष्यों की प्राप्ति एक सतत् प्रक्रिया है। ए.आई.सी.टी.ई. अनुमोदित तकनीकी संस्थानों द्वारा निर्धारित मानदंडों एवं मानकों की पूर्ति पर जोर देती है जिससे कि डिलीवरी की गुणवत्ता सुनिश्चित हो तथा यह मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ संस्थाओं का वार्षिक निरीक्षण करती है। ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप देश में तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है।

(ग) से (ङ) ए.आई.सी.टी.ई. ने तकनीकी शिक्षा के संबंध में मुद्दों, सरोकारों तथा चुनौतियों को चिन्हित किया है। पहुंच एवं समता तथा सामंजस्यहीन गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु ए.आई.सी.टी.ई. ने अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने, संस्थानों का समग्रतावादी मूल्यांकन करने, जी.आई.एस. आधारित संस्थानिक मानीटरिंग प्रणाली विकसित करने, एजुसैट-राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से संकाय विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, 'छात्रों की आवाज' और ए.आई.सी.टी.ई. की वेबसाइट पर 'संकाय मंच', संस्थान-उद्योग के बीच अंत:संबंध में वृद्धि आदि जैसी पहलें की हैं। 2004-05 के दौरान विभिन्न योजनाओं हेतु 54.00 करोड़ रु. का आवंटन (योजनागत) किया गया। तथापि राज्यवार आवंटन नहीं होता है। 6 लाख से अधिक कुल शुरुआती दाखिला वाले अनुमोदित संस्थानों की सहायता के लिए ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा निधियों का उपयोग किया गया।

(च) और (छ) परिषद् 51 सदस्यीय निकाय है जो उसके कार्यकरण से संबंधित ऐसे सभी मुद्दों पर विचार करती है, जो उसके सामने आते हैं। ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित संस्थानों के कार्यकरण की मानीटरिंग का मुख्य तंत्र है - निर्धारित मानदंडों एवं मानकों के अनुपालन का अनुवीक्षण करने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा वार्षिक निरीक्षण। ए.आई.सी.टी.ई. अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी चौकसी बरतती है तथा प्रावधानों के उल्लंघन की अगर कोई रिपोर्ट मिलती है तो उसकी उपयुक्त ढंग से जांच पड़ताल की जाती है।

[हिन्दी]

बांग्लादेशियों की घुसपैठ

2405. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने राज्य में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ के बारे में एक रिपोर्ट सौंपी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अवैध बांग्लादेशी शरणार्थियों की बढ़ती संख्या के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय अखण्डता को खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) हालांकि, सरकार को बांग्लादेश से घुसपैठ के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, देश की संप्रभुता और सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने देश में अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उनके निर्वासन के लिए कदम उठाये हैं। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को विदेशियों विषयक अधिनियम के उपबंधों को कड़ाई से लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उनके निर्वासन के लिए विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के अन्तर्गत शक्तियां राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सौंपी गई हैं। देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी राष्ट्रिकों सहित विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उनके तत्काल निर्वासन हेतु विशेष अभियान चलाने के लिए समय-समय पर प्रशासनिक निर्देश भी जारी किए जाते हैं।

इसके अलावा, सरकार ने देश में गैर कानूनी घुसपैठ को रोकने के लिए विभिन्न उपाय भी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) को सुदृढ़ करना और उन्हें आधुनिक और अत्याधुनिक उपकरणों/गैजेटस से सज्जित करना; सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करना; गश्त बढ़ाना; सीमा सड़कों और सीमा बाड़ के निर्माण का त्वरित कार्यक्रम; निगरानी उपकरणों का प्रावधान, आदि शामिल है।

(ङ) उक्त (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन जोनों/विशेष आर्थिक जोनों में निजी निवेश

2406. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में निर्यात संवर्धन जोनों/विशेष आर्थिक जोनों को खोलने तथा चलाने के लिए निजी कम्पनियों को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे हमारे देश के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा विदेशी मुद्रा अर्जित होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) निजी/संयुक्त क्षेत्रों में अथवा राज्य सरकारों द्वारा अब तक इन्दौर (मध्य प्रदेश), नवी मुम्बई, कोप्टा (महाराष्ट्र), मुन्द्रा, पोसित्रा, दाहेज, हाजिरा, इछापोर (सूरत), अहमदाबाद (गुजरात), हसन, बेकमपैडी (कर्नाटक), मुरादाबाद, भदोही, कानपुर ग्रेटर नोएडा, नोएडा (उत्तर प्रदेश), काकीनाडा, विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश), जयपुर, जोधपुर (राजस्थान), कोलकाता, कुलपी (पश्चिम बंगाल), बल्लारपदम, कक्कनचेरी, कलमासेरी (केरल), नान्गुनेरी, इन्नौर, महेन्द्रा सिटी (चेन्नई के निकट), श्री पेरूम्बदूर (तमिलनाडु), पाराद्वीप, गोपालपुर (उड़ीसा), गुड़गांव (हरियाणा), सेदरापेट-करासुर (पंडिचेरी), आदित्यपुर, रांची (झारखण्ड) और चंडीगढ़ में 47 नये विशेष आर्थिक जोनों (एस.ई.जेडस) की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

(ग) और (घ) अब तक अनुमोदित 47 नये एस.ई.जेड्स में से 3 एस.ई.जेड्स ने 2004-05 के दौरान प्रचालन शुरू कर दिया है। ये एस.ई.जेड्स में परिवर्तित 8 प्रचालनरत निर्यात संसाधन जोनों के अतिरिक्त हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान 18309 करोड़ रुपए के निर्यात की तुलना में एस.ई.जेड. इकाइयों द्वारा अर्जित नियल विदेशी मुद्रा 7032 करोड़ रुपए थी।

शिक्षक-छात्र अनुपात

2407. श्री के.एस. राव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने प्राथमिक विद्यालय तथा शिक्षक हैं;

(ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में इन स्कूलों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात क्या है;

(घ) क्या सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सार्वजनिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाने में सरकार ने असंतुलन पाया है; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) वर्ष 2002-03 के उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के मुताबिक सूचना निम्नलिखित है:-

प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या-651382 (शहरी: 78297 ग्रामीण: 573085)

प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या: 1912931

शिक्षक/छात्र अनुपात: 1:42

राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रति 40 छात्रों पर 1 शिक्षक का प्रावधान है। यह प्रतिमानक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है।

विवरण

शिक्षक छात्र अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक/कनिष्ठ बुनियादी स्कूल			शिक्षक	शिक्षक/छात्र अनुपात
		कुल	ग्रामीण	शहरी		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	61167	53916	7251	179961	33
2.	अरुणाचल प्रदेश	1337	1263	74	3218	27
3.	असम	30045	28630	1415	86112	30
4.	बिहार	40511	38428	2083	78204	83
5.	छत्तीसगढ़	23951	22477	1474	58348	43
6.	गोवा	1037	745	292	2523	21
7.	गुजरात	7245	5862	1383	18208	31
8.	हरियाणा	9619	8504	1115	39029	41
9.	हिमाचल प्रदेश	10868	10614	254	29018	22
10.	जम्मू-कश्मीर	10488	9745	743	26339	19
11.	झारखंड	17059	16164	895	30193	59
12.	कर्नाटक	26254	23450	2804	61004	26
13.	केरल	6697	5251	1446	42497	28
14.	मध्य प्रदेश	54233	47383	6850	146766	36

1	2	3	4	5	6	7
15.	महाराष्ट्र	40850	34560	6290	123392	36
16.	मणिपुर	2552	2175	377	8245	21
17.	मेघालय	5807	5439	368	14397	22
18.	मिजोरम	1253	938	315	4628	19
19.	नागालैंड	1352	1288	64	7011	12
20.	उड़ीसा	36677	34541	2136	85760	40
21.	पंजाब	13340	12042	1298	41524	38
22.	राजस्थान	32953	29438	3515	92714	41
23.	सिक्किम	497	497	0	2746	12
24.	तमिलनाडु	33394	26341	7053	123369	34
25.	त्रिपुरा	2054	1996	58	8951	23
26.	उत्तर प्रदेश	113546	96331	17215	384605	55
27.	उत्तरांचल	13902	12466	1436	36923	29
28.	पश्चिम बंगाल	49851	41845	8006	151255	53
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	207	197	10	788	17
30.	चंडीगढ़	26	8	18	300	34
31.	दादरा व नगर हवेली	126	123	3	225	40
32.	दमन और दीव	50	33	17	277	39
33.	दिल्ली	2111	222	1889	22611	40
34.	लक्षद्वीप	4	3	1	36	20
35.	पांडिचेरी	319	170	149	1754	21
	भारत	651382	573085	78297	1912931	42

कूड़ा उठाने वाले रिक्शो का विकास

2408. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सहकारी आवास वित्ती निगम ने एशियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रांसपोर्ट के सहयोग से कूड़ा उठाने वाला एक रिक्शा विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न अन्य राज्य सरकारों को इस रिक्शो की जानकारी दी है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) देश के विभिन्न भागों में कूड़ा उठाने वाले इस रिक्शे के उपयोग के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम ने यह बताया है कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डवलपमेंट की तकनीकी सहायता से कचरा एकत्र करने का रिक्शा तैयार किया गया है। इस रिक्शा में फाइबर के दो ढके हुए कूड़ेदान हैं जिनमें शुरू से ही बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा अलग-अलग डाला जा सकेगा।

(ग) जी, नहीं। ठोस कचरा निपटान जिसमें कचरा एकत्र करना और उसका निपटान शामिल है, राज्य सरकार/नगरपालिक स्थानीय निकायों का मामला है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

काली सूची में डाली गई निर्यात कम्पनियां

2409. श्री रामदास आठवले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी निर्यात कम्पनियों का निरीक्षण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान परिषद को राज्यवार कितनी कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन्हें काली-सूची में डाली गयी घोषित किया गया; और

(ग) इन कम्पनियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उन फर्मों की संख्या जिनके विरुद्ध विभिन्न कारणों से परिषद को शिकायतें प्राप्त हुई हैं, संलग्न विवरण-II में दी गयी है। प्रक्रिया के अनुसार इकाइयों को काली सूची में नहीं डाला जाता है, बल्कि निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) आयातक देशों से जिन निर्यात फर्मों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन्हें सचेत रहने के लिए कहा गया था और उनके विरुद्ध की गयी कार्रवाई में परेषण-वार निरीक्षण (सी.डब्ल्यू.आई.) के अंतर्गत फर्म को रखने से लेकर उत्पादन और निर्यात को रोकना और अनुमोदन को वापस लेने तक शामिल हैं। ऐसी फर्मों के मामले में जहां निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन के कारण आंतरिक शिकायतें थीं उनके विरुद्ध की गयी कार्रवाई में इन इकाइयों को सी.आई.डब्ल्यू. के अंतर्गत लाना, उत्पादन और निर्यात को रोकना और अनुमोदन को वापस लेना शामिल हैं।

शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में 69 निर्यातक फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी थी।

विवरण-I

निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा निरीक्षण की गयी निर्यात फर्मों की राज्य-वार संख्या

राज्य का नाम	अवधि		
	2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	59	58	52
दिल्ली	1	1	1
गोवा	5	6	6
गुजरात	64	67	65
हरियाणा	14	15	15
कर्नाटक	31	34	34
केरल	100	113	102
मध्य प्रदेश	1	1	1
महाराष्ट्र	52	50	54
उड़ीसा	21	23	21
पांडिचेरी	–	1	1
पंजाब	9	9	12
राजस्थान	2	2	2

1	2	3	4
तमिलनाडु	81	83	77
उत्तर प्रदेश	7	8	9
पं. बंगाल	55	57	53
जोड़	502	528	505

विवरण-II

उन निर्यात फर्मों की राज्य-वार संख्या जिनके विरुद्ध निर्यात निरीक्षण परिषद् को शिकायतें प्राप्त हुई हैं

राज्य का नाम	अवधि		
	2002-2003	2003-2004	2004-2005
आंध्र प्रदेश	3	6	4
गुजरात	6	5	6
कर्नाटक	2	1	–
केरल	13	16	2
महाराष्ट्र	11	9	7
उड़ीसा	2	4	–
तमिलनाडु	11	8	6
पं. बंगाल	4	2	2
जोड़	52	51	27

कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए व्यापार मेले

2410. श्री अजीत जोगी: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों के विस्तार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार मेले आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार चालू वित्त वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के कौन-कौन से जिलों का व्यापार मेले आयोजित करने के लिए चयन किया गया है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ चुने गए जिलों में इन मेलों को आयोजित करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है तथा इस धनराशि के किस तरीके से संग्रहित किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के तहत सहायता प्राप्त उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के संवर्धन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य में चार जिला स्तरीय प्रदर्शनियों को आयोजित करने का लक्ष्य रखता है। इन तीन राज्यों में जिलों के नामों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) सरकार 50,000 प्रति प्रदर्शनी की दर पर आर.ई.जी.पी. उद्यमियों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए के.वी.आई.सी. को फंड प्रदान करता है।

[अनुवाद]

आमों का निर्यात

2411. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आमों के निर्यात के लिए क्या दरें निर्धारित हैं;

(ख) इसके निर्यात से किसानों को कितना लाभ हुआ है;

(ग) इस समय राज्यवार कुल कितनी आम प्रसंस्करण इकाइयां है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में ऐसी इकाइयों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) आमों के निर्यात के लिए सरकार द्वारा कोई दर नियत नहीं की जाती है।

(ख) आमों के निर्यात से किसानों को होने वाले लाभ की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रत्यक्ष उपाय उपलब्ध नहीं है। तथापि, निर्यातों से बाजार में उछाल आने से सहायता मिलती है और उससे किसानों की वसूली में वृद्धि होती है।

(ग) फल उत्पाद आदेश, 1955 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त आमों की 415 प्रसंस्करण इकाइयां हैं। उनका राज्य-वार विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	इकाइयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	73
2.	असम	7
3.	बिहार	6
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	दिल्ली	6
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	33
8.	हरियाणा	6
9.	हिमाचल प्रदेश	4
10.	झारखंड	1
11.	कर्नाटक	30
12.	केरल	13
13.	मध्य प्रदेश	6
14.	महाराष्ट्र	196
15.	मेघालय	1
16.	उड़ीसा	3
17.	पंजाब	5
18.	तमिलनाडु	55
19.	उत्तर प्रदेश	9
20.	उत्तरांचल	5
21.	पश्चिम बंगाल	14

(घ) और (ङ) सरकार अपनी स्वयं की प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित नहीं करती है। तथापि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एक योजना स्कीम प्रचालित करता है जिसके अंतर्गत आम को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करने वाली प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, विस्तार अथवा आधुनिकीकरण के लिए अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। तकनीकी रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से कार्यक्षम परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं आदि को सहायता प्रदान की जाती है।

पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक विकास

2412. श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण:
डा. अरूण कुमार शर्मा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की गति को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन हेतु किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है तथा उनका वित्तपोषण कहां से किया जाएगा;

(ग) क्या पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के अंतर्गत केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अभिकल्पित प्रोत्साहनों की घोषणा के बाद क्षेत्र में निवेश के नकारात्मक रूझान के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसकी निवेशक की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(च) पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति को निवेश अनुकूल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) क्षेत्र के आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सीमा व्यापार को सुचारू बनाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) से (छ) पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर निवेशकों को आकर्षित करने तथा वहां औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने 24 दिसंबर, 1997 के पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एन.ई.आई.पी.) की घोषणा की। इस नीति के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक एककों को विभिन्न रियायतें प्रदान की गई हैं, जिनके अन्तर्गत औद्योगिक अवसंरचना का विकास, उत्पाद शुल्क और आय-कर से छूट और विभिन्न राजसहायताएं, जैसे - केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता, केंद्रीय ब्याज राजसहायता तथा केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना शामिल हैं। 23 दिसंबर, 2002 को सिक्किम राज्य के लिए भी इसी प्रकार की रियायतों वाली एक नीति की घोषणा की गई थी।

इसके बाद 14 जून, 2002 को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए तथा 7 जनवरी, 2003 को हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों के एक पैकेज की घोषणा की गई थी। देश के अन्य भागों को इसी तरह के प्रोत्साहन प्रदान करने के पहले और बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उद्योग स्थापित करने हेतु निवेश संबंधी आशयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा किए गए प्रगाढ संबंधी अध्ययन एवं विभिन्न पणधारियों से की गई चर्चाओं के आधार पर वर्ष 1997 के पूर्वोत्तर औद्योगिक पैकेज को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि यह और अधिक निवेशक-अनुकूल बन सके।

म्यांमार के साथ सीमा व्यापार पर किए गए एक समझौते में यह परिकल्पना की गई है कि प्रारम्भ में मणिपुर में मोरेह तथा मिजोरम में चम्पाई में स्थित कस्टम-पोस्टों के माध्यम से सीमा व्यापार होगा। नथूला पास के माध्यम से भारत-चीन सीमा व्यापार के संबंध में एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रस्तावित निजी निवेश

राज्य का नाम	दिसंबर 1997 से जून 2002 तक				जुलाई 2002 से मार्च 2005 तक			
	आई.ई.एम.		एल.ओ.आई./ डी.आई.एल.		आई.ई.एम.		एल.ओ.आई./ डी.आई.एल.	
	संख्या	प्रस्तावित निवेश (रुपये करोड़ में)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (रुपये करोड़ में)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (रुपये करोड़ में)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (रुपये करोड़ में)
1. असम	130	1764	0	0	140	721	1	2
2. अरुणाचल प्रदेश	4	37	0	0	17	200	0	0
3. मणिपुर	0	0	0	0	2	3	0	0
4. मेघालय	88	1209	0	0	85	495	0	0
5. मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
6. नागालैण्ड	2	66	0	0	5*	27*	0	0
7. त्रिपुरा	16	839	0	0	10	254	0	0
कुल	240	3915	0	0	259	1700	1	2

नोट: निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र, व्यक्तिगत, सहायता प्राप्त क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्र के आवेदकों के आई.ई.एम/एल.ओ.आई./ डी.आई.एल. शामिल किए गए हैं।

आई.ई.एम.: औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन; एल.ओ.आई.: आशय पत्र; डी.आई.एल.: प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस

* साथ ही मैसर्स रैनेसां पेपर मिल्स प्रा. लि. दीमापुर द्वारा (i) 12,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ लुग्दी एवं कागज के विनिर्माण के लिए तथा (ii) 4,010 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ कैप्टिव विद्युत के सृजन के लिए दिसंबर, 2003 में दो औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन दायर किए गए।

[हिन्दी]

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा हिन्दी का दर्जा कम करना

2413. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा तैयार किए गए नए पाठ्यक्रम में हिन्दी को आधुनिक भारतीय भाषा का दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी को आधुनिक भारतीय भाषा का दर्जा देना इसका अवमूल्यन करना नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 के मसौदे में श्रेण्य भाषाओं और साथ ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तथापि, यह कोई अधिकृत विभक्तिकरण नहीं है, अपितु यह भाषाविदों द्वारा रोजमर्रा प्रयुक्त होने वाली भाषाओं और उन भाषाओं, जिनका धरोहर अथवा भाषायी मूल्य के कारण महत्व है, के बीच किया गया एक विभाजन मात्र है। ये श्रेणियां किसी प्रतिष्ठा के संकेत नहीं हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 में त्रिभाषा सूत्र को अनुमोदित किया गया है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने भी अनुमोदित कर दिया है। त्रिभाषा सूत्र में हिन्दी को दिए गए दर्जे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा-2005 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

2414. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय महिला कोष से विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात में कार्य कर रहे विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों तथा सामाजिक कल्याण संगठनों को गरीबों तथा जरूरतमंदों के लिए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस योजना से कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हर वर्ष निर्धन और जरूरतमंद लोगों के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों तथा समाज कल्याण संगठनों को राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा दिये गये ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) लाभान्वित महिलाओं की संख्या इस प्रकार है:-

2002-2003	44,245
2003-2004	36,371
2004-2005	22,365

विवरण

वर्ष 2002-03 में राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार सूची

(रुपये लाखों में)

गैर-सरकारी संगठन का नाम	संस्वीकृत राशि
1	2
आन्ध्र प्रदेश	
विवेक सेवा समिति (विवेक नगर)	30.00
ग्राम सीरी रूरल एक्टीविटिज इन नेशनल डक्लपमेंट सोसायटी	70.00
ग्राम सीरी रूरल ओरियंटेशन फॉर यीमेन (ग्रो)	70.00
ग्राम सीरी	49.50
एक्शन फॉर कम्यूनिटी सर्विस सोसायटी	60.00
राष्ट्रीय सेवा समिति	100.00
वीकर डवलपमेंट सेवा समिति	5.00
विश्वोदय शिक्षा समिति	6.00
सहरुदय सेवा संघम	4.00
प्रकाशम जिला शिक्षा समिति	3.00

1	2
वीनजन अभ्योदय सेवा मंडल	12.50
देवी कोनवेंट स्कूल शिक्षा समिति	5.00
सहजीवन	15.00
सेंटर फॉर रूरल एक्शन	5.00
विवेकानन्द युवा क्लब	5.00
इंदिरा महिला मंडली, प्रदासम	2.00
समाज कल्याण समिति	4.00
चेतन्य महिला मंडली, नेल्लौर	1.00
ग्राम विकास समिति	1.00
सभेकित ग्रामीण विकास समिति	5.00
ग्रागीण विकास महिला संघ	3.50
ए नेटवर्क एसोसिएशन एण्ड वीमेन एजेंसीज	2.00
श्री रेणुका महिला सिराई केन्द्र	3.00
श्री वेंकटेश्वर अंध सेवा सदन	6.38
आइडियल म्युचअली एडेड कॉ-ऑपरेटिव थ्रीफ्ट सोसायटी लि.	25.00
भगत सिंह जागरूकता एवं ग्रामीण विकास संगठम	25.00
लिटिल फ्लोवर सोसायटी	10.00
हरिजन गिरिजन सेवा संघम	2.00
भारती देवी महिला मंडली	3.00
आर.एस. (रेडी टू सर्व) एज्युकेशनल एण्ड रूरल इकोनोमिक डवलपमेंट सोसायटी	3.00
महिला सशक्तिकरण समिति	5.00
श्री कृष्णा चेतन्य शिक्षा समिति	5.00
चेतन्य महिला मंडली एवं विकास समिति	5.00
ग्राम विकास	5.00
पोषण शिक्षा एवं स्वास्थ्य जागरूकता समिति	16.00
जनरेट रेन्यूऐविल एनर्जी एण्ड एनवायरमेंट फॉर नेशनल सस्टेनेबल सोसायटी	20.00
बिहार	
अखिल भारतीय मानव सेवा परिषद्	2.00
जीवन ज्योति कला केन्द्र	2.00
लोहिया जय प्रकाश खादी ग्रामोद्योग मानव विकास संस्था	3.00
ज्ञान सेवा भारती संस्थान	1.75
दिल्ली	
इंडकेयर ट्रस्ट	50.00
हरियाणा	
सोशल सेंटर फॉर रूरल इनीसिएटिव एण्ड एडवांसमेंट	25.00
हिमाचल प्रदेश	
सोसायटी फॉर सोशल अपलिफ्ट थ्रो रूरल एक्शन (सूत्र)	75.00
सोशल एक्शन फॉर रूरल डवलपमेंट ऑफ हिली एरिया	75.00
झारखण्ड	
जन जागरण केन्द्र	30.00
कर्नाटक	
प्रज्ञ परामर्श केन्द्र	5.00
जीवन मित्र ग्रामीण विकास समिति	5.75
बापू जी ग्रामंथरा विद्या संस्था (आर),	5.00
केरल	
ग्रामीण सुधार समिति	20.00
प्रियदर्शनी महिला समाजम	4.00
मध्य प्रदेश	
महिला चेतना मंच	35.00

1	2
उड़ीसा	
स्व-नियोजित कर्मचारी संघ केन्द्र (सेवक)	6.00
ग्रामीण सुधार स्वैच्छिक संगठन	4.50
भारत समेकित समाज कल्याण अभिकरण	4.00
क्लब जागृत	7.00
सामाजिक एकता एवं विकास समिति	5.00
वॉलेंटियर्स एसोसिएशन फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन एण्ड सोशल एक्शन	12.00
सेंटर फॉर पार्टिसिपेट्री एज्युकेशन एण्ड एक्शन फॉर कम्यूनिटी एम्पावरमेंट	5.00
ग्रामीण आर्थिक शिक्षा एवं कृषि विकास केन्द्र	2.00
आदिवासी हरिजन इंटीग्रेटेड मास सोशल एजेंसी	16.00
राजस्थान	
लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एण्ड रिसर्च फाउंडेशन समिति	50.00
डिवाइन सतीमारूपकंवर समिति	5.00
भोरूका धर्मार्थ न्यास	25.00
माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि	8.50
तमिलनाडु	
विद्यालय	3.00
वी.ओ.सी. रूरल डवलपमेंट सेंटर	2.00
ग्रामीण विकास महिला संघ (वार्ड)	3.00
सामाजिक शिक्षा आर्थिक विकास समिति	2.50
महिला कार्यदल (वेग)	5.00
तमिलनाडु जन कल्याण संघ	7.00
सामुदायिक संगठन एवं ग्रामीण विकास समिति	5.00
ग्रामीण स्वास्थ्य शिक्षा एंव आर्थिक विकास जन संघ	15.00
मधार नाला थोंडू निरूवानम (एम.एन.टी.एन.)	30.00
तमिलनाडु महिला विकास निगम लि.	100.00
ग्रामीण महिला विकास समिति	2.00
वेंकटेश्वर शिक्षा एवं ग्रामीण विकास न्यास	2.45
अन्नई कस्तूरीबाई महालिर मंदरम	15.00
ग्रामीण शिक्षा एवं पर्यावरण विकास समिति	5.00
पर्यावरण एवं आर्थिक विकास जन समिति	2.50
बुलक कार्ट वर्करस् डवलपमेंट एसोसिएशन	44.00
ओजोन	50.00
राष्ट्रीय सेवा समिति, टी.एन.	50.00
रूरल एज्युकेशन एण्ड एक्शन फॉर लिबरेशन	10.00
ग्रामीण विकास समुदाय कार्य - कल्लाकुडी	2.40
सामाजिक जागरूकता एवं विकास - महिला संघ	5.00
श्रीराम शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति	3.00
ग्रामीण सुधार समिति	1.00
अन्नई थेरसा समुआ सेवई संगम	5.00
अरसन ग्रामीण विकास समिति	17.00
हाहालिर एसोसिएशन फॉर लिटरेशी अवेयरनेस एण्ड राइट्स	35.00
उत्तर प्रदेश	
नवचेतन	10.00
श्रीराम शर्मा प्रज्ञा मंदिर शिक्षण संस्थान	5.00
जनप्रिय सेवा संस्थान	3.00
मानव सेवा संस्थान (सेवा)	25.00
ग्रामीण किसान विकास संस्थान	2.00
पीपुल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन	18.00
उत्तरांचल	
लोक चेतना मंच	3.00

1	2
सोसायटी फॉर वॉलेंट्री अप्रोच इन रूरल डवलपमेंट एक्शन	8.00
पश्चिम बंगाल	
गिलन मंदिर (दुर्गानगर)	5.00
देउलीचक पल्ली उन्नयन समिति	4.00
अनुसूचित जाति कल्याण केन्द्र	2.00
लिबरल एसोसिएशन फॉर मूवमेंट ऑफ पीपुल (लेम्प)	5.00
साहरा उत्सर्ग कल्याण समिति	2.00
ताजपुर मा श्रृद्धामयी नारी कल्याण समिति	6.00
	1,600.23

वर्ष 2003-04 में राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार सूची

(रुपये लाखों में)

गैर-सरकारी संगठन का नाम	संस्वीकृत राशि
1	2
आन्ध्र प्रदेश	
ग्राम सिरी यूनिट फॉर इंटीग्रेटिड लीडरशिप डवलपमेंट सोसायटी (गिल्ड)	25.00
ग्राम सीरी रूरल अवेयरनेस फॉर सोशल सर्विस (ग्रास)	25.00
समेकित विकास समाज कार्य	30.00
पुअर पीपुल्स रिहेबिलिटेशन एण्ड अवेकनिंग ऑर्गनाइजेशन	10.00
ग्राम पर्यावरण विकास संगठन	40.00
सन राइज समाज एवं विकास समिति	30.00
चेतन्य महिला मंडली, ममीदी	2.00
श्री लक्ष्मी पदमावती महिला मंडली	2.00
प्रवीण शिक्षा समिति	5.00
सेंट मेसिस एज्युकेशनल हैल्थ रूरल डवलपमेंट सोसायटी	7.00
वनिथा भारती म्युचली एडेड कॉ-ऑपरेटिव थ्रिफ्ट सोसायटी लि.	15.00
विजया हरिजन महिला मंडली	5.00
वसंत लक्ष्मी धर्मार्थ न्यास अनुसंधान केन्द्र	15.00
प्रगति	5.00
पर्यावरण शिक्षा एवं विकास समिति	10.00
विकास जन कार्य (पेड)	5.00
गौतमी शिक्षा समिति	6.00
प्रशांति महिला मंडली	3.00
विद्या भारती शिक्षा समिति	8.00
नव ज्योति महिला मंडली	3.00
विश्व शांति बालनंदा केन्द्रम्	45.00
एकेडमी एण्ड रूरल चिल्ड्रन्स हैल्थ इंटीग्रेटेड एज्युकेशनल सोसायटी (आर्चिज)	25.00
आदर्श महिला मंडली (गुंटूर)	2.00
मानव संसाधन विकास समिति (एच.आर.डी.एस.)	10.00
द बापतला महिला म्युचली एडेड कॉ-ऑपरेटिव थ्रिफ्ट सोसायटी लि.	10.00
तेजस्वी म्युचली एडेड कॉ-ऑपरेटिव थ्रिफ्ट सोसायटी लि.	10.00
श्री शक्ति विकास समिति	22.00
समुदाय सेवा कार्य समिति	80.00
ग्राम सिरी	80.00
विवेक सेवा समिति (विवेक नगर)	60.00
राष्ट्रीय सेवा समिति	100.00

1	2
भूदिगंथ सुव्वर्था	5.00
समेकित विकास समिति (साइड)	5.00
के.एस.आर. ग्रामीण विकास मैमोरियल धर्मार्थ न्यास	10.00
स्वास्थ्य एवं शिक्षा विकास समिति	2.00
विश्व शांति बालनंदा केन्द्रम्	60.00
असम	
काउंसिल फॉर कम्युनिटी वेलफेयर एण्ड लाइवस्टॉक प्रोग्रेस	15.00
प्रोचेष्टा	20.00
बिहार	
निदान	60.00
कंचन सेवा आश्रम	4.00
जय प्रभा ग्रामीण विकास मंडल	5.00
अभियान	4.50
खादी कृषि एवं ग्रामीण विकास संस्थान	5.00
भामा समाज सेवा संस्थान	4.90
दिल्ली	
सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एण्ड मासिस	40.00
इंडकेयर ट्रस्ट	40.00
इंडकेयर ट्रस्ट	59.00
हरियाणा	
सोशल सेंटर फॉर रूरल इंनीसिएटिव एण्ड एडवांसमेंट	
कर्नाटक	
चेतन्य युवा एवं ग्रामीण विकास संस्थान	40.00
केरल	
पेरुमकादविला हरिजन महिला समाजम्	3.00
आर्थिक एवं पर्यावरण विकास समिति (सीड)	2.00

1	2
मध्य प्रदेश	
म.प्र. राज्य सहकारिता डेयरी संघ	400.00
महाराष्ट्र	
अन्नपूर्णा महिला मंडली (ए.एम.एम.)	25.00
ग्रामीण विकास मंडल	30.00
ध्यान-दीप जन-कल्याण संघ	5.00
श्री अमृता शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज संस्थान	4.90
रानी लक्ष्मी बाई महिला रूरल एण्ड नॉन-एग्रीकल्चरल कॉ-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि.	15.00
अन्नपूर्णा महिला मंडली (ए.एम.एम.)	90.00
मणिपुर	
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल स्पिरिचुअल कल्चरल एडवांसमेंट	2.00
नुपी खुनाई	2.00
द पीपुल्स एसोसिएशन फॉर डवलपमेंट	3.00
ऑल बेकवर्ड क्लासिस एण्ड इकोनोमिक डवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन	4.00
डवलपमेंट ऑन कम्नीकेशन, आर्ट्स एण्ड कलचर साइंस, इकोनोमिक एण्ड एजुकेशन सेंटर	5.00
मिजोरम	
पवित्र हृदय समाज	4.00
उड़ीसा	
बानकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद्	40.00
भारत समेकित समाज कल्याण अभिकरण	50.00
युग मूर्ति सेवा आश्रम	3.00
दृष्टि	1.00
मानव विकास केंद्र	3.00
विश्व युवा केन्द्र	4.50

1	2
आंचलिक विकास परिषद्	4.00
पल्ली विकास	2.00
मां भवानी जन सेवा क्लब	3.00
सोसायटी फॉर रूरल एडवांसमेंट एण्ड डेमोक्रेटिक ह्यूमेनटेरियन एक्शन	35.00
राजस्थान	
ह्यातृ शक्ति संस्थान	5.00
आर्नोल्ड शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति	3.00
तमिलनाडु	
ग्राम मुनेत्र कालवी निरुवानम	3.00
लीग फॉर एजुकेशन एण्ड डवलपमेंट (लीड)	100.00
सामुदायिक विकास केन्द्र	40.00
सामुदायिक ग्रामीण विकास कार्य	70.00
सामाजिक न्याय एवं मानव संसाधन विकास समिति, तमिलनाडु	35.00
अरसन ग्रामीण विकास समिति	45.00
गाइडेंस सोसायटी फॉर लेबर ऑरफन्स एण्ड वीमेन	5.00
स्वास्थ्य शिक्षा एवं विकास समिति	2.00
इंटीग्रेटिड डवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर एक्शन एण्ड लिबरेशन ट्रस्ट	3.00
हना शिक्षा विकास धर्मार्थ संगठन	3.00
ग्रामीण महिला विकास केन्द्र	5.00
रूरल एजुकेशन एण्ड कम्प्रीहेंसिव एक्टिविटीज फॉर रूरल डबलपमेंट	2.60
समाज विकास केन्द्र, टी.एन.	5.00
ग्रामीण समेकित विकास संगठन, डिंडीगुल	6.00
सोशल एक्शन फॉर एजुकेशन एण्ड डवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन	8.00
शिक्षा, संचार एवं विकास न्यास	5.00
एड इण्डिया	30.00
महिला एवं बाल विकास समिति	25.00
सामाजिक विकास संगठन (नेजरकोइल)	10.00
सेवालय	6.00
स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास स्व-सहायता संवर्धन (सेफर्ड)	100.00
युवा समाज सेवा संघ	20.00
ग्रामीण विकास संघ, मदुरई	19.00
उत्तर प्रदेश	
उन्नयन संस्थान	5.00
बुंदेलखंड सेवा परिषद्	5.00
श्री शाल सुतसेवा समिति	2.00
भारतीय सेवा संस्थान	5.00
त्रिलोकपुर ग्रामोद्योग विकास सेवा समिति	3.00
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्	11.00
गोरखपुर भारतीय शिक्षा परिषद्	11.00
उत्तरांचल	
राष्ट्रीय उत्थान समिति	30.00
पश्चिम बंगाल	
एम.आर.डी. स्पॉर्ट्स क्लब	15.00
दक्षिण कलमदान नोबल क्लब	2.50
राजापुर सेवा निकेतन	3.00
दक्किन महेश डेरी मेहनती संघ	2.00
अजोध्यापुर पल्ली मंगल समिति	1.50
धारणीनगर ग्रामीण विकास समिति	2.00
बागरिया सहभागिता ग्रामीण विकास समिति	1.00
दुर्बाचाटी नवरूण संघ	4.00
गार्डन रीच स्लम डवलपमेंट	1.70

1	2
पिकेपाडा कमला सेवा समिति	3.00
दक्षिण घोलेपाकूरिया सोनाली संघ - ओ - पट	3.50
धनचावरी सिस्टर निवेदिता स्मृति संघ	3.00
सिरसापाडा ग्रामीण विकास संगठन	3.00
समाज कल्याण एवं ग्रामीण विकास समिति	3.00
	2,505.60

वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार सूची

(रुपये लाखों में)

गैर-सरकारी संगठन का नाम	संस्वीकृत राशि
1	2
आन्ध्र प्रदेश	
ग्राम सिरी रूरल अवेयरनेस फॉर सोशल - प्रोस्पर्टी सोसायटी	30.00
ग्राम सिरी रूरल एक्टिविटीज नेशनल डवपलमेंट सोसायटी	70.00
ग्राम सिरी एक्शन फॉर रूरल डवपलमेंट सोसायटी	20.00
बेजीपुरम युवा क्लब	40.00
महिला सशक्तिकरण समिति	15.00
पोषण शिक्षा एवं स्वास्थ्य जागरूकता समिति	40.00
जनरेट रिन्यूएबिल एनर्जी एण्ड एनवायरमेंट फॉर नेशनल सस्टेनेबिल सोसायटी	40.00
अखिल भारतीय ग्रामीण विकास समिति	10.00
स्फूर्ति (ग्रामीण विकास समिति)	4.00
मनोचेतन्य ह्यूमन सर्विसेज	10.00
विक्टरी रूरल डवलपमेंट सोसायटी	6.00
राइज - इण्डिया (समेकित ग्रामीण विकास समिति)	10.00
युथ फॉर एक्शन	30.00
विशाखा जिला नवनिर्माण समिति	40.00
ग्रामीण सशक्तिकरण एवं विकास संवर्धन समिति	15.00
समाज कल्याण एवं आर्थिक विकास संगठन	6.00
नेहरू युवा जन सेवा संगम (एन.वाई.एस.एस.)	6.00
सोसायटी ऑफ ब्यूरो फॉर इकोनोमिक एण्ड सोशल ट्रांसफोरमेशन	2.00
सर्वोदय महिला मंडली	2.00
शिक्षा, संस्कृति एवं आर्थिक विकास समिति	5.00
ग्रामीण कृषि विकास समिति	5.00
ग्राम विकास	5.50
ग्राम सिरी रूरल ऑरियंटेशन फॉर वीमेन	60.00
सेंट एन्स सोशल सर्विस	50.00
चेपल ग्रामीण विकास समिति	15.00
इंदिरा महिला मंडली, गुंटूर	5.00
बिहार	
ऊषा सिलाई-बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र	4.50
सरस्वती जन कल्याण केन्द्र	5.00
अखिल भारतीय मानव सेवा परिषद्	6.00
दिल्ली	
सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एण्ड मासेज	40.00
हरियाणा	
राष्ट्रीय युवा संगठन	5.00
सोशल सेंटर फॉर रूरल इनिसिएटिव एण्ड एडवांसमेंट	50.00
हिमाचल प्रदेश	
सोसायटी फॉर सोशल अपलिफ्ट थ्रो रूरल एक्शन (सूत्र)	20.00
सोसायटी फॉर सोशल अपलिफ्ट थ्रो रूरल एक्शन (सूत्र)	30.00

1	2
सोशल एक्शन ऑर रूरल डवलपमेंट ऑफ हिली एरिया	100.00
झारखण्ड	
महिला कल्याण समिति	5.00
केरल	
केरल ग्रामीण विकास समिति	5.00
मध्य प्रदेश	
प्यारे लाल गुप्ता मैमोरियल लपिन ह्यूमन वेलफेयर एण्ड रिसर्च फाउंडेशन	35.00
महिला चेतना मंच	45.00
महाराष्ट्र	
अन्नपूर्णा महिला मंडल (ए.एम.एम.)	10.00
नागालैण्ड	
जैंका बहु-उद्देशीय कल्याण समिति वोखाशहर	7.00
जनजातीय महिला कल्याण समिति	5.00
सतत् ग्रामीण विकास	10.00
उड़ीसा	
जन जागरण मंच	5.00
ब्राइट एसोसिएशन फॉर नोबल एण्ड डिसेंट ह्यूगन अंडरस्टेंडिंग	20.00
नारी चेतना महिला संस्थान	20.00
मानव विकास केन्द्र आर.सी.एम.एस.	4.00
बांडेय पुरुषोत्तम सेवा प्रतिष्ठान	5.00
बैटर इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डवलपमेंट एण्ड एक्शन	4.00
व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता परिषद्	35.00
रूरल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एण्ड नेशनल इंटीग्रेशन	24.00
हिन्दी सिद्ध निकेतन	22.00
वानकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद्	50.00
राजस्थान	
लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एण्ड रिसर्च फाउंडेशन समिति	80.00
तमिलनाडु	
अरसन ग्रामीण विकास समिति	50.00
महिला एवं बाल विकास समिति	35.00
सामाजिक विकास समिति (नेजरकोइल)	45.00
समेकित जन सेवा समिति	5.00
नेटवर्क ऑफ एजुकेशन इनवायरमेंट डवलपमेंट सोसायटी (नीड्स)	4.00
गुड विजन	15.00
मुथामिल शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति	5.00
रूरल एजुकेशन फॉर कम्यूनिट ऑर्गनाइजेशन (रीको)	4.00
उत्तर प्रदेश	
पीपुल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन	25.00
आदर्श ग्रामोद्योग विकास संस्थान	4.00
विंध्या ग्रामोद्योग संस्थान	4.00
राठी ग्रामोद्योग विकास संस्थान	4.00
उत्तरांचल	
महिला विकास संगठन	32.74
पश्चिम बंगाल	
ग्राम कल्याण समिति (वी.डब्ल्यू.एस.)	26.00
हरिहरपुर काजी नजरूल संघ	2.00
अबू बक्कर खान सेवा सदन	2.00
ग्राम कल्याण समिति (वी.डब्ल्यू.एस.)	64.00
बंधन कोणनगर	30.00
	1,549.74

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2415. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में दीर्घावधि के निवेश के लिए अतिरिक्त तौर-तरीके ढूंढने की इच्छा व्यक्त की है तथा देश को चीन की तुलना में कम लाभकारी पाया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वर्तमान गुड़गांव मुद्दा विदेशी निवेशकों को भारत में उनके निवेश के बारे में सोचने पर विवश नहीं करेगा; और

(घ) यदि हां, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश करने हेतु आकर्षित करने तथा देश के किसी भी भाग में गुड़गांव जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (घ) सरकार ने एक उदार, पारदर्शी तथा नियेशकों के अनुकूल नीति लागू की है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के अन्तर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। जैसा कि नामी विशेषज्ञ संगठनों के अध्ययनों/रिपोर्टों में रेखांकित किया गया है, भारत एक बहुत ही आकर्षक निवेश वातावरण प्रदान करता है। ए.टी. कर्नीज् एफ.डी.आई. कॉन्फिडेंस इंडैक्स 2004 में भारत को चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे सबसे आकर्षक निवेश क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फरेंस ऑन ट्रेड एंड डिवेलपमेंट (अंकटैड) द्वारा किए गए एक और सर्वेक्षण में भारत को चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तीन शीर्ष 'पसंदीदा निवेश स्थानों' में रखा गया। गुड़गांव की घटना अपने तरह की अलग घटना है और इससे एक निवेश क्षेत्र के रूप में भारत के आकर्षण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। भारत में औद्योगिक संबंध पारंपरिक रूप से सौहार्दपूर्ण रहे हैं और विवादों की बहुत कम घटनाएं हुई हैं। भारत में एक व्यापक निपटारा तंत्र (मशीनरी) मौजूद है और जिन विवादों में निपटारा संभव न हो सका उन्हें निपटाने के लिए विशेष श्रम न्यायालय एवं न्यायाधिकरण हैं।

[हिन्दी]

नए प्रस्तावों हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

2416. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा फरवरी, 2004 में प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा स्वीकृत नए प्रस्तावों हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) और (ख) जी, हां। नए प्रस्तावों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता चालू परियोजनाओं के रख-रखाव और संचालन के लिए प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के बाद निधियों की उपलब्धता पर दी जाती है। वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को समर्थन हेतु योजनाओं के अधीन उपलब्ध आबंटन चालू परियोजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त था।

[अनुवाद]

पारंपरिक उद्योगों का पुनरुद्धार

2417. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने हथकरघा, काजू, कॅयर आदि जैसे पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार की देश में पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को संबोधित दिनांक 3-2-2005 के अपने पत्र द्वारा केन्द्र सरकार से केरल में काजू, कॅयर, हथकरघा तथा हस्तशिल्प जैसे परम्परागत उद्योगों के लिए एक उदार पैकेज का अनुरोध किया था।

(ख) से (घ) वित्त मंत्री द्वारा जुलाई, 2004 में बजट भाषण के दौरान की गयी घोषणा के अनुरूप कॅयर, खादी एवं ग्रामोद्योग जैसे परम्परागत उद्योगों को शामिल करते हुए, "परम्परागत उद्योगों के पुनरूज्जीवन हेतु निधि संबंधी स्कीम (एस.एफ.यू.आर.टी.आई.)" नामक एक स्कीम का मसौदा तैयार किया गया था। वर्ष 2005-06 के दौरान शुरू होने की संभावना वाली इस स्कीम का मसौदा "सामूहिक नीति" पर आधारित है और अन्तिम अनुमोदन से पूर्व उसे टिप्पणियों के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में परिचालित किया गया है।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश

2418. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में किए गए कुल विदेशी पूंजी निवेश का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में विदेशी पूंजी निवेश नगण्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे असमान विदेशी पूंजी निवेश से राज्यों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) अन्तर्वाहों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। सरकार ने एक उदार पारदर्शी तथा निवेशक अनुकूल नीति लागू की है जिसमें अधिकांश क्षेत्रों/कार्यालापों में स्वत: मार्ग के अन्तर्गत 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है। उदारीकृत आर्थिक परिवेश के अन्तर्गत क्षेत्रों तथा स्थापना स्थलों के चयन सहित निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा उनके वाणिज्यिक निर्णय तथा अन्य प्रासंगिक बातों के आधार पर लिए जाते हैं। औद्योगिक विकास मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकारी अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता/प्रोत्साहन प्रदान करके, विशेष रूप से औद्योगिक रूप से अलाभकारी क्षेत्रों के विकास के लिए, राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है।

विवरण

अप्रैल, 2003 से मई, 2005 तक एफ.डी.आई. अन्तर्वाहों के लिए क्षेत्र-वार ब्यौरे*

(भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को यथा सूचित)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय	सम्मिलित राज्य	2003-04 अप्रैल-मार्च	2004-05 अप्रैल-मार्च	2005-06 अप्रैल-मई	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	353.49	747.85	22.81	1124.15
2.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड त्रिपुरा	19.48	13.39	0.00	32.87
3.	पटना	बिहार, झारखंड	1.13	0.00	0.00	1.13
4.	अहमदाबाद	गुजरात	917.12	610.53	149.95	1677.60

1	2	3	4	5	6	7
5.	बंगलौर	कर्नाटक	926.53	1131.34	185.17	2243.04
6.	कोचि	केरल, लक्ष्यद्वीप	44.53	33.77	6.45	84.75
7.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	34.85	69.25	13.09	117.19
8.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव	1355.31	3183.13	295.29	4833.74
9.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	0.00	0.00	0.15	0.15
10.	जयपुर	राजस्थान	1.89	4.58	2.25	8.72
11.	चेन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी	603.80	358.47	235.79	1198.05
12.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	0.00	0.03	0.00	0.03
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	84.50	467.37	144.62	696.49
14.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब	76.71	13.49	0.63	90.83
15.	दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश का भाग और हरियाणा	2123.46	3717.53	2112.53	7953.52
16.	पणजी	गोवा	160.59	100.66	12.71	273.96
17.	-	नहीं दर्शाये गये+	3360.72	4201.34	834.42	8396.47
		कुल योग	10064.10	14652.73	4015.86	28732.69

*केवल इक्विटी पूंजी संघटक शामिल है।

+प्रवासियों से अन्तरण द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के जरिये अन्तर्वाह दर्शाता है। इसके लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्र-वार सूचना नहीं प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

लघु एवं मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2005

2419. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन संघ और अन्य लघु संघों ने लघु एवं मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2005 में संशोधन के लिए अनेक प्रस्तावों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने शीघ्र बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/ किए जाने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (घ) 12 मई, 2005 को लोक सभा में प्रस्तुतीकरण के परिणामस्वरूप लघु तथा मध्यम उद्यम विकास

(एस.एम.ई.डी.) विधेयक, 2005 को विभाग सम्बद्ध उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को संदर्भित किया गया था। बड़ी संख्या में लघु उद्योग संघों ने बैंकों से क्रेडिट की सुगम उपलब्धता संबंधी सुझावों सहित अपने सुझाव एस.एम.ई.डी. विधेयक, 2005 में विभिन्न संशोधन करने के लिए उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजे हैं। समिति ने 4 अगस्त, 2005 को अपनी रिपोर्ट तथा सिफारिशें संसद के दोनों सदनों को भेज दी हैं।

आटो कम्पोनेंट उद्योग संबंधी क्षेत्रीय नीति

2420. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आटो कम्पोनेंट उद्योग के लिए क्षेत्रीय नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या थाइलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते के आटो कम्पोनेंट इकाइयों में घरेलू और विदेशी कम्पनियों के बीच दूरी को केवल बढ़ाया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, व्यापक निर्यात संभावना को ध्यान में रखते हुए, ऑटो हिस्से पुर्जों के निर्यात को इस विभाग द्वारा तैयार की गयी मध्यावधि निर्यात नीति 2002-2007 में एक जोर दी जाने वाली मद के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। भारत ने थाईलैण्ड के साथ किसी मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि 9 अक्तूबर, 2003 को भारत और थाईलैण्ड ने मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफ.टी.ए.) स्थापित करने के लिए एक कार्य ढांचे करार पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य घटकों में वस्तुओं में एफ.टी.ए. और निवेश में एफ.टी.ए. तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्र शामिल हैं। कार्यढांचे करार में एक शीघ्र फलदायी स्कीम (ई.एच.एस.) के लिए भी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत 82 सामान्य मदों के लिए शीघ्र कार्य के आधार पर टैरिफों को समाप्त करने के लिए सहमति हुई है। ई.एच.एस. 1 सितम्बर, 2004 से लागू हुई है। ई.एस.एच. की सूची को प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा घरेलू पणधारकों के साथ परामर्श करने के पश्चात् अंतिम रूप दिया गया है।

समुद्र जल को पेयजल में बदलना

2421. श्री के. सुब्बारायण: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्र जल को पेयजल में बदल कर तमिलनाडु के व्यक्तियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई परियोजना स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इस समय परियोजना कौन से चरण में है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पोटाशियम क्लोरेट की बिक्री

2422. श्री रघुनाथ झा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम बनाने में प्रयोग किया जाने वाला पोटाशियम क्लोरेट रसायन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में खुले रूप में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पोटाशियम क्लोरेट के व्यापार में कितने व्यापारी लिप्त हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा कितनी मात्रा में पोटाशियम क्लोरेट की बिक्री की गई;

(घ) क्या पोटाशियम क्लोरेट का व्यापार करने के लिए डीलरों को कोई लाइसेंस दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस संबंध में क्या उपबंध निर्धारित किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं, श्रीमान

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, 11 व्यापारियों को पोटाशियम क्लोरेट का व्यापार करने के लिए शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक नियमों के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2003 से 2005 (आज तक) के दौरान

उन्होंने लगभग 747 टन पोटाशियम क्लोरेट की बिक्री की है। लाइसेंसों के अनुसार, पोटाशियम क्लोरेट की बिक्री, मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पिलखुआ और मुरादनगर शहरों में स्थित मुद्रण और डाइंग उद्योगों को ही की जानी है।

[हिन्दी]

मंत्रालयों/विभागों में सलाहकार समितियां

2423. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन मंत्रालयों और विभागों के नाम क्या है जिनमें राजभाषा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अब तक सलाहकारी समितियों का गठन या पुनर्गठन नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करके उक्त समितियों का गठन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) राजभाषा अधिनियम, 1963 में हिंदी सलाहकार समितियों के गठन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि केन्द्रीय हिंदी समिति के निदेशानुसार केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियों के गठन की व्यवस्था की गई है। जिन मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां अभी तक गठित/पुनगठित नहीं हुई हैं, उनकी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। सलाहकार समितियों में नामांकन के लिए विभिन्न संस्थाओं से गैर-सरकारी सदस्यों का नामांकन प्राप्त करना होता है, जिसमें समय लगता है।

(ख) हिंदी सलाहकार समितियों के गठन/पुनर्गठन का दायित्व संबंधित मंत्रालयों/विभागों का है। राजभाषा विभाग संबंधित मंत्रालयों/विभागों को विभिन्न स्तरों पर पत्र लिखकर समिति के गठन/पुनर्गठन के कार्य को पूर्ण करवाने के लिए अनुरोध कर चुका है।

(ग) दिनांक 13-07-2004, 26-07-2004, 26-08-2004, 10-12-2004, 13-12-2004, 11-01-2005, 12-04-2005 को विभिन्न स्तरों पर पत्र लिखकर मंत्रालयों/विभागों से हिंदी सलाहकार समिति के शीघ्र गठन/पुनर्गठन के लिए कहा जा चुका है।

विवरण

मंत्रालय/विभाग, जहां पर हिंदी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन नहीं हुआ है

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय
2. पर्यटन मंत्रालय
3. परमाणु ऊर्जा विभाग + अंतरिक्ष विभाग
4. कोयला मंत्रालय
5. डाक विभाग
6. दूरसंचार विभाग
7. रक्षा उत्पादन विभाग
8. आर्थिक कार्य विभाग
9. गृह मंत्रालय
10. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
11. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग
12. श्रम और रोजगार मंत्रालय
13. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
14. योजना मंत्रालय
15. वस्त्र मंत्रालय
16. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
17. जनजातीय कार्य मंत्रालय
18. कंपनी कार्य मंत्रालय
19. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
20. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
21. पंचायती राज मंत्रालय

[अनुवाद]

कंप्यूटर/टेलीफोन पर "के.लो.नि.वि. सेवा"

2424. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने शिकायतें दर्ज कराने और उनकी स्थिति जानने के लिए कंप्यूटर/टेलीफोन पर "के.लो.नि.वि. सेवा" आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सेवा प्रचालन में है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक शिकायत के निपटान में सामान्यत: कितना समय लगता है;

(घ) क्या सरकार ने सेवा के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने एक वेबसाईट "सी.पी.डब्ल्यू.डी. सेवा" शुरू की है, जिसके मार्फत दिल्ली में सरकारी वास के आबंटी इंटरनेट पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। टेलीफोन पर "इन्टरएक्टिव वॉयस रेसपोंस सिस्टम" के मार्फत शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) इस समय "सी.पी.डब्ल्यू.डी. सेवा" प्रचालन में है।

(ग) सामान्यत: अधिकतर शिकायतों पर 24 घटों के भीतर कार्रवाई कर दी जाती है। छोटे कार्यों से संबंधित शिकायतों पर 48 घंटों के भीतर कार्रवाई कर दी जाती है। बड़े कार्यों को आवश्यक कोडल औपचारिकताएं पूरी करके ठेके पर कराया जाता है।

(घ) और (ङ) यह सुविधा शुरू होने से बेहतर सेवा मुहैय कराने में मदद मिली है।

[हिन्दी]

राज्यों से निर्यात

2425. श्री बापू हरी चौरे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों द्वारा उत्पादित रेजिन, अंगूर और प्याज की मात्रा संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार रेजिन, अंगूर और प्याज के उत्पादन करने वाले राज्यों से विभिन्न देशों को इनका निर्यात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्यों द्वारा उत्पादित रेजिन, अंगूर और प्याज की मात्रा निम्नानुसार रही है:-

रेजिन

(मात्रा, मी. टन में)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
महाराष्ट्र	52,000	45,000	62,000
कर्नाटक	25,000	25,000	30,000
जोड़	77,000	70,000	92,000

अंगूर

(मात्रा, हजार मी. टन में)

राज्य	2001-02	2002-03
आंध्र प्रदेश	29.4	33.5
हरियाणा	0.4	8.0
कर्नाटक	169.7	141.9
मध्य प्रदेश	2.6	2.7
महाराष्ट्र	911.6	988.7
पंजाब	36.7	35.7
मिजोरम	0.6	0.6
जम्मू-कश्मीर	0.3	0.4
तमिलनाडु	61.7	35.7
अन्य	0.6	0.5
जोड़	1213.6	1247.7

प्याज

(मात्रा, हजार मी. टन में)

राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	282.63	240	176.25

1	2	3	4
बिहार	192.5	220	258
गुजरात	695.41	705.41	757.47
हरियाणा	207.5	225	270
कर्नाटक	428	363.84	251.69
मध्य प्रदेश	301	276	286.8
महाराष्ट्र	1372.5	1375	1417.50
उड़ीसा	465	465	483
राजस्थान	316	316	350
तमिलनाडु	408	337.2	224.76
उत्तर प्रदेश	585.5	555	593
अन्य	331.5	373	393
जोड़	5585.54	5451.45	5461.47

(ख) और (ग) सरकार कृषि उत्पादों का सीधे निर्यात नहीं करती है। तथापि, यह निजी क्षेत्रों को रेजिन, अंगूर और प्याज सहित कृषि उत्पादों का निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान निर्यातित अंगूरों की कुल मात्रा क्रमशः 25680 मी. टन तथा 26783 मी. टन रही है। वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान निर्यातित प्याज की कुल मात्रा क्रमशः 840661 मी. टन तथा 941448 मी. टन रही है।

[अनुवाद]

लघु उद्योग द्वारा रोजगार सृजन

2426. श्री जी.एम. सिद्दीश्वरः क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार सृजन करने के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं के निष्पादन के आधार पर राज्यों को लाभ देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उन राज्यों की सूची तैयार की गई है जो इस संबंध में पीछे रह गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा लघु उद्योग के निष्पादन में सुधार लाने के लिए राज्यों की मदद करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (घ) सरकार किसी स्कीम या कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं करती है, जिसके तहत राज्यों को लघु उद्योग (एस.एस.आई.) सेक्टर में रोजगार के सृजन के लिए उनके द्वारा स्कीमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यनिष्पादन के आधार पर लाभ दिया जाता है।

(ङ) लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, केन्द्रीय सरकार विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों जो कि क्रेडिट, बुनियादी संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मार्किटिंग, उद्यमिता विकास, इत्यादि से संबंधित हैं, के माध्यम से राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है तथा उन्हें अनुपूरित करती है।

[हिन्दी]

विश्व व्यापार संगठन

2427. श्री रघुवीर सिंह कौशलः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों में फूट डालने की योजना बना रहा है ताकि विकसित देशों के पक्ष में निर्णय लिए जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकसित तथा विकासशील देशों में उपलब्ध हेक्टेयर-वार कृषि राजसहायता के मुद्दे पर कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा कृषि, लघु तथा मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में लगे लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए नीति बनाई गई हैः और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार ने संवेदनशील मदों के आयात की मानीटरिंग करने के लिए एक उचित तंत्र लागू किया है और वह डब्ल्यू.टी.ओ. सुसंगत उपायों को लागू करके घरेलू उत्पादकों को समुचित संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जिनमें वचनबद्ध टैरिफों के भीतर लागू टैरिफों का उचित अंश-शोधन, पाटनरोधी एवं रक्षोपाय कार्रवाइयां तथा डब्ल्यू.टी.ओ. करारों में किये गये उपबंध के अनुसार विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में प्रति संतुलनकारी शुल्क लागू करना शामिल है। जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है डब्ल्यू.टी.ओ. में चल रही वार्ताओं में भारत ने जी-33 गठबंधन के समान विचारों वाले अन्य विकासशील देशों के साथ विशेष उत्पादों (एस.पी.) और नये विशेष रक्षोपाय तंत्र (एस.एस.एम.) पर डब्ल्यू.टी.ओ. के सभी सदस्यों की सहमति प्राप्त कर ली है ताकि विकासशील देशों के उपयोग हेतु कृषि उत्पादों के आयातों में वृद्धि होने तथा कीमतें कम होने की स्थिति में नये रक्षोपाय तंत्र को तैयार किया जा सके। इसके अलावा दोहा कार्यक्रम के अन्तर्गत डब्ल्यू.टी.ओ. में चल रही वार्ताओं में भारत ने इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया है कि इन वार्ताओं के अन्तिम परिणाम में दोहा में अधिदेशित विकासपरक आयात को पूर्णतः प्रदर्शित किया जाय।

इसके अलावा, सरकार ने अन्य देशों में बाजारों के खुलने से उपलब्ध हुए अवसरों का लाभ उठाने के लिए स्वदेशी उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु उपाय भी किये हैं। इनमें शामिल हैं - सामूहिक विकास, संस्थागत ऋण की उपलब्धता, आधुनिक प्रबंधन पद्धतियां अपनाने के लिए सहायता, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा वर्ष 2005-06 के केन्द्रीय बजट में तैयार की गयी, "विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम" नामक एक नई स्कीम।

[अनुवाद]

विदेशी मेलों में आई.टी.पी.ओ. द्वारा भाग लिया जाना

2428. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा उसके बाद विदेशों में हुए व्यापार मेलों का ब्यौरा क्या है, जिनमें आई.टी.पी.ओ. ने भाग लिया;

(ख) इन व्यापार मेलों के दौरान किए गए व्यवसाय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मेलों में व्यवसाय बढ़ रहा है/घट रहा है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले 2 वर्षों के दौरान इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई.टी.पी.ओ.) द्वारा विदेशों में आयोजित व्यापार मेलों की संख्या और चालू वर्ष के लिए प्रस्तावित आयोजनों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रदर्शनियों की संख्या
2003-2004	58
2004-2005	59
2005-2006	69 (प्रस्तावित)

ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) भागीदारों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उपर्युक्त आयोजनों के दौरान किया गया व्यवसाय निम्नानुसार रहा है:-

वर्ष	(करोड़ रुपए में)
2003-2004	666.74
2004-2005	1081.21
2005-2006	–

(ग) और (घ) पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2004-05 में किये गये व्यवसाय में लगभग 62% की वृद्धि हुई है।

विवरण

2003-04

क्र.सं.	मेलों का नाम
1	2
1.	त्रिपोली इंटरनैशनल फेयर, त्रिपोली (लीबिया 2-12 अप्रैल, 2003
2.	वर्ल्ड वॉच, क्लॉक एंड ज्वेलरी शो, ज्यूरिक (स्विटजरलैंड), 3-10 अप्रैल, 2003

1	2
3.	फॉयरे ड पेरिस, पेरिस (फ्रांस) 30 अप्रैल - 11 मई, 2003
4.	14वां इंडिया होम फर्निशिंग्स फेयर, टोक्यो (जापान) 27-29 मई, 2003
5.	तीसरा इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट्स फेयर, टोक्यो (जापान) 27-29 मई, 2003
6.	विसेन्जारो इंटरनैशनल एग्जीविशन ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वरवेयर एंड याचेज, विसेन्जा (इटली) 7-12 जून, 2003
7.	अल्जीयर्स इंटरनैशनल फेयर, अल्जीयर्स (अल्जीरिया) 11-19 जून, 2003
8.	फिआ लिस्बोआ - इंटरनैशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन लिस्बन (पुर्तगाल) 28 जून - 6 जुलाई, 2003
9.	फैंसी फूड शो, न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.) 29 जून - 1 जुलाई, 2003
10.	दारस्सलाम इंटरनैशनल ट्रेड फेयर, दारस्सलाम (तंजानिया), 29 जून, - 9 जुलाई, 2003
11.	24वां इंडिया गारमेंट फेयर, ओसाका (जापान) 22-24 जुलाई, 2003
12.	डब्ल्यू.एस.ए.शो, लास वेगास (यू.एस.ए.), 31 जुलाई - 3 अगस्त, 2003
13.	जाम्बिया एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल शो, लुसाका (जाम्बिया) 31 जुलाई - 4 अगस्त, 2003
14.	सीपीडी मैन - वुमन, डसलडॉर्क (जर्मनी) 3-5- अगस्त, 2003
15.	नैशनल हार्डवेयर शो, शिकागो (यू.एस.ए.) 10-12 अगस्त, 2003
16.	कैनेडियन नैशनल एग्जीबिशन, टोरंटो (कनाडा) 15 अगस्त - 1 दिसम्बर, 2003
17.	इज्मीर इंटरनैशनल फेयर, इज्मीर (तुर्की) 26 अगस्त - 3 सितम्बर, 2003
18.	एक्सपो इंटरनेशनल रूजैक, मेक्सिको, 27-29 अगस्त, 2003
19.	मापुटो इंटरनैशनल ट्रेड फेयर, मापुटो (मोजाम्बिक), 1-7 सितम्बर, 2003
20.	पोजनान फैशन वीक, पोजनान (पोलैंड) 2-4 सितम्बर, 2003
21.	एक्सपोहोगर, बार्सीलोना (स्पेन) 4-8 सितम्बर, 2003
22.	प्रेट-ए पोर्टर फेयर, पेरिस (फ्रांस), 5-8 सितम्बर, 2003
23.	बी.एन.वी. - बुडापेस्ट इंटरनैशनल फेयर ऑफ कनज्यूमर गुड्स, बुडापेस्ट (हंगरी), 6-14 सितम्बर, 2003
24.	एशिया पैसिफिक वीक, बर्लिन (जर्मनी) 15-28 सितम्बर, 2003
25.	विसेन्जारो - इंटरनैशनल एग्जीबिशन ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वरवेयर एंड वॉचेज, विसेन्जा (इटली), 6-11 सितम्बर, 2003
26.	शारजाह फूड फेस्टिवल, शारजाह (यू.ए.ई.) 10-19 सितम्बर, 2003
27.	फिएरा डेल लेवांटे, बारी (इटली) 13-21 सितम्बर, 2003
28.	वर्ल्ड फूड, मॉस्को (रूस) 23-26 सितम्बर, 2003
29.	सेटेक्स, जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) 30 सितम्बर - 3 अक्तूबर, 2003
30.	ऑल चाइना लेदर एग्जीबिशन, शंघाई (चीन) 3-5 सितम्बर, 2003
31.	एम.ओ.डी.ए., शंघाई (चीन) 3-5 सितम्बर, 2003
32.	तेहरान इंडस्ट्री फेयर, तेहरान (ईरान) 2-6 अक्तूबर, 2003
33.	युगांडा इंटरनैशनल फेयर, कम्पाला (युगांडा) 7-13 अक्तूबर, 2003
34.	अनुगा फूड फेयर, कोलोन (जर्मनी) 11-15 अक्तूबर, 2003
35.	इक्विप ऑटो, पेरिस (फ्रांस), 16-21 अक्तूबर, 2003
36.	परिधान, वस्त्र, फुटवेयर और हस्तशिल्प हेतु मिनी इंडिया प्रमोशन, केप टाउन (दक्षिण अफ्रीका) 3-5 नवम्बर, 2003

1	2
37.	ए.ए.पी.ई.एक्स. 2003, लास वेगास (यू.एस.ए.) 4-7 नवम्बर, 2003
38.	इंपोर्ट शॉप, बर्लिन, (जर्मनी), 13-14 नवम्बर, 2003
39.	कंज्यूमर एक्सपो/फूड एक्सपो 2003, ताशकंद (उज्बेकिस्तान), 18-20 नवम्बर, 2003
40.	एएफ-एल आर्टीजियानो इन फियेरा, इंटरनैशनल हैंडीक्राफ्ट्स सेलिंग एग्जीबिशन, मिल (इटली) 29 नवम्बर - 8 दिसम्बर, 2003
41.	इंडियन ट्रेड एग्जीबिशन, क्वालालमपुर (मलेशिया) 2-6 दिसम्बर, 2003
42.	सार्क ट्रेड फेयर, ढाका (बंग्लादेश) 27-31 दिसम्बर, 2003
43.	विसेन्जारो-इंटरनैशनल एग्जीबिशन ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वरवेयर एंड वॉचेज, विसैन्जा (इटली) 11-18 जनवरी, 2004
44.	डोमोटेक्स, हनोवर (जर्मनी) 17-20 जनवरी, 2004
45.	खारतूम इंटरनैशनल फेयर, खारतूम (सूडान) जनवरी, 2004
46.	इंटरनैशनल स्प्रिंग फेयर, बर्मिंघम (यू.के.) 1-5 फरवरी, 2004
47.	डब्ल्यू एस.ए. शो, लास वेगास, यू.एस.ए. 8-11 फरवरी, 2004
48.	मुबाप्लस, बासेल (स्विट्जरलैंड) 13-22 फरवरी, 2004
49.	अदिम अबाबा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, अदिम अबाबा (इथोपिया), फरवरी, 2004
50.	कवरिंग्स-इंटरनैशनल स्टोन एंड टाइल एक्सपोजिशन, यू.एस.ए., 23-26 मार्च, 2004
51.	इलेक्ट्रोटेक, काठमांडू (नेपाल), फरवरी, 2004
52.	एक्सपोकोमर, पनामा सिटी (पनामा), 3-7 गार्च, 2004
53.	प्रैक्टिकल वर्ल्ड, कोलोन (जर्मनी), 14-17 मार्च, 2004
54.	इंटरनैशनल हाउस वेयर शो, शिकागो, (यू.एस.ए.), 20-22 मार्च, 2004
55.	पूडेक्स, टोक्यो (जापान) मार्च, 2004
56.	डी.आई.वाई. शो, टोक्यो (जापान), 2004
57.	एशिया पैसेफिक लेदर फेट, हांगकांग, मार्च, 2004
58.	कायरो इंटरनैशनल फेयर, कायरो (मिस्र), मार्च, 2004

2004-05

क्र.सं.	आयोजनों का नाम
1	2
1.	त्रिपोली इंटरनैशनल फेयर, त्रिपोली (लीबिया) 2-12 अप्रैल, 2003
2.	वियतनाम एक्सपो 2004, हनोई (वियतनाम), 7-11 अप्रैल, 2004
3.	सेकंड इंपोर्टेड गुड्स फेयर 26-29 अप्रैल, 2004 सियोल (दक्षिण कोरिया)
4.	इंटरनैशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर, फ्लोरेंस (इटली) 24 अप्रैल, - 2 मई, 2004
5.	फॉइरे द पेरिस इंटरनैशनल फेयर, पेरिस (फ्रांस), 29 अप्रैल - 7 मई, 2004
6.	इंटेक्स फेस्टा 2004, ओसाका (जापान) 1-4 मई, 2004
7.	नैशनल हार्डवेयर शो, लास वेगास (यू.एस.ए.) 10-12 मई, 2004
8.	इंपेक्स, मेलबोर्न (ऑस्ट्रेलिया) 18-20 मई, 2004
9.	15वां इंडिया होम फर्निशिंग्स फेयर, टोक्यो (जापान), 18-20 मई, 2004
10.	बी.एस.एम., ऑकलैंड (न्यूजीलैंड) 25-27 मई, 2004
11.	अल्जीयर्स इंटरनैशनल फेयर, अल्जीयर्स (अल्जीरिया) 2-10 जून, 2004
12.	हॉस्पिटलर, साओ पॉलो (ब्राजील) 1-4 जून, 2004
13.	विसेन्जारो इंटरनैशनल एक्जीविशन ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर वेयर एंड वॉचेज, विसेन्जा (इटली), 12-17 जून, 2004

1	2
14.	दारस्सलाम इंटरनैशनल ट्रेड फेयर, दारस्सलाम (तंजानिया), 30 जून, 30-10 जुलाई, 2004
15.	फिया लिस्बोआ - इंटरनैशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, लिस्बन (पुर्तगाल) 26 जून-4 जुलाई, 2004
16.	50वां इंटरनैशनल फैंसी फूड एंड कन्फेक्शन शो (न्यूयार्क) यू.एस.ए., 27-29 जून, 2004
17.	25वां इंडिया गारमेंट फेयर, ओसाका (जापान), जुलाई, 2004
18.	एक्सपो इंटरनेशनल रूजैक, मेक्सिको, 1-3 सितम्बर, 2004
19.	सी.पी.डी. कलेक्शन्स प्रीमियरेन डसलडार्फ, डसलडार्क (जर्मनी) 30 जुलाई - 1 अगस्त, 2004
20.	डू एंड डीन वेल्ट, द ग्रेड कनस्यूमर एग्जीबिशन, हैमबर्ग (जर्मनी) 27 अगस्त-5 सितम्बर, 2004
21.	डी.आई.वाई. शो, टोक्यो (जापान), 26-28 अगस्त, 2004
22.	इंडियन ट्रेड एग्जीबिशन, उलान बाटोर (मंगोलिया), 30 अगस्त - 3 सितम्बर, 2004
23.	डब्ल्यू.एस.ए. शो, लास वेगास (यू.एस.ए.), 5-8 अगस्त, 2004
24.	प्रेट-ए-पोर्टर फेयर, पेरिस (फ्रांस), 3-6 सितम्बर, 2004
25.	दमस्क इंटरनैशनल फेयर, दमस्क (सीरिया) 3-12 सितम्बर, 2004
26.	मापुटो इंटरनैशनल ट्रेड फेयर, मापुटो (मोजाम्बिक) 20 अगस्त - 5 सितम्बर, 2004
27.	पोजनान फैशन वीक, पोजनान (पोलैंड) 7-9 सितम्बर, 2004
28.	जैगरेब इंटरनैशनल ऑटम फेयर, जैगरेब (क्रोएशिया) 14-19 सितम्बर, 2004
29.	एक्सपोहोगर, बार्सीलोना (स्पेन) 18-21 सितम्बर, 2004
30.	फिएरा डेल लेवांटे, बारी (इटली), 11-19 सितम्बर, 2004
31.	थेस्सलोनिकी इंटरनैशनल ट्रेड फेयर, थेस्सलोनिकी (ग्रीस) 11-19 सितम्बर, 2004
32.	विसेन्जारो - इंटरनैशनल एग्जीबिशन ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वरवेयर एंड वाचेज, बिसेन्जा (इटली) 11-16 सितम्बर, 2004
33.	वर्ल्ड फूड, मॉस्को (रूस), 21-24 सितम्बर, 2004
34.	ए.सी.एल.ई., 2004, शंघाई (चीन), सितम्बर, 2004
35.	एम.ओ.डी.ए., शंघाई (चीन) सितम्बर, 2004
36.	युगांडा इंटरनैशनल फेयर, कम्पाला (युगांडा) 10-20 अक्तूबर, 2004
37.	सेटेक्स, जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) 5-8 अक्तूबर, 2004
38.	इंटरनैशनल होम फेयर, बोगोटा (कोलम्बिया) 2-19 सितम्बर, 2004
39.	इंटरनैशनल फूड फेयर, शारजाह (यू.ए.ई.), अक्तूबर, 2004
40.	न्यूयार्क होम टेक्सटाइल शो, न्यूयार्क, यू.एस.ए., 8-11 अक्तूबर, 2004
41.	सियाल फूड फेयर, पेरिस (फ्रांस) 17-21 अक्तूबर, 2004
42.	अपैरल, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर एक्सपोर्ट्स इन टू अफ्रीका एग्जीबिशन, केप टाउन (दक्षिण अफ्रीका) 2-4 नवम्बर, 2004
43.	ए.ए.पी.ई.एक्स. 2004, लासवेगास, यू.एस.ए. 6-7 नवम्बर, 2004
44.	बहरीन कनज्यूमर प्रोडक्ट्स फेयर, मनामा (बहरीन), 24 नवम्बर-3 दिसम्बर, 2004
45.	ए.एफ.-एल. आर्टिजियानो इन फियेरा इंटरनैशनल हैंडीक्राफ्ट्स सेलिंग एग्जीबिशन, मिलान (इटली), 4-12 दिसम्बर, 2004
46.	स्टाइल्स एशिया 2004, टोक्यो (जापान) 16-18 दिसम्बर, 2004
47.	खारतूम इंटरनैशनल फेयर, खारतूम (सूडान) जनवरी, 2005
48.	डोमोटेक्स, हनोवर (जर्मनी), 15-18 जनवरी, 2005
49.	ट्रेड कॉम, दुबई (यू.ए.ई.) 15-17 जनवरी, 2005

1	2
50.	इंटरनैशनल फैंसी फूड शो, सैन फ्रैंसिस्को (यू.एस.ए.), 23-25 जनवरी, 2005
51.	इंटरनैशनल स्प्रिंग फेयर, बर्मिंघम (यू.के.), 6-10 फरवरी, 2005
52.	मुबाप्लस, बासेल (स्विटजरलैंड), 18-27 फरवरी, 2005
53.	चैक गणराज्य में चुनिंदा मदों के साथ इंडिया शो, 17-20 फरवरी, 2005
54.	अदिस अबाबा इंटरनैशनल ट्रेड फेयर, अदिस अबाबा (इथोपिया), 17-23 फरवरी, 2005
55.	डब्ल्यू.एस.ए. शो, लास वेगास (यू.एस.ए.), 5-8 फरवरी, 2005
56.	एक्सपो कोमर, पनामा 3-7 मार्च, 2005
57.	फूडेक्स, टोक्यो (जापान) 8-11 मार्च, 2005
58.	हाउसवेयर शो, शिकागो, यू.एस.ए., 20-22 मार्च, 2005
59.	कायरो इंटरनैशनल फेयर, कायरो (मिस्र) 15-25 मार्च, 2005

2005-06

क्र.सं.	आयोजनों का नाम
1	2
1.	त्रिपोली इंटरनैशनल फेयर, त्रिपोली (लीबिया) 2-12 अप्रैल, 2005
2.	एशिया पैसिफिक लेदर फेयर, हांगकांग, 6-9 अप्रैल, 2005
3.	न्यूयॉर्क होम टेक्सटाइल्स शो, न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.), 8-11 अप्रैल, 2005
4.	69वां इंटरनैशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर, फ्लोरेंस (इटली) 22 अप्रैल - 1 मई, 2005
5.	कवरिंग्स, ऑरलैंडो (यू.एस.ए.), 3-6 मई, 2005
6.	इंपोर्टेड गुड्स फेयर, सिओल (कोरिया), 10-13 मई, 2005
7.	नैशनल हार्डवेयर शो, लास वेगास (यू.एस.ए.), 17-19 मई, 2005
8.	फॉइरे द पेरिस इंटरनैशनल फेयर, पेरिस (फ्रांस) 12-22 मई, 2005
9.	16वां इंडिया होम फर्निशिंग्स फेयर, टोक्यो (जापान) 31 मई - 2 जून, 2005
10.	सउदी अरब इंटरनैशनल ट्रेड फेयर, जेद्दाह (सउदी अरब) 15-19 मई, 2005
11.	साइप्रस इंटरनैशनल फेयर, निकोसिया (साइप्रस) 20-29 मई, 2005
12.	टिबको - इंटरनैशनल फेयर ऑफ कनज्यूमर गुड्स, बुखारेस्ट (रोमानिया), 1-6 जून, 2005
13.	इंपेक्स, मेलबोर्न (ऑस्ट्रेलिया) 7-9 जून, 2005
14.	हॉस्पिटलर, साओ पॉलो (ब्राजील), 14-17 जून, 2005
15.	दरस्सलाम इंटरनैशनल ट्रेड फेयर, दरस्सलाम (तंजानिया), 30 जून - 10 जुलाई, 2005
16.	समर सोर्सिंग शो, हांगकांग, 5-8 जुलाई, 2005
17.	इंटरनैशनल फैंसी फूड शो न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.), 10-12 जुलाई, 2005
18.	क्रेता-विक्रेता बैठक सिडनी, (आस्ट्रेलिया) 14-15 जुलाई, 2005
19.	क्रेता-विक्रेता बैठक ऑकलैंड, (न्यूजीलैंड) 18-19 जुलाई, 2005
20.	सी.पी.डी. कलेक्शन प्रीमियरेन डसलडोर्फ, डसलडॉर्फ (जर्मनी), 24-26 जुलाई, 2005
21.	एशिया कनज्यूमर एक्सपो, कराची (पाकिस्तान), 27-31 जुलाई, 2005
22.	डू एंड डीन वेल्ट - द ग्रेट कन्ज्यूमर शो, हैमबर्ग (जर्मनी) 26 अगस्त - 4 सितम्बर, 2005
23.	मापुटो इंटरनैशनल फेयर, मोजाम्बिक 29 अगस्त - 4 सितम्बर, 2005
24.	26वां इंडिया गार्मेंट फेयर, ओसाका (जापान), 30 अगस्त - 1 सितम्बर, 2005

1	2
25.	डी.आई.वाई. शो, जापान, 25-27 अगस्त, 2005
26.	एक्सपो इंटरनैशनल, रूजैक, मेक्सिको, 31 अगस्त - 2 सितम्बर, 2005
27.	होम फेयर, बोगोटा (कोलम्बिया) 1-18 सितम्बर, 2005
28.	प्रेट-ए पोर्टर फेयर, पेरिस (फ्रांस) 2-5 सितम्बर, 2005
29.	मासेफ - गिफ्ट्स एंड हाउसवेयर शो, मिलान (इटली) 2-5 सितम्बर, 2005
30.	एक्सपोहोगर, बार्सीलोना (स्पेन), 8-12 सितम्बर, 2005
31.	केन्या इंटरनैशनल ऑटम फेयर, नैरोबी (केन्या), 14-20 सितम्बर, 2005
32.	फियेरा डेल लेवांटे, बारी (इटली) 10-18 सितम्बर, 2005
33.	थेस्सलोनिकी इंटरनैशनल ट्रेड फेयर, थेस्सलोनिकी (ग्रीस), 10-18 सितम्बर, 2005
34.	ए.सी.एल.ई., शंघाई (चीन), 7-9 सितम्बर, 2005
35.	एम.ओ.डी.ए., शंघाई (चीन) 7-9 सितम्बर, 2005
36.	न्यूयॉर्क होम टेक्सटाइल शो, न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.) 8-11 अक्तूबर, 2005
37.	इक्विप ऑटो, पेरिस (फ्रांस), 13-18 अक्तूबर, 2005
38.	पोजनान फैशन वीक, पोजनान (पोलैंड), 6-8 सितम्बर, 2005
39.	जैगरेब इंटरनैशनल ऑटम फेयर, जैगरेब (क्रेएशिया) 13-18 सितम्बर, 2005
40.	दमस्क इंटरनैशनल फेयर, दमस्क (सीरिया) 3-12 सितम्बर, 2005
41.	कीव एक्सपो, कीव (यूक्रेन)
42.	वर्ल्ड फूड, मॉस्को 20-22 सितम्बर, 2005
43.	शनाईरैक, अल्माती (कजाकिस्तान) सितम्बर, 2005
44.	तेहरान इंडस्ट्री फेयर, 2-6 अक्तूबर, 2005
45.	अनुगा फूड फेयर, कोलोन (जर्मनी) 8-10 अक्तूबर, 2005

1	2
46.	सेटेक्स, जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका), 27-30 सितम्बर, 2005
47.	युगांडा इंटरनैशनल फेयर, कम्पाला (युगांडा) 5-11 अक्तूबर, 2005
48.	आई.एन.टी.ई.आर.एफ.ई.आर., ग्वातेमाला सिटी (ग्वातेमाला) 26-28 अक्तूबर, 2005
49.	ए.ए.पी.ई.एक्स. 2005, 1-04 नवम्बर, 2005
50.	ए.टी.एफ. एक्सपोर्ट्स टू अफ्रीका एग्जीबिशन, केप टाउन, (दक्षिण अफ्रीका) 14-16 नवम्बर, 2005
51.	कनज्यूमर गुड्स ट्रेड फेयर, अबु धाबी (यू.ए.ई.), 14 अक्तूबर - 7 नवम्बर, 2005
52.	इंटरनैशनल ट्रेड फेयर, विराना (अल्बानिया)
53.	ए.एफ.-एल. आर्टीजियानो इन फियेरा इंटरनैशनल हैंडीक्राफ्ट्स सेलिंग एग्जीबिशन, मिलान (इटली)
54.	बहरीन कनज्यूमर प्रोडक्ट्स, फेयर, मनामा (बहरीन) 28 नवम्बर - 7 दिसम्बर, 2005
55.	खारतूम इंटरनैशनल फेयर, खारतूम (सूडान) 25 जनवरी-3 फरवरी, 2006
56.	ए.पी.पी.आर.ओ.एफ.ए.एल., इंटरनैशनल फर्निशिंग्स सप्लायर एग्जीबिशन, पेरिस (फ्रांस) 13-17 जनवरी, 2006
57.	डोमोटेक्स, हनोवर (जर्मनी) 14-17 जनवरी, 2006
58.	प्रेट - ए - पोर्टर, पेरिस (फ्रांस) 28-31 जनवरी, 2006
59.	फैंसी फूड शो, सैन फ्रैंसिस्को (यू.एस.ए.) जनवरी, 2006
60.	इंटरनैशनल स्प्रिंग फेयर, बर्मिंघम (यू.के.) 6-10 फरवरी, 2006
61.	मुबाप्लस, बासेल (स्विटजरलैंड) 18-27 फरवरी, 2006
62.	इंटरनैशनल फूड फेयर, शारजाह (यू.ए.ई.) 19-21 फरवरी, 2006
63.	प्रैक्टिकल वर्ल्ड, कोलोन (जर्मनी) 5-8 मार्च, 2006

1	2
64.	लियोन इंटरनैशनल फेयर, लियोन (फ्रांस) 17-27 मार्च, 2006
65.	कायरो इंटरनैशनल फेयर, कायरो (मिस्र) 15-25 मार्च, 2006
66.	फूडेक्स, टोक्यो (जापान) 8-11 मार्च, 2006
67.	इंटरनैशनल होम एम हाउसवेयर शो, शिकागो (यू.एस.ए.), मार्च, 2006
68.	एक्सपो कोमर, पनामा 8-12 मार्च, 2006
69.	मिनी इंडिया शो, बाकु (अजर बैजान)

राज्य वायापार निगम को घाटा

2429. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत के राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.) को घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एस.टी.सी. के निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) एस.टी.सी. वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान हुए घाटे को छोड़कर अपनी स्थापना के समय से ही लगातार लाभ कमाती आ रही है। इन वर्षों के दौरान निम्न को क्रमश: 40 करोड़ रुपए और 84 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। तथापि, इन वर्षों में हुए इन घाटों का एक बड़ा भाग प्रत्यक्षत: निगम के निष्पादन से संबंधित नहीं था। यह घाटा मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से हुआ था:-

- यू.एस.-64 यूनिटों में किये गये निवेशों के मूल्य में कमी।
- स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना से संबंधित पूर्ववर्ती वर्षों के खर्चों का परिशोधन।
- सरकार से पुरानी बकाया राशियों को वसूली में कमी के कारण बट्टे खाते डालना।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में हुए लाभ/घाटे का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

कारोबार	2002-03	2003-04	2004-05 (अनन्तिम)
कर पूर्व लाभ	(-) 83	26	31
कर पश्चात लाभ	(-) 84	20	23.5

(घ) वित्त वर्ष की शुरुआत में निष्पादन लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए कम्पनी और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक होता है सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि के अंतर्गत निधियां

2430. श्री सुरेश चन्देल: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि के अंतर्गत वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 में राज्यों को शहरी विकास के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई तथा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा उक्त योजना के प्रोत्साहन में इससे कितनी मदद मिली; और

(ग) देश के उन शहरों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष (यू.आर.आई.एफ.) के तहत 24 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने 2003-04 में करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इनमें आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पं. बंगाल,

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़ और दिल्ली शामिल हैं। शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष के तहत 3 और राज्यों ने 2004-05 में करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये राज्य पंजाब, झारखण्ड और जम्मू तथा कश्मीर हैं।

(ख) शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष के तहत राशियों के राज्यवार नियतन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अनेक राज्यों ने विभिन्न सहमत सुधार क्षेत्रों में कुछ उपलब्धियां हासिल की है और तदनुसार ही उन्हें 2004-05 के दौरान शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष राशियों की दूसरी किश्त जारी की गई है।

(ग) शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा राशियां अतिरिक्त केन्द्रीय सहायताके रूप में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की गई न कि शहरों को।

विवरण

शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का वार्षिक नियतन-राज्यवार

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	नियतन (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	35.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.40
3.	असम	5.95
4.	बिहार	15.20
5.	छत्तीसगढ़	7.30
6.	गोवा	1.15
7.	गुजरात	33.10
8.	हरियाणा	10.70
9.	हिमाचल प्रदेश	1.05
10.	जम्मू-कश्मीर	4.40
11.	झारखण्ड	10.50
12.	कर्नाटक	31.40
13.	केरल	14.50
14.	मध्य प्रदेश	28.20
15.	महाराष्ट्र	71.85
16.	मणिपुर	1.00
17.	मेघालय	0.80
18.	मिजोरम	0.75
19.	नागालैण्ड	0.60
20.	उड़ीसा	9.65
21.	पंजाब	14.45
22.	राजस्थान	23.15
23.	सिक्किम	0.10
24.	तमिलनाडु	47.75
25.	त्रिपुरा	0.95
26.	उत्तरांचल	3.80
27.	उत्तर प्रदेश	60.45
28.	प. बंगाल	39.40
	संघ शासित प्रदेश	
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	22.45
2.	पांडिचेरी	1.15
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.20
4.	चण्डीगढ़	1.40
5.	दादरा एवं नगर हवेली	0.10
6.	लक्षद्वीप	0.05
7.	दमन और दीव	0.10
	कुल	500.00

[अनुवाद]

डी.डी.ए. द्वारा ऑफीसर्स क्लब का निर्माण

2431. श्री जुएल ओराम: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) द्वारा दिल्ली के सिरिफोर्ट में एक ऑफिसर्स क्लब का निर्माण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करके डी.डी.ए. द्वारा ऐसे क्लब का निर्माण करने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने बताया है कि खेल के मैदान, मनोरंजनात्मक क्षेत्र, भोजन और रहने की व्यवस्था आदि के रूप में उपयोग के लिए मास्टर प्लान-2001 में विनिर्धारित भूमि पर सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र में डी.डी.ए. के कर्मचारियों के लिए एक क्लब का निर्माण करने का निर्मय लिया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) ने निर्माण के दौरान स्थल का निरीक्षण किया था तथा अपने निरीक्षण में मलबे के नीचे दबी मूल दीवार को उघाड़कर समुचित भू-दृश्य निर्माण करने की सलाह डी.डी.ए. को दी थी। बाद में इस परिसर का उपयोग एच.आर.डी. संस्थान के रूप में किया गया। एक रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये निदेशों के अनुसरण में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक जांच की और पाया कि किया गया निर्माण कार्य प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 का उल्लंघन था। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डी.डी.ए. द्वारा यथा प्रस्तावित उस भवन को अपने अधिकार में लेने तथा उसका उपयोग विरासत के संरक्षण और अनुरक्षण से संबंधित आवश्यकताओं के लिए करने पर सहमत हो गया है।

आयातित चाय का मूल्य

2432. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान तथा उसके बाद विदेशों से आयातित चाय की दर के संबंध में देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसका आयात भारत में चाय उत्पादन की लागत से काफी कम दरों पर किया गया है;

(ग) यदि हां, तो औसत आयात-लागत तथा स्वदेशी चाय की उत्पादन लागत कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा चाय के स्वदेशी उत्पादकों के लिए उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने तथा सस्ती दरों पर आयातित चाय के पाटन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) आयात के प्रमुख स्रोतों से भारत में आयातित चाय की इकाई सी.आई.एफ. (लागत, बीमा एवं भाड़ा) कीमत के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(रुपए प्रति किग्रा.)

देश का नाम	2003	2004*	2005 (जनवरी से मई, 2005)*
वियतनाम	32.07	32.56	36.04
केन्या	83.28	82.25	74.61
नेपाल	–	58.82	62.21
इंडोनेशिया	56.61	57.73	60.21
चीन	68.96	37.35	37.22

*अनन्तिम

(ख) और (ग) वर्ष 2004 के दौरान आयातित चाय की भारित औसत इकाई सी.आई.एफ. कीमत 45.68 रुपए प्रति किग्रा. थी। भारत में चाय की उत्पादन लागत क्षेत्रवार और साथ ही एक ही चाय उपजकर्ता क्षेत्र में एस्टेट क्षेत्र तथा क्रीत पत्ती/ सहकारी क्षेत्र के बीच अलग-अलग होती है। देश में आयातित अधिकतर चाय पुनर्निर्यात के लिए होती है और घरेलू उपभोग के लिए आयात हमारे अपने उत्पादन की तुलना में बहुत ही कम हैं इसलिए आयातित चाय की कीमत का उत्पादन की घरेलू लागत पर नगण्य प्रभाव है।

(घ) भारत में चाय के आयात पर आयात शुल्क की सामान्य दर 100% है। भारतीय चायों की गुणवत्ता तथा ब्रांड इक्विटी

को बनाए रखने के लिए सरकार ने चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1957 का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 01-04-2005 को चाय अधिनियम 1953 के प्रावधानों के तहत एक नया चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 जारी किया है। नए आदेश में चाय के लिए कड़े मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं और यह भी निर्धारित किया गया है कि सभी चायों, चाहे आयातित हों अथवा निर्यातित, के लिए नए आदेश में दिए गए विनिर्देशनों को पूरा करना अपेक्षित होगा।

हडको द्वारा स्वीकृत ऋण

2433. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह**: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक आवासीय परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) द्वारा वर्ष-वार कितना ऋण स्वीकृत किया गया; और

(ख) इसमें से खर्च की गई राशि का जिला-वार, वर्ष-वार, योजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) द्वारा आवास परियोजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत ऋणों की राशि इस प्रकार है:-

वर्ष	स्वीकृत ऋण (करोड़ रु. में)	जारी ऋण (करोड़ रु. में)
2002-03	116.49	42.99
2003-04	436.46	13.59
2004-05	174.18	184.69
2005-06 (30-6-05 के अनुसार)	05.10	3.05

(ख) जिलावार ब्यौरे संकलित नहीं किए जाते हैं तथापि, वर्षवार, राज्यवार और स्कीमवार ब्यौरे संलग्न विवरण I, II, III, और IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्यवार स्वीकृति/जारी आवास ऋण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	आवास स्वीकृति	वाम्बे स्वीकृति	एन.एस. स्वीकृति	निवास स्वीकृति	कुल स्वीकृति	आवास जारी	वाम्बे जारी	एन.एस. जारी	निवास जारी	कुल जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	278.95	0.00	0.00	32.22	311.17	175.93	0.00	0.00	29.99	205.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	18.52	0.00	0.00	15.05	33.57	7.90	0.00	0.00	10.28	18.18
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21
5.	छत्तीसगढ़	12.39	14.00	0.00	1.07	26.46	8.21	8.72	1.91	0.98	19.82
6.	दिल्ली	32.03	0.00	0.00	11.99	44.02	0.00	0.00	0.00	7.94	7.94
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	6.19	0.00	0.00	0.31	6.50	11.28	0.00	0.00	1.02	12.30
9.	हिमाचल प्रदेश	0.89	0.00	0.00	100.00	100.89	1.07	0.00	0.00	100.00	101.07
10.	हरियाणा	0.00	6.85	0.00	0.00	6.85	19.36	0.00	0.00	0.00	19.36
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65
12.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13.	केरल	55.00	0.00	0.00	424.75	479.75	2.37	0.00	0.00	424.78	427.15
14.	कर्नाटक	1402.58	61.24	0.00	152.71	1616.53	668.58	33.00	0.00	139.21	840.79
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	महाराष्ट्र	518.15	0.00	0.00	51.85	570.00	31.97	0.00	0.00	0.87	32.84
17.	मणिपुर	10.00	0.00	0.00	1.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27
18.	मध्य प्रदेश	43.22	7.25	0.00	5.93	56.40	28.54	0.00	0.00	5.81	34.35
19.	मिजोरम	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	9.97	0.00	0.00	0.00	9.97
20.	नागालैण्ड	34.97	0.00	0.00	0.05	35.02	37.66	0.00	0.00	0.03	37.69
21.	उड़ीसा	24.80	0.00	0.00	206.50	231.30	28.17	0.00	0.00	6.54	34.71
22.	पंजाब	0.00	12.56	0.00	2.00	14.56	0.20	0.00	0.00	2.09	2.29
23.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	10.92	0.00	0.00	0.42	11.34
24.	तमिलनाडु	90.75	23.60	0.00	242.69	357.04	157.04	8.73	0.00	236.62	402.39
25.	त्रिपुरा	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	1.09	0.00	0.00	0.00	1.09
26.	उत्तरांचल	45.85	2.14	0.00	0.54	48.53	11.18	0.69	0.00	0.48	12.35
27.	उत्तर प्रदेश	114.94	0.00	0.00	1.55	116.49	42.17	0.00	0.00	0.82	42.99
28.	प. बंगाल	373.58	0.00	0.00	4.91	378.49	30.05	0.00	0.00	3.83	33.88
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	3072.47	127.64	0.00	1294.25	4494.36	1283.66	51.14	1.91	973.85	2310.56

विवरण-II

वर्ष 2003-2004 के दौरान राज्यवार स्वीकृति/जारी आवास ऋण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	आवास स्वीकृति	वाम्बे स्वीकृति	एन.एस. स्वीकृति	निवास स्वीकृति	कुल स्वीकृति	आवास जारी	वाम्बे जारी	एन.एस. जारी	निवास जारी	कुल जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	848.83	0.00	0.00	19.83	868.66	244.22	0.00	0.00	19.42	263.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.63	0.00	0.00	0.23	7.86	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
3.	असम	34.86	0.00	0.00	15.00	49.86	6.45	0.00	0.00	10.53	16.98
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70
5.	छत्तीसगढ़	23.87	15.20	0.00	0.81	39.88	11.48	0.00	0.42	0.47	12.37
6.	दिल्ली	38.18	0.00	0.00	2.53	40.71	0.00	0.00	0.00	5.29	5.29
7.	गोवा	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	107.51	23.15	0.00	0.60	131.26	25.00	0.00	0.00	0.33	25.33
9.	हिमाचल प्रदेश	295.23	0.00	0.00	0.48	295.71	9.21	0.00	0.00	0.19	9.40
10.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00	4.11
11.	झारखण्ड	0.00	40.00	0.00	4.12	44.12	0.00	0.00	0.00	1.51	1.51
12.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
13.	केरल	68.51	0.00	0.00	9.31	77.82	54.84	0.00	0.00	8.98	63.82
14.	कर्नाटक	417.97	6.66	0.00	11.83	436.46	448.74	21.30	0.00	5.72	475.76
15.	मेघालय	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	महाराष्ट्र	47.80	0.00	0.00	0.69	48.49	25.89	0.00	0.00	51.48	77.37
17.	मणिपुर	10.00	0.00	0.00	0.82	10.82	8.12	0.00	0.00	1.19	9.31
18.	मध्य प्रदेश	135.86	0.86	0.00	5.70	142.42	37.29	0.00	0.64	4.02	41.95
19.	मिजोरम	5.01	0.00	0.00	0.00	5.01	5.18	0.00	0.00	0.00	5.18
20.	नागालैण्ड	30.02	0.00	0.00	0.03	30.05	37.28	0.00	0.00	0.04	37.32
21.	उड़ीसा	25.00	0.00	0.00	3.12	28.12	6.20	0.00	0.00	3.28	9.48
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	30.00	0.00	0.00	0.41	30.41	15.42	0.00	0.00	0.23	15.65
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	120.73	0.00	0.00	35.22	155.95	88.70	11.30	0.00	34.71	134.71
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तरांचल	165.96	3.89	0.00	0.64	170.49	45.36	0.36	0.00	0.65	46.37
28.	उत्तर प्रदेश	433.41	0.00	0.00	3.05	436.46	12.24	0.00	0.00	1.35	13.59
29.	प. बंगाल	31.16	0.00	0.00	12.64	43.80	8.83	0.37	0.00	5.89	15.09
30.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24
32.	पांडिचेरी	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35
	कुल	2883.94	89.76	0.00	130.53	3104.23	1095.91	33.33	1.06	157.27	1287.57

विवरण-III

वर्ष 2004-2005 के दौरान राज्यवार स्वीकृति/जारी आवास ऋण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	आवास स्वीकृति	वाम्बे स्वीकृति	एन.एस. स्वीकृति	निवास स्वीकृति	कुल स्वीकृति	आवास जारी	वाम्बे जारी	एन.एस. जारी	निवास जारी	कुल जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	229.81	0.00	0.00	10.60	240.41	220.70	0.00	0.00	10.79	231.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.90	0.00	0.00	0.57	2.47	1.65	0.00	0.00	0.53	2.18
3.	असम	79.78	0.00	0.00	11.06	90.84	13.31	0.00	0.00	11.68	24.99
4.	बिहार	1251.70	0.00	0.00	1.54	1253.24	0.93	0.00	0.00	1.31	2.24
5.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85
6.	छत्तीसगढ़	130.94	0.00	0.00	1.00	131.94	12.30	3.43	1.81	0.92	18.46
7.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	2.18	2.18
8.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
9.	गुजरात	122.00	0.63	0.00	3.10	125.73	14.11	0.00	0.00	2.77	16.88
19.	हिमाचल प्रदेश	6.52	0.00	0.00	0.00	6.52	2.47	0.00	0.00	0.00	2.47
11.	हरियाणा	33.97	0.00	0.00	0.00	33.97	12.86	0.00	0.00	0.00	12.86
12.	झारखण्ड	500.00	0.00	0.00	1.47	501.47	125.00	0.00	0.00	0.99	125.99
13.	जम्मू-कश्मीर	12.32	0.00	0.00	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	केरल	95.35	0.00	0.00	11.51	106.86	4.86	0.00	0.00	10.37	15.23
15.	कर्नाटक	458.02	7.66	0.00	1.63	467.31	191.11	21.30	0.00	1.79	214.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	महाराष्ट्र	64.74	0.00	0.00	2.03	66.77	33.26	0.00	0.00	1.57	34.83
18.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75
19.	मध्य प्रदेश	26.29	12.36	0.00	1.64	40.29	47.36	0.00	0.00	2.28	49.64
20.	मिजोरम	5.00	0.00	0.00	0.56	5.56	5.62	0.00	0.00	0.07	5.69
21.	नागालैण्ड	33.56	0.00	0.00	0.01	33.57	36.22	0.00	0.00	0.01	36.23
22.	उड़ीसा	59.10	0.00	0.00	3.39	62.49	5.00	0.00	0.00	1.51	6.51
23.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	राजस्थान	98.64	0.00	0.00	0.08	98.72	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16
25.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	7.43	4.00	0.00	16.34	27.77	23.29	3.42	0.00	16.84	43.55
27.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
28.	उत्तरांचल	0.00	3.44	0.00	0.30	3.74	15.53	0.00	0.00	0.29	15.82
29.	उत्तर प्रदेश	171.45	0.00	0.00	2.73	174.18	182.69	0.00	0.00	2.00	184.69
30.	प. बंगाल	150.39	0.00	0.00	3.89	154.28	11.05	0.00	0.00	3.43	14.48
31.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	3538.91	28.09	0.00	77.86	3644.86	961.67	28.15	1.81	73.09	1064.72

विवरण-IV

वर्ष 2005-2006 के दौरान राज्यवार स्वीकृति/जारी आवास ऋण (30-06-2005 के अनुसार)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	आवास स्वीकृति	वाम्बे स्वीकृति	एन.एस. स्वीकृति	निवास स्वीकृति	कुल स्वीकृति	आवास जारी	वाम्बे जारी	एन.एस. जारी	निवास जारी	कुल जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	1.54	1.54	29.25	0.00	0.00	1.88	31.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12
3.	असम	2.23	0.00	0.00	1.44	3.67	0.98	0.00	0.00	2.32	3.30
4.	बिहार	6.69	0.00	0.00	0.24	6.93	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06
5.	छत्तीसगढ़	20.20	0.00	0.00	0.20	20.40	0.97	0.00	0.00	0.11	1.08
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
8.	गुजरात	4.70	0.00	0.00	0.19	4.89	3.00	0.00	0.00	0.22	3.22
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20
12.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	37.24	0.00	0.00	1.33	38.57	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27
14.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	2.05	0.00	0.00	0.24	2.29
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	महाराष्ट्र	195.00	0.00	0.00	0.60	195.60	68.19	0.00	0.00	0.60	68.79
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14
18.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00	27.11
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	2.00	0.00	0.00	0.14	2.14
20.	नागालैण्ड	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25.	तमिलनाडु	7.80	0.00	0.00	3.80	11.60	2.77	0.00	0.00	4.77	7.54
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
28.	उत्तर प्रदेश	4.75	0.00	0.00	0.35	5.10	2.48	0.00	0.00	0.57	3.05
29.	प. बंगाल	15.00	0.00	0.00	0.66	15.66	0.46	0.00	0.00	0.80	1.26
30.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	301.61	0.00	0.00	13.32	314.93	139.36	0.00	0.00	14.45	153.81

सड़क सुरक्षा तथा रख-रखाव हेतु विभाग

2434. श्री अनन्त नायक: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दिल्ली में सड़कों के रख-रखाव तथा उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक अलग विभाग बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य महानगरों में भी इसी तरह के कदम उठाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि दिल्ली में सड़कों के रखरखाव और उनकी सुरक्षा के लिए पृथक् विभाग खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

पत्थर प्रसंस्करण इकाइयां

2435. श्री परसुराम माझी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां अब तक पत्थर प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या उड़ीसा के के.बी.के. जिलों में मूल्यवान पत्थरों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की काफी संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में ऐसी पत्थर प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक व्यापार प्रतिनिधि निकाय, रंगीन रत्नों की प्रसंस्करण इकाइयां मुख्यत: राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात राज्यों में स्थित हैं। रंगीन रत्नों का प्रसंस्करण और निर्यात मुख्यत: आयातित कच्ची सामग्री पर आधारित है। आयातित बिना तराशे हुए रंगीन पत्थरों की कम आपूर्ति और देश के भीतर से अनियमित आपूर्ति के कारण उड़ीसा में के.बी.के. जिलों में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में वृद्धि करने के लिए कोई अधिक गुंजाइश नहीं है। तथापि, यदि उचित सुविधाएं उपलब्ध हो तो, इन क्षेत्रों में रत्नों की विभिन्न किस्मों का प्रसंस्करण किया जा सकता है। रत्नों के विकास, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किसी राज्य को मान्यता देने के लिए सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है।

नशीली दवाओं का प्रयोग

2436. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) द्वारा हाल ही में सभी सी.बी.एस.ई. से संबद्ध स्कूलों को एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें उन्हें विद्यार्थियों को नशीली दवाओं का सेवन न करने के संबंध में शिक्षित करने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना बनाने हेतु कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में सभी विद्यालयों को एक परिपत्र जारी करके नशीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया है और सलाह दी है कि वे अनौपचारिक तरीके से पाठ्यचर्या तथा पाठ्येत्तर उपाय करें ताकि विद्यार्थीगण सकारात्मक आचरण हेतु जीवन संबंधी बुनियादी कौशल हासिल करने तथा "नशीली दवाओं को ना" कहने में उन्हें मदद दी जा सके। सुझाए गए कार्यकलाप इस प्रकार हैं:-

- औपचारिक तथा अनौपचारिक चर्चाओं के जरिए संवेदनशील बनाना।
- इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के साथ वार्तालाप सत्र आयोजित करके विद्यार्थियों में जागरूता सृजित करना।
- नशीली दवाओं के सेवन से जुड़े मुद्दों से निपटने हेतु विद्यालय के परामर्शदाताओं को संवेदनशील बनाकर काउंसलिंग संबंधी घटक को सुदृढ़ बनाना।
- नार्कोटिक्स नियंत्रण, सामाजिक न्याय, विधि अधिकारिता आदि क्षेत्रों में कार्यरत स्थानीय नौडल एजेंसियों को शामिल करके बच्चों को शिक्षित करना।
- भूमिका-अदाकारी, महत्व-स्पष्टीकरण, सामूहिक-परिचर्चा आदि-आदि जैसे विशेष तौर पर तैयार किए गए सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप आयोजित करके बच्चों को दृढ़-प्रतिज्ञ बनाना।

शहरी रोजगार

2437. प्रो. एम. रामदास: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में देश में शहरी रोजगार की स्थिति के संकेत दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना में की गई समीक्षा को देखते हुए विद्यमान योजनाओं में सुधार करने अथवा नई शहरी रोजगार योजनाएं शुरू करने का है ताकि रोजगार के और अवसर सृजित किए जा सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा संरचना में लघु शहरी सूक्ष्म उद्यमों के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में रोजगार के और अवसरों का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में, श्रम और रोजगार के अध्याय-8 में शहरी रोजगार की स्थिति का अलग से कोई विवेचन नहीं किया गया है। केवल समग्र रोजगार की स्थिति का ही विवेचन किया गया है। देश में रोजगार मौजूदा दैनिक स्थिति (सी.डी.एस.) के आधार पर 2001-02 में 344.68 मिलियन से बढ़कर 2004-05 में 362.64 मिलियन होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय पहले से ही शहरी बेरोजगारों तथा अल्परोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराने के लिए एक रोजगार मूलक शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के दौरान कुछेक अड़चनों का पता चला है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तथा अन्य संबंधितों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए तथा स्कीम को और कारगर बनाने के लिए सरकार का विचार है कि "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना" के मौजूदा दिशानिर्देशों में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है।

(ङ) और (च) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने संरचना में शहरी लघु उद्यमों के निष्पादन पर ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं कराया है।

(छ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए श्रम सघन क्षेत्र तथा विकास के उप-क्षेत्रों जैसे कृषि, जिसमें समाज मूलक वानिकी शामिल है, पशुपालन, मछली पालन, निर्माण, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, शिक्षा व स्वास्थ्य की पहचान की गई है।

10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002-07) के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 4 लाख लघु उद्यम स्थापित करने तथा 5 लाख शहरी गरीबों का कौशल उन्नयन/प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।

[हिन्दी]

भारत-श्रीलंका व्यापार

2438. प्रो. महादेवराव शिवनकर:

श्री मो. ताहिर:

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

मोहम्मद शाहिद:

श्री मुन्शी राम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-श्रीलंका ने औद्योगिक क्षेत्र में एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संयुक्त आयोग की आयोजित बैठकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) एक देश से दूसरे देश में कुल कितनी राशि हस्तांतरित किए जाने की संभावना है तथा यह समझौता कितने समय तक प्रचालन में रहेगा;

(घ) क्या श्रीलंका बड़ी परियोजनाएं स्थापित करने पर सहमत है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि

2439. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1971-91 की अवधि के बीच असम में हिन्दुओं तथा मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है; और

(ख) असम में मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) 1971-1991 के दौरान मुसलमानों की वृद्धि दर 77.4 प्रतिशत रही जबकि हिन्दुओं की वृद्धि दर 41.9 प्रतिशत रही।

(ख) जनसांख्यिकीय तौर पर मुसलमानों की अधिक वृद्धि दर के लिए स्थान परिवर्तन के साथ-साथ प्रजननता और मृत्यु-दर उत्तरदायी हैं।

आयात शुल्क मुक्त प्रणाली

2440. श्री हरिसिंह चावड़ा:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात शुल्क मुक्त प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा देश में लाई जा रही खाद्य सामग्री से भारतीय किसान प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के दायरे में आने वाली खाद्य सामग्रियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस समस्या को सुलझाने के लिए इस प्रणाली पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन): (क) से (घ) शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है। इन आयातों की अनुमति केवल निर्यात उत्पादन में प्रयोग के लिए है और पुन: बिक्री के लिए घरेलू बाजारों में प्रवेश के लिए इनकी अनुमति नहीं है। कृषि मदों सहित मदों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार करार और नेपाल के साथ संधि के अंतर्गत भी है। श्रीलंका से काली मिर्च और नेपाल से वनस्पति के शुल्क मुक्त आयात के प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख करने वाले अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं। नेपाल से शुल्क मुक्त वनस्पति के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए दिनांक 6-3-2002 से कुल मात्रा को मात्र 1,00,000 टन प्रतिवर्ष तक सीमित कर दिया गया है। यदि मुक्त व्यापार/अधिमानी व्यापार करारों के अंतर्गत होने वाले करारों से घरेलू उद्योग को क्षति होती है तो, करार की शर्तों के अनुसार निवारक कार्रवाई किए जाने की अनुमति है।

[हिन्दी]

मांस का निर्यात

2441. मोहम्मद शाहिद: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान तथा चालू वर्ष में निर्यात किए गए मांस की मात्रा कितनी है तथा इससे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार द्वारा मांस के निर्यात हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ देशों से मांस की मांग की गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उद्योग को कोई पैकेज प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन): (क) पिछले तीन में से प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यातित मांस की मात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (मी. टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
2001-2002	247299	1177.58
2002-2003	303015	1346.01
2003-2004	364227	1663.71

स्रोत: एपीडा/डी.जी.सी.आई. एंड एस, कोलकाता

वर्ष 2004-05 के दौरान मांस और मांस उत्पादों का निर्यात मूल्य 1734.37 करोड़ रुपए था। मांस के निर्यात से संबंधित देश-वार आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.) के प्रकाशन में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) निर्यात बाह्य कारकों समेत अनेक कारकों पर निर्भर होने के कारण, इस प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं है अथवा निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) विभिन्न स्कीमें चलाता है जिनके अंतर्गत रीफर वैनों की खरीद, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली के कार्यान्वयन, घरेलू गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, पैकेजिंग विकास, बाजार विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी आदि के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

सार्क तकनीकी समिति

2442. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि और ग्रामीण विकास पर हाल ही में सार्क (एस.ए.ए.आर.सी.) तकनीकी समिति की कोई बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। काठमांडू स्थित सार्क सचिवालय के कहने पर कृषि एवं ग्रामीण विकास संबंधी सार्क तकनीकी समिति की दूसरी बैठक नई दिल्ली में 27-28 जून, 2005 के दौरान आयोजित की गयी थी।

(ख) इस बैठक में सार्क सदस्य देशों द्वारा आयोजित की जाने वाली जल संसाधन, पशु रोग, ग्रामीण विकास हेतु पशुधन एवं कुक्कुट को शामिल करते हुए विभिन्न कार्यशालाओं; और गरीबी उन्मूलन में स्थानीय स्वसरकारों एवं सरकारी समितियों के प्रशिक्षण की स्थिति की समीक्षा की गयी थी। बैठक के दौरान विचार-विमर्श किए गए कुछेक मुद्दे हैं - क्षेत्रीय खाद्य बैंक एवं क्याड्रेंगल मिल्क ग्रिड की स्थापना, सार्क कृषि सूचना केन्द्र की भूमिका और ग्रामीण विकास संबंधी स्वयंसेवियों का आदान प्रदान। बैठक में व्यवहार्य ग्रामीण परियोजनाओं के लिए कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार के क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग की नेटवर्किंग एवं संवर्द्धन के महत्व को रेखांकित किया गया था जिनका आयोजन, समन्वयन एवं निगरानी काठमांडू स्थित सार्क सचिवालय द्वारा की जाएगी।

[हिन्दी]

निर्यात राजसहायता पर जी-20 राष्ट्रों की प्रतिक्रिया

2443. श्री रामजीलाल सुमन:

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत जी-20 राष्ट्रों ने विकसित देशों के दृष्टिकोण को बदलने के लिए कुछ कदम उठाए हैं जो कृषि उत्पादों और घरेलू कृषि उत्पादन पर राजसहायता प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पादन लागत की तुलना में विकसित देशों द्वारा सहायता और राजसहायता के नाम पर कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी-20 देशों, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है, के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप, वार्ताओं की परिणति अत्यधिक कटौती के प्रति प्रतिबद्ध सहायता के उच्चतर स्तर प्रदान करने वाले सदस्यों के साथ एक विश्वसनीय अंतिम तारीख तक सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने और मुख्यत: खण्डवार पद्धति के आधार पर विकसित देशों द्वारा प्रदत्त व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में पर्याप्त कमी करने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के जुलाई, 2004 के कार्यढांचा करार पर सहमति के रूप में हुई है। इस बात पर भी सहमति हुई है कि ब्लू बॉक्स भुगतानों की अधिकतम सीमा कृषि उत्पादन के कुल मूल्य के 5% पर रखी जाए और नवम्बर, 2001 में डब्ल्यू.टी.ओ. की दोहा मंत्रिस्तरीय बैठक एवं वर्ष 2004 के कार्यढांचे में सहमत बातचीत द्वारा तय अधिदेश के अनुरूप ब्लू बॉक्स अथवा ग्रीन बॉक्स के लिए पात्र घरेलू सहायता उपायों के लिए मानदंडों को सुदृढ करने के लिए बातचीत की जाए। आगे इस बात पर भी सहमति हुई है

कि विकसित देशों की तुलना में आनुपातिक रूप से कम वचनबद्धताएं करने वाले विकासशील देशों के साथ बाजार पहुंच में पर्याप्त सुधार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संबंधी चिंताओं तथा ग्रामीण विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकासशील देशों के कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में विशेष उत्पादों एवं नए विशेष रक्षोपाय तंत्र जैसे साधनों पर भी सहमति हुई है। उसके बाद से जी-20 देशों द्वारा आवश्यकतानुसार मंत्री स्तर पर तथा अधिकारी स्तर पर नियमित बैठकें की जा रही हैं ताकि वे विस्तृत रूपरेखाओं में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा वार्ताधीन डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्यों की आगे की प्रतिबद्धताओं के प्रति अपनी कार्यनीति और नीति तैयार कर सकें। ये वार्ताएं दिसम्बर, 2006 तक सम्पन्न होने की संभावना है।

(ग) विकसित देशों द्वारा उत्पादन लागत डब्ल्यू.टी.ओ. को अधिसूचित नहीं की जाती है। तथापि, कुछेक विकसित देशों के लिए आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) द्वारा परिगणित प्रतिशत उत्पादक सहायता अनुमानों के बारे में एक वियरण संलग्न है, जिससे सकल कृषि प्राप्तियों के हिस्से के रूप में उत्पादक सहायता के मूल्य का पता चलता है।

विवरण

ओ.ई.सी.डी. द्वारा उत्पादक सहायता अनुदान (पी.एस.ई.)

देश		इकाई	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6
ऑस्ट्रेलिया	पी.एस.ई.	मिलि. अम. डॉ.	1058	1063	1085
	% पी.एस.ई.	%	5	4	4
कनाडा	पी.एस.ई.	मिलि. अम. डॉ.	4798	6051	5714
	% पी.एस.ई.	%	21	25	21
चेक गणराज्य	पी.एस.ई.	मिलि. अम. डॉ.	967	1165	एन.सी.
	% पी.एस.ई.	%	25	29	एन.सी.
यूरोपीयन आयोग	पी.एस.ई.	मिलि. अम. डॉ.	91407	118028	133386
	% पी.एस.ई.	%	34	36	33
हंगरी	पी.एस.ई.	मिलि. अम. डॉ.	1871	1685	एन.सी.
	% पी.एस.ई.	%	33	28	एन.सी.
आइसलैंड	पी.एस.ई.	मिलि. अम. डॉ.	165	204	216
	% पी.एस.ई.	%	70	72	69
जापान	पी.एस.ई.	मिलि. अम. डॉ.	44162	47874	48737
	% पी.एस.ई.	%	58	59	56
कोरिया	पी.एस.ई.	मिलि. अम. डॉ.	17575	17334	19849
	% पी.एस.ई.	%	65	61	63

1	2	3	4	5	6
मैक्सिको	पी एस.ई.	मिलि. अम. डॉ.	8961	6661	5452
	% पी.एस.ई.	%	26	19	17
न्यूजीलैंड	पी.एस.ई.	मिलि. अम. डॉ.	103	198	257
	% पी.एस.ई.	%	2	2	3
नॉर्वे	पी.एस.ई.	मिलि. अम. डॉ.	2755	2995	2955
	% पी.एस.ई.	%	74	72	68
पोलैंड	पी.एस.ई.	मिलि. अम. डॉ.	2681	1224	एन.सी.
	% पी.एस.ई.	%	19	8	एन.सी.
स्लोवाक गणराज्य	पी.एस.ई.	मिलि. अम. डॉ.	343	469	एन.सी.
	% पी.एस.ई.	%	21	25	एन.सी.
स्विटजरलैंड	पी.एस.ई.	मिलि. अम. डॉ.	4885	5336	5807
	% पी.एस.ई.	%	73	71	68
तुर्की	पी.एस.ई.	मिलि. अम. डॉ.	5614	10846	11635
	% पी.एस.ई.	%	20	29	27
संयुक्त राज्य अमरीका	पी.एस.ई.	मिलि. अम. डॉ.	39105	35618	46504
	% पी.एस.ई.	%	18	15	18

एन.सी. = गणना नहीं की गयी है।

[अनुवाद]

दृष्टिहीन व्यक्तियों हेतु नई शिक्षा नीति

2444. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के दृष्टिहीन व्यक्तियों हेतु नई शिक्षा नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्री ने 21 मार्च, 2005 को विकलांग बच्चों एवं युवाओं के लिए समावेशी शिक्षा संबंधी व्यापक कार्य योजना के संबंध में राज्य सभा में एक बयान दिया था। विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा (आई.ई.डी.सी.) नामक विद्यमान योजना को संशोधित किया जाएगा तथा इसका नाम 'विकलांग बच्चों एवं युवाओं की समावेशी शिक्षा' रखा जाएगा। इसके अलावा विशेष जरूरत वाले बच्चों एवं युवाओं के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन की मानीटरिंग के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की एक स्थायी समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

लड़कियों हेतु आरक्षण

2445. श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यालयों में प्रवेश स्तर पर लड़कियों के दाखिलों में आरक्षण सम्बन्धी कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और उक्त प्रावधान के अनुपालन की मानीटरिंग के लिए कोई प्रणाली है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार विद्यालयों में प्रवेश स्तर पर लड़कियों के लिए सीटें आरक्षित रखने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में की गई पहल क्या है;

(ङ) क्या कन्या शिक्षा संबंधी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कमेटी ने लड़कियों के लिए नियमित विद्यालयों में प्रवेश स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण और विद्यालयों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली छात्राओं के लिए आकर्षक छात्रवृत्ति प्रदान करने की सिफारिश की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य सिफारिशें क्या हैं;

(छ) क्या सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और?

(ज) यदि हां, तो ये सिफारिशें कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) लड़कियों की शिक्षा तथा सामान्य स्कूल प्रणाली से सम्बन्धित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उप-समिति ने यह टिप्पणी की है कि लड़कियों के लिए नियमित स्कूलों में दाखिले के समय 50% सीटें आरक्षित की जानी चाहिए।

(छ) और (ज) लिंग के आधार पर सकारात्मक भेद-भाव के मुद्दे की जांच की जानी है।

औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना

2446. श्री के. विरूपाक्षप्पा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक समूह (क्लस्टर) योजना की प्रगति का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है;

(ग) सरकार को औद्योगिक समूहों (क्लस्टर्स) के विकास के लिए राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) वर्तमान में राज्य-वार विशेषकर कर्नाटक के ऐसे समूहों (क्लस्टर्स) के विकास के कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना, आई.आई.यू.एस. दिसंबर, 2003 के दौरान शुरू की गई थी। तब से विभिन्न समूहों (क्लस्टर्स) के 28 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है। वर्ष-वार प्रगति की रिपोर्ट विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) कर्नाटक सहित सभी राज्यों के लिए समूह (क्लस्टर्स) प्रस्तावों की सूची तथा उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

अनुमोदित समूह (क्लस्टर्स) प्रस्तावों की सूची

क्र.सं.	समूह (क्लस्टर) का नाम	राज्य	परियोजना लागत	केन्द्रीय अनुदान	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6
		2003-2004 में अनुमोदित			
1.	वस्त्र समूह	त्रिपुर, तमिलनाडु	143.50	50.00	25.00
2.	रसायन समूह	वापी, गुजरात	54.31	40.49	12.50

1	2	3	4	5	6
		2004-2005 में अनुमोदित			
3.	आटो समूह	विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	31.08	23.50	7.80
4.	धातुकर्मी उद्योग	जाजपुर, उड़ीसा	62.50	47.00	15.66
5.	आटो एंसिलरी समूह	चेन्नई, तमिलनाडु	47.20	35.00	11.70
6.	रसायन समूह	अंकलेश्वर, गुजरात	152.83	50.00	33.40
7.	आटो कंपोनेन्टस समूह	पुणे, महाराष्ट्र	59.99	44.99	15.00
8.	सीरियल्स, पल्सेज तथा स्टेपल्स समूह	मदुरई, तमिलनाडु	39.96	29.97	10.00
9.	वस्त्र समूह	लुधियाना, पंजाब	17.19	12.69	4.21
10.	मार्बल समूह	किशनगढ़, राजस्थान	36.80	27.60	9.20
11.	आटो समूह	पीतमपुरा, मध्य प्रदेश	73.29	49.94	16.65
12.	फाउण्ड्री समूह	बेलगाम, कर्नाटक	24.78	18.54	6.19
13.	मशीन टूल समूह	बंगलौर, कर्नाटक	135.55	49.12	16.37
14.	कॅयर समूह	केरल	56.80	42.60	14.20
15.	वस्त्र समूह, पानीपत	हरियाणा	54.53	40.90	13.63
16.	जेम तथा ज्वेलरी समूह, सूरत	गुजरात	85.80	50.00	16.70
17.	फार्मा समूह	हैदराबाद	66.16	49.62	-शून्य-
18.	इस्पात भूमि समूह	राजपुर, छत्तीसगढ़	54.11	29.87	8.00*
19.	चमड़ समूह,	कानपुर, उत्तर प्रदेश	27.34	9.747	1.95
20.	फाउण्ड्री पार्क	हावड़ा, पश्चिम बंगाल	119.74	40.40	8.48
21.	मल्टी उद्योग समूह	हलदिया, पश्चिम बंगाल	67.25	36.97	7.39
22.	रबड़ समूह	हावड़ा, पश्चिम बंगाल	29.74	15.72	3.14
23.	वस्त्र समूह	आइचलकरंजी, महाराष्ट्र	65.07	32.70	6.54*
24.	रसायन समूह	अहमदाबाद, गुजरात	69.86	41.39	8.30*
25.	चमड़ा समूह	अम्बर, तमिलनाडु	67.34	43.49	8.70*
26.	पम्प, मोटर तथा फाउण्ड्री समूह	कोयम्बटूर, तमिलनाडु	66.39	39.22	8.00*

1	2	3	4	5	6
		2005-2006 में अनुमोदित (*राशि वर्ष 2005-2006 हेतु बजटीय प्रावधान से जारी की गई थी)			
27.	इंजीनियरिंग समूह	फरीदाबाद, हरियाणा	79.56	49.93	
28.	आयुर्वेदिक समूह	थिरिसुर, केरल	40.00	21.77	

विवरण-II

प्राप्त किये गये समूह (क्लस्टर) प्रस्तावों की सूची तथा उनकी स्थिति

क्र.सं.		वर्गीकृत समूह (कलस्टर)	स्थापना स्थल	आज की तारीख में स्थिति
1		2	3	4
	I	आन्ध्र प्रदेश		
1.	1.	आटो कंपोनेंट इण्डस्ट्री	विजयवाड़ा, जिला कृष्णा	अनुमोदित
2.	2.	बल्क ड्रग्स एंड फर्मा क्लस्टर	हैदराबाद	अनुमोदित
3.	3.	प्रीसिजेन इंजीनियरिंग टूल्स एंड कंपोनेंटस	बालानगर, हैदराबाद	एस.पी.वी. को 10 जनवरी, 05 को पत्र भेजा गया। एस.पी.वी. से उत्तर प्रतीक्षित
4.	4.	रेडीमेड गार्मेंटस क्लस्टर	रायदुर्ग, जिला आनन्तपुर	एस.पी.वी. को 10 जनवरी, 05 को पत्र भेजा गया। एस.पी.वी. से उत्तर प्रतीक्षित
5.	5.	लेदर टेनिंग इण्डस्ट्री	वारंगल और पड़ौसी जिला	अस्वीकृत
6.	6.	लेदर टेनिंग इण्डस्ट्री	जिला-विजयानगरम एंड नेवरंग एरिया	अस्वीकृत
7.	7.	कृत्रिम ज्वैलरी क्लस्टर	मछीलीपतनम, जिला कृष्णा	अस्वीकृत
8.	8.	एक्वा-कल्चर क्लस्टर	मिमवारम-विशाखापतनम क्षेत्र	अस्वीकृत
9.	9.	कॅयर क्लस्टर	वेस्ट एंड ईस्ट गोदावरी, हैदराबाद	मूल्यांकन हेतु 18-5-05 को एस.बी.आई. कैप को भेजा गया
10.	10.	सरसिला पावरलूम्स	जिला-करीमनगर	मूल्यांकन हेतु 18-5-05 को एस.बी.आई. कैप को भेजा गया
	II	अरुणाचल प्रदेश		
11.	1.	बेम्बू मेट क्लस्टर	एलंग, वेस्ट सिंग जिला	अस्वीकृत

1		2	3	4
	III	असम		
12.	1.	बांस आधारित क्लस्टर	गुवाहाटी	अस्वीकृत
	IV	छत्तीसगढ़		
13.	1.	इस्पात भूमि क्लस्टर	रायपुर	अनुमोदित
14.	2.	हेवी स्टील इण्डस्ट्रीयल क्लस्टर	भिलाई	अस्वीकृत
15.	3.	लाइट स्टील क्लस्टर	भिलाई	अस्वीकृत
16.	4.	कोसा इण्डस्ट्रीज	जंजगीर-चम्पा	अस्वीकृत
17.	5.	धान उद्योग क्लस्टर	धामतारी	अस्वीकृत
18.	6.	ब्लेक स्टोन कटिंग एंड पोलिसिंग	बासिन (रजीम) रायपुर	अस्वीकृत
19.	7.	धान उद्योग क्लस्टर	टिलडा-नेओरा	अस्वीकृत
20.	8.	मेटल क्राफ्ट इण्डस्ट्री	नागरनर, बस्तर	अस्वीकृत
21.	9.	वुड क्राफ्ट इण्डस्ट्री	जगदलपुर, बस्तर	अस्वीकृत
22.	10.	केमिकल क्लस्टर	भिलाई	अस्वीकृत
23.	11.	विधुत क्लस्टर	भिलाई	अस्वीकृत
24.	12.	आटोमोबाइल क्लस्टर	भिलाई	अस्वीकृत
25.	13.	कार्पेट इण्डस्ट्री	मैनपट, अमबीकापु	अस्वीकृत
26.	14.	राइस मिल्स इण्डस्ट्री	नावापारा-रजीम	अस्वीकृत
27.	15.	राइस मिल्स इण्डस्ट्री	रायगढ़-खरसीया	अस्वीकृत
28.	16.	राइस मिल्स इण्डस्ट्री	राजनन्द गांव	अस्वीकृत
29.	17.	राइस मिल्स इण्डस्ट्री	दुर्ग	अस्वीकृत
30.	18.	राइस मिल्स इण्डस्ट्री	महासामुनद-अरांग	अस्वीकृत
31.	19.	राइस मिल्स इण्डस्ट्री	भाटपारा-बालोदबाझ	अस्वीकृत
	V	दिल्ली		
32.	1.	ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया	ओखला, नई दिल्ली	मूल्यांकन हेतु 18-5-05 को एस.बी.आई. कैप को भेजा गया
	VI	गुजरात		
33.	1.	फोर्जिंग, पेकेजिंग, प्लास्टिक ग्लास इत्यादि	लोदीका जी.आई.डी.सी. इण्डस्ट्रीयल पार्क, राजकोट	एस.बी.आई. केप्स से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। आई.आई.यू.एस. संबंधी शीर्ष समिति के विचारार्थ हेतु लंबित

1	2	3	4
34.	2. केमिकल क्लस्टर	अंकलेश्वर, पानोली एंड झगादय	अनुमोदित
35.	3. केमिकल क्लस्टर	वापी	अनुमोदित
36.	4. केमिकल क्लस्टर	अहमदाबाद	अनुमोदित
37.	5. जेम एंड ज्वैलरी	सूरत	अनुमोदित
38.	6. फार्मा, टेक्सटाइल इंजी. केमिकल क्लस्टर	सचिन	10-1-05 को एस.पी.वी. को पत्र भेजा गया/एस.पी.वी. से स्पष्टीकरण प्रतीक्षित
39.	7. केमिकल क्लस्टर	नंदेसारी	10-1-05 को एस.पी.वी. को पत्र भेजा गया/एस.पी.वी. से स्पष्टीकरण प्रतीक्षित
40.	8. मशीन टूल्स एंड फाउण्ड्री इण्डस्ट्रीज	राजकोट	अस्वीकृत
41.	9. ज्वैलरी क्लस्टर	राजकोट	अस्वीकृत
42.	10. इंजीनियरिंग क्लस्टर	चित्रा, भावनगर	अस्वीकृत
43.	11. इंजीनियरिंग क्लस्टर	मकरपुरा, वाडोदरा	एस.पी.वी. से कुछ अतिरिक्त सूचना देने को कहा गया है एस.पी.वी. का उत्तर प्रतीक्षित है
44.	12. सी फूड प्रोसेसिंग	वेरावाल, जूनागढ़	एस.पी.वी. से कुछ अतिरिक्त सूचना देने को कहा गया है एस.पी.वी. का उत्तर प्रतीक्षित है
45.	13. लेदर क्लस्टर	गुजरात	अस्वीकृत
	VII हरियाणा		
46.	1. लाइट इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीयल क्लस्टर	फरीदाबाद	अनुमोदित
47.	2. टेक्सटाइल्स क्लस्टर	पानीपत	अनुमोदित
48.	3. आटोमोटिव कंपोनेटस	गुड़गांव	विकास हेतु सी.आई.आई. को भेजा गया
	VIII हिमाचल प्रदेश		
49.	1. टेक्सटाइल्स क्लस्टर	नालागढ़ बाड्डी बारोटीवाला	अस्वीकृत
	IX जम्मू और कश्मीर		
50.	1. इलैक्ट्रानिक काम्पलेक्स	रंग्रेथ	अस्वीकृत

1		2	3	4
51.	2.	इण्डस्ट्रीयल काम्पलेक्स	खुनमोह	अस्वीकृत
52.	3.	इण्डस्ट्रीयल काम्पलेक्स	शालटेंग	अस्वीकृत
	X	झारखंड		
53.	1.	आटो क्लस्टर	आदित्यपुर, जमशेदपुर	एस.पी.वी. ने परियोजना संशोधित करने का प्रस्ताव किया है संशोधित डी.पी.आर. प्रतीक्षित है
	XI	कर्नाटक		
54.	1.	फाउंड्री इण्डस्ट्रीयल काम्पलेक्स	बेलगांव	अनुमोदित
55.	2.	मशीन टूल्स	बंगलौर	अनुमोदित
56.	3.	गामेंट क्लस्टर	बेलारी	अस्वीकृत
57.	4.	केशुव क्लस्टर	मंगलौर	अस्वीकृत
58.	5.	कॅयर क्लस्टर	हासन	अस्वीकृत
59.	6.	कॅयर क्लस्टर	चेन्नापटना	अस्वीकृत
60.	7.	दाल इण्डस्ट्रीयल क्लस्टर	गुलबर्गा	अस्वीकृत
61.	8.	वाल्वस क्लस्टर	हुबली	अस्वीकृत
62.	9.	ऑट एंड संबद्ध इण्डस्ट्रीज क्लस्टर	सिमोगा	11-5-05 को मूल्यांकन हेतु आई.डी.एफ.सी. को भेजा गया
	XII	केरल		
63.	1.	किंफ्रा हर्बल ड्रग्स क्लस्टर	त्रिसुर	अनुमोदित
64.	2.	कॅयर क्लस्टर	आपूजा	अनुमोदित
65.	3.	केमिकल्स	कोच्ची	एस.पी.वी./राज्य सरकार से कुछ अतिरिक्त सूचना प्रदान करने को कहा गया है। उत्तर प्रतीक्षित है।
	XIII	मध्य प्रदेश		
66.	1.	आटो क्लस्टर	पीतमपुर	अनुमोदित
67.	2.	इंजी. एवं संबद्ध क्लस्टर	भोपाल	कुछ अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने के लिए एस.पी.वी. से अनुरोध किया गया है। एस.पी.वी. से उत्तर की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
68.	3. रेडीमेड गार्मेंटस क्लस्टर	जबलपुर	जांच अधीन
69.	4. खाद्य प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग क्लस्टर	छिंदवाड़ा	जांच अधीन
	XIV महाराष्ट्र		
70.	1. टेक्सटाइल्स क्लस्टर	इछलकरनजी, कोल्हापुर	अनुमोदित
71.	2. आटो कंपोनेंटस क्लस्टर	पुणे	अनुमोदित
72.	3. पोमग्रेनेट क्लस्टर	शोलापुर, सांगली, पुणे	25-11-04 को पत्र भेजा गया था उसके बाद 12-7-05 को अनुस्मारक भेजा गया था। एस.पी.वी. से स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
73.	4. दाल मिलिंग	कापसी, ताल कामपटी, जिला नागपुर	13-11-04 को पत्र भेजा गया था उसके बाद 30-6-05 को अनुस्मारक भेजा गया था। एस.पी.वी. से स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
74.	5. केमिकल क्लस्टर	माहाद, जिला रायगढ़	25-11-04 को पत्र भेजा गया था। एस.पी.वी. से स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
75.	6. केमिकल क्लस्टर	थाणे-बेलापुर, इंड. एरिया नवी मुंबई	अस्वीकृत
76.	7. केमिकल इंड इंजी. मर्दे	रोहा, जिला-रायगढ़	अस्वीकृत
77.	8. केमिकल क्लस्टर	लोटे परशुराम इंड. स्टेट	अस्वीकृत
78.	9. आटो मोबाइल क्लस्टर	औरंगाबाद	अस्वीकृत
79.	10. फाउण्ड्री इंड इंजी. क्लस्टर	कोल्हापुर, महाराष्ट्र	18-5-05 को मूल्यांकन हेतु एस.बी.आई. कैप को भेजा गया
	XV उड़ीसा		
80.	1. स्टील एंड धातुकर्मी	जाजपुर	अनुमोदित
	XVI पंजाब		
81.	1. टैक्स्टाइल्स क्लस्टर	लुधियाना	अनुमोदित
82.	2. रिरोलिंग स्टील मिल्स	मंडी गोबिन्दगढ़	एस.पी.वी. को प्रस्ताव को संशोधित करने के लिए कहा गया है संशोधित परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
83.	3. वाइसाइकिल एंड पार्टस	लुधियाना	21-12-04 को पत्र भेजा गया था। एस.पी.वी. से स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
84.	4. मशीन टूल्स	बटाला	18-5-05 को मूल्यांकन हेतु एस.बी.आई. कैप को भेजा गया
85.	5. स्टील फोर्जिंग क्लस्टर	लुधियाना	अस्वीकृत
	XVII राजस्थान		
86.	1. मार्बल क्लस्टर	किशनगढ़	अनुमोदित
87.	2. कामन वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधा	मावली, उदयपुर	अस्वीकृत
	XVIII तमिलनाडु		
88.	1. एम्बर लेदर क्लस्टर	एम्बर	अनुमोदित
89.	2. पम्प/मोटर्स/फाउण्ड्री	कोयम्बटूर	अनुमोदित
90.	3. आटो एंसिलरी इण्डस्ट्री	चैन्नई	अनुमोदित
91.	4. सीरिलस, पल्सेज तथा स्टेप्ल्स मिलिंग क्लस्टर	मदरैई	अनुमोदित
92.	5. टैक्स्टाइल्स क्लस्टर	त्रिपुर	अनुमोदित
93.	6. प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग क्लस्टर	शिवकाशी	28-06-05 को पत्र भेजा गया था। एस.पी.वी से स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
94.	7. कॉयर क्लस्टर	सेलम, नामकाई, धर्मापुरी और बेलौर	कॉयर बोर्ड से उनकी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है जो प्रतीक्षित है।
95.	8. मेंगो पल्प प्रोजेक्ट	कृष्णागिरी (धर्मापुरी जिला)	अस्वीकृत
96.	9. फार्मास्यूटिकल	चैन्नई	अस्वीकृत
97.	10. माचिस और पटाखे उत्पाद	शिवकांशी (तमिलनाडु)	अस्वीकृत
98.	11. चाय क्लस्टर	नीलगिरी (तमिलनाडु)	अस्वीकृत
	IXX त्रिपुरा		
99.	1. बम्बू हेंडीक्राफ्ट	त्रिपुरा	11-3-05 को मूल्यांकन हेतु एस.बी.आई. कैप को भेजा गया

1	2	3	4
	XX उत्तर प्रदेश		
100.	1. चमड़ा क्षेत्र	कानपुर-उन्नाव	अनुमोदित
101.	2. वूडवेयर इण्डस्ट्रीज क्लस्टर	सहारनपुर	जांच अधीन
102.	3. सिल्क एंड कार्पेट क्लस्टर	वाराणसी	एस.पी.वी. को प्रस्ताव को संशोधित करने के लिए कहा गया है संशोधित परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
103.	4. जगदीशपुर इण्डस्ट्रीयल क्लस्टर	अमेठी	जांच अधीन
104.	5. कांच उद्योग	फिरोजाबाद	अस्वीकृत
	XXI पश्चिम बंगाल		
105.	1. फाउण्ड्री पार्क	हावड़ा	अनुमोदित
106.	2. मल्टी इण्डस्ट्री क्लस्टर	हल्दिया	अनुमोदित
107.	3. रबड़ क्लस्टर	हावड़ा	अनुमोदित
108.	4. आयरन एंड स्टील इण्डस्ट्री क्लस्टर	दुर्गापुर	जांच अधीन

छात्र विनिमय कार्यक्रम

2447. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्रबंधन संस्थानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय/विदेशी बिजनेस विद्यालयों के साथ छात्रों के विनिमय में सरकार की कोई भूमिका होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतर्राष्ट्रीय/विदेशी बिजनेस विद्यालयों के साथ छात्रों के विनिमय में संलग्न भारतीय संस्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय प्रबंध संस्थानों के लिए छात्र विनिमय कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस विद्यालय के साथ संबद्ध करना अनिवार्य कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संभावित परिणाम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कुछेक भारतीय प्रबंधन संस्थानों में स्वयं के छात्र विनिमय कार्यक्रम शुरू किए हैं क्योंकि ऐसे कार्यक्रम सांस्कृतिक विनिमय तथा ज्ञान वृद्धि में सहायक होते हैं।

ए.एस.आई.डी.ई. योजना के अंतर्गत सहायता

2448. श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में निर्यात अवसंरचना एवं अन्य गतिविधियों के विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.) योजना के अंतर्गत राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) राज्यों को इस योजना के अंतर्गत धनराशि के आबंटन के मानदण्ड क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या 2004-2005 में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश को ए.एस.आई.डी.ई. योजना के अंतर्गत कम आबंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस अन्तर को पाटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं;

(च) क्या सरकार को केरल सरकार से त्रिवेन्द्रम में इंटरनेशनल एनीमेशन स्कूल की स्थापना के लिए ए.एस.आई.डी.ई. योजना के अंतर्गत किसी अतिरिक्त धनराशि का अनुरोध किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) राज्य सरकार को अपेक्षित धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.) स्कीम के राज्य संघटक के अंतर्गत राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के राज्य संघटक के अंतर्गत निधियों का आबंटन अन्य बातों के साथ-साथ वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एंड एस.) द्वारा संकलित पण्य वस्तु निर्यातों के राज्यवार आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2004-05 के दौरान उत्तर प्रदेश को 12.59 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गयी है।

(च) से (ज) त्रिवेन्द्रम में एक इंटरनेशनल एनीमेशन स्कूल की स्थापना हेतु एक परियोजना केरल सरकार से प्राप्त हुई थी जिस पर ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के अंतर्गत विचार किया गया था। राज्य सरकार से कहा गया है कि वह ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के राज्य संघटक के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु उक्त परियोजना राज्य की राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (एस.एल.ई.पी.सी.) के समक्ष प्रस्तुत करे।

विवरण

ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के अंतर्गत राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	आवंटित राशि	जारी की गई राशि	आवंटित राशि	जारी की गई राशि	आवंटित राशि	जारी की गई राशि	आवंटित राशि
		2002-03	2002-03	2003-04	2003-04	2004-05	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	1,385.00	1,385.00	1,545.00
2.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	200.00	200.00	200.00	100.00	200.00	0	200
3.	बिहार	300.00	300.00	650.00	0.00	200.00	0.00	200
4,	चण्डीगढ़	100.00	100.00	200.00	0.00	200.00	0.00	320
5.	छत्तीसगढ़	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	500.00	500
6.	दादर एवं नगर हवेल	150.00	150.00	300.00	0.00	200.00	0.00	200
7.	दमन एवं दीव	150.00	150.00	300.00	0.00	200.00	0.00	200
8.	दिल्ली	100.00	100.00	200.00	0.00	265.00	0.00	265
9.	गोवा	600.00	600.00	600.00	600.00	373.00	373.00	609
10.	गुजरात	1,400.00	1,400.00	1,500.00	1,500.00	3,578.00	3,578.00	4,338.00
11.	हरियाणा	600.00	600.00	600	600.00	849.00	849.00	1,405.00
12.	हिमाचल प्रदेश	700.00	700.00	750	750.00	500.00	500.00	553
13.	जम्मू-कश्मीर	600.00	600.00	600.00	600.00	500.00	500.00	525
14.	झारखण्ड	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	0.00	500
15.	कर्नाटक	1,800.00	1,800.00	1,900.00	1,900.00	2,414.00	2,414.00	3,399.00
16.	केरल	1,100.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00	930.00	930.00	1,0698.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	लक्षद्वीप	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0	200
18.	मध्य प्रदेश	2,000.00	2,000.00	1,100.00	1,100.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00
19.	महाराष्ट्र	1,600.00	1,600.00	3,400.00	3,400.00	5,709.00	5,709.00	6,552.00
20.	उड़ीसा	450.00	450.00	1,000.00	1,000.00	605.00	605.00	693
21.	पांडिचेरी	300.00	300.00	300.00	150.00	200.00	0.00	200
22.	पंजाब	900.00	900.00	1,000.00	1,000.00	968.00	968.00	1,217.00
23.	राजस्थान	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00
24.	तमिलनाडु	2,800.00	2,800.00	3,000.00	3,000.00	3,919.00	3,919.00	3,919.00
25.	उत्तर प्रदेश	2,000.00	2,000.00	2,100.00	2,100.00	1,259.00	1,259.00	2,100.00
26.	उत्तरांचल	400.00	400.00	400.00	200.00	500.00	500.00	527
27.	पश्चिम बंगाल	1,000.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00	1,491.00	1491.00	2,009.00
	कुल	22,650.00	22,650.00	26,000.00	23,900.00	30,400.00	28,235.00	36,000.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र								
1.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	100.00	125.00	125.00	251.00	0.00	251
2.	असम	400.00	400.00	500.00	500.00	1149.00	1149.00	1,257.00
3.	मणिपुर	200.00	200.00	250.00	0.00	200.00	200.00	206
4.	मिजोरम	100.00	100.00	250.00	0.00	200.00	200.00	324
5.	मेघालय	200.00	200.00	250.00	250.00	572.00	572.00	834
6.	नागालैण्ड	100.00	100.00	125.00	50.00	200.00	200.00	200
7.	सिक्किम	50.00	50.00	125.00	0	200	0.00	200
8.	त्रिपुरा	300.00	300.00	375.00	375.00	828.00	828.00	728
	कुल	1450.00	1450.00	2000.00	1300.00	3600.00	3149.00	4000
	कुल योग	24,100.00	24,100.00	28,000.00	25,200.00	34,000.00	31,384.00	40,000.00

मणिपुर में कानून व्यवस्था

2449. श्री बाडिगा रामाकृष्णा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुर में कई सरकारी कार्यालयों में आग लगा दी गई है जैसा कि दिनांक 11 जुलाई, 2005 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) भारतीय आरक्षित बटालियन (आई.आर.बी.) के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, आन्दोलनकारियों ने सेनापति में दो सरकारी कार्यालयों को आग लगा दी। चन्देल कस्बे में, एस.डी.ओ. के कार्यालय (जफोऊ बाजार) तथा वन और रेशम विभाग के कार्यालय को आग लगा दी गई। आन्दोलनकारियों ने तेमंगलोंग में सांख्यिकी, सूचना और प्रचार के कार्यालयों और मत्स्य विभाग तथा एस.डी.ओ. तेमंगलोंग के सरकारी आवास में भी आगें लगा दी। ऊखरूल कस्बे में, आन्दोलनकारियों द्वारा डी.सी. के कार्यालय और कृषि एवं बागवानी विभाग के कार्यालय को जलाया गया।

(ग) इंडिया रिजर्व बटालियन (आई.आर.बी.) को बदल दिया गया है और गलती करने वाले कार्मिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

प्रयुक्त टायरों के आयात पर प्रतिबंध

2450. श्री उदय सिंह:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रयुक्त टायरों का आयात करने वाली कम्पनियों/एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को प्रयुक्त टायरों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) प्रयुक्त टायरों का आयात देश में फैले अनेक लघु व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रयुक्त टायरों के आयात में लगी कम्पनियों/एजेंसियों के नामों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) ऑटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (ए.टी.एम.ए.) ने सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं। ए.टी.एम.ए. ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि प्रयुक्त टायरों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, सीमाशुल्क द्वारा निकासी से पूर्व प्रयुक्त टायरों के आयात की छानबीन की जानी चाहिए, और प्रयुक्त टायरों के आयात को एक अथवा दो निर्दिष्ट पत्तनों के जरिए सीमित किया जाना चाहिए, आदि।

(घ) उपभोक्ताओं एवं विनिर्माताओं के हितों में संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से प्रयुक्त टायरों के आयात को न्यूनतम कीमत तंत्र के जरिए विनियमित करना उचित पाया गया है। इसके अलावा इस मद को आयात हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसकी अनुमति केवल लाइसेंस पर ही दी जाती है। डी.ओ.आर. को इस बात के प्रति आगाह कर दिया गया है कि न्यूनतम कीमत संबंधी प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन पर सतर्कता को बढ़ाया जाए।

[हिन्दी]

संगमरमर का आयात

2451. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात-निर्यात नीति का दुरुपयोग करके और उपभोक्ताओं को गुमराह करके बड़े पैमाने पर गैर-पालिश संगमरमर के पत्थरों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारतीय संगमरमर के उत्पादन में 50% की कमी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इसके लिए एक कृतिक बल गठित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसका गठन कब तक कर दिया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक परिषद् की स्थापना

2452. श्री सनत कुमार मंडल:

श्री थावर चन्द गेहलोत:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक परिषद् की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और प्रस्तावित परिषद् को क्या कार्य सौंपे जाने की संभावना है;

(ग) यह कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगी; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान एन.सी.ई.आर.टी./सी.बी.एस.ई. द्वारा कक्षा और पाठ्यपुस्तक-वार पाठ्यपुस्तकों में कौन-कौन से संशोधन/परिवर्तन किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक परिषद् की स्थापना के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(घ) शीर्षकों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संशोधन/परिवर्तन किए गए हैं और कक्षाएं जिसमें वे प्रयोग में लाई गई थी।

विवरण

राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक परिषद की स्थापना

कक्षा	पाठ्यपुस्तक
I.	बाल भारती भाग-I, अभ्यास पुस्तिका बाल भारती भाग-I, लेट अस लर्न मैथमेटिक्स बुक-I, आओ गणित सीखें पुस्तक-I
II.	बाल भारती भाग-II, अभ्यास पुस्तिका बाल भारती भाग-II, लेट अस लर्न मैथमेटिक्स बुक-II, आओ गणित सीखें पुस्तक-II
III.	बाल भारती भाग-III, अभ्यास पुस्तिका बाल भारती भाग-III, लर्निंग इंगलिश बुक-III लेट अस लर्न मैथमेटिक्स बुक-III, आओ गणित सीखें पुस्तक-III लेट अस बुक एरावण्ड एण्ड लर्न, देखें, करें और सीखें
IV.	बाल भारती भाग-IV, अभ्यास पुस्तिका बाल भारती भाग-IV, लर्निंग इंगलिश बुक-IV वर्क बुक फार लर्निंग इंगलिश बुक-IV लेट्स लर्न मैथमेटिक्स, बुक-IV, आओ गणित सीखें पुस्तक-IV, लेट अस लूक एरावण्ड एण्ड लर्न, देखें, करें और सीखें
V.	बाल भारती भाग-V, अभ्यास पुस्तिका बाल भारती भाग-V, लर्निंग इंगलिश बुक-V वर्क बुक फार लर्निंग इंगलिश बुक-V लेट अस लर्न मैथमेटिक्स बुक-V, आओ गणित सीखें पुस्तक-V, लेट अस लुक एरावण्ड एण्ड लर्न, देखें, करें और सीखें
VI.	भारती भाग-I, हिन्दी व्याकरण और रचना, इंडियन एण्ड द् वर्ल्ड, साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स
VII.	इंडिया एण्ड द वर्ल्ड, हिन्दी व्याकरण और रचना, साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स
VIII.	भारती भाग-III, अपूर्व भाग-III, हिन्दी व्याकरण और रचना, इंडिया एण्ड द् वर्ल्ड, साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स
IX.	साहित्य मंजरी, शिक्षार्थी व्याकरण और व्यावहारिक हिन्दी, कनटोंपोरेरी इंडिया, साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स
X.	कनटेंपोरेरी इंडिया, शिक्षार्थी व्याकरण और व्यावहारिक हिन्दी, साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स
XI.	विविधा भाग-I, भूगोल, राजनीति विज्ञान: परिचय, भारतीय संविधान और प्रशासन, सांख्यिकी परिचय, भारतीय आर्थिक विकास, व्यापार अध्ययन, वित्तीय लेखा शास्त्र (पार्ट-I) वित्तीय लेखा शास्त्र (पार्ट-II), इंटरोड्योसिंग सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान पाठ्यपुस्तक, गणित।

कक्षा	पाठ्यपुस्तक
XII.	भूगोल, राजनीति विज्ञान: मुख्य अवधारणा तथा सिद्धान्त, भारत में प्रजातंत्र, मुद्दे तथा चुनौतियां, इन्टरोडक्टरी माइक्रोइकोनोमिक्स, इन्टरोक्डक्टरी मेकरोइकोनोमिक्स, व्यापार अध्ययन (प्रबन्धन के सिद्धान्त तथा कार्य), व्यापार अध्ययन, (व्यापार, वित्त और विपणन), लेखा साझेदारी तथा कम्पनी लेखा, वित्तीय विवरणों का लेखा विश्लेषण, संगणकीकृत लेखा शास्त्र, भारतीय समाज की रचना, भारत में सामाजिक परिवर्तन, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान पाठ्यपुस्तक, गणित।

[हिन्दी]

अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा

2453. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कश्मीर घाटी में हुई बम विस्फोटों की घटनाओं को देखते हुए अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, हाल की बम विस्फोटों की घटनाओं की ध्यान में रखते हुए अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हेतु कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) तैनात सुरक्षा कार्मिकों को सतर्क कर दिया गया है और पहले से तैनात रोड ओपनिंग पार्टीज (आर.ओ.पी.) को आगे और सुदृढ़ किया गया है;

(ii) वाहनों की आकस्मिक जांच के साथ पवित्र गुफा को जाने वाले रास्तों की गहन गश्त की जा रही है;

(iii) मार्ग पर विशेष नाकेबंदी की गई है और पूर्ण रूप से जांच/जाम: तलाशी की जा रही है;

(iv) पवित्र गुफा, शेषनाग, चंदनवाड़ी, अश्मुकुम और आधार शिविर पर डोरफ्रेम मेटल डिटेक्टर्स एक्स-रे मशीनें/ गैज्इट स्थापित किए गए हैं।

उपर्युक्त कदमों के अतिरिक्त, अमरनाथ यात्रा 2005 की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल और श्वान दस्तों की व्यवस्था की गई है। केन्द्र सरकार, यात्रा हेतु किए गए सुरक्षा प्रबंधों का सतत् रूप से प्रबोधन कर रही है और समय-समय पर उनकी समीक्षा भी कर रही है।

एस.एस.आई. हेतु व्यापक पैकेज

2454. श्री पंकज चौधरी:

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के लघु और मध्यम उद्योगों के लाभार्थ एक व्यापक प्रोत्साहन पैकेज तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) माईक्रो तथा लघु उद्यमों के संवर्धन और विकास की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अति लघु तथा लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु एक पैकेज सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

2455. श्री सुबोध मोहिते:

श्री इकबाल अहमद सरडगी:

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

डा. सत्यनारायण जटिया:

श्री के.सी. पलनिसामी:

श्री सुरेश अंगड़ि:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की वर्तमान स्थिति और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इसके क्रियान्वयन के लिए एक केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके गठन में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने प्रत्येक चयनित शहर के प्रथम वर्ष हेतु बजटीय आबंटन और लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो शहर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उक्त मिशन में सुझाए गए कतिपय सुधारों पर आपत्ति जताई है;

(ज) यदि हां, तो आपत्ति जताने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(झ) यह मिशन देश में सामाजिक आवासीकरण को किस सीमा तक बढ़ावा देगा और राज्यों को नगर भूमि अधिसीमन अधिनियम का निरसन, किराया नियंत्रण अधिनियम को निरस्त करने और स्टाम्प ड्यूटी की दरों में कटौती करने के मुद्दों के समाधान में प्रोत्साहन देगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) अवस्थापना के विकास के लिए सुधार से जुड़ी केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु चुनिंदा शहरों के लिए राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एन.यू.आर.एम.) गठित करने का प्रस्ताव है। इसके ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था। राज्यों ने मिशन में प्रस्तावित सुधारों में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है। राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन को अंतिम रूप देते समय राज्यों के सुझावों पर विचार किया जायेगा।

(झ) राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जिसमें 60 शहर शामिल हैं, का एक उद्देश्य शहरी गरीब व्यक्तियों को जनोपयोगी सेवाएं मुहैया कराने हेतु आश्रय, बुनियादी सेवाएं और अन्य नागरिक सुविधाओं का प्रावधान करके स्लमों के समेकित विकास को बढ़ावा देना है। इन आवासीय परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति को राज्य/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सुधार किए जाने से जोड़े जाने का प्रस्ताव है, इन सुधारों में नगर भूमि अधिसीमन (यू.एल.सी.आर.ए.) का निरसन, किराया नियंत्रण कानूनों का सुधार तथा स्टाम्प ड्यूटी में कटौती आदि शामिल है। अतः यह आशा की जाती है कि राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन एक ओर सामाजिक आवास को बढ़ावा देगा, दूसरी ओर यह सुधार करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

लड़कियों को आत्म रक्षा संबंधी प्रशिक्षण

2456. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बच्चों को विशेषकर लड़कियों को विद्यालय स्तर पर आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बच्चों को आत्म रक्षा के कौन-कौन से तरीके सिखाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने असमाजिक तत्वों से बच्चों द्वारा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (सेकेन्डरी और उच्च शिक्षा विभाग) ने सूचित किया है कि जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन का संबंध है, विद्यालय स्तर पर आत्मरक्षा हेतु बच्चों के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया है। जहां तक केन्द्रीय सेकेन्डरी शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.), राज्य बोर्डों और प्राइवेट बोर्डों जैसे भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद के अन्तर्गत विद्यालयों का संबंध है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बताया है कि इस संबंध में केन्द्रीय रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

चीन के साथ आतंकवादियों के संबंध

2457. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 2005 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित चीन के साथ आतंकवादियों के संबंध समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा बांग्लादेश-भारत-नेपाल के बीच बस सेवा के प्रस्ताव की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारतीय विद्रोही ग्रुपों और चीन के बीच संबंध सुझाने वाली कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है।

(ग) सरकार का बांग्लादेश-भारत-नेपाल बस सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भारत-फ्रांस व्यापार

2458. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और फ्रांस का विचार द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में विस्तार और विविधता लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दिसम्बर, 2004 से दोनों देशों के बीच हुई संयुक्त समिति की बैठकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बैठकों के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समझौतों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) 9 दिसम्बर, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-फ्रांस संयुक्त समिति के 13वें सत्र में दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि दोनों देशों की सरकारों एवं निजी क्षेत्रों को व्यापार तकनीकी सहयोग, निवेश, संयुक्त उद्यमों के संवर्धन और विशेषकर बुनियादी सुविधाओं, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्रों में कार्यनीतिक गठबंधनों के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। दोनों पक्षों ने वर्ष 2005 के अंत में पेरिस में संयुक्त समिति के अगले सत्र के आयोजन पर भी सहमति प्रदान की।

(ग) भारत-फ्रांस संयुक्त समिति के 13वें सत्र में किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-बांग्लादेश सीमा का उल्लंघन

2459. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में बी.एस.एफ. के अधिकारियों की हत्या की जांच करने वाली जांच समिति की रिपोर्ट के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार की समीक्षा के बांग्लादेश को संकेत दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत और बांग्लादेश दोनों की सीमाओं को ऐसे उल्लंघन से मुक्त बनाने और बांग्लादेश से भारत में पलायन को नियन्त्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या दोनों देश घुसपैठ पर अंकुश लगाने और सीमा पर सुरक्षा के लिए ठोस कार्यक्रम को तैयार करने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) बांग्लादेश के साथ व्यापार की समीक्षा और सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों की हत्या के संबंध में जांच के बीच कोई लिंक नहीं है। सहयोग में सुधार लाने और दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए दोनों बलों के अधिकारियों के बीच नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। दोनों सीमा चौकसी बलों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग के लिए प्रायोगिक आधार पर बी.एस.एफ. और बी.डी.आर. के बीच संयुक्त समन्वित गश्त शुरू की गई है। तथापि, बांग्लादेश से अवैध अप्रवास को रोकने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) गश्त द्वारा सीमा की रात-दिन निगरानी;

(ii) विशेष आपरेशन चलाना;

(iii) आसूचना नेटवर्क का उन्नयन;

(iv) गश्त/नाका ड्यूटी के लिए संख्या शक्ति में वृद्धि;

(v) सीमा बाड़ लगाना तथा सीमा सड़कों का निर्माण करना;

उद्योग की समस्याएं

2460. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समय-समय पर उद्योगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कोई पद्धति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने और कार्यनीतियां बनाने के लिए शीर्ष/विशिष्ट औद्योगिक संघों, मौजूदा और संभावी निवेशकों, इत्यादि के साथ आवधिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। उद्योग और व्यापार से निरंतर वार्तालाप का सुनिश्चित करने और भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने से संबंधित उपायों का सुझाव देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद् (एन.एम.सी.सी.) एक नया औपचारिक संस्थागत तंत्र है। समय-समय पर प्राप्त विभिन्न सुझावों/विचारों पर नीतियां बनाते समय ध्यान दिया जाता है।

के.वी.आई.सी. की मार्जिन मनी स्कीम

2461. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) के.वी.आई.सी. द्वारा मार्जिन मनी स्कीम के अन्तर्गत राज्य-वार विशेषकर गुजरात में कुल कितने कृषि एवं ग्रामीण उद्योग स्थापित किए गए;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान जामनगर या जूनागढ़ जिले में और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विशेषकर फलों के जूस पर आधारित संयंत्र लगाने के संबंध में कोई योजना शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सरकार के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.), जिसे मार्जिन मनी योजना के नाम से भी जाना जाता है, के आरंभ अर्थात् 1 अप्रैल, 1995 से लेकर 31 मार्च, 2005 तक इस कार्यक्रम के तहत स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 2005 तक आर.ई.जी.पी. के तहत स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयां (संख्या)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	14858
2.	अरुणाचल प्रदेश	422
3.	असम	3865
4.	बिहार	1100
5.	गोवा	2439
6.	गुजरात	1474
7.	हरियाणा	6249
8.	हिमाचल प्रदेश	2374
9.	जम्मू-कश्मीर	7556
10.	कर्नाटक	14093
11.	केरल	9341
12.	मध्य प्रदेश	19884
13.	महाराष्ट्र	21684
14.	मणिपुर	840
15.	मेघालय	3293
16.	मिजोरम	1070
17.	नागालैंड	4941

1	2	3
18.	उड़ीसा	4157
19.	पंजाब	14067
20.	राजस्थान	27434
21.	सिक्किम	286
22.	तमिलनाडु	6741
23.	त्रिपुरा	666
24.	उत्तर प्रदेश	17725
25.	प. बंगाल	19807
26.	अंडमान-निकोबार	422
27.	चंडीगढ़	156
28.	दादरा एंड नगर हवेली	15
29.	दिल्ली	228
30.	लक्षद्वीप	10
31.	पांडिचेरी	956
32.	छत्तीसगढ़	1787
33.	झारखण्ड	1058
34.	उत्तरांचल	2307
	कुल	209705

कॉफी उत्पादक

2462. श्री पी.सी. थामस:
श्री जी. कल्याणकर रेड्डी:
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:
श्री ए.के. मूर्ति:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में कितनी मात्रा में कॉफी का निर्यात किया गया तथा इससे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में कॉफी के निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान कॉफी उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य में कमी के मद्देनजर घरेलू उपभोग भी प्रभावित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो कॉफी का निर्यात तथा घरेलू उपभोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार को कॉफी उत्पादकों की सहायता के लिए विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर केरल से प्रस्ताव हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश-वार निर्यातित कॉफी की कुल मात्रा और उससे अर्जित मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान अर्जित 34148.9 लाख रुपए की तुलना में 33902.8 लाख रुपए थी, के अनुसार कोई अधिक गिरावट नहीं आई है।

(घ) और (ङ) कॉफी बोर्ड द्वारा कॉफी की खपत संबंधी किए गए घरेलू सर्वेक्षणों के मुताबिक हाल के वर्षों में घरेलू कॉफी की खपत में वृद्धि हुई है। कॉफी की घरेलू खपत बढ़ाने के लिए कॉफी बोर्ड ने अनेक कार्यकलाप किए हैं जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय उत्सवों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी, कॉफी बोर्ड में रोस्टिंग और पैकेजिंग सुविधा की एक उच्च तकनीक स्थापित करना और बोर्ड की संवर्द्धनात्मक इकाइयों के जरिए बिक्री बढ़ाना। निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने कॉफी बोर्ड की उन विभिन्न बाजार विकास स्कीमों को सहायता प्रदान की है जिनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कॉफी की मात्रा को बढ़ाना और इसके द्वारा निर्यातों का मूल्य बढ़ाना है। कॉफी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही मध्यावधि निर्यात नीति में अरेबिका के पक्ष में उत्पाद मिश्रण के परिवर्तन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसमें कॉफी के निर्यात की गुणवत्ता में अनुरूपता बनाए रखने और लक्षित बाजारों में भारतीय कॉफी के प्रति जानकारी बढ़ाने का प्रयास भी किया गया है। देश में कॉफी की

खपत और कॉफी का निर्यात बढ़ाने के लिए 10वीं योजना अवधि के अंतर्गत वित्तीय परिव्यय का निर्धारण किया गया है।

(च) और (छ) कॉफी क्षेत्र का पुनरुद्धार करने के लिए राहत उपायों हेतु सरकार को विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कॉफी उपजकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक पैकेज का अनुमोदन किया है जिसका उद्देश्य ऋण में सुधार करना है। इस पैकेज में बैंकों, सरकार और कर्जदार उपजकर्ताओं के बीच तीन वर्ष की स्थगन अवधि के दौरान विशेष कॉफी आवधिक ऋण (एस.सी.टी.एल.) पर 287.10 करोड़ रुपए के कुल ब्याज के भारत की एक-एक तिहाई हिस्से के रूप में समान भागीदारी, बैंकों से यह अनुरोध करना कि वह एस.सी.टी.एल. ऋणों की शेष वापसी भुगतान अवधि के दौरान एस.सी.टी.एल. पर लगाए गए ब्याज दरों का मौजूदा 11% से घटाकर 9% करें अथवा कृषि क्षेत्र पर लागू ब्याज दर, जो भी कम हो, लगाए; कॉफी बोर्ड द्वारा भारत सरकार को देय ब्याज समेत 24 करोड़ रुपए के कॉफी विकासात्मक ऋण को बट्टे खाते डालने की परिकल्पना की गई है। इसके बदले कॉफी बोर्ड केवल उन उपजकर्ताओं को इसके द्वारा दिए गए लगभग 64.59 करोड़ रुपए के पुराने विकासात्मक ऋणों को माफ कर देगा जिनके पास 10 हेक्टेयर से कम की जोत हैं। इस छूट का लाभ प्राप्त करने वाले लघु उपजकर्ताओं की पर्याप्त संख्या केरल में है। कार्यशील पूंजीगत ऋणों पर ब्याज सब्सिडी स्कीम लघु उपजकर्ताओं के लिए (10 हेक्टेयर से कम) 5% की दर पर और बड़े उपजकर्ताओं के लिए 3% की दर पर दसवीं योजना के शेष वर्षों के लिए भी जारी रखी जा रही है। उन उपजकर्ताओं के मामले में 3 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी में 1% की कमी की जाएगी जो स्थगन अवधि के दौरान एस.सी.टी.एल. पर कम किए गए ब्याज के भार का लाभ प्राप्त करेंगे।

विवरण

दिनांक 1-4-2002 से 31-3-2003 तक भारत से कॉफी के देशवार निर्यात

क्र.सं.	देश का नाम मै.	मात्रा मी. टन में	मूल्य लाख रु. में
1	2	3	4
1.	इटली	45,611.5	18,470.9
2.	रूसी महासंघ	36,577.7	30,774.4
3.	जर्मनी	23,343.8	10,259.8
4.	बेल्जियम	17,429.5	7,013.5
5.	स्पेन	11,142.3	4,246.4
6.	स्लोवेनिया	8,698.0	2,832.4
7.	यूनान	4,935.6	1,836.5
8.	जापान	4,899.1	2,537.4
9.	अल्जीरिया	4,123.2	1,443.8
10.	फ्रांस	3,676.3	1,716.1
11.	यू.एस.ए.	3,505.1	1,505.5
12.	कुवैत	3,087.7	1,782.3
13.	पुर्तगाल	2,967.0	1,109.6
14.	युक्रेन	2,907.5	2,256.1
15.	स्विटजरलैंड	2,871.9	1,598.9
16.	संयुक्त अरब अमीरात	2,839.5	1,681.4
17.	नीदरलैंड्स	2,565.6	991.8
18.	मिस्र	1,912.7	716.2
19.	पेलौंड	1,845.7	966.5
20.	ऑस्ट्रेलिया	1,742.6	821.4
21.	सऊदी अरब	1,714.2	1,019.1
22.	हंगरी	1,606.1	694.4
23.	जॉर्डन	1,519.0	829.3
24.	इजरायल	1,487.4	760.5
25.	कनाडा	1,421.7	569.8
26.	नॉर्वे	1,090.8	558.8
27.	क्रोएशिया	1,080.0	400.3
28.	ओमान की सल्तनत	992.7	363.7
29.	फीनलैंड	874.7	671.3

1	2	3	4
30.	ताईवान	738.7	330.2
31.	सिंगापुर	705.3	505.9
32.	ऑस्ट्रिया	677.3	317.3
33.	यूनाइटेड किंगडम	666.5	347.1
34.	रोमानिया	564.8	192.1
35.	बुल्गारिया	550.5	194.4
36.	डेनमार्क	515.1	243.0
37.	कोरिया गणराज्य	471.1	120.7
38.	लीबिया	460.8	230.9
39.	मलेशिया	446.5	194.7
40.	लातविया	436.5	400.6
41.	एस्टोनिया	393.0	172.1
42.	मोरक्को	340.6	233.1
43.	सीरिया	75.3	158.8
44.	न्यूजीलैंड	224.4	103.7
45.	जॉर्जिया	198.1	86.3
46.	लिथुआनिया	160.0	124.8
47.	चेक गणराज्य	144.0	56.7
48.	स्वीडन	135.2	93.3
49.	नेपाल	124.5	232.9
50.	युगोस्लाविया	108.0	45.9
51.	बहरीन	99.5	65.5
52.	दुबई	98.9	75.7
53.	थाईलैंड	59.9	17.2
54.	स्लोवाकिया	55.9	20.0
55.	वियतनाम	36.0	25.2
56.	स्वाजीलैंड	27.0	15.9
57.	कजाकिस्तान	23.1	20.3
58.	माली	20.7	15.4
59.	अर्मेनिया	20.1	11.1
60.	ट्यूनीशिया	19.2	12.4
61.	तुर्की	16.0	9.8
62.	बांग्लादेश	14.5	11.9
63.	मालदीव	12.0	12.4
64.	चिली	8.2	6.5
65.	श्रीलंका	5.2	4.8
66.	इक्वाडोर	5.0	3.5
67.	दक्षिण अफ्रीका	4.6	3.2
68.	हांगकांग	2.0	0.8
69.	केन्या	0.3	0.4
70.	कतर	0.1	0.2
	महायोग	2,07,333.3	1,05,144.8

क्र.सं.	देश का नाम	मात्रा मी. टन में	मूल्य लाख रु. में
1	2	3	4
01-04-2003 से 31-03-2004 तक			
1.	इटली	52,197.3	23,169.5
2.	रूसी महासंघ	33,592.0	22,541.8
3.	जर्मनी	25,680.2	12,345.8
4.	बेल्जियम	18,777.2	8,663.8
5.	स्पेन	13,898.3	5,391.8
6.	स्लोवेनिया	10,794.5	3,805.7
7.	फ्रांस	6,213.5	2,847.1

1	2	3	4
8.	फिनलैंड	4,762.4	3,601.1
9.	अल्जीरिया	4,293.0	1,550.7
10.	यूनान	4,223.5	1,533.4
11.	जापान	3,538.3	1,771.8
12.	स्विट्जरलैंड	3,301.3	1,930.8
13.	यू.एस.ए.	3,236.9	1,466.4
14.	पुर्तगाल	3,217.8	1,229.0
15.	नीदरलैंड्स	3,205.1	1,531.4
16.	युक्रेन	3,190.4	2,515.6
17.	जॉर्डन	3,168.7	1,496.6
18.	कुवैत	3,149.9	2,073.7
19.	कनाडा	2,664.9	940.8
20.	हंगरी	2,478.8	1,100.3
21.	ऑस्ट्रेलिया	2,469.1	1,204.4
22.	सीरिया	2,336.6	1,238.7
23.	संयुक्त अरब अमीरात	2,120.0	1,357.4
24.	इजरायल	1,852.7	865.6
25.	मिस्र	1,754.2	643.8
26.	क्रोएशिया	1,668.0	617.0
27.	लीबिया	1,434.9	641.9
28.	नॉर्वे	1,118.5	595.6
29.	ताईवान	1,054.6	519.1
30.	सऊदी अरब	1,040.8	627.8
31.	पोलैंड	1,018.3	606.1
32.	ओमान की सल्तनत	923.0	367.0
33.	लातविया	847.5	755.5
34.	मलेशिया	786.4	439.7
35.	ऑस्ट्रिया	748.8	416.3
36.	सिंगापुर	712.6	536.8
37.	यूनाइटेड किंगडम	710.0	418.2
38.	बुल्गारिया	603.0	250.7
39.	रोमानिया	531.6	212.1
40.	कोरिया गणराज्य	370.6	144.5
41.	लिथुआनिया	298.6	220.9
42.	एस्टोनिया	275.1	170.3
43.	मोरक्को	260.4	87.1
44.	दुबई	253.0	165.2
45.	न्यूजीलैंड	223.7	116.1
46.	जॉर्जिया	217.3	93.7
47.	स्वीडन	212.5	133.7
48.	नेपाल	150.9	293.9
49.	कजाकिस्तान	136.0	108.5
50.	लेबनान	115.2	42.0
51.	तुर्की	88.6	46.8
52.	बांग्लादेश	79.7	76.5
53.	कतर	79.3	47.1
54.	वियतनाम	72.0	45.7
55.	अबू धाबी	71.0	43.4
56.	डेनमार्क	63.0	14.0
57.	बहरीन	57.8	33.8
58.	अल्बानिया	54.0	20.3
59.	साइप्रस	38.4	14.6
60.	आइसलैंड	38.4	13.1
61.	इराक	38.4	14.0

1	2	3	4
62.	दक्षिण अफ्रीका	34.5	22.0
63.	ईरान, इस्लामिक आर/ओ	27.8	24.5
64.	पापुआ न्यूगिनी	23.9	13.8
65.	फिजी	11.9	7.5
66.	माल्दोवा	6.9	10.4
67.	श्रीलंका	0.6	0.4
68.	केन्या	0.2	0.0
69.	हांगकांग	0.1	0.1
	कुल योग	2,32,684.4	1,15,844.7

क्र.सं.	देश का नाम	मात्रा मी. टन में	मूल्य लाख रु. में
	मै.		
1	2	3	4
01-04-2004 से 31-03-2005 तक			
1.	इटली	49,193.8	25,461.6
2.	रूसी महासंघ	24,906.6	16,601.7
3.	जर्मनी	16,398.5	10,535.8
4.	स्पेन	11,329.9	4.730.4
5.	बेल्जियम	9,204.1	4,734.0
6.	स्लोवेनिया	8,421.6	3,043.6
7.	जापान	5,918.4	4,049.4
8.	यूनान	5,622.6	2,233.6
9.	यू.एस.ए.	5,603.3	2,759.1
10.	फ्रांस	3,925.5	2,058.6
11.	फिनलैंड	3,607.5	2,610.1
12.	नीदरलैंड्स	3,603.8	2,609.7
13.	यूक्रेन	3,503.9	2,882.8
14.	पुर्तगाल	3,252.9	1,350.1
15.	स्विटजरलैंड	3,244.0	2,279.1
16.	जॉर्डन	2,727.4	1,585.4
17.	कुवैत	2,657.1	2,171.4
18.	हंगरी	2,607.0	1,222.0
19.	लातविया	2,421.6	2,322.0
20.	ऑस्ट्रेलिया	2,377.1	1,342.7
21.	मलेशिया	1,811.1	864.6
22.	संयुक्त अरब अमीरात	1,780.1	1,524.7
23.	ताईवान	1,656.3	857.9
24.	इजरायल	1,528.8	832.6
25.	लीबिया	1,481.4	776.3
26.	क्रेएशिया	1,459.2	544.9
27.	कनाडा	1,262.7	565.6
28.	सऊदी अरब	1,180.5	832.8
29.	यूनाइटेड किंग्डम	1,039.3	663.3
30.	पोलैंड	1,018.7	765.8
31.	मिस्र	946.8	405.8
32.	नॉर्वे	933.9	519.4
33.	सिंगापुर	808.7	569.5
34.	ओमान सल्तनत	691.1	361.9
35.	अल्जीरिया	614.4	221.5
36.	बुल्गारिया	576.0	257.1
37.	कोरिया गणराज्य	539.4	513.4
38.	रोमानिया	450.2	239.4
39.	ट्यूनिशिया	439.8	160.6
40.	दुबई	317.7	240.9

1	2	3	4
41.	न्यूजीलैंड	298.7	160.2
42.	युगोस्लाविया	268.8	89.8
43.	मोरक्को	249.6	80.6
44.	आस्ट्रिया	230.4	177.8
45.	लिथुआनिया	229.5	183.5
46.	एस्टोनिया	220.5	158.8
47.	एस.ई.जेड.-कोचीन	217.8	86.0
48.	सीरिया	212.4	107.6
49.	तुर्कमेनिस्तान	203.5	161.6
50.	अबू धाबी	184.0	147.6
51.	वियतनाम	182.4	127.6
52.	स्वीडन	169.8	116.2
53.	कजाकिस्तान	159.3	125.2
54.	जॉर्जिया	157.1	98.7
55.	नेपाल	154.5	321.2
56.	तुर्की	91.0	35.7
57.	लेबनान	77.1	29.2
58.	ईरान, इस्लामिक, आर/ओ	68.7	49.4
59.	डेनमार्क	63.0	78.5
60.	बहरीन	57.9	48.8
61.	वेस्ट इंडीज	53.0	23.8
62.	हांगकांग	48.4	21.2
63.	अल्बानिया	38.4	17.4
64.	न्यू कैलेडोनिया	38.4	22.7
65.	बांग्लादेश	22.2	33.1
66.	कतर	18.1	15.0
67.	चीन जन. गणराज्य, आर/ओ	18.0	16.3
68.	बेलारुस	16.0	8.5
69.	माल्दोवा	12.1	11.0
70.	पेरु	6.0	4.3
71.	दक्षिणी अफ्रीका	5.8	5.7
72.	शारजाह	5.5	5.6
73.	श्रीलंका	2.5	4.0
74.	फिजी	0.0	0.0
75.	ताहिती	0.0	0.0
	महायोग	1,94,843.1	1,10,873.7

क्र.सं.	देश का नाम	मात्रा मी. टन में	मूल्य लाख रु. में
1	2	3	4
01-04-2005 से 03-08-2005 तक			
1.	इटली	17,540.3	12,241.5
2.	जर्मनी	4,489.1	3,788.2
3.	स्पेन	3,288.0	2,056.2
4.	स्लोवेनिया	2,878.5	1,512.5
5.	रूसी संघ	2,450.0	2,164.5
6.	जापान	2,248.7	2,133.7
7.	बेल्जियम	2,166.6	1,414.7
8.	फ्रांस	1,580.0	951.0
9.	यूक्रेन	1,464.2	1,163.4
10.	पुर्तगाल	1,209.5	686.5
11.	यूनान	902.6	500.6
12.	यू.एस.ए.	882.2	522.0
13.	ऑस्ट्रेलिया	717.4	565.9

1	2	3	4
14.	हंगरी	671.6	382.1
15.	स्विटजरलैंड	662.7	677.6
16.	कुवैत	578.3	565.7
17.	जॉर्डन	568.8	487.6
18.	मलेशिया	551.2	302.3
19.	इजरायल	465.6	390.7
20.	नीदरलैंड्स	406.5	308.1
21,	नॉर्वे	378.0	266.9
22.	ताईवान	371.2	199.4
23.	संयुक्त अरब अमीरात	332.8	372.0
24.	सऊदी अरब	325.9	445.6
25.	फिनलैंड	290.3	176.0
26.	कनाडा	280.1	203.3
27.	पोलैंड	267.3	127.0
28.	लीबिया	234.0	144.4
29.	यूनाइटेड किंग्डम	216.1	204.0
30.	सिंगापुर	204.9	158.9
31.	लातविया	178.7	176.5
32.	रोमानिया	172.8	91.3
33.	डेनमार्क	142.9	168.5
34.	बुल्गारिया	134.4	79.9
35.	न्यूजीलैंड	129.4	139.8
36.	ओमान सल्तनत	125.5	73.2
37.	तुर्की	117.9	66.4
38.	क्रोएशिया	115.2	71.8
39.	तुर्कमेनिस्तान	103.7	94.3
40.	कजाकिस्तान	99.8	75.7
41.	अबू धाबी	89.5	97.0
42.	कोरिया गणराज्य	84.2	43.5
43.	एस्टोनिया	82.7	70.3
44.	मिस्र	76.8	46.8
45.	सीरिया	74.4	93.6
46.	वियतनाम	53.0	55.3
47.	जॉर्जिया	36.6	35.9
48.	कतर	36.2	44.4
49.	दुबई	31.1	38.0
50.	लिथुआनिया	21.2	16.9
51.	बहरीन	19.6	24.0
52.	दक्षिण अफ्रीका	19.5	14.4
53.	न्यू कैलेडोनिया	19.2	11.1
54.	स्लोवाकिया	19.2	8.6
55.	बेलारुस	12.5	12.0
56.	बांग्लादेश	4.4	7.1
	महायोग	50,622.8	36,768.6

शून्य एक टन/लाख रु. से कम के लिए है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी

2463. श्री ब्रजेश पाठक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी सेना बी.एस.एफ. की चौकियों तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक बसे गांवों पर नियमित रूप से गोलीबारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान तथा इसके बाद ऐसी कुल कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सम्पत्ति को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है तथा प्रभावित परिवारों को मुआवजे के रूप में कुल कितनी धनराशि संवितरित की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान गोलीबारी में कितने सुरक्षाकर्मी तथा नागरिक मारे गए तथा घायल हुए;

(ङ) क्या पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलीबारी से सीमावर्ती गांवों में खेती करने में मुश्किलें हो रही हैं: और

(च) यदि हां, तो इन सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) नवम्बर, 2003 में संघर्ष विराम की घोषणा के बाद से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित बी.एस.एफ. की चौकियों और गांवों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा कोई गोलीबारी नहीं की गई है। तथापि, वर्ष 2002 और 2003 (नवम्बर तक) के दौरान जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलीबारी की घटनाओं की कुल संख्या क्रमशः 516 और 367 थी।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) चूंकि नवम्बर, 2003 में संघर्ष विराम के पश्चात् कोई गोलीबारी नहीं हुई है, अतः सीमावर्ती गांवों में किसानों को अपने खेतों में खेती करने में कोई कठिनाई नहीं आ रही है।

प्राथमिक तथा उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधाएं

2464. श्री मुनव्वर हसन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद सरकार को सरकारी प्राथमिक तथा उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाओं के बारे में विभिन्न राज्यों से संघ राज्य-क्षेत्र/राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संघ राज्य क्षेत्र/राज्य-वार कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं/किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित जिला-वार वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों को पेयजल सुविधाओं और शौचालयों के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संस्वीकृत ऐसी सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
		पेयजल सुविधाएं	शौचालय	पेयजल सुविधाएं	शौचालय	पेयजल सुविधाएं	शौचालय	पेयजल सुविधाएं	शौचालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	36	30	14	13	25	28
2.	आंध्र प्रदेश	290	395	2444	2704	2953	128	1796	777
3.	अरुणाचल प्रदेश	1114	0	302	265	311	261	0	0
4.	असम	535	535	0	0	0	20	0	0
5.	बिहार	2081	3854	1811	3982	5060	7883	3145	8040
6.	चंडीगढ़	0	0	0	6	0	6	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	450	0	2173	1738	3101	490	245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	दादरा व नगर हवेली	0	0	75	75	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	36	47
10.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	68	0
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0	166	239
12.	गुजरात	2431	2156	973	911	1322	1305	890	153
13.	हरियाणा	932	1955	663	937	987	990	1946	2354
14.	हिमाचल प्रदेश	61	209	1030	1793	430	1036	627	1224
15.	जम्मू-कश्मीर	190	190	1122	1320	415	418	183	183
16.	झारखंड	546	636	1089	1138	2673	3844	1400	1400
17.	कर्नाटक	7579	8162	4910	6128	5497	5973	1918	1918
18.	केरल	554	1128	553	747	579	916	4209	6804
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	महाराष्ट्र	0	42	461	550	1	5276	7	0
21.	मणिपुर	0	358	290	456	697	866	165	270
22.	मेघालय	0	0	0	220	1100	0	0	0
23.	मिजोरम	121	876	746	657	315	486	0	0
24.	मध्य प्रदेश	5273	7399	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0	455	643	724	1131
26.	उड़ीसा	935	1465	2205	2876	1417	1552	2412	2540
27.	पांडिचेरी	0	0	183	183	31	31	55	55
28.	पंजाब	2728	2728	5670	5670	4375	4375	0	0
29.	राजस्थान	0	2868	1500	2366	2845	5718	7370	8428
30.	सिक्किम	212	299	140	114	74	111	38	75
31.	तमिलनाडु	1517	2424	2914	4132	1675	1768	3058	5279
32.	त्रिपुरा	185	185	180	200	191	224	628	500
33.	उत्तर प्रदेश	703	1198	1214	4268	0	0	7409	19511
34.	उत्तरांचल	250	331	945	666	895	819	2726	1783
35.	पश्चिम बंगाल	1361	1361	1705	1705	3223	3233	2990	2196

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में बुनियादी सुविधाएं

2465. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) बच्चों की शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या विद्यार्थियों से मासिक अंशदान बढ़ाए जाने के बावजूद विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे भवन, खेल का मैदान, प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर, पेयजल तथा गंदे पानी का निकास आदि की कमी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या विद्यालयों के प्रबन्धन में व्यापक पैमाने पर अनियमितताओं की सूचना केन्द्रीय विद्यालय संगठन को दी गई है: और

(च) यदि हां, तो विद्यालयों के कार्यकरण पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन की निगरानी तथा नियंत्रण सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। शुरू में केन्द्रीय विद्यालय अस्थायी/किराये के भवन में खोले जाते हैं। जब संबंधित राज्य सरकार मुफ्त भूमि उपलब्ध करा देती है तो संगठन सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं सहित अपने स्थायी भवनों का निर्माण करता है। एक अप्रैल, 2005 की स्थिति के अनुसार, कुल 931 केन्द्रीय विद्यालयों में से केवल 207 विद्यालय ही अस्थायी/किराये के भवन में संचालित किये जा रहे हैं।

(ङ) शिक्षकों की भर्ती, निधियों के दुरुपयोग, निजी पक्षकारों को रियायतें, जमीन की खरीद इत्यादि से संबंधित कुछ अनियमितताए सामने आयी हैं और इनकी विस्तृत जांच की जा रही है।

(च) 'केन्द्रीय विद्यालय संगठन' मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता वाले एक शासी बोर्ड द्वारा अभिशासित तथा नियंत्रित किया जाता है। यह बोर्ड संगठन तथा स्कूलों के सही संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्णय लेता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लेखाओं की लेखापरीक्षा महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा की जाती है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निदेशों के अनुरूप विद्यालय के दैनिक प्रबंधन के लिए एक विद्यालय प्रबंधन समिति भी है।

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के लिए जापान द्वारा वित्तीय सहायता

2466. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना आंशिक रूप से जापान सरकार द्वारा वित्तपोषित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के लिए अब तक कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या अन्य राज्यों में मेट्रो रेल परियोजनाओं को जापान सरकार द्वारा वित्तपोषित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना आंशिक रूप से जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जे.बी.आई.सी.) के ऋण से वित्तपोषित की जा रही है। अभी तक 4440 करोड़ रु. की सहायता मिली है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2005-06 के ओ.डी.ए. ऋण पैकेज के तहत वित्तपोषण हेतु 1500 करोड़ रुपए के जे.बी.आई.सी. ऋण के लिए जापान सरकार के पास बंगलौर मेट्रो पस्चिोजना प्रस्तुत की है। कोलकाता मेट्रो परियोजना नामक दूसरी परियोजना रॉलिंग प्लान 2006-07 के तहत जे.बी.आई.सी. ऋण के लिए जापान सरकार को प्रस्तुत की गई है।

आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध

2467. श्री एन जनार्दन रेड्डी:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में आयोडीन रहित नमक के उत्पादन तथा बिक्री पर पुन: प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई गई है;

(घ) क्या लौह तथा आयोडीन वाले पौष्टिक नमक का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो गया है/प्रारम्भ हो जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विद्यमान आयोडीन युक्त नमक उत्पादक इकाइयां देश की नमक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम हैं;

(छ) यदि नहीं, तो आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ज) क्या सरकार को आयोडीन रहित नमक का लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी है; और

(झ) यदि हां, तो आयोडीन रहित नमक की तुलना में आयोडीन युक्त नमक गरीब लोगों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) सरकार ने मानव के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए खाने के साधारण नमक की बिक्री पर तब तक रोक लगाने का निर्णय लिया है जब तक कि इसे आयोडीकृत न किया गया हो। तथापि, इसे सुचारू रूप से लेबल घोषणाओं के साथ आयोडीकरण, लोह शक्तिवर्धन, पशु के प्रयोग, परिरक्षण, औषधि निर्माण तथा औद्योगिक प्रयोग के लिए बेचा जा सकता है।

सरकार ने इस प्रयोजन के लिए आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण (पी.एफ.ए.) नियमावली, 1955 के तहत दिनांक 27-5-2005 को एक मसौदा अधिसूचना जी.एस.आर. 340 (ई) जारी की है।

(ग) चूंकि खाने के साधारण नमक के उत्पादन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति विस्थापित नहीं होगा।

(घ) और (ङ) पी.एफ.ए. नियमावली, 1955 के अनुसार, आयोडीकृत नमक और लोह शक्तिवर्धित नमक के उत्पादन और बिक्री की अनुमति पहले ही से है। तथापि, वर्तमान में पी.एफ.ए. नियमावली के तहत लोहे और आयोडीन दोनों से नमक का दोहरा शक्तिवर्धन करने की अनुमति नहीं है।

(च) और (छ) मौजूदा आयोडीकृत नमक विनिर्माणकारी एकक देश की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं।

(ज) और (झ) आयोडीकृत नमक का प्रयोग गलगंड, गर्भपात, मृत शिशु जन्म, जन्मजात असामान्यता, मानसिक कमी आदि जैसी आयोडीन की कमी से होने वाली अनेक गड़बड़ियों को रोकता है। आयोडीकृत नमक 2.50 रुपये प्रति किलो ग्राम से लेकर 8.50 रुपये प्रति किलो ग्राम के मूल्य पर मिलता है जो नमक की किस्म, गुणवत्ता और पैकिंग पर निर्भर करता है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, आयोडीकृत नमक की आपूर्ति 13 राज्यों में पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अथवा उचित दर की दुकानों के माध्यम से उचित मूल्य पर भी की जाती है।

उत्तर प्रदेश में विधवा आश्रम

2468. श्री प्रदीप गांधी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में वृंदावन में 1000 बिस्तरों वाला विधवा आश्रम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आश्रम कब तक खोले जाने की संभावना है तथा इस पर कितना खर्चा होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) वृन्दावन, उत्तर प्रदेश में 500 निराश्रित महिलाओं हेतु स्वाधार आश्रय गृह के निर्माणार्थ एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।

(ग) मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के उपाध्यक्ष से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, स्वाधार आश्रय गृह का निर्माण 30-11-2005 तक पूरा होने की सम्भावना है तथा निर्माण पर 202.95 लाख रुपए व्यय होने की सम्भावना है।

आई.एस.आई. की गतिविधियां

2469. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आई.एस.आई. गतिविधियों के लिए संभावित लक्ष्यों के रूप में कुछ साम्प्रदायिक रूप से अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए राज्य-वार क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान, आज तक विभिन्न राज्य सरकारों ने आपने यहां कट्टरपंथी गतिविधियों को

रोकने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, हाल ही की आसूचना जानकारियों और अयोध्या में हुए आतंकवादी हमले को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को धार्मिक उपासना स्थलों, संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक महत्व के स्थानों इत्यादि में सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करने तथा उसे सुदृढ़ करने की सलाह दी गई है।

(ग) और (घ) सुरक्षा संबंधी व्यय (एस.आर.ई.) के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

सुरक्षा संबंधी व्यय (एस.आर.ई.) के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता:

(रुपये लाखों में)

राज्य का नाम	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006 (30-6-2005 तक)
आंध्र प्रदेश	217.35	221.00	282.00	528.60
अरुणाचल प्रदेश	95.00	247.00	135.00	–
असम	6801.00	5080.00	7540.00	–
बिहार	180.00	43.68	60.41	–
छत्तीसगढ़	223.49	160.87	200.00	71.90
जम्मू-कश्मीर	19365.00	21239.11	13268.64	
झारखंड	54.00	98.07	341.27	166.90
मध्य प्रदेश	82.37	139.82	23.52	8.00
महाराष्ट्र	–	81.42	125.55	–
मणिपुर	764.00	400.00	944.00	666.00
मेघालय	835.00	192.00	156.00	–
नागालैंड	2242.00	1917.00	2649.00	325.00
उड़ीसा	168.00	86.85	65.77	54.60
त्रिपुरा	2985.00	3433.00	3617.00	750.00
उत्तर प्रदेश	29.17	–	–	96.30
पश्चिम बंगाल	–	–	–	73.70

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

2470. श्री रामदास आठवले: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों तथा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियो से सम्बन्धित विभिन्न श्रेणियों में कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में, आज तक इन विभागों तथा उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है तथा इन विभागों/उपक्रमों में नई नियुक्तियां भी की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अधीन की गई नई नियुक्तियों का वर्ष-वार तथा श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के व्यक्तियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के संबंध ने निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (च) चूंकि शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय का अपना अलग कोई स्टाफ नहीं है, इसलिए शहरी विकास मंत्रालय मई, 2004 में इस मंत्रालय के सृजन के बाद से इसे सचिवालय स्टाफ मुहैया करा रहा है। इस मंत्रालय के द्वारा कोई नियुक्ति/प्रोन्नति नहीं की गई है। तथापि, इस मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन में सफाई वाले का एक पद दिनांक 31-8-2004 से रिक्त है जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी का है।

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उपक्रमों के बारे में उनके द्वारा दी गयी सूचना निम्नलिखित है:-

आवास एवं नगर विकास निगम (हडको)

हडको में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद निम्नलिखित हैं:-

श्रेणी	**ग्रुप "ए"**	**ग्रुप "बी"**	**ग्रुप "सी"**	**ग्रुप "डी"**
अनुसूचित जाति -	02	शून्य	03	शून्य
अनुसूचित जनजाति -	शून्य	शून्य	शून्य	02

हडको द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में अब तक की गयी नई नियुक्तियों के वर्ष-वार एवं श्रेणी-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

वर्ष-2002

ग्रुप	सा.	अनु.जाति	अनु. जनजाति	अ.पि. वर्ग	विकलांग	भू. सैनिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
"ए"	6	–	–	1	2	–	9
"सी"	20	3	1	13	–	2	39
"डी"	3	3	–	6	–	2	14
वर्ष-2003							
"ए"	2	–	–	–	–	–	2
"सी"	7	1	1	1	–	1	11
"डी"	1	3	–	1	–	–	5

1	2	3	4	5	6	7	8
वर्ष-2004							
"ए"	5	1	–	1	–	–	7
"सी"	1	–	–	–	–	–	1
"डी"	2	3	1	–	–	–	6
वर्ष-2005							
"ए"	1	–	–	–	–	–	1
"सी"	1	–	–	–	–	–	1
"डी"	–	1	–	–	–	–	1
कुल	49	15	3	23	2	5	97

हडको ने बताया है कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों का पालन कर रहे हैं।

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एच.पी.एल.)

एच.पी.एल. में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद निम्नलिखित हैं:-

श्रेणी	**ग्रुप "ए"**	**ग्रुप "बी"**	**ग्रुप "सी"**	**ग्रुप "डी"**
अनुसूचित जाति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनुसूचित जनजाति	04	शून्य	10	06

मंत्रालय ने वर्ष 2000 से इस कंपनी में नियुक्ति/प्रोन्नति पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस कंपनी में गत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में अब तक कोई प्रोन्नति/नयी नियुक्ति नहीं की गयी है।

[अनुवाद]

भारत तथा आसियान देशों के बीत व्यापार

2471. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन) भारतीय निवेशकों, संयुक्त उद्यमों तथा व्यापार प्रोत्साहन के लिए एक महत्वपूर्ण तथा विकासशील क्षेत्र है; और

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भारत तथा आसियान देशों के बीच कुल कितने मूल्य का द्विपक्षीय व्यापार हुआ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) 31 मार्च, 2005 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत एवं आसियान देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य निम्नानुसार रहा है:

(मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
2000-01	2875.32	4058.25	6933.57
2001-02	3457.00	4387.23	7844.23
2002-03	4618.54	5150.17	9768.71
2003-04	5821.74	7433.16	13254.90
2004-05	7993.10	8806.22	16799.32

(स्रोत: एन.आई.सी. द्वारा तैयार किए गए डी.जी.सी.आई. एंड एस.के. आंकड़े)

[अनुवाद]

हिन्दी भाषा

2472. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए पाठ्यक्रम में हिन्दी भाषा की अनिवार्य शिक्षा कक्षा VIII तक सीमित कर दी गई है तथा नए विद्यार्थी कक्षा-IX से हिन्दी के स्थान पर संस्कृत, फ्रेंच या स्पेनिश का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार, छात्रों से कक्षा VIII तक तीन भाषाओं का अध्ययन करने की अपेक्षा की जाती है जिनमें से एक हिन्दी होगी। कोई भी छात्र कक्षा X के अन्त में आयोजित होने वाली माध्यमिक स्कूल परीक्षा में बैठने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसने तीसरी भाषा की पढ़ाई पूरी न की हो। माध्यमिक स्तर (कक्षाएं IX तथा X) के स्तर पर पढ़ाई जाने वाली दो भाषाओं में से एक हिन्दी अथवा अंग्रेजी होनी चाहिए। अध्ययन सम्बन्धी योजना में माध्यमिक स्तर पर दो भाषाओं में से एक के रूप में संस्कृत, फ्रेन्च या स्पेनिश के अध्ययन का भी प्रावधान है। छात्र कक्षा X की परीक्षाओं में अतिरिक्त विषय के रूप में हिन्दी लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को भूमि का आबंटन

2473. श्री सज्जन कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गैर-सरकारी संगठनों को भूमि आबंटन के संबंध में अपनी नीति बदल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण अब अपनी भूमि का आबंटन नीलामी के माध्यम से कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस नीति के परिणामस्वरूप छोटे गैर-सरकारी संगठन रियायती दरों पर भूमि के आबंटन से वंचित हो जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि वह सात प्रमुख संस्थायी प्रयोजनों, यथा-अस्पतालों, क्लबों, समुदाय हालों, स्कूलों, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, धार्मिक प्रयोजनों तथा विविध सामाजिक व सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए भूमि आबंटित करता है। डी.डी.ए. ने इनमें तीन श्रेणियों, यथा-अस्पतालों, क्लबों तथा उच्चतर और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के लिए भूमि का निपटान नीलामी प्रक्रिया के जरिए करना आरंभ कर दिया है। समुदाय हालों के लिए उसने यह निर्णय लिया है कि इस प्रयोजनार्थ निर्धारित स्थलों को पहले स्थानीय निकायों को दिया जाएगा और उसके बाद शेष स्थलों, यदि कोई हो, की नीलामी की जाएगी। अन्य तीन श्रेणियों, यथा स्कूलों, धार्मिक संगठनों और विविध सामाजिक व सांस्कृति संस्थाओं के लिए भूमि के आबंटन की नीति में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) कुछेक प्रयोजनों के लिए भूमि का निपटान नीलामी के जरिए करने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके और गलतबयानी, दुरुपयोग व सट्टेबाजी को प्रोत्साहन न मिले।

[अनुवाद]

आवासीय संपत्तियों का वाणिज्यिक प्रयोग

2474. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके नॉन कनफरमिंग एरिया में स्थित आवासीय संपत्तियों का प्रयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी आवासीय संपत्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और दिल्ली नगर निगम द्वारा न्यायालयों में कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु 2001 के दिल्ली के मास्टर प्लान और समेकित भवन उपनियम के विरुद्ध अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे बेसमेंटों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो जिन क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या संबंधित अधिशासी और कनिष्ठ अभियंताओं की उनके क्षेत्र में होने वाली ऐसी अवैध गतिविधियों के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो कितने मामलों में जिम्मेदारी/जवाबदेही तय की गई है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने यह बताया है कि रिहायशी संपत्तियों का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किये जाने की रिपोर्टें मिली हैं। दिल्ली म्यूनिसिपल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2004 में 655 मामलों में कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) से (ङ) दिल्ली नगर निगम ने यह बताया है कि दिल्ली म्यूनिसिपल अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए क्षेत्रों का पहरा एवं निगरानी एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य उन संपत्तियों तक सीमित नहीं है जहां किसी विशेष सर्वेक्षण के दौरान दुरुपयोग का पता चला हो। जब कभी किसी उल्लंघन का पता चलता है कानून के तहत अभियोजन की कार्रवाई शुरू की जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने यह बताया है कि जहां तक वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए डी.डी.ए. फ्लैटों/रिहायशी प्लाटों के दुरुपयोग का संबंध है तो आवंटन/पट्टे के निबंधन एवं शर्तों तथा दिल्ली विकास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी कार्रवाई की जाती है। वैसे मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए दिल्ली नगर निगम को भेजा जाता है जहां संपत्ति को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित कर दिया गया है।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने बताया है कि वर्ष 2002-03 में कनॉट प्लेस तथा इससे सटे चारों ओर के क्षेत्रों का एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था।

(च) से (ज) दिल्ली नगर निगम के सतर्कता विभाग ने तीन मामलों में कार्रवाई की है उसमें 20 अधिकारी/कार्मिक शामिल हैं।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने बताया है कि कोई कार्रवाई नहीं की गयी है क्योंकि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 के अनुसार समय पर नोटिस जारी किये गये थे और अभियोजन के मामले शुरू कर दिये गये थे।

जनजातियों के कल्याण के लिए निधि

2475. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जरूरतमंद वृद्ध जारवाओं, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में जनजातीय समूह के कल्याण के लिए आबंटित निधि का उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) से (ग) अंडमान द्वीपसमूह के निस्सहाय वृद्ध जारवाओं के कल्याण के लिए कोई निधि आबंटित नहीं की गई क्योंकि जारवाओं में कोई निस्सहाय नहीं पाया गया। जारवा आदिम जनजातीय समूह से संबंधित हैं। ये अपने पारंपरिक शिकार और वन में जीविका संग्रहण पर निर्भर रहते हैं, जिसे प्रशासन द्वारा आदिवासियों के लिए आरक्षित घोषित किया गया है। गैर-आदिवासियों के लिए आदिवासी आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश निषिद्ध है ताकि जारवाओं के लिए विशेष रूप से उपलब्ध संसाधनों का बाहरी लोग दोहन न कर लें।

शहरी क्षेत्र में पानी की कमी

2476. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में शहरी क्षेत्रों में पानी की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जैसा कि दिनांक 23 जुलाई, 2005 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई तथा क्या निर्णय लिए गए;

(घ) पानी की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठए गए हैं;

(ङ) क्या शहरीकरण, अवैध अतिक्रमण तथा प्रदूषण के कारण पेयजल के मुख्य स्रोत घट रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जी.पी.ए. के पक्ष में सम्पत्ति का हस्तांतरण

2477. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने जी.पी.ए. द्वारा जी.पी.ए. धारकों के पक्ष में सम्पत्ति के हस्तांतरण की अनुमति देने वाली नीति लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस नीति के अंतर्गत कितने आवेदन किए गए हैं तथा कितने मामले निपटाए गए हैं;

(घ) सम्पत्ति के हस्तांतरण की लोकप्रिय मांग के बावजूद योजना के प्रति कम उत्साह के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने इसी प्रयोजनार्थ पंजाब शहरी योजना तथा विकास प्राधिकारण के लिए बनाई गई नीति का अध्ययन किया है;

(च) यदि हां, तो क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने हस्तांतरण नीति में पंजाब की तर्ज पर इसके उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इसे लोक हितैषी तथा आकर्षक बनाने हेतु इसमें संशोधन की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई प्रस्तावित है या शुरू की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) चंडीगढ़ आवास बोर्ड, कुछ दस्तावेजों के साथ जी.पी.ए. द्वारा जी.पी.ए. धारकों के पक्ष में उनके द्वारा आवंटित संपत्तियों के हस्तांतरण की अनुमति दे रहा है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) से (छ) जी.पी.ए. से संबंधित हस्तांतरण नीति को अंतिम रूप देते समय चंडीगढ़ आवास बोर्ड ने पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण (पी.यू.डी.ए.), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) तथा हरियाणा आवास बोर्ड की हस्तांतरण नीतियों का अध्ययन किया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2478. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

श्री विजय कृष्ण:

श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास 3000 से अधिक परियोजनाएं हैं जिनके कार्य निष्पादन हेतु उसी अनुपात में इंजीनियर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को सौंपे गए मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) कितनी परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं;

(ङ) क्या परियोजनाओं को प्रभावित करने तथा उनके अनुरक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कारण समन्वयन की कमी भी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास 3000 से अधिक मूल निर्माण कार्य हैं। इन कार्यों को निपटाने के लिए इंजीनियरों की स्वीकृत संख्या पर्याप्त है। तथापि विभिन्न श्रेणियों में अनेक रिक्तियों के कारण मौजूदा इंजीनियरों पर अतिरिक्त कार्यभार पड़ा है।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इंजीनियरों को लगभग 1225 बड़े निर्माण कार्य, प्रत्येक 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले और 1350 निर्माण कार्य, प्रत्येक 10 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले, सौंपे गए हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम लागत वाली अनेक परियोजनाएं भी निपटाई जा रही हैं।

(घ) कार्मिकों की कमी के कारण कोई परियोजना नहीं रुकी हुई है। तथापि कुछ परियोजनाओं में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, कानून-व्यवस्था में प्रतिकूल स्थिति आदि सहित विभिन्न कारणों से विलंब होता है।

(ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न विभागों के बीच और कार्यार्थी विभागों में पर्याप्त समन्वयन की कमी भी एक घटक है जिससे परियोजनाओं का निष्पादन प्रभावित होता है।

(च) सरकार विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षाओं के जरिए इन परियोजनाओं की निगरानी करती है ताकि इनका समय पर पूर्ण होना सुनिश्चित किया जा सके।

उच्च शिक्षा हेतु रियायत

2479. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में रियायत देने वाले देशों का नाम क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश द्वारा दी गयी रियायत का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितने विद्यार्थियों को रियायत मिली है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती क्योंकि उच्चतर अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के संबंध में भारत सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है। विभिन्न देशों के साथ द्वि-पक्षीय आधार पर चलाए जा रहे 'शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम' के तहत पारस्परिक आधार पर स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर पर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इस कार्यक्रम के तहत पारस्परिक आधार पर विद्वानों और शिक्षाविदों का आदान-प्रदान भी किया जाता है। 'शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम' की मान्य अवधि के दौरान छात्रवृत्तियों की संख्या प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न हो सकती है।

आशुलिपि और टंकण हेतु एक ही पुस्तक

2480. श्री सुरेश चन्देल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आशुलिपि और टंकण प्रत्येक विषय के लिए वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु सी.बी.एस.ई./ एन.सी.ई.आर.टी. इत्यादि द्वारा स्वीकृत एक ही पुस्तक पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है;

(ग) विद्यार्थियों को इस संबंध में सहायता देने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इससे विद्यार्थियों को कितनी मदद मिलेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय शिक्षा संस्थान को अपनी पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम सामग्री आदि तैयार करने तथा अनुमोदित पाठ्यचर्या के आधार पर परीक्षाएं आयोजित करने के अधिकार दिए गए हैं। वर्ष 2001 से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय शिक्षा संस्थान ने वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शार्टहैण्ड तथा टाईपिंग में अपनी पाठ्यचर्या पर आधारित स्वयं शिक्षण सामग्री तैयार की है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय शिक्षा संस्थान शार्टहैण्ड तथा टाईपिंग के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अनुमोदित एक ही पुस्तक पर विचार नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ) इन विषयों पर अध्ययन सामग्री शिक्षुओं को स्वयं अध्ययन में मदद करने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय शिक्षा संस्थान शिक्षुओं के लाभ के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम भी आयोजित करता है। स्वयं-अध्ययन सामग्री तथा व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम से शिक्षुओं को इन विषयों में अपेक्षित सक्षमता प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड

2481. श्री अनन्त नायक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है और इन वर्षों के दौरान केंद्र द्वारा कितना अनुदान दिया गया है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं के वित्त-पोषण में केंद्र और राज्यों का हिस्सा कितना है;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत शत-प्रतिशत अनुदान देने के लिए केंद्र को राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो केंद्र द्वारा इस पर क्या कदम उठाया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना को

IXवीं योजनावधि की समाप्ति के साथ बंद कर दिया गया। तथापि, एक विशेष मामले के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों में IXवीं योजना के दौरान ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के तहत समर्थित शिक्षकों के वेतन पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्रीय सहायता दी जा रही है। शिक्षकों की संख्या और विगत तीन वर्षों के दौरान उनके वेतन के लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधियन पद्धति 75:25 के अनुपात में है।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बंटवारे के अनुपात को 90:10 करने अथवा शत-प्रतिशत निधियां केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाने का अनुरोध किया है।

(घ) केंद्र-राज्य निधियन पद्धतियों पर निर्णय योजना आयोग लेता है।

विवरण

शिक्षकों की संख्या तथा विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां

(रु. लाख में)

राज्य	शिक्षकों की संख्या	10वीं योजना के दौरान जारी निधियां		
		2002-03	2003-04	2004-05
असम	2851	1391.49	1391.49	2052.72
अरुणाचल प्रदेश	225	0.00	278.92	0.00
मेघालय	200	27.60	43.20	43.20
मिजोरम	277	226.30	277.53	292.48
त्रिपुरा	395	231.25	328.96	361.38

धातुकर्मीय उद्योग

2482. श्री परशुराम मांझी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राज्य-वार धातुकर्मीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने की अपार संभावना है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) घरेलू उद्यमियों को संबद्ध राज्यों में धातुकर्मीय उद्योग स्थापित करने हेतु राज्यवार क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दलहन का आयात

2483. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् देश वार दलहन का कितना आयात किया गया है;

(ख) दलहन के आयात के लिए निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान दलहन के आयात में कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में आयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अप्रैल से मई, 2005 तक दलहन के आयात का विवरण इस प्रकार है:-

	मात्रा टन में				मूल्य लाख रुपए में			
	2002-03		2003-04		2004-05 (अनंतिम)		अप्रैल-मई, 05 (अ.)	
देश	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अफगानिस्तान टी.आई.एस.					40	6.84		
आस्ट्रेलिया	124842	16401.1	130837	17012,74	73817	9057.6	1216	164.7
ओजेरबाइजन	1051	160.3						
बहरीन	14	2.						
भूटान	69	10.0						
बुल्गालिया	1269	199.7	2369	282.65				
कैमरून			115	24.71				
कनाडा	416897	48608.1	441433	49996.19	466555	51086.48	67272	7011
चिली			118	23.33				
ताईवान	7044	1235	115	17.19				
चीन जन.गण.	71615	13744.6	47064	8311.49	24509	4462.78	4582	858.6
डेनमार्क	14191	1384.3			760	145.97		
डीजेबोटी	105	16.6			110	20.77		
इजिप्ट जन.गण.					64	12.13		
ईथियोपिया	6902	1128.5	5089	797.46	4288	649.71	366	50.14
फ्रांस	278766	29439.6	146405	14478.16	72297	8426.31		
जर्मनी	33717	3401.						
हांगकांग	107	19.2						
इंडोनेशिया	814	146.7	1676	300.88	135	24.2		
ईरान	87464	14585.1	46056	8188.51	76297	12779.36	1072	264.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
इराक					236	40.16		
जापान	21	7.2			1	0.1		
केन्या	15187	271	8588	1347.92	520	75.58	260	50.47
कोरिया जन.गण.	27	4.5	0	0.02	9760	1455.96		
मालावी	4987	651.7	9884	1525.99	1188	162.19	395	52.58
मलेशिया	453	71.1	2203	266.12			188	27.91
माली			772	101.73				
मॉरिशस	290	46.3	100	13.5				
म्यांमार	696748	104462.6	702764	95699.2	459765	65153.82	66306	10445
मैक्सिको	8136	1844.8	745	223.71				
मौरक्को	115	13.9	69	6.57				
मोजाम्बिक	1525	181.2	3812	553.91	7000	1041.96	637	83.78
नेपाल	19450	4544.	13037	3199.44	15225	3538.93	2410	577
नीदरलैंड	3	0.3						
न्यू कैलिडोनिया					22	7.54		
न्यूजीलैंड	2171	315.9	364	50.12	593	82.2		
नाइजीरिया	490	60.6	1008	66.02				
पाकिस्तान आर.आर.	28522	5387.0	55449	8785.65	9707	1631.35	7997	1331
पनामा जन.गण.	4437	995.	4373	797.34				
पापुआन्युगिनी			239	33.05				
पेरू	87	21.4	85	31.29	66	23.07		
रोमानिया	60	8.1	100	13.66	180	17.12		
रूस	40467	4359.6	10253	1245.31	4175	523.93	294	42.64
साऊदी अरब	18	4.4						
सिंगापुर	1711	247.4			66	15.5		
स्लोवेनिया	115	16.6						
दक्षिण अफ्रीका	366	31.0	500	61.48			25	2.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्वीटजरलैण्ड	66	22.8	2385	439.83	577	121.42		
सीरिया	4519	752.7	90	15.84				
तंजानिया जन. गण.	38944	5921.5	42003	6407.44	27925	4571.17	1318	243.4
थाईलैण्ड	5802	961.6	1289	229.65	277	38.81		
तुर्की	14396	2419.1	23335	4849.59	18995	4125.23	150	19.91
संयुक्त अरब अमीरात	1084	187.3	144	21.98	350	84.56		
यू.के.	2000	243.7	77	9.86	22	2.79		
यूक्रेन	37854	3834.6	3804	457.3	14875	1531.21	186	20.98
यू.एस.ए.	8871	1286.1	4045	739.01	4356	639.39	2514	342.2
उजबेकिस्तान	8233	1493.9	10197	1798.64	1707	308.3	44	8.66
अविनिर्दिष्ट	830	148.8	337	62.26				
जोड़	1992852	273708.9	1723328	228486.7	1296460	171864.4	157232	21597

(ख) दलहन के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दलहन पर आयात शुल्क का वर्तमान स्तर 100% की वचनबद्ध दर की तुलना में 10% है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नागरिकता अध्यादेश

2484. श्री बापू हरी चौरे:
श्री सुरेश कलमाडी
श्री संजय धोत्रे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागरिकता के संबंध में सरकार द्वारा कोई अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागरिकता अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने की शीघ्र जरूरत थी;

(घ) यदि हां, तो क्या इस अध्यादेश के प्रख्यापन हेतु किसी पक्ष से कोई अनुरोध/मांग थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अध्यादेश के संभावित लाभ क्या है;

(च) क्या नागरिकता अध्यादेश के संदर्भ में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2005, 28-6-2005 को प्रख्यापित किया गया था।

(ग) से (छ) भारतीय मूल के व्यक्तियों (पी.आई.ओ.), जिन्होंने नागरिकता अधिनियम, 1955 की चौथी अनुसूची में उल्लिखित सौलह देशों को छोड़कर अन्य देशों की राष्ट्रीयता मांगी है, को भारत की विदेशी नागरिकता (ओ.सी.आई.) देने हेतु प्रवासी भारतीय दिवस, 2005 में प्रधानमंत्री के वक्तव्य को कार्यान्वित करने में विलंब के कारण भारतीय विदेशियों द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही थी।

चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए, 28-6-2005 को नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2005 प्रख्यापित किया गया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों (पी.आई.ओ.) पर, जब तक उनकी राष्ट्रीयता के देश अपने देश के कानूनों के तहत किसी न किसी रूप में दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं, भारत की विदेशी नागरिकता (ओ.सी.आई.) की सुविधा विस्तारित करने के लिए इस अध्यादेश के द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र द्वारा निधियों का उपयोग

2485. श्री सुरेश वाघमारे: क्या **शहरी विकास मंत्री** 7 दिसंबर, 2004 के अतारांकित प्रश्न सं. 1045 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से सूचना प्राप्त हो गई है तथा सभा पटल पर रख दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के लिए निर्मल भारत, वैम्बे के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई तथा उपयोग की गई धनराशि, योग्यता प्रावधान के बारे में ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से अब सूचना प्राप्त हो गई है और दिनांक 24-8-2004 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3945, जिस पर दिनांक 7-12-2004 का लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1045 पूछा गया था, की कार्यान्वयन रिपोर्ट लोक सभा सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को 13 जुलाई, 2005 को प्रस्तुत कर दी गई थी।

दिनांक 24-8-2004 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3945 के संबंध में दी गई सूचना पुन: प्रस्तुत है:-

महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न शहरी विकास स्कीमों के अंतर्गत आबंटित धनराशि का अन्यत्र उपयोग नहीं किया है। मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत जारी धनराशि तथा उपयोग की स्थिति के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(i) **छोटे और मझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी)** इस स्कीम के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता, बराबरी का राज्य अंश तथा सूचित व्यय संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ii) **मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम:-**इस स्कीम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान 9625.41 लाख रु. का केन्द्रीय अंश जारी किया गया है। 1993-94 में स्कीम की शुरुआत से लेकर 2003-04 तक मुंबई मेगा शहर को 23821.41 लाख रु. का केन्द्रीय अंश जारी किया जा चुका है जिसमें से मुंबई मेगा शहर की नोडल एजेंसी, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पास 12685.00 लाख रु. की राशि अव्ययित पड़ी है। तथापि, नोडल एजेंसियों के पास उपलब्ध राशि, राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा पहले से मंजूर परियोजनाओं तथा परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर जारी करने के लिए होती है।

(iii) **त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम:-** स्कीम के अन्तर्गत तीन वर्षों (2001-02 से 2003-04) के दौरान महाराष्ट्र सरकार को 1863.28 लाख रु. का केन्द्रीय अंश जारी किया गया है। उक्त राशि में से महाराष्ट्र सरकार ने मार्च, 2004 तक 980.68 लाख रु. के उपयोग प्रमाणपत्र भेज दिए हैं।

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा मानीटर किया जा रहा है। स्कीम के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में धनराशि आबंटित की जाती है और वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी की जाती है। राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य सरकारें करती हैं।

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम एक सतत् स्कीम है और किसी वर्ष विशेष की धनराशि आगामी वर्षों में उपयोग में लाई जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा आबंटित, जारी तथा खर्च की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मेगा शहरों में अवस्थापना विकास से संबंधित 1-3-2000 को समाप्त वर्ष की अपनी रिपोर्ट (पैरा 3.1) 2001 की क्रमांक 22, संघ सरकार (सिविल) में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"केन्द्र और राज्य, दोनों से जारी 1153.44 करोड़ रु. की राशि में से नोडल एजेंसियों ने कार्यान्वयन एजेंसियों को 690.523 करोड़ रु. जारी करने के बाद अपने पास

462.91 करोड़ रु. रख लिए। मंत्रालय का यह विचार कि नोडल एजेंसियों कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना की प्रगति के अनुसार धनराशि जारी करती है, तर्कसंगत नहीं है। इससे नोडल एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य/परियोजना की प्रगति पर मानीटरिंग के अभाव का पता चलता है।"

इस मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की आपत्तियों का निम्नलिखित उत्तर दिया है:-

"यह सत्य है कि जब तक कार्यान्वयन एजेंसियां ऋण के रूप में जारी राशि का उपयोग और उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करती, तब तक उन्हें धनराशि जारी करने और उनके पास धनराशि छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। इससे केवल कार्यान्वयन एजेंसियों की ब्याज देयता और परियोजना की लागत में ही वृद्धि होगी। तथापि, नोडल एजेंसियों के पास अव्ययित शेष राशि दर्शाती है कि अवस्थापना विकास की अतिरिक्त परियोजनाएं मंजूर करने पर विचार किया जा सकता था।"

राज्य सरकार के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि की जांच रखने के लिए पिछले वित्त वर्ष से पहले के वित्त वर्ष के अंत तक जारी धनराशि के उपयोग प्रमाण-पत्रों को ध्यान में रखकर विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत धनराशि जारी करने पर विचार किया जाता है, अर्थात् वर्ष 2004-05 के लिए राशि उन्हीं राज्यों को जारी की जाएगी जिन्होंने 2002-03 तक जारी राशि के लिए 100% उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिए है।

(ग) वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वाम्बे) के उपघटक निर्मल भारत अभियान के तहत समुदाय शौचालय के लिए औसत लागत 40,000/-रुपए प्रति सीट अनुमानित की गई है। वाम्बे दिशानिर्देशों के अनुसार सभी दृष्टि से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों के लिए लागत के 50% की दर से भारत सरकार सब्सिडी जारी की जाती है बशर्ते कि राज्य ने अलग वाम्बे खाते में उसके बराबर का राज्य अंश जमा कर दिया हो। इस राशि का जारी किया जाना इस शर्त के अधीन है कि राज्य सरकार द्वारा पहले जारी राशियों के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए हों।

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार सब्सिडी के ब्यौरे और महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा उसके उपयोग की स्थिति इस प्रकार है:-

वर्ष	जारी भारत सरकार सब्सिडी (लाख रु. में)	उपयोग की गई भारत सरकार सब्सिडी (लाख (रु. में)
2001-02	119.40	119.40
2002-03	780.00	778.00
2003-04	0.00	0.00
2004-05	4276.10	932.35

विवरण-I

छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास के अन्तर्गत आबंटित राशि, जारी राशि तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचित व्यय का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

	जारी केन्द्रीय सहायता		जारी कुल राशि	बराबरी का राज्य अंश	सूचित व्यय
	ऋण	अनुदान			
2001-02	224.31	657.75	882.06	255.43	918.33
2002-03	–	1041.70	1041.70	979.59	2308.29
2003-04	–	909.00	909.00	732.97	1641.07

विवरण-II

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित, जारी राशि तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचित व्यय

(लाख रुपये में)

	जारी राशि		जारी कुल राशि	सूचित व्यय
	ऋण	अनुदान		
2001-02	0.00	0.00	0.00	7706.70
2002-03	3850.00	1650.00	5500.00	11368.12
2003-04	3850.00	1650.00	5500.00	0.00

चाय नीलामी की मैनुअल प्रणाली

2486. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "टी मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया" ने सरकार से दक्षिण भारत में चाय की नीलामी की मैनुअल प्रणाली को पुन: शुरू करने का अनुरोध सरकार से किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दक्षिण भारत में अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक नीलामी शुरू करने के बाद चाय की कीमतें गिरी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच करायी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) दक्षिण भारतीय संयुक्त उपजकर्ता एसोसिएशन (उपासी) ने सुझाव दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के पूरी तरह स्थापित होने तक चाय बोर्ड द्वारा अस्थायी उपाय के रूप में मानव संचालित नीलामी प्रणाली की अनुमति दी जा सकती है। चाय बोर्ड द्वारा नीलामी आयोजकों को चाय के लीफ ग्रेडों का व्यापार इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के जरिए और डस्ट ग्रेडों का व्यापार मानव संचालित प्रणाली के जरिए करने की सलाह दी गई है।

(ग) नीलामियों के जरिए चाय की अनिवार्य बिक्री के संबंध में चाय बोर्ड द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया है।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

अग्निशमन सेवा

2487. श्री सुबोध मोहिते: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आपदा प्रबंधन कार्यक्रम में अग्निशमन सेवा को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) देश में आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में अग्निशमन सेवाओं के लिए आपातकालीन कार्रवाई हेतु क्षमता को सुदृढ़ करना और इस बल को बहु-जोखिम कार्रवाई इकाईयों के रूप में परिवर्तित करना शामिल है। अन्य बातों के साथ-साथ बहु-जोखिम कार्रवाई हेतु अग्निशमन सेवाओं की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर के उन्नयन हेतु एक प्रस्ताव पहले से ही स्वीकृत किया हुआ है।

भेषज और औषध क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2488. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-04, 2004-05 और उसके पश्चात् दवाओं के निर्यात में बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औषधों के उत्पाद, पेटेंट प्रणाली के लागू हो जाने पर दवाइयों का निर्यात कम हो जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में उत्पाद पेटेंट प्रणाली के लागू होने पर सर्वाधिक प्रभावित होने वाली दवाओं के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार भेषज और औषध क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यों हेतु विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; इसका घरेलू क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधों (ड्रग्स) और भेषजों (फार्मास्यूटिकल्स) का निर्यात मूल्य निम्न प्रकार है:

2002-2003	12826 करोड़ रुपये
2003-2004	14321 करोड़ रुपये
2004-2005 अनंतिम)	16440 करोड़ रुपये

(ग) और (घ) औषधों के लिए उत्पाद पेटेंट व्यवस्था 01-01-2005 से ही आरंभ की गई है और अभी तक औषधों के लिए कोई उत्पाद पेटेंट प्रदान नहीं किया गया है। अत: दवाओं के निर्यात पर उत्पाद पेटेंट के प्रभाव का निर्धारण करना अभी जल्दबाजी होगी।

(ङ) और (च) सरकार ने एक उदार, पारदर्शी और निवेशकों के अनुकूल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीति लागू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औषधों और भेषजों के अनुसंधान एवं विकास हेतु स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी के अलावा प्रौद्योगिकी उन्नयन और सर्वोत्तम प्रबंध प्रथाएं लेकर आता है और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार तथा निर्यातों में घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करता है।

बीरगंज अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, नेपाल का खोला जाना

2489. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-नेपाल द्विपक्षीय व्यापार के मद्देनजर नेपाल में बीरगंज अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को खोल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीरगंज अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को जुलाई, 2004 से शुरू किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो भारत-नेपाल व्यापार को सुधारने में यह कितना सहायक होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। नेपाल में बीरगंज अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की दृष्टि से दिनांक 16 जुलाई, 2004 से खोल दिया गया है।

(ग) मई, 2004 में भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षर किए गए रेल सेवा करार के अंतर्गत प्रारंभ में नेपाल के तीसरे देश के कार्गो यातायात के लिए सीलबंद कंटेनरों में अनुमति दी गई थी। इस मार्ग के खुलने से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, बीरगंज के जरिए भारत और नेपाल के बीच कंटेनरों और बंद बैगनों में कार्गो यातायात की भी अनुमति दी गयी है। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, बीरगंज से परिवहन की लागत में कमी, पारगमन में वस्तुओं की सुरक्षा में वृद्धि और कार्गो के शीघ्र संचलन की सुविधा से भारत-नेपाल व्यापार और मजबूत होने की उम्मीद है।

निर्यातकों के लिए सुरक्षोपाय

2490. श्री जी.वी. हर्ष कुमार:
श्री निखिल कुमार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापार विशेषज्ञों ने सरकार से विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत विकसित देशों के दबाव का प्रतिरोध करने हेतु सुरक्षोपाय तैयार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार बाजार पहुंच को प्रतिबंधित करने हेतु उचित सुरक्षोपाय तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी मौजूदा कानूनों में बदलाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से दबाव है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार उनके दबाव में आ गई है और इस संबंध में बदलाव करने की पहल की है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार का इस दबाव से किस तरह से निपटने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (घ) सरकार ने संवेदनशील मदों के आयात पर निगरानी रखने के लिए एक उचित तंत्र स्थापित किया है और डब्ल्यू.टी.ओ. के अनुकूल विभिन्न उपायों को लागू करके घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए वचनबद्ध है जिनमें बाध्य टैरिफों, पाटनरोधी तथा रक्षोपाय कार्यवाहियों के भीतर लागू टैरिफों का उचित कार्यान्वयन शामिल है। जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है, डब्ल्यू.टी.ओ. की चालू वार्ताओं में विशेष उत्पाद (एस.पी.एस.) से संबंधित जी-33 गठबंधन में समान विचारधारा वाले विकासशील देशों और नए विशेष रक्षोपाय तंत्र (एस.एस.एम.) के साथ भारत ने विकासशील देशों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए कृषि उत्पादों में आयात वृद्धि और कीमतों की कमी के विरुद्ध एक नया रक्षोपाय तंत्र तैयार करने के लिए डब्ल्यू.टी.ओ. के सभी सदस्यों के साथ एक करार किया है। इसके अतिरिक्त दोहा कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही डब्ल्यू.टी.ओ. वार्ताओं में भारत ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है कि इन वार्ताओं के अंतिम निष्कर्ष में दोहा में अधिदेशित विकास आयाम का पूर्णरूपेण प्रदर्शन होना चाहिए।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र उत्पाद

2491. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र उत्पादों की अच्छी निर्यात संभावना के मद्देनजर खादी उद्योग की उत्पादकता में आमूल-चूल परिवर्तन लाने तथा सुधारने लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महादीर प्रसाद): (क) से (ग) खादी उद्योग की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:-ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आर.आई.एस.सी.) योजना के तहत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना करना, उत्पाद विकास, डिजाइन इण्टरवेंशन एवं पैकेजिंग योजना (पी.आर.ओ.डी.आई.पी.) का कार्यान्वयन, जिसका उद्देश्य उत्पाद गुणवत्ता में सुधार लाना है, नए डिजाइनों और खादी उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग आरंभ करना, खादी एवं ग्रामीण उद्योग (के.वी.आई.) इकाइयों को उनके उत्पादों के विपणन के लिए सहायता प्रदान करना, के.वी.आई. उत्पादों के विपणन नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग संवर्धन संघ (सी.पी.के.वी.आई.) की स्थापना, पंजीकृत निर्यातक संस्थानों एवं वैयक्तिक उद्यमियों को, निर्यात मदों के "फ्री ऑन बोर्ड" (एफ.ओ.बी.) मूल्य के 5 प्रतिशत की दर पर नकद प्रोत्साहन प्रदान करना, पंजीकृत इकाइयों/संस्थानों को, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, अध्ययन दौरों और प्रचार, इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

लेदर पार्क

2492. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इन्ओग्रेटेड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम के आधुनिकीकरण हेतु 1200 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु योजना आयोग द्वारा गठित चमड़ा एवं चमड़े की वस्तुओं संबंधी उद्योग सं संबंधित कार्य समूह की सिफारिशों पर इस धन की मंजूरी की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार लेदर पार्क स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) आगामी वर्षों के दौरान चमड़े की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने में इस कार्यक्रम के कितना सहायक होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) दसवीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा चमड़ा एवं चमड़ा-वस्तु उद्योग पर गठित कार्य-समूह की सिफारिश पर सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत चमड़ा क्षेत्र के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की है। 400 करोड़ रुपये में से 290 करोड़ रुपये "चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास" नामक स्कीम के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य चमड़ा क्षेत्र का प्रौद्योगिकीय उन्नयन एवं आधुनिकीकरण करना है। शेष 110 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग उन स्कीमों के लिए किया जा रहा है जिनका उद्देश्य चमड़ा उद्योग के सभी क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास एवं क्षमता निर्माण करना है।

(घ) और (ङ) अभी तक सरकार का निम्नलिखित उत्पाद-विशिष्ट पार्कों/कॉम्पलेक्सों की स्थापना करने का प्रस्ताव है:

परियोनजाएं	राज्य	केंद्रीय आवंटन
चमड़ा कॉम्पलेक्स	नाल्लोर, आन्ध्र प्रदेश	30 करोड़
फुटवेयर कॉम्पलेक्स	चेन्नई, तमिलनाडु	20 करोड़
फुटवियर संघटक पार्क	चेन्नई, तमिलनाडु	10 करोड़
फुटवियर संघटक पार्क	आगरा, उत्तर प्रदेश	10 करोड़
चमड़ा-वस्तु पार्क	कोलकाता	5 करोड़

(च) इस कार्यक्रम द्वारा आने वाले वर्षों में चमड़े की वस्तुओं के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की सम्भावना है।

निजी ठेकेदारों द्वारा डी.डी.ए फ्लैटों का निर्माण

2493. श्री प्रदीप गांधी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी ठेकेदारों द्वारा डी.डी.ए. फ्लैटों के निर्माण हेतु किन क्षेत्रों को नियत किया गया है;

(ख) वार्षिक आधार पर कितने फ्लैटों के निर्माण किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन फ्लैटों का मूल्य किफायती रखने हेतु सरकार द्वारा क्या क्रियाविधि विकसित की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली के ड्राफ्ट मास्टर, प्लान, 2021 में आवास, भूमि जुटाने तथा अवसंरचना सेवाओं का विकास तथा प्रावधान करने में निजी क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है। जहां तक प्रायवेट ठेकेदारों के जरिए फ्लैटों के निर्माण का सम्बंध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने बताया है कि उन्होंने टेंडर देने की प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद प्रायवेट ठेकेदारों के जरिए अगले दो वर्षों में द्वारका, रोहिणी, विलशाद गार्डन, शालीमार बाग, नरेला, कल्याण विहार, तेहखंड, मोतिया खान तथा वसंतकुंज में 22,244 डी.डी.ए. फ्लैटों के निर्माण की योजना बनायी है। इसके अतिरिक्त डी.डी.ए. ने किफायती आवासों का निर्माण करने के लिए नयी निर्माण प्रौद्योगिकियों तथा विनिर्देशों को अपनाया है।

क्रोम अयस्क का निर्यात

2494. श्री अनन्त नायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कौन-कौन से राज्य क्रोम अयस्क का निर्यात कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में क्रोम अयस्क का निर्यात किया गया और प्रत्येक वर्ष उससे राज्य-वार कितनी आय हुई;

(ग) क्या उड़ीसा से क्रोम अयस्क के निर्यात बढ़ाने की भारी संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो उस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) इस समय उड़ीसा और कर्नाटक से क्रोम अयस्क का निर्यात किया जा रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित क्रोम अयस्क की कुल मात्रा और राज्य-वार प्रत्येक वर्ष के दौरान उससे अर्जित आय निम्नानुसार है:-

(मात्रा लाख मी. टनों में, मूल्य करोड़ रु. में)

वर्ष	उड़ीसा		कर्नाटक	
	मात्रा	मूल्य*	मात्रा	मूल्य*
2002-03	12.89	277.77	शून्य	शून्य
2003-04	11.91	361.21	0.095	3.85
2004-05 (अनंतिम)	11.70	888.70	शून्य	शून्य

(*मूल्य का परिकलन अनुमानित कीमतों के आधार पर किया गया है।)

(ग) और (घ) क्रोम अयस्क घरेलू उपभोक्ताओं की खपत के लिए अनिवार्य पाया गया है और इसलिए क्रोम अयस्क के निर्यात के संबंध में अधिकतम सीमा जारी रखी जा रही है।

श्रीलंकाई प्रवासियों का पुनर्वास

2495. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अंडमान-निकोबार द्वीप के श्रीलंकाई प्रवासियों का पुनर्वास कार्य अभी भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंडमान-निकोबार द्वीप में बसे सभी श्रीलंकाई प्रवासियों के पुनर्वास को सरकार द्वारा कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) कचल द्वीप समूह, जो एक आदिवासी संरक्षित क्षेत्र है, में बसे श्रीलंकाई तमिल परिवार उन्हें दी गई वास भूमि पर अधिभोग के अधिकार की मांग उस समय से करते आ रहे हैं जब से उन्हें यहां बसाया गया था और वे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पुनर्वास योजना के तहत लाए गए अन्य अधिवासियों के समान स्केल पर कृषि भूमि के प्रावधान की भी मांग करते रहे है। तथापि, कचल द्वीप समूह के आदिवासी नेताओं/व्यक्तियों द्वारा इन श्रीलंकाई परिवारों को उनके आदिवासी क्षेत्रों में बसाये जाने का कड़ा विरोध किया जाता रहा है।

(ग) इस बारे में समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। तथापि प्रयास जारी हैं।

[हिन्दी]

पुलिस के अत्याचारों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच

2496. श्री रामदास आठवले:

श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुड़गांव में मजदूरों पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज और जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तीन निर्दोष युवकों के मारे जाने की हाल की घटनाओं के संबंध में कोई-जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने, गुड़गांव में हरियाणा पुलिस द्वारा 25-7-2005 को होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर्स इंडिया (एच.एम.एस.आई.) के आन्दोलन कर रहे मजदूरों पर कथित बर्बर हमले के बारे में छपी खबर को 26-7-2005 को अपने आप से संज्ञान में लिया। एन.एच.आर.सी. ने हरियाणा सरकार से यथा संभव शीघ्र, सी.बी.आई. को तरजीह देते हुए स्वतंत्र जांच शुरू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सिफारिश की है और हरियाणा सरकार से मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जिला कुपवाड़ा, जम्मू और कश्मीर में तीन छोटे बच्चों की मृत्यु के बारे में मीडिया में आई रिपोर्ट को अपने संज्ञान में लिया और मामला दर्ज किया है। आयोग ने रक्षा मंत्रालय से इस घटना की रिपोर्ट मांगी है।

[अनुवाद]

ई.डब्ल्यू.एस. की सोसायटियां

2497. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने भविष्य में पाई गई कमियों से उबरने हेतु मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का आबंटन करने हेतु कॉपरेटिव सोसायटियों का गठन करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के विचाराधीन नहीं है।

इंडिया गेट का संरक्षण और रख-रखाव

2498. श्री एस.के. खारवेनथन:

डा. एम. जगन्नाथ:

श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडिया गेट को संरक्षित स्मारकों की सूची में सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जो इस ऐतिहासिक ढांचे की देख-भाल कर रही हैं;

(ग) इस ढांचे के संरक्षण और रख-रखाव करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) इंडिया गेट पर सब-वे के निर्माण की योजना सरकार के पास कबसे लंबित है और योजना को मंजूरी देने में हुए विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) दिल्ली में पैदल यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर पैदल यात्रियों हेतु पर्याप्त संख्या में सब-वे का निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार दिल्ली में राजपथ, राष्ट्रपति-संपदा, चांदनी चौक, कनॉट प्लेस का पुनरुद्धार और इनका सौंदर्यीकरण करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य कब तक शुरू और पूरा किए जाने की संभावना है;

(ज) क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य से दिल्ली में किन्हीं अन्य स्थानों की पहचान की है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह सूचित किया है कि इंडिया गेट को उनकी देखरेख वाले संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) इंडिया गेट की मुख्य संरचना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के रखरखाव के अंतर्गत आती है और इसे पुरातन स्थिति में रखने के लिए नियमित रखरखाव किया जाता है।

(घ) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने यह सूचित किया है कि इंडिया गेट पर सब-वे का निर्माण करना "सेन्ट्रल विस्टा एरिया" के प्रस्तावित पुनर्विकास का भाग है, जो वैचारिक अवस्था में है।

(ङ) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने यह सूचित किया है कि उनके क्षेत्राधिकार में दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर भूमिगत पैदल पारपथ बनाए गए हैं।

(च) से (झ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रपति संपदा और विजय चौक का रखरखाव उनके पास है। राष्ट्रपति भवन का संतोषजनक ढंग से रखरखाव किया जाता है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने राजपथ के साथ-साथ फव्वारों तथा पथ के सौंदर्यकरण और विजय चौक पर शौचालयों को सुधारने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। चांदनी चौक के सौंदर्यकरण के संबंध में दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि मैसर्स सेन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट (सी.आर.आर.आई.) को चांदनी चौक की विकास योजना तैयार करने के लिए परामर्शदाता के रूप में अनुमोदित किया गया है। कनाट प्लेस के संबंध में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने पैदल पारपथ, पार्किंग, भूदृश्यांकन, पैदल पथ, जन सुविधाओं इत्यादि का सुधार करने के लिए एक पुनर्विकास प्रस्ताव तैयार किया है। तथापि, ये प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है और विशिष्ट समय-सीमा तय नहीं की गई है।

वस्त्र निर्यातक

2499. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन का संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ के साथ चल रहे विवाद से भारतीय वस्त्र निर्यात को सहायता मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार और विनिर्माताओं द्वारा हाल में उठाए गए कदमों से भी निर्यात को बढ़ावा मिलेगा;

(ग) क्या संयुक्त-राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ ने चीन द्वारा हस्ताक्षरित टेक्सटाइल स्पेसिफिक मेजर-ऑफ द एक्शेसन एग्रीमेंट के प्रावधान के अनुसार चीनी उत्पादों पर आयात कोटे की शर्त लगाई है; और

(घ) यदि हां, तो इस गुणवत्ता निर्धारण से भारत को संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ के साथ अपने व्यापार में वृद्धि करने में कितनी सहायता मिली है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) दिनांक 10 जून, 2005 को ईयू और चीन के बीच हुए करार के अनुसार ईयू ने चीन के वस्त्र निर्यातों में वृद्धि को यूरोप में प्रति वर्ष 8% से 12.5% के बीच उच्चतम सीमा के अधीन 10 उत्पाद श्रेणियों तक सीमित कर दिया है। जनवरी-मार्च, 2004 की इसी अवधि की तुलना में जनवरी-मार्च, 2005 के दौरान उत्पादों की इन श्रेणियों की वास्तविक वृद्धि दर श्रेणी के अनुसार 51% से 534% के बीच रही है। इस प्रकार कोटा प्रणाली की समाप्ति के बाद समायोजन करने के लिए ईयू वस्त्र उद्योग को समायोजन की अवधि प्रदान करने के प्रयोजनार्थ वृद्धि दर पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह करार वर्ष 2007 में समाप्त होगा। भारत इस करार द्वारा प्रभावित होने वाली अधिकांश उत्पाद श्रेणियों का एक प्रमुख निर्यातकर्ता है जबकि हम केवल एक श्रेणी, टेबल एवं किचन लिनेन के ही एक प्रमुख निर्यातकर्ता हैं।

ईयू द्वारा चीन पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ-साथ निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में की गयी पहलों से भारत के वस्त्र निर्यातों को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

अमरीका ने चीन के मूल की कुछेक उत्पाद श्रेणियों पर "चीन वस्त्र रक्षोपाय" संबंधी उपबंधों के अंतर्गत कार्यवाहियां भी शुरू की हैं। तथापि, अमरीका और चीन के बीच अब तक द्विपक्षीय विचार-विमर्श नहीं किए गए हैं।

चीन के विरुद्ध ईयू/अमरीका की रक्षोपाय कार्रवाई के परिणामस्वरूप भारत के वस्त्र निर्यातों में वृद्धि के बारे में कोई वास्तविक आकलन करना समय पूर्व होगा।

राज्यों के विश्वविद्यालयों द्वारा अनुदानों का उपयोग

2500. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

श्री संतोष गंगवार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकारों के प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यद्यपि राज्य विश्वविद्यालय अनुदानों का उपयोग करते हैं तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुछ राज्य विश्वविद्यालयों से उपयोग प्रमाणपत्र अभी प्राप्त होने हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों को दिये गये और उनके द्वारा उपयोग किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) पिछले वर्षों के उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अगले वर्ष के लिए अनुदान रोक देता है।

विवरण

राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों द्वारा अनुदानों का उपयोग

राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	दसवीं योजना में आवंटन (1-4-2002 से 31-3-2007) (रु. लाख में)	2002-03 के दौरान जारी अनुदान (रु. लाख में)	विश्वविद्यालयों से प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र (लाख रु. में)	2003-04 के दौरान जारी अनुदान (रु. लाख में)	विश्वविद्यालयों से प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र (लाख रु. में)	2004-05 के दौरान जारी अनुदान (रु. लाख में)	विश्वविद्यालयों से प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र (लाख रु. में)
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
आन्ध्र प्रदेश							
1. आन्ध्र प्रदेश	571.50	114.84	114.86	228.06	*	**	
2. काकातिया विश्वविद्यालय	385.00	85.46	85.46	145.54	145.54	**	
3. जे.एन.टी.यू., हैदराबाद	429.00	58.15	*	**	58.15	199.25	
4. नागार्जुन विश्वविद्यालय	370.50	74.10	74.20	148.20	*	**	
5. उस्मानिया विश्वविद्यालय	558.67	112.19	112.19	223.01	*	**	
6. पी.एस. तेलुगू विश्वविद्यालय	243.75	48.75	*	**	47.78	97.50	
7. एस.वी. विश्वविद्यालय	454.93	101.55	*	**	101.55	171.41	
8. एस.पी.एम. विश्वविद्यालय	337.50	67.50	*	**	67.50	135.00	
9. एस.के.डी. विश्वविद्यालय	350.00	70.20	*	**	70.20	139.80	
गुजरात							
10. भावनगर विश्वविद्यालय	337.50	67.50	*	**	67.50	135.00	
11. गुजरात विश्वविद्यालय	429.00	85.80	86.90	171.60	*	**	
12. एम.एस. विश्वविद्यालय, वडौदा	752.05	151.55	*	**	236.41	**	
13. उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय	205.50	41.10	*	**	41.10	82.20	
14. सरदार पटेल विश्वविद्यालय	331.50	66.30	*	**	66.30	132.60	

15. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	390.00	78.00	78.00	156.00	*	**
16. दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय	429.00	85.80	85.89	171.60	*	**
कर्नाटक						
17. बंगलौर विश्वविद्यालय	574.40	115.39	137.72	229.25	*	**
18. कर्नाटक विश्वविद्यालय	405.00	81.00	*	**	60.47	81.00
19. कुवैम्पू विश्वविद्यालय	281.25	56.25	56.25	112.50	*	**
20. गुलबर्गा विश्वविद्यालय	310.50	66.30	*	**	90.32	120.00
21. मंगलौर विश्वविद्यालय	305.00	78.00	*	**	79.60	105.00
22. मैसूर विश्वविद्यालय	381.00	85.50	85.50	143.10	143.10	**
23. भारतीय राष्ट्रीय विधि स्कूल विश्वविद्यालय	105.00	45.00	*	**	30.00	**
24. कन्नड़ विश्वविद्यालय	130.00	27.00	27.00	51.00	51.00	**
केरल						
25. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	347.30	70.20	*	**	70.54	138.18
26. केरल विश्वविद्यालय	400.35	81.00	81.00	**	148.19	159.21
27. कालीकट विश्वविद्यालय	370.50	74.10	74.10	148.20	*	**
28. कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	578.00	116.21	*	**	73.35	114.99
29. कन्नूर विश्वविद्यालय	461.20	हाल ही में 'फिट' घोषित किया गया। पहली किस्त जारी				184.48
मध्य प्रदेश						
30. ए.पी.एस. विश्वविद्यालय	318.00	63.60	*	**	63.60	127.20
31. बरकतुल्ला विश्वविद्यालय	390.50	81.00	*	**	80.50	153.30
32. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	318.00	63.60	64.10	127.20	*	**
33. डा. एच.एस. गौड विश्वविद्यालय	441.30	88.37	88.37	176.41	*	**

	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
34. शिवाजी विश्वविद्यालय	315.00	63.00	*	**	44.61	**	
35. एम.जी. चित्रकुट ग्रामोदय विश्वविद्यालय	210.00	41.10	*	**	35.57	**	
36. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	409.50	81.90	*	**	56.62	**	
37. विक्रम विश्वविद्यालय	410.00	81.90	*	**	*	**	
महाराष्ट्र							
38. उत्तरी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय	259.00	56.25	*	**	55.00	47.35	
39. एस.आर.टी. मराठवाडा विश्वविद्यालय	225.00	45.00	*	**	44.31	45.00	
40. अमरावती विश्वविद्यालय	313.75	66.30	*	**	66.30	121.95	
41. डा. बी.ए. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	350.00	70.80	*	**	94.52	139.20	
42. शिवाजी विश्वविद्यालय	359.25	78.00	*	**	*	**	
43. एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय	542.94	109.00	*	**	109.00	216.76	
44. नागपुर विश्वविद्यालय	459.90	92.30	*	**	92.30	183.64	
45. पुणे विश्वविद्यालय	412.50	82.50	*	**	87.97	165.00	
46. मुम्बई विश्वविद्यालय	683.50	139.12	90.00	174.90	*	**	
गोवा							
47. गोवा विश्वविद्यालय	405.00	81.00	*	**	52.32	81.00	
तमिलनाडु							
48. मदुरई कामराज विश्वविद्यालय	390.00	78.00	*	**	78.00	78.00	
49. तमिल विश्वविद्यालय	225.00	45.00	46.28	90.00	*	**	
50. मनोमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय	280.00	56.10	56.25	111.90	*	**	
51. भारतीयर विश्वविद्यालय	330.00	70.20	70.20	127.80	*	**	

52. भारतीदासन विश्वविद्यालय	331.50	66.30	66.30	132.60	*	**
53. मद्रास विश्वविद्यालय	450.00	90.00	90.00	180.00	*	**
54. मदरटरेसा विश्वविद्यालय	243.75	48.75	48.75	97.50	*	**
55. अन्नामलाई विश्वविद्यालय	532.73	106.95	*	**	*	**
56. अलगप्पा विश्वविद्यालय	203.15	63.60	*	**	57.05	58.29
57. अन्ना विश्वविद्यालय	761.00	153.47	153.47	303.13	*	**
अरुणाचल प्रदेश						
58. अरुणाचल विश्वविद्यालय	400.00	81.00	*	**	*	**
असम						
59. गुवाहाटी विश्वविद्यालय	405.00	81.00	81.00	162.00	*	**
60. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	405.00	86.81	86.81	156.19	*	**
बिहार						
61. पटना विश्वविद्यालय	302.50	105.56	*	**	105.56	75.94
62. बी.बी. अम्बेडकर विश्वविद्यालय	293.07	70.20	*	**	48.00	47.03
63. टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय	328.00	63.00	*	**	49.45	68.20
64. के.एस.डी. संस्कृत विश्वविद्यालय	203.95	45.105	*	**	34.11	36.48
65. मगध विश्वविद्यालय	309.05	62.40	*	**	*	**
66. एल.एन. मिथिला	318.00	63.60	*	**	44.38	63.60
दिल्ली						
67. गुरुगोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	225.00	45.00	*	**	33.52	45.00
हरियाणा						
68. एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक	429.00	85.80	*	**	56.81	85.80
69. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	380.00	87.00	*	**	*	**

	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
70. गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय	205.00	41.10	*	**	41.10	81.90	
हिमाचल प्रदेश							
71. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	405.00	81.00	*	**	70.79	81.00	
जम्मू व कश्मीर							
72. जम्मू विश्वविद्यालय	400.00	81.90	*	**	81.90	84.85	
73. कश्मीर विश्वविद्यालय	405.00	81.00	*	**	81.00	162.00	
झारखंड							
74. रांची विश्वविद्यालय	312.00	74.10	*	**	63.00	50.70	
75. विनोबा भावे विश्वविद्यालय	हाल ही में 'फिट' घोषित किया गया। पहली किस्त जारी					105.70	
76. मणिपुर विश्वविद्यालय	398.60	81.90	81.90	157.26	*	**	
उड़ीसा							
77. उत्कल विश्वविद्यालय	367.50	81.00	*	**	*	**	
78. बहरामपुर विश्वविद्यालय	390.00	78.00	*	**	56.45	78.00	
79. सम्बलपुर विश्वविद्यालय	454.70	105.45	*	**	59.02	76.43	
80. श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय	235.00	48.60	*	**	*	**	
पंजाब							
81. पंजाब विश्वविद्यालय	489.70	98.19	98.90	195.63	181.44	**	
82. पंजाबी विश्वविद्यालय	370.50	74.10	74.10	148.20	*	**	
83. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय	429.00	85.80	85.80	171.60	171.60	**	
राजस्थान							
84. राजस्थान विश्वविद्यालय	420.00	84.00	84.00	168.00	*	**	
85. जे.एन. व्यास विश्वविद्यालय	419.80	84.20	84.20	167.68	*	**	

86.	एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय	257.00	62.40	62.40	91.80	*	**
87.	एम.डी.एस. विश्वविद्यालय	280.00	56.10	*	**	56.24	**
त्रिपुरा							
88.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	371.50	81.00	*	**	90.56	**
उत्तर प्रदेश							
89.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	444.75	90.08	*	**	84.50	87.82
90.	बुन्देलखंड विश्वविद्यालय	225.00	45.00	*	**	45.00	90.00
91.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय	358.00	89.70	*	**	89.00	125.10
92.	डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय	300.00	62.40	*	**	*	**
93.	डा. आर.एम.एल. अवध विश्वविद्यालय	234.75	56.40	*	**	56.40	**
94.	डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय	269.66	70.80	*	**	36.65	37.06
95.	लखनऊ विश्वविद्यालय	431.00	87.00	*	**	87.00	171.60
96.	एम.जी. काशी विद्यापीठ	213.00	51.00	*	**	51.00	**
97.	वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय	225.00	45.00	45.00	90.00	*	**
98.	एम.जे.पी. रूहेलखंड विश्वविद्यालय	280.50	56.10	56.10	112.20	*	**
99.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	200.00	42.00	*	**	29.12	38.00
100.	चौधरी साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय	201.50	41.10	41.10	79.80	*	**
101	जगदगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय	227.40	हाल ही में 'फिट' घोषित किया गया। पहली किस्त जारी				90.96
उत्तरांचल							
102.	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय	325.00	78.00	*	**	*	**
103.	कुमाऊं विश्वविद्यालय	370.50	74.10	*	**	74.10	148.20

	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
पश्चिम बंगाल							
104. कलकत्ता विश्वविद्यालय	577.00	115.79	115.79	230.41	*	**	
105. जादवपुर विश्वविद्यालय	742.75	149.85	150.50	295.80	*	**	
106. बर्डवान विश्वविद्यालय	347.00	78.60	78.20	129.60	*	**	
107. कल्याणी विश्वविद्यालय	340.00	70.20	70.20	133.80	*	**	
108. उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय	372.00	78.00	*	**	78.00	145.20	
109. रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय	405.00	81.00	*	**	*	**	
110. विद्यासागर विश्वविद्यालय	300.00	60.00	*	**	60.00	120.00	
छत्तीसगढ़							
111. गुरु घासी दास विश्वविद्यालय	300.00	61.50	61.50	118.50	*	**	
112. इन्द्रा कला संगीत विश्वविद्यालय	225.00	45.00	*	**	*	**	
113. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय	318.00	63.60	*	**	63.60	127.20	

(*) उपयोग प्रमाणपत्र अभी प्राप्त होने हैं।

(**) इस अवधि के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

कालम छ के अन्तर्गत : 2004-05 के दौरान जारी अनुदानों के सम्बंध में अभी तक कोई उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उपयोग प्रमाणपत्र सामान्यतः सितम्बर तक प्राप्त होते हैं।

दिल्ली जल बोर्ड का निजीकरण

2501. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को दिल्ली जल बोर्ड के निजीकरण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा गुप्त रूप से किये जा रहे प्रयासों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजधानी में जल प्रबन्धन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कुछ निजी परामर्शदाता नियुक्त किये गए हैं तथा उन्होंने अपनी रिपोर्टें सौंप दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का, दिल्ली जल बोर्ड का निजीकरण करने का, कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (घ) दिल्ली जल बोर्ड ने यह भी सूचित किया है कि परियोजना तैयारी अध्ययन और सेवाओं की सुपुर्दगी में व्यापक सुधार लाने हेतु सिफारिशें करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मैसर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर को परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के प्रारूप का अध्ययन विशेषज्ञ परामर्शदाताओं द्वारा करना अपेक्षित होगा।

विद्यालय को बीच में छोड़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति

2502. श्री प्रदीप गांधी:

श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.ई.आर.टी. ने विद्यालय को बीच में छोड़ने वाले बच्चों को 100 छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है जिन्होंने सातवीं/आठवीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की है परन्तु वित्तीय अथवा पारिवारिक विवशता के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा कौन सी चयन प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(ग) इस योजना से सातवीं/आठवीं कक्षा के बाद बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की स्थिति में कितना सुधार होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने उन बच्चों के लिए जांच के आधार पर केवल एक वर्ष की अवधि के लिए 100 छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव किया है जो कक्षा VIII के बाद नियमित स्कूली पढ़ाई छोड़ चुके हैं। चयन प्रक्रिया वर्तमान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति स्कीम के समान होगी।

(ग) छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि ये कक्षा XI से आगे स्कूली शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल हों।

अनुकंपा आधार पर नौकरियां

2503. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवा के दौरान मृत होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और अब तक संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में अनुकंपा आधार पर कितने लोगों को नौकरी दी गई है;

(ग) क्या उन व्यक्तियों के नामों को जिन्होंने अनुकंपा आधार पर नौकरी हेतु आवेदन किया हो और जो सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से तीन वर्षों से अधिक की अवधि से लंबित पड़े हों, उक्त नियुक्तियों की सूची से हटा दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इससे उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती और कुछ निर्दोष आश्रितों के साथ भेद-भाव होता है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख)

वर्ष	नियुक्तियां
2002	51
2003	22
2004	15
2005 (28-7-2005 तक)	12

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) यह भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/19/2002 स्था (डी) दिनांक 5 मई, 2003 के तहत जारी अनुदेशों के अनुरूप है।

(ङ) और (च) भारत सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार समूह ग और घ पदों में सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत आने वाले रिक्त पदों के अधिकतम 5% तक ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां की जा सकती है।

भूकंप रोधी आवासों का निर्माण

2504. श्री एस.के. खारवेनथन:

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भूकंप रोधी आवासों का निर्माण करने हेतु एक राष्ट्रीय योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भूकंप प्रवण क्षेत्र के महत्वपूर्ण भवनों को भूकंप-रोधी बनाने का भी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस उद्देश्य से किन भवनों की पहचान की गई है और किन शहरों/भूकंप प्रवण क्षेत्रों का चयन किया गया है;

(ङ) उक्त योजना को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(च) उक्त योजना को आरंभ करने हेतु कितना धन नियत किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) भूकंप रोधी आवासों का निर्माण करने हेतु कोई राष्ट्रीय योजना आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में एक शहरी भूकंप संभाव्यता में कमी लाने की परियोजना शुरू की गयी है। इस परियोजना में भूकंप प्रवण क्षेत्रों III, IV तथा V में आने वाले 38 शहर शामिल हैं जिनमें से प्रत्येक शहर की आबादी पांच लाख से अधिक है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं कि शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत बनायी जाने वाली सभी नयी सुविधाओं तथा संरचनाओं की योजना, डिजायन एवं निर्माण में सुरक्षित निर्माण के लिए बी.आई.एस. मानकों के अनुसार आपदा रोधी विशेषताएं समाविष्ट की जायें।

कंजूमर ड्यूरेब्ल इण्डस्ट्री में वृद्धि

2505. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के प्रथम माह में कंजूमर ड्यूरेब्ल इण्डस्ट्री में धीमी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित आधार वर्ष 1993-94 के साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के उपयोग आधारित स्पष्टीकरण के अनुसार कन्जूमर ड्यूरेबल उद्योग में वृद्धि अप्रैल, 2004 में 11.9 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल, 2005 में 18.8 प्रतिशत थी।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए (ख) तथा (ग) का प्रश्न ही नहीं उठता।

फार्मासिस्ट पाठ्यक्रमों में प्रवेश

2506. श्री ई. पेन्नुस्वामी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सम्पूर्ण भारत के महाविद्यालयों में चालू वर्ष के लिए एम.बी.ए/

एम.सी.ए. तथा फार्मासिस्ट पाठ्यक्रम में सीटें कम कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) संस्थाओं में पाई गई कमियों के कारण और अवमानक शिक्षा के प्रचुरोद्भव को रोकने हेतु गुणवत्ता बढ़ाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता पर संस्थाओं का ध्यान केंद्रित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा सीटों में कटौती की गई थी। मौजूदा वर्ष में मुख्य कमी संकाय की कमी है।

मलेशिया के साथ व्यापार

2507. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए.पी.ई.डी.ए. तथा सी.आई.आई. के प्रतिनिधियों सहित भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल ने हाल ही में मलेशिया का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मलेशिया सरकार ने भारत के कृषि तथा खाद्य क्षेत्रों में विशेष रूप से उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों तथा कृषि उपज के आयात/निर्यात जैसे क्षेत्रों में निवेश की रूचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में हस्ताक्षर किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और सी.आई.आई. तथा एपीडा के प्रतिनिधि के एक सी.आई.आई. कृषि मिशन ने 13-15 जुलाई, 2005 तक मलेशिया का दौरा किया था।

(ग) और (घ) जी, हां। मलेशिया सरकार ने विशेष तौर पर बासमती चावल के आयात में रूचि प्रदर्शित की। मलेशिया ने कृषि के लिए जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों से संबंधित भारतीय विशेषज्ञता में भी अत्यधिक रूचि व्यक्त की थी। यद्यपि, भारत की ओर से व्यापारिक सदस्यों ने मलेशियाई वितरकों के साथ परस्पर वार्ता की थी परन्तु किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

जियोग्राफिकल मैन्डमार्क (रजिस्ट्रेशन एण्ड कंजर्वेशन) एक्ट, 1999

2508. **श्री मनोज कुमार:**

श्री वाई.जी. महाजन:

श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स ऑफ गुड्स (रजिस्ट्रेशन एण्ड प्रोटेक्शन) एक्ट, 1999 पारित कर दिया गया है;

(ख) क्या इससे सामान से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण तथा बेहतर संरक्षण में मदद मिलेगी;

(ग) क्या छोटे निर्माताओं को पंजीकरण के लिए भौगोलिक संकेत मार्ग हीं दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या इस प्रक्रिया में 2 से 3 वर्ष की अवधि लगेगी:

(च) क्या सरकार का विचार पंजीकरण में लगने वाले समय को कम करने का है; और

(छ) भौगोलिक संकेत मार्कों के पंजीकरण के लिए कार्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स ऑफ गुड्स (रजिस्ट्रेशन एण्ड प्रोटेक्शन) एक्ट, 1999 (1999 का 48) 15 सितम्बर, 2003 को लागू हुआ था।

(ख) भौगोलिक संकेत का पंजीकरण पंजीकृत स्वामी और इसके प्राधिकृत प्रयोगकर्ता को भौगोलिक संकेत के अतिलंघन के संबंध में राहत प्राप्त करने का अधिकार तथा प्राधिकृत प्रयोगकर्ता को भौगोलिक संकेत के प्रयोग का अनन्य अधिकार प्रदान करता है।

(ग) और (घ) समयानुसार प्रभावी किसी भी कानून के द्वारा अथवा कानून के अंतर्गत स्थापित व्यक्तियों अथवा निर्माताओं का कोई भी संघ अथवा कोई संगठन अथवा प्राधिकरण जो संबंधित वस्तुओं के निर्माताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो, पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है और यदि वह अधिनियम की अन्य अपेक्षाओं को पूरा कर देता है तो उसका पंजीकरण कर

दिया जायेगा। अधिनियम में छोटे और बड़े विनिर्माताओं में कोई भेदभाव नहीं है।

(ङ) और (च) पंजीकरण प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं की समयावधि को अधिनियम और जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स ऑफ गुड्स (रजिस्ट्रेशन एण्ड प्रोटेक्शन) रूल्स 2002 में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है।

(छ) चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री कार्यालय पंजीकरण के लिए प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई करने में सक्षम रहा है तथा इस समय, सरकार का और रजिस्ट्री कार्यालयों की स्थापना करने का कोई विचार नहीं है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

2509. श्री लोनाप्पन नम्बाडन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मानवाधिकार उल्लंघन का मामला उठाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) द्वारा निर्धारित उपबन्धों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना प्राप्त मामलों को पहले संबंधित राज्य, जहां- पर मानवाधिकार उल्लंघन की घटना हुई है, के राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा लिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मानवाधिकार उल्लंघन के बढ़ते मामलों की कानूनी कार्रवाई करने में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कोई कार्यात्मक मुश्किल हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(च) क्या देश के प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग गठित कर दिया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग गठित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं तथा प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत तैयार किए गए एन.एच.आर.सी. (प्रक्रिया) विनियम, 1994 तथा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी प्रक्रियात्मक निदेशों के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) में मामलों को विचारार्थ उठाया जाता है।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, मामले पर विचार करने के दौरान यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि इसी मामले को राज्य मानवाधिकार आयोग (एस.एच.आर.सी.) ने भी संज्ञान लिया है तो संबंधित एस.एच.आर.सी. से रिपोर्ट मंगाई जाती है। यदि यह पाया जाता है कि एस.एच.आर.सी. ने मामले को पूर्व संज्ञान लिया था तो अधिनियम की धारा 36(1) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए मामला बंद कर दिया जाता है।

(घ) और (ङ) एन.एच.आर.सी. ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की कार्यात्मक कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से इसमें कई संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। अधिनियम के उद्देश्य और कारण, अन्य आयोगों की भूमिका तथा उनके कार्यकरण के समग्र संदर्भ और सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन संशोधनों की जांच की जा रही है।

(च) और (छ) अब तक 14 राज्यों ने राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन कर दिया है। सरकार, संबंधित राज्य सरकारों से उनके अपने-अपने राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित करने के लिए कहती रही है।

रूस से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2510. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रूस से देश में ऊर्जा, इस्पात और अन्य ज्ञान आधारित उद्योगों में निवेश हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की ऐसे प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंद में रूस के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे करारों को कब तक लागू किया जाएगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सरकार को रूसी निवेशकों से ऊर्जा, इस्पात और अन्य ज्ञान आधारित उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (च) नवम्बर, 2004 में नई दिल्ली में आयोजित भारत-रूस अन्तर-सरकारी आयोग के 10वें सत्र के दौरान तथा दिसंबर, 2004 में रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमिर पुतिन की भारत-यात्रा के दौरान ऊर्जा, सूचना-प्रौद्योगिकी एवं जैव-प्रौद्योगिकी की पहचान भारत और रूस के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों में की गई थी।

[हिन्दी]

शरणार्थियों को नागरिकता

2511. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत आने वाले लाखों परिवार मुज्जफरपुर, मोतीहारी और बेतिया सहित उत्तरी बिहार के कई जिलों में शरणार्थियों का जीवन जी रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार द्वारा पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तर्ज पर जारी आदेशों के बावजूद भी इन प्रवासियों को नागरिकता और अन्य सुविधाएं नहीं दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उन्हें नागरिकता और अन्य सुविधाएं कब तक दी जाएंगी; और

(घ) देश के अन्य भागों में यह सुविधा कितने शरणार्थियों को दी गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) पूर्वी बंगाल शरणार्थी समिति और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में 2004 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 15806 में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 03-01-2005 के आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, बिहार राज्य सरकार को निदेश दिया है कि वह भूत-पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले नागरिकता की प्रामाणिकता के बारे में नौ माह की अवधि के अंदर जांच पूरी कर लें।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों हेतु रिक्त पद

2512. श्री रामदास आठवले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों और उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विभिन्न वर्गों में कुछ पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विभागों और उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया गया है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में इन विभागों/उपक्रमों में नई नियुक्तियां भी की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न वर्गों के अंतर्गत की गई नई नियुक्तियों का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का अनुपालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

2513. मो. मुकीम:

श्री मुनव्वर हसन;

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों विशेषकर झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2005 की चयन प्रक्रिया के संबंध में अध्यापकों, जन-प्रतिनिधियों और अन्य सामाजिक संगठनों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि श्री राम नारायण यादव, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, आर.एल.एस. यादव स्कूल, कोकर, झारखण्ड का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2004 के लिए चयन नहीं किए जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति सचिवालय के माध्यम से एक शिकायत तथा कैप्टन जयनारायण प्रसाद, संसद सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ग) झारखण्ड राज्य सरकार से शिकायत की जांच करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

शिक्षकों की नियुक्ति

2514. श्री परसुराम माझी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर एस.सी./एस.टी. एण्ड फिजीकली हैंडीकेपड पीपुल्स अपलिफटमेंट की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिर्च का निर्यात

2515. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मिर्च का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या वैश्विक मांग के चलते देशवार मिर्च के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी वृद्धि हुई;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय मिर्च पाउडर के आयात पर ब्रिटेन की आपत्ति के बावजूद इन देशों में भारतीय मिर्च का सफलतापूर्वक निर्यात किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मिर्च के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए मिर्च के निर्यात और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (मि. अमरीकी डॉलर)
2002-03	81,022	65.2
2003-04	86,575	80.0
2004-05	1,38,000	111.3

स्रोत: मसाला बोर्ड

(ख) और (ग) भारत से मिर्च के निर्यात में मात्रा के अनुसार वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2004-05 में 59% की वृद्धि हुई है। मिर्च के अमरीका, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यू.ए.ई., मैक्सिको, यू.के., इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र, सिंगापुर, चीन आदि को देश-वार निर्यात में वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2004-05 में वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) मिर्च की निर्यात खेपों में सुडान के कथित रूप से पाए जाने के कारण यू.के. में "उत्पाद की पुनः वापसी" के हाल के विवाद के बावजूद पिछले तीन वर्षों के दौरान यू.के. और ई.यू. को मिर्च के निर्यात में वृद्धि हुई है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	यू.के. को निर्यात (मात्रा टनों में)	ई.यू. को निर्यात (मात्रा टनों में)
2002-03	1,805	4,738
2003-04	2,440	5,240
2004-05	2,705*	5,988**

*अनुमानित

**अनंतिम

स्रोत : मसाला बोर्ड

मिर्च के निर्यातों में सुधार करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- सुडान I से IV और एफ्लाटॉक्सिन के लिए मिर्च और मिर्च उत्पादों के नमूने अनिवार्य रूप से एकत्र करना और उनकी जांच करना।
- कीटनाशी अवशेषों के स्तर में कमी करने के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन के तरीकों को अपनाना।
- सीमेंट/कंक्रीट के ड्राईंग शुष्कन परिसर अथवा पॉलिथीन शीटों में स्वच्छता से मिर्च सुखाना।
- मसाला उपजकर्ताओं, विशेषकर मिर्च के उपजकर्ताओं को रियायती दरों पर पॉलिथीन शीटों की आपूर्ति करना।
- लागत भागीदारी आधार पर मिर्च सुखाने के लिए सौर शुष्कित्र की स्थापना करना।
- उन कृषकों से मिर्च की खरीद करने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना जो एकीकृत कीट प्रबंधन के तरीकों का अनुपालन करते हैं और जो सौर शुष्कित्र का प्रयोग मिर्च सुखाने के लिए करते हैं।
- विशेष बाजारों में पकड़ जमाने की दृष्टि से पपरिका जैसी मिर्च की कार्बनिक खेती के लिए सहायता देना।
- मिर्च के फसलोत्तर प्रहस्तन में उपजकर्ताओं को शिक्षित करने की दृष्टि से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना।
- कड़े सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण प्रौद्योगिकीयों और प्रयोगशाला सुविधाओं को उन्नत करने हेतु निर्यातकों को सहायता देना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 10 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 10 अगस्त, 2005/19 श्रावण 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' डा. चिन्ता मोहन	221
2.	श्री बापू हरी चौरे	222
3.	मोहम्मद शाहिद प्रो. महादेवराव शिवनकर	223
4.	श्री के. फ्रांसिस जार्ज श्री ई. पोन्नुस्वामी	224
5.	श्री डी. विट्टल राव	225
6.	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	226
7.	श्री वी.के. दुम्मर	227
8.	श्री के. विरूपाक्षप्पा श्री कैलाश मेघवाल	228
9.	श्री दुष्यंत सिंह डा. एम. जगन्नाथ	229
10.	श्री बाडिगा रामाकृष्णा श्री सुग्रीव सिंह	230
11.	श्री तूफानी सरोज श्री किसनभाई वी. पटेल	231
12.	श्री उदय सिंह श्री अधीर चौधरी	232
13.	श्री हरिसिंह चावड़ा श्री रामजीलाल सुमन	233
14.	श्री एस.के. खारवेनथन	234
15.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ श्री जी.वी. हर्ष कुमार	235
16.	श्रीमती सी.एस. सुजाता	236
17.	डा. धीरेन्द्र अग्रवाल श्री जीवाभाई ए. पटेल	237
18.	श्री मुनव्वर हसन	238
19.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	239
20.	श्री ब्रजेश पाठक श्री बालासाहिब विखे पाटील	240

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	2419
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2350, 2386, 2393, 2415, 2476
3.	अग्रवाल डा. धीरेंद्र	2396
4.	अहीर, श्री हंसराज जी	2401, 2405, 2454
5.	अंगड़ि, श्री सुरेश	2455
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	2344
7.	आठवले, श्री रामदास	2409, 2470, 2496, 2512
8.	बंसल, श्री पवन कुमार	2352, 2477, 2497, 2503
9.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	2428, 2461, 2504
10.	बर्मन, श्री हितेन	2327
11.	भगोरा, श्री महावीर	2373
12.	भक्त, श्री मनोरंजन	2370, 2475, 2495
13.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2498
14.	बोस, श्री सुब्रत	2340
15.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2364, 2376, 2392, 2395, 2457

1	2	3
16.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	2354, 2381
17.	चन्देल, श्री सुरेश	2336, 2353, 2380, 2430, 2480
18.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2386
19.	चौरे, श्री बापू हरी	2425, 2484
20.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2383, 2392, 2453
21.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2440
22.	चिन्ता मोहन, डा.	2378
23.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	2363, 2387
24.	चौधरी, श्री पंकज	2359, 2377, 2454
25.	चौधरी, श्री अधीर	2450
26.	धोत्रे, श्री संजय	2484
27.	डोम, डा. रामचन्द्र	2354
28.	फर्नान्डीज, श्री जार्ज	2372
29.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2414, 2467
30.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2398
31.	गांधी, श्री प्रदीप	2404, 2468, 2493, 2502
32.	गंगवार, श्री संतोष	2448, 2500
33.	गाव, श्री तापिर	2390
34.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2416
35.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2452
36.	गोहेन, श्री राजेन	2387
37.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	2378, 2462
38.	गुढे, श्री अनंत	2353
39.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	2362, 2460, 2490
40.	हसन, श्री मुनव्वर	2464, 2513
41.	जगन्नाथ, डा. एम.	2498
42.	जय प्रकाश, श्री	2386
43.	जटिया, डा. सत्यनारायण	2455
44.	झा, श्री रघुनाथ	2400, 2422, 2474
45.	जिन्दल, श्री नवीन	2358
46.	जोगी, श्री अजीत	2410
47.	कलमाडी, श्री सुरेश	2484
48.	कस्वां, श्री रामसिंह	2383, 2394, 2508
49.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	2413, 2472
50.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2332, 2457
51.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2429, 2479, 2498, 2504
52.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2334, 2427
53.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	2365, 2451
54.	कृष्ण, श्री विजय	2478
55.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	2361, 2450
56.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	2438
57.	लाहिरी, श्री समिक	2381
58.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2443
59.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु	2412
60.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2461
61.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2386
62.	महाजन, श्री वाई.जी.	2392, 2508
63.	महतो, श्री बीर सिंह	2402
64.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2378, 2392
65.	माझी, श्री परसुराम	2347, 2435, 2482, 2514

1	2	3
66.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	2389
67.	मंडल, श्री सनत कुमार	2382, 2452, 2456, 2492
68.	माने, श्रीमती निवेदिता	2424
69.	मनोज कुमार, श्री	2508
70.	मनोज, डा. के.एस.	2369
71.	मैन्या, डा. टोकचोम	2391
72.	मोदी, श्री सुशील कुमार	2511
73.	मुकीम, मोहम्मद	2371, 2513
74.	मो. ताहिर, श्री	2438
75.	मोहिते, श्री सुबोध	2331, 2455, 2487
76.	मूर्ति, श्री ए.के.	2330, 2399, 2462
77.	मुन्शी राम, श्री	2438
78.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2363
79.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	2509
80.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	2398, 2406
81.	नायक, श्री अनन्त	2346, 2434, 2481, 2494
82.	निखिल कुमार, श्री	2403, 2490
83.	ओराम, श्री जुएल	2337, 2431
84.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	2335, 2466, 2492, 2507
85.	पलनिसामी, श्री के.सी.	2348, 2436, 2455
86.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2379
87.	पस्ते, श्री दलपत सिंह	2328, 2439
88.	पासवान, श्री सुकदेव	2374
89.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2458, 2488, 2510
90.	पटैरिया, श्रीमती नीता	2380
91.	पाठक, श्री ब्रजेश	2362, 24,63 2496
92.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2384
93.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	2442, 2445, 2486, 2506
94.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	2385
95.	प्रधान, श्री प्रशान्त	2354
96.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	2366
97.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2367, 2448
98.	राजेन्द्र कुमार, श्री	2339, 2444
99.	रामदास, प्रो. एम.	2345, 2437
100.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2449
101.	राणा, श्री काशीराम	2396
102.	राव, श्री के.एस.	2407
103.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2351, 2459, 2489, 2499, 2515
104.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2364, 2392, 2395, 2453
105.	रावत, श्री कमला प्रसाद	2394, 2418
106.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2341, 2432, 2462, 2483, 2500
107.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2354
108.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2388, 2471
109.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	2353, 2467
110.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2501
111.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2402, 2440
112.	सज्जन कुमार, श्री	2342, 2389, 2473

1	2	3
113.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2455, 2502 2505
114.	शर्मा डा. अरूण कुमार	2412
115.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	2374
116.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2474
117.	शाहिद, मोहम्मद	2438, 2441
118.	शर्मा, श्री मदन लाल	2353
119.	शिवाजीराव, श्री अघलराव पाटील	2411, 2415
120.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2438
121.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2333, 2404, 2426
122.	सिंह, श्री अजीत कुमार	2376
123.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2377, 2445
124.	सिंह, श्री दुष्यंत	2447
125.	सिंह, श्री गणेश	2350
126.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2356, 2424, 2478
127.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	2343, 2359, 2433
128.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2357, 2465
129.	सिंह, रेवती रमन	2368
130.	सिंह, श्री सीताराम	2397
131.	सिंह, श्री सुग्रीव	2388, 2458, 2488, 2510
132.	सिंह, श्री उदय	2450
133.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	2375
134.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2360
135.	सुब्बारायण, श्री के.	2421
136.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	2354
137.	सुमन, श्री रामजीलाल	2378, 2443
138.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2386, 2417
139.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2353
140.	थामस, श्री पी.सी.	2399, 2462
141.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2401, 2454
142.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2408, 2415, 2469
143.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2355, 2455, 2461, 2491
144.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	2376
145.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2350, 2386, 2393, 2415, 2476
146.	विरूपाक्षप्पा, श्री के.	2446
147.	वाघमारे, श्री सुरेश	2338, 2485
148.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2424, 2478
149.	यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद	2423
150.	यादव, श्री राम कृपाल	2374
151.	यादव, श्री सीता राम	2349
152.	यास्खी, श्री मधु गौड	2356
153.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2420
154.	जाहेदी, श्री महबूब	2329

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि और ग्रामीण उद्योग		226
वाणिज्य और उद्योग		223, 224, 227, 229, 231, 234, 236, 239
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास		
गृह		230, 232, 238
मानव संसाधन विकास	:	225, 228, 233, 235, 237, 240
संसदीय कार्य		
लघु उद्योग	:	221
जनजातीय कार्य	:	222
शहरी विकास	:	
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन		

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग		2333, 2367, 2410, 2461, 2491
वाणिज्य और उद्योग		2330, 2331, 2340, 2348, 2360, 2364, 2366, 2369, 2376, 2379, 2382, 2383, 2391, 2394, 2395, 2396, 2399, 2401, 2402, 2403, 2406, 2409, 2411, 2412, 2415, 2417, 2418, 2420, 2425, 2427, 2428, 2429, 2432, 2435, 2438, 2440, 2441, 2442, 2443, 2446, 2448, 2450, 2451, 2458, 2460, 2462, 2467, 2471, 2482, 2483, 2486, 2488, 2489, 2490, 2492, 2494, 2499, 2505, 2507, 2508, 2510, 2512, 2515
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास		
गृह		2329, 2332, 2334, 2336, 2337, 2349, 2352, 2353, 2357, 2371, 2372, 2377, 2388, 2392, 2397, 2398, 2405, 2422, 2423, 2439, 2449, 2453, 2456, 2457, 2459, 2463, 2469, 2477, 2484, 2487, 2495, 2496, 2497, 2503, 2509, 2511
मानव संसाधन विकास	:	2327, 2335, 2354, 2355, 2356, 2358, 2361, 2370, 2374, 2380, 2381, 2384, 2385, 2389, 2390, 2393, 2404, 2407, 2413, 2414, 2436, 2444, 2445, 2447, 2452, 2464, 2465, 2468, 2472, 2479, 2480, 2481, 2500, 2502, 2506, 2513, 2514

संसदीय कार्य

लघु उद्योग	:	2341, 2345, 2365, 2375, 2378, 2419, 2426, 2454
जनजातीय कार्य		2344, 2346, 2347, 2350, 2362, 2363, 2373, 2416, 2475
शहरी विकास		2328, 2339, 2342, 2343, 2359, 2368, 2386, 2387, 2400, 2408, 2421, 2424, 2431, 2434, 2455, 2466, 2473, 2474, 2476, 2478, 2485, 2493, 2498, 2501, 2504
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	2338, 2351, 2430, 2433, 2437, 2470.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौज पुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।